ज्ञानशौर्यम्

ISSN : 2582-0095

Peer Reviewed and Refereed International Scientific Research Journal

Website : http://gisrrj.com

GYANSHAURYAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL

Volume 2, Issue 2, March-April-2019

Email : editor@gisrrj.com Website : http://gisrrj.com

ज्ञानशौर्यम्

Gyanshauryam
International Scientific Refereed Research Journal

Volume 2, Issue 2, March-April-2019

[Frequency: Bimonthly]

ISSN : 2582-0095

Peer Reviewed and Refereed International Journal
Bimonthly Publication

Published By
Technoscience Academy

Editorial Board

Advisory Board

- **Prof. Radhavallabh Tripathi**
  Ex-Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi, India

- **Prof. B. K. Dalai**
  Director and Head. (Ex) Centre of Advanced Study in Sanskrit. S P Pune University, Pune, Maharashtra, India

- **Prof. Divakar Mohanty**
  Professor in Sanskrit, Centre of Advanced Study in Sanskrit (C. A. S. S.), Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune, Maharashtra, India

- **Prof. Ramakant Pandey**
  Director, Central Sanskrit University,Bhopal Campus.Madhya Pradesh, India

- **Prof. Kaushalendra Pandey**
  Head of Department, Department of Sahitya, Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Dinesh P Rasal**
  Professor, Department of Sanskrit and Prakrit, Savitribai Phule Pune University, Pune, Maharashtra, India

- **Prof. Parag B Joshi**
  Professor & OsD to VC, Department of Sanskrit Language & Literature, HoD, Modern Language Department, Coordinator, IQAC, Director, School of Shastric Learning, Coordinator, research Course, KKSU, Ramtek, Nagpur, India

- **Prof. Sukanta Kumar Senapati**
  Director, C.S.U., Eklavya Campus, Agartala, Central Sanskrit University,Janakpuri, New Delhi, India

- **Prof. Sadashiv Kumar Dwivedi**
  Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Coordinator, Bharat adhyayan kendra, Banaras Hindu University, Varanasi Uttar Pradesh, India

- **Prof. Manoj Mishra**
  Professor, Head of the Department, Department of Vedas, Central Sanskrit University, Ganganath Jha Campus, Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ramnarayan Dwivedi**
  Head, Department of Vyakarana Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ram Kishore Tripathi**
  Head, Department of Vedanta, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

---

Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**
  SST, Palamu, Jharkhand, India

Senior Editor

- **Dr. Pankaj Kumar Vyas**
  Associate Professor, Department- Vyakarana, National Sanskrit University (A central University), Tirupati, India

---

Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**
  Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada
- **Prof. Daya Shankar Tiwary**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Prof. Satyapal Singh**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Dr. Ashok Kumar Mishra**
  Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India
- **Dr. Raj Kumar Mishra**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India
- **Dr. Somanath Dash**
  Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

Editors

- **Dr. Suneel Kumar Sharma**
  Assistant Professor Department of Education, Shri Lalbahadur Shastri National Sanskrit University (Central University) New Delhi, India

- **Dr. Rajesh Sarkar**
  Assistant Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Rajesh Mondal**
  Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

- **Dr. Sheshang D. Degadwala**
  Associate Professor & Head of Department, Department of Computer Engineering, Sigma University, Vadodara, Gujarat

---

Assistant Editors

- **Dr. Shivanand Shukla**
  Assistant Professor in Sahitya, Government Sanskrit College, Patna, Bihar, India |Constituent Unit : Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Bihar, India

- **Dr. Shalendra Kumar Sahu**
  Assistant Professor, Department of Sahitya Faculty of S.V.D.V, Banaras Hindu University (BHU) Varansi,Uttar Pradesh, India

---

International Editorial Board

- **Vincent Odongo Madadi**
  Department of Chemistry, College of Biological and Physical Sciences, University of Nairobi, P. O. Box, 30197-00100, Nairobi, Kenya

- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**
  Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia

- **Dr. Morve Roshan K**
  Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator
  Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
- **Dr. Raja Mohammad Latif**
  Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
- **Dr. Abul Salam**
  UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE

Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University Haridwar, Uttrakhand, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**
  Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus, Radhanagar, Agartala, Tripura, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**
  Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**
  Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Vimalendu Kumar Tripathi**
  Lecturer +2 High School, Bengabad, Giridih, Jharkhand, India

CONTENT

Sr. No	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	**संस्कृतशिक्षणे निदानात्मकोपागम** डॉ. दातारामपाठक	01-03
2	**काव्यशास्त्र में काव्यस्वरूपविमर्श** साधना पाल	04-08
3	**भारतीय काव्यशास्त्र में रसविमर्श** नागदेव यादव	09-14
4	**कुमारसंभवम् महाकाव्य में पर्यावरण: एक विमर्श** नीतू सिंह	15-19
5	**आचार्य रामचन्द्र शुक्ल व डा रामविलास शर्मा तुलनात्मक व्यावहारिक समीक्षा आधुनिक कविता व छायावाद** डॉ. राजेश कुमार मिश्र	20-24
6	**समाजे आश्रमधर्मस्य प्रासङ्गिकता** डॉ. सुधांशुशेखरमहापात्रः	25-28
7	**स्वातन्त्र्योत्तरकाले यौतकाधिनियमाः महिलानां स्थितिश्च** लक्ष्मीनारायण जेना	29-33
8	**नवादा जिला में मानव संसाधन एवं साक्षरता का विकास : एक भौगोलिक अद्य्ययन** डॉ. कुश कुमार	34-40
9	Caste Politics in India Rupesh Kumar	41-45
10	**भागवतधर्मः पाञ्चरात्रञ्च** डॉ॰ नवनीता	46-49
11	**भारतीय संस्कृति में मानवीय मूल्यपरक शिक्षा की उपयोगिता** डॉ. अश्विनी कुमार	50-56

12	**Religion in Chendellas Dynasty** Dr. Anirudh Kumar	57-59
13	**दाम्पत्य-जीवनक मैथिली कथाक प्रकार आ वर्गीकरण** श्रवण कुमार, विनीत कुमार लाल दास	60-68
14	**सल्तनतकालीन भारतीय हिन्दू स्त्रियों की स्थिति** सन्नी देवल दास	69-75
15	**श्रीमद्भगवद्गीता में कर्मवाद की आधुनिक में उपयोगिता** इन्दल	76-79
16	**गरीबी निवारण हेतु नीतियाँ: विश्लेषणात्मक समीक्षा** डॉ. मनमोहन प्रसाद पाण्डेय	80-94
17	**पं. दीनदयाल उपाध्याय की लोकतंत्र में पुरोधा की आर्थिक चिन्तन का प्रभाव** डॉ. जगदीश प्रसाद जाटः	95-105
18	**भारत में शिक्षा और भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग : एक विश्लेषण** डॉ सरन पाल सिंह	106-119
19	**सिरपुर की मृद्भाण्ड परम्परा** सौरभ सिंह, चन्द्रशेखर सिंह	120-126
20	**Individual, Family and Society : A Study of Arthur Miller's The Last Yankee and Broken Glass** Dr. Manju Srivastava	127-131
21	**स्मृति कालीन समाज एंव वर्तमान समाज की समीक्षा** प्रभा चतुर्वेदी	132-141
22	**अनुसूचितजाति जनजाति छात्राणां शैक्षिकविकासे पाठ्यक्रमसहगामिक्रियाणां महत्वम्** Pramod Kumar Das	142-145

23	**ध्वन्यालोककारः आनन्दवर्धनाचार्यः ध्वन्यालोकस्य गुणसङ्घटनयोः परामर्शः** डॉ. सीता राम शर्मा	146-149

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

संस्कृतशिक्षणे निदानात्मकोपागम

डॉ॰ दातारामपाठक.
संविदाध्यापक:, शिक्षाशास्त्रविभाग:
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, भोपालपरिसर:

शोधसार

सारांशरूपेण निदानात्मकोपागमस्य प्रयोग: छात्रसौकर्यार्थं भवति। यदा छात्रस्य या काऽपि समस्या भवति तस्या: समाधानम् अस्मिन् उपागममाध्यमेनैव भवति। अत: उपागमोऽयं प्रयोगे अवश्यम् करणीयम् ।

शब्द कुट – वाचनम्, भाषा, लेखनम्, उच्चारणम्, व्याकरणम्, अंकगणितम् ।

निदानात्मकोपागमे शिक्षार्थिषु वंश – लिङ्ग – वय: परिवेषादि विभिन्नेभ्य: कारणेभ्य: वैयक्तिकभिन्नता: भवन्ति। केचन धीमन्त: भवन्ति। केचन अल्पबुद्धय: भवन्ति। येषां अल्पबुद्धि: भवति अथवा ये छात्रा न्यूना: भवन्ति तेषां छात्राणां निदानात्मकोपचार: निदानात्मकोपागमेन क्रियते। यथा वैद्य: औषधिमाध्यमेन रुग्णस्य उपचारं करोति। तथैव शिक्षक: अपि अस्योपागममाध्यमेन तस्य (छात्रस्य) निदानं करोति।

परिभाषा अर्थश्च – निदानम् इति शब्दस्य अर्थ: भवति मूलकारणम् अथवा रोगनिर्णय:। आङ्ग्लभाषायां (डायग्नॉसिस) इत्युच्यते ।

परिभाषा-

चिकित्सक रोगिन: लक्षणानि परिशील्य रोगस्य निदानं करोति एवमेव शिक्षकोऽपि छात्राणां विषयगतमन्दताम् अधिगमसम्बद्धत्रुटि:, लोपांश्च ज्ञात्वा तेषां निदानं करोति। योकं सिंसन् महोदयारनुसारं 'निदानं एका कला, यया कलया छात्रेषु विद्यमानै: चिह्नै:, लक्षणैर्वा कस्या अपि कठिनताया: ज्ञानं प्राप्यते।“

निदानात्मकोपागमस्य उद्देश्यानि-

प्रत्येककार्यस्य किमपि उद्देश्यं भवति। यदि कार्यस्य उद्देश्यं न भवति चेत् कार्ये सफलताऽपि न मिलिष्यति। अत: कार्ये प्रथमं उद्देश्यस्य निर्माणं भवेत्। उद्देश्याधारेण कार्ये सफलता मिलति। एवमेव निदानात्मकोपागमस्याऽपि केचन उद्देश्यानि सन्ति। तेषां विवरण निम्नपंक्तौ विद्यते। तद्यथा –

1. छात्रेषु पाठ्यपुस्तकसम्बंधिताना जन्मजात अथवा स्वाभाविककठिनतानां ज्ञानप्राप्ति स्यात् ।

2. छात्राणां पाठ्यविषयसम्बद्धनां विविधकठिनतानां च अवगमनम्।

3. छात्राणां व्यक्तित्वस्य विश्लेषणम् ।

4. छात्राणां समस्याया: समाधानम् ।

5. विभिन्नेभ्य: घटकेभ्य: छात्राणां समाधानम् ।

निदानात्मकोपागमस्य क्षेत्रम्- संसारेऽस्मिन् निदानात्मकोपागमस्य बहूनि क्षेत्राणि वर्तन्ते। शिक्षाक्षेत्रे निदानात्मकोपागमस्य क्षेत्राणि–

1. वाचनम् 2. भाषा 3. लेखनम्

4. उच्चारणम् 5. व्याकरणम् 6. अंकगणितम् ।

(1) वाचनम् - निदानात्मकोपागमे वाचनम् वचनरूपेण निदानम् इत्यस्ति।

(2) भाषा - निदानात्मकोपागमे भाषाया: स्पष्टता अवश्यमेव स्यात्। शब्दस्य प्रयोग: 'किमर्थं एवं च 'कुत्र' इति सन्दर्भस्य ज्ञानम् अवश्यमेव करणीयम् । अन्यथा सन्देशस्य ग्रहणे अनेकभ्रमा: सम्भवेयु: ।

(3) लेखनम् - लिखितरूपेण समस्याया: समाधानं अस्मिन् क्षेत्रे वर्तते ।

(4) उच्चारणम् - शब्दस्य वाक्यस्य वा उच्चारणमाध्यमेन या: समस्या: अन्तर्निहिता: भवन्ति, ता: सर्वा: उच्चारणे एव भवन्ति।

(5) व्याकरणम् - अस्मिन् क्षेत्रे व्याकरणिकसमस्याया: समाधानं वर्तते।

(6) अंकगणितम् - निदानात्मकोपागमे गणितमाध्यमेन समस्या समाधानं अस्मिन् क्षेत्रे भवति।

एतत् अतिरिक्तं छात्राणां निदानावसरे इमे महत्त्वपूर्णा: विषया: वर्तन्ते। तद्यथा–

1. शारीरिक स्वास्थ्यम् ।

2. सम्वेगात्मकस्थिति: ।

3. बुद्धिस्तर: ।

4. सामाजिक स्तर ।

5. आर्थिकस्तर: ।

6. शिक्षणपद्धति: ।

7. छात्राणां अभिरुचि: ।

8. कार्यसङ्कल्पः ।

निदानात्मकोपागमस्य प्रकाराः - अत्र निदानात्मकोपागमस्य प्रकारद्वयं वर्तते। तद्यथा– (1) व्यक्तिकेन्द्रितम् (2) समूहकेन्द्रितम्

(1) व्यक्तिकेन्द्रितम्- अनेनपरीक्षणेन विशेषलोपाः, विशिष्टगुणाश्च परिचिताः भवति।

(2) समूहकेन्द्रितम् - अनेन एकस्य विशिष्टसमूहस्य सामूहिकत्रुटीनां, लोपानां वा परीक्षणं क्रियते।

निदानात्मकपरीक्षणपत्रस्य निर्माणम्

निदानात्मकोपागमेऽस्मिन् परीक्षणं कथं भवेत् इति विषयमाधारीकृत्य अस्योपागमे परीक्षणस्य केचन बिन्दवः अधः वर्तन्ते। यथा–

1. त्रुटिसंकलनम्।

2. त्रुटिकारणम् ।

3. त्रुटिनिवारणोपायाः ।

4. नीलपत्रनिर्माणम् ।

(1) त्रुटिसंकलनम् – उपागमेऽस्मिन् त्रुटेः सङ्कलनम् भवति।

(2) त्रुटिकारणम् – निदानात्मकोपागमे त्रुटेः कारणं ज्ञात्वा तस्य समाधानं भवति।

(3) त्रुटिनिवारणोपायाः – उपागमेऽस्मिन् त्रुटेः निवारणं कृत्वा तस्योपायाः प्रददाति।

(4) नीलपत्रनिर्माणम् – अस्मिन्नपि नीलपत्रस्य निर्माणं भवति इत्यादयः सन्ति निदानात्मकपरीक्षणपत्रस्य निर्माणमिति ।

निष्कर्षः – सारांशरूपेण निदानात्मकोपागमस्य प्रयोगः छात्रसौकर्यार्थं भवति। यदा छात्रस्य या काऽपि समस्या भवति तस्याः समाधानम् अस्मिन् उपागममाध्यमेनैव भवति। अतः उपागमोऽयं प्रयोगे अवश्यम् करणीयम् ।

सन्दर्भग्रन्थसूची:

1. संस्कृतशिक्षणम् – प्रो॰ सन्तोषमित्तल
2. शिक्षामनोविज्ञानम् – डॉ॰ फतेहसिंह
3. शैक्षिक प्रविधिः – डॉ॰ रमाकान्तमिश्र
4. संस्कृतशिक्षणम् – डॉ॰ कम्भम्पाटि साम्बशिवमूर्ति
5. संस्कृतशिक्षणम् – डॉ॰ एस.डी. सिंह
6. हिन्दी शिक्षण – श्री सुरेन्द्र सिंह कादियान
7. हिन्दी शिक्षण – डॉ. दाताराम पाठक

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

काव्यशास्त्र में काव्यस्वरूपविमर्श

साधना पाल

भोधच्छात्र,

संस्कृत विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज।

शोधसार

शोध आलेख सार : काव्य’ पद यदि पुल्लिङ्ण में प्रयुक्त होता हैए तब यह पद उशना का वाचक होता है और जब नपुंसकलिङ्ण में लिखा जाता है तो वह कवि के भाव या कर्म अर्थात् काव्य का बोधक होता है। काव्य.स्वरूप विवेचन में प्रशस्त आचार्यों के मतों में वाक्’ को ही काव्य का अधिकरण माना गया है। अतः आचार्य जयदेव ने अपने चन्द्रालोक’ में वाक्’ को ही काव्य माना है। महाकवि कालिदास भी वागर्थ की प्रतिपत्ति के लिए वागर्थ की सम्पृक्ति स्वीकार करते हैं।

मुख्य शब्द. वाक्, काव्य, प्रशस्त, कालिदास, कवि।

कवि’ और ‘काव्य’ भाब्द वैदिक वाड्.मय से ही प्राप्त होते हैं। जैसा कि युजर्वेद में कहा गया है—**‘त्रयी विद्या काव्यं छन्दः।’**[1] और भातपथ ब्राह्मण में—**‘कवेः परमात्मन इदं काव्यं वेदत्रयी रूपं छन्दः।** वेदों में कुछ स्थानों पर काव्य का प्रयोग ‘पराक्रम’ के अर्थ में किया गया है। यथा—**‘प य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति।’**[2] इस वेदवाक्य का अर्थ वस्तुतः प य (देखो), देवस्य (इन्द्रस्य), काव्यम् (पराक्रमं), न ममार न जीर्यति (जो न समाप्त होता है, न जीर्ण होता है)।—यह है, किन्तु कुछ विद्वान् सामान्य कवि की रचना की स्थिति की दृश्टि से इसको उद्धृत करते हैं। अमरको ा में कवि के पर्याय के रूप में—

विद्वान् विपश्चिद्दोषज्ञः सन् सुधीः कोविदो बुधः।

धीरो मनीशी ज्ञः प्राज्ञः सड्.ख्यावान् पण्डितः कविः।।[3]

—ऐसा कहा गया है। इस प्रकार लौकिक संस्कृत भाशा में रचनाकार को कवि कहा गया है और **‘कवेर्भावः कर्म वा काव्यम्’**— इस व्युत्पत्ति के अनुसार कवि के भाव या कर्म को काव्य कहा जाता है। ऋग्वेद में **‘मधुमद्वचोऽ ंसीत् काव्यः कविः’**[4] कहा गया है। यहाँ कवि पुत्र ‘उ ाना’ (ुक्राचार्य) को ‘काव्यः’ द्वारा संकेतित किया गया है। ‘काव्य’ पद यदि पुल्लिड्.ग में प्रयुक्त होता है, तब यह पद उ ाना का वाचक होता है और जब नपुंसकलिड्.ग में लिखा जाता है, तो वह कवि के भाव या कर्म अर्थात् काव्य का बोधक होता है।

काव्य—स्वरूप निरूपण में उसके अधिकरण का उल्लेख भी आव यक होता है। अधिकरण कारक का प्रयोग करते हुए **आचार्य वामन** ने **काव्यालड्.कार** सूत्र में काव्य का स्वरूप इस प्रकार बताया है—

'काव्यभाब्दोऽयं गुणालड्.कारसंस्कृतयोः भाब्दार्थयोर्वर्तते।[5]

इस प्रकार वामन के मत में गुण और अलंकार से संस्कृत भाब्दार्थ में काव्य रहता है, किन्तु वाग्देवतावतार आचार्य मम्मट 'वाक्' (भारती) को काव्य का अधिकरण मानते हैं। जैसा कि काव्यप्रका ा की प्रथम मंगलाचरण वाली कारिका में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है–

नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्।

नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति।।[6]

इस कारिका में भारती का वि ोशण (आदधती) इस तथ्य को आरेखित करता है कि वाक् (भारती) नियतिकृत नियमों से रहित, एकमात्र आह्लाद प्रदान करने वाली, किसी अन्य से परतन्त्र न होने वाली, नवरसरुचिरा, निर्मिति (रचना) को धारण करने वाली भारती है, जिसको सर्वोत्कृश्ट मानते हुए वे 'जयति' का प्रयोग कर उसके प्रति प्रणति निवेदन करते हैं।

वाग्देवतावतार कहकर विद्वानों ने मम्मट को अत्यन्त आदर प्रदान किया है। उन्होंने विधाता की रचना से श्रेश्ठ तथा सर्वतन्त्र, स्वतंत्र और नवरसरुचिरा रचना को धारण करने वाली काव्य–भारती की श्रेश्ठता प्रतिपादित की है तथा सरस्वती के प्रति आदर व्यक्त किया है। वाक् के पर्याय हैं–

ब्राह्मी तु भारती भाशा गीर्वाग्वाणी सरस्वती।

व्याहार उक्तिर्लपितंभाशितं वचनं वचः।।[7]

तात्पर्य यह है कि आचार्य मम्मट ने काव्य का अधिकरण भारती अर्थात् 'वाक्' को माना है। प्र न यह उठता है कि उनके काव्यलक्षण के रूप में प्रसिद्ध **"तददोशौ भाब्दार्थौ सगुणावनऽलड्.कृती पुनः क्वापि**[8] –में भाब्दार्थौ का प्रयोग क्यों किया गया है? ध्यातव्य है कि मम्मट के पूर्व आचार्य वामन ने काव्य का अधिकरण भाब्दार्थ को बताया है, जो इस प्रकार है–

'काव्यभाब्दोऽयं गुणालड्.कारसंस्कृतयोः भाब्दार्थयोर्वर्तते।'

इसमें वामन ने काव्य 'भाब्दोऽयम्' से प्रारम्भ किया है और उसे बताया है कि यह गुण और अलंकार से संस्कृत भाब्दार्थ में रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वामन ने 'काव्य ाब्दोऽयम् में ' ाब्द' पद का प्रयोग वाक् के अर्थ में किया है। क्योंकि छान्दोग्योपनिशद् में ' ाब्द' को 'वाक्' कहा गया है–**'यः क चन भाब्दः' स वागेव।'**[9] किन्तु मम्मट ने प्रयोजन कारिका के वाक्यां ा **'सद्यःपरिनिवृतये.........**[10] की व्याख्या में 'भाब्दार्थयोर्गुणभावेन रसाड्.गभूतव्यापारप्रवणतया विलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणं कविकर्म।'–ऐसा कह कर गुणालड्.कार से संस्कृत भाब्दार्थ के गौण होने पर ही काव्य की सत्ता स्वीकार की है, क्योंकि सामान्य वाग्व्यवहार भी गुण और अलंकार से युक्त हो सकता है, जिसमें काव्यत्व नहीं होता। काव्य होने के लिए लोकोत्तराह्लाद का होना आव यक है।

प्रो0 रहसविहारी द्विवेदी के नवीन ग्रन्थ **'काव्याधिकरणानुभूतिविम ाः'** में एक उन्हीं का भलोक उद्धृत है–

व्योमाभे संस्तरे ह्यस्मिन् भाुभ्रां ाुकविधुर्भवान्।

आस्यतामद्य सौभाग्याद् द ानं श्रीमतोऽभवत्।।[11]

(अर्थात् आका ासदृ ा इस नीली चादर पर धवल वस्त्र पहने आप चन्द्रमा की तरह विराजमान हो जायें, बड़े सौभाग्य से आपका द र्ान हुआ है)—इस भलोक में अलड्.कार, वैदर्भीरीति और मित्रविशयक रति है तथापि लौकिक व्यवहार का वाक्य होने से यह काव्य नहीं हो सकता।

इसी प्रकार पण्डितराज जगन्नाथ ने—

ब्राह्मण! पुत्रस्तेजातः।[12]

—कन्या ते गर्भिणी जाता। —ऐसा कहा है। इस वाक्यको सुनकर जो सुख या दुःख होता है, वह काव्य नहीं है। काव्य में लोकोत्तर आह्लाद का होना आव यक है। भाब्दार्थों के गौण होने पर ही लोकोत्तर आह्लाद प्राप्त होता है। इसीलिए वैदिक ऋशि के पूर्व उद्धृत कथन में 'मधुमद्वचोऽ ांसीत् काव्यः कविः' कहा है। ऋग्वेद के इस मन्त्रां ा में 'वाक्' का ही काव्यत्व स्वीकार किया गया है। अर्थात् मधुमती वाणी को काव्य कहा गया है। आनन्दवर्धन ने भी 'ध्वन्यालोक' में—'वाक्' (सरस्वती) को काव्य का अधिकरण स्वीकार किया है—

सरस्वती स्वादुतदर्थवस्तु निश्यन्दमाना महतां कवीनाम्।
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभा वि ोशम्।।[13]

यहाँ 'वाक्' को ही काव्य स्वीकार किया गया है। काव्य ाास्त्र के पितामह भामह ने भी अनेक बार काव्य के पर्याय के रूप में 'वाक्' भाब्द का प्रयोग करके उसका (वाक् का) अधिकरणत्व स्वीकार किया है। उनके काव्य का लक्षण है—

वक्राभिधेय ाब्दोक्तिरिश्टावाचामलड्कृतिः'[14] जिसमें 'वाचामलड्.कृतिः' कहकर वे 'वाक्' को ही काव्य कहते है। भामह के काव्यलक्षण में सर्वत्र उद्धृत 'भाब्दार्थौ सहितौ काव्यम्' उनका काव्य लक्षण नहीं है। वह ' ाब्दालंकार और अर्थालांकार दोनों ही सम्मिलित रूप से काव्य हैं, इसके लिए कहा है। यह वाक्य भाब्दालंकार और अर्थालंकारवादियों के समाधान में कहा गया भामह का वाक्य है। आचार्य पण्डितराज जगन्नाथ ने इसी का अनुकरण करके अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया हैं—

'रमणीयार्थप्रतिपादकः भाब्दः काव्यम्।'[15]

भाब्द भेद से वही बात भामह ने भी कही है—

भामह — वक्र + अभिधेय+ भाब्दोक्तिरिश्टावाचामलड्.कृतिः।

जगन्नाथ — रमणीय +अर्थ + प्रतिपादकः ाब्दः काव्यम्।

वक्र का अर्थ भामह करते हैं—

निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्।
मन्यन्तेऽति ायोक्तिं तामलड्.कारतया तथा।

सैशा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।

यत्नोऽस्यां कविनाकार्यो कोऽलङ्.कारोऽनया विना।।[16]

पण्डितराज जगन्नाथ 'रमणीय' का अर्थ करते हैं–**'रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनक ज्ञानगोचरता।**[17]

इस प्रकार लोकोत्तराह्लाद् का काव्य में होना दोनों आचार्य स्वीकार करते हैं।
आचार्य जयदेव ने काव्यलक्षण देते हुए कहा है कि–

निर्दोशा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूशिता।

सालङ्.काररसानेकवृत्तिर्भाक् काव्य ाब्दभाक्।।[18]

वस्तुतः अन्तर अधिकरण में है। बहुत संभव है पण्डितराज जगन्नाथ ने 'रमणीयार्थप्रतिपादकः भाब्दः काव्यम्' में भाब्द का प्रयोग वाक् के अर्थ में ही किया है क्योंकि छान्दोग्योपनिशद् में कहा गया है–'यः क चन भाब्दः सः वागेव। महाकवि कालिदास अनुभूतिविशयक पद्य में कहते हैं–

रम्याणि वीक्ष्य मधुराँ च नि ाम्य भाब्दान्।

पर्युत्सुकी भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः।

तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं,

भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि।।[19]

इसमें चेतसा स्मरण का उल्लेख है। वाक् के चार भेद–परा, प यन्ती, मध्यमा तथा बैखरी हैं। वस्तुतः उन्मेश और अनुभूति अर्थात् चेतसा स्मरण में नि चत ही परा और प यन्ती का योगदान रहता है। अतः मम्मट ने भारती (वाक्) को ही काव्य का अधिकरण माना है। वर्तमान आचार्य प्रो0 रहसविहारी द्विवेदी ने अपने ग्रन्थ 'काव्याधिकरणानुभूतिविम ाः' में अनेक तर्कों के साथ 'वाक्' को ही काव्य का अधिकरण स्वीकार किया है। उनका काव्य ाास्त्र पर स्वतंत्र ग्रन्थ 'नव्यकाव्यतत्त्वमीमांसा' है, उसमें काव्य लक्षण इस प्रकार है–

लोकोत्तरेहृदाह्लादे लोकोद्बोधे च सङ्.गता।

प्रज्ञावतः कवेः सद्वाक् काव्यमित्यभिधीयते।।[20]

अर्थात् लोकोत्तर हृदयाह्लाद्, लोक को प्रेरित करने में समर्थ प्रतिभा ाली कवि की सद्वाक् काव्य कही जाती है।

उक्त निरूपण से यह निश्कर्श निकलता है कि ऋग्वेद के अश्टम मण्डल में प्रतिपादित 'मधुमद्वचोऽ ंसीत् काव्यः कविः' के अनुसार मधुमती (आह्लादक) वाणी काव्य है। इस सूक्त में कवि ने अ वनौ को प्रेरणा देने के लिए

आह्लादक (मधुरवाणी) का प्रयोग किया है। भारतीय परम्परा में वेदों में व्यक्त विचारों को महत्त्वपूर्ण माना गया है। उक्त काव्य–स्वरूप विवेचन में प्र ास्त आचार्यों के मतों में 'वाक्' को ही काव्य का अधिकरण माना गया है। अतः आचार्य जयदेव ने अपने 'चन्द्रालोक' में 'वाक्' को ही काव्य माना है। महाकवि कालिदास भी वागर्थ की प्रतिपत्ति के लिए वागर्थ की सम्पृक्ति स्वीकार करते हैं। 'वाक्' कहने से मात्र मानव वाणी का बोध होता है। भाब्द, अर्थ और पद आदि भाब्द अनेकार्थी हैं। अतः वाक् को काव्य मानने में अतिव्याप्ति दोश आदि नहीं दिखाई देते है। अतः 'लोकोत्तराह्लादिका–वाक्' को ही 'काव्य' मानना उचित प्रतीत होता है।

संदर्भ–

1. यजुर्वेद – 14.4
2. अथर्ववेद – 10.8.32
3. अमरको ा – 2.7.5.2.7
4. ऋग्वेद – 8.8.11
5. काव्यालङ्.कारसूत्र – 1.1.1–वृत्तिभाग
6. काव्यप्रका ा – 1.1
7. अमरको ा – 1.6.1.1.5
8. काव्यप्रका ा – 1.4
9 छान्दोग्योपनिशद् – 1.1.5.6
10. काव्यप्रका ा – 1.2
11. काव्याधिकरणानुभूतिविम ाः– पृश्ठ–5
12. रसगङ्.गाधर – 1.1–वृत्तिभाग
13. ध्वन्यालोक – 1.6
14. काव्यालंकार – 1.36
15. रसगङ्.गाधर – 1.1
16. काव्यालङ्.कार – 2.81–85
17. रसगङ्.गाधर – 1.1 वृत्तिभाग
18. चन्द्रालोक – 1.7
19. अभिज्ञान ााकुन्तलम् – 5.2
20. नव्यकाव्यतत्त्वमीमांसा – पृश्ठ–111

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

भारतीय काव्यशास्त्र में रसविमर्श

नागदेव यादव

शोधच्छात्र,

हिन्दी विभाग, मगध विश्वविद्यालय,

बोधगया, बिहार

शोध आलेख सार – रस के सम्पूर्ण विवेचन का आधार है भरत का नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र का आधारभूत एक लघुत्तर संस्करण भी प्रारम्भ मे था– आज मूल और उसके विस्तार मे भेद करना सरल नही है, परन्तु उसके चिन्ह मिल ही जाते है । निष्कर्ष यह है कि रस सिद्धान्त का विस्तृत शास्त्रीय विवेचन मूल भरत सूत्रों मे ईसा के जन्म के एक दो शती इधर या उधर निश्चित रूप से हो चुका था।

मुख्य शब्द – रस, भरत, नाट्यशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र,अलंकार, अथर्ववेद।

रस सिद्धान्त का प्रतिपादक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ नाट्य ाास्त्र है जो भरत मुनि की रचना के रूप मे प्रसिद्ध है। इसमे नाटक के संदर्भ में रस के अंग–उपांगो का पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। विशे ाज्ञ विद्वानो का मत है कि अपने वर्तमान समग्र रूप मे नाट्यशास्त्र ईसा की छठी शती से पूर्व की रचना नहीं हो सकती–साथ ही इसके बहुत बाद की भी रचना यह नही है क्योकि नाट्यशास्त्र के जिस संस्करण पर परम् माहेश्वर अभिनवगुप्त ने आठवीं नवीं शती मे अपनी प्रसिद्ध टीका अभिनवभारती लिखी है, वह प्रस्तुत संस्करण से प्रायः अभिन्न ही है। किन्तु यह तो हुई नाट्य ाास्त्र के वर्तमान संस्करण की बात! जो विद्वान इसे छठी शती के आस पास की कृति मानते है, वे प्रायः यह भी स्वीकार करते है कि इस नाट्यशास्त्र का आधारभूत एक लघुत्तर संस्करण भी प्रारम्भ मे था– आज मूल और उसके विस्तार मे भेद करना सरल नही है, परन्तु उसके चिन्ह मिल ही जाते है । निष्कर्ष यह है कि रस सिद्धान्त का विस्तृत शास्त्रीय विवेचन मूल भरत सूत्रों मे ईसा के जन्म के एक दो शती इधर या उधर निश्चित रूप से हो चुका था।

भारतीय सौन्दर्यशास्त्र के दो प्रमुख अंग है– रस और अलंकार। इनमे से अलंकार का मूल आधार है व्याकरण और रस का मूल आधार है कामसूत्र। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि कामसूत्र का आधार क्या है? हमारी धारण है– अथर्ववेद । अथर्ववेद के ऋशि लौकिक जीवन की सिद्धियों को ही प्रमाण मानकर चले है; जहाँ उसमें अनेक प्रकार की भौतिक बाधाओं के निराकरण की कामना और व्यवस्था है, वहाँ इसी परिधि के अन्तर्गत एक या अनेक नारियों का प्रेम प्राप्त करने,उनकी प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के उपकरण जुटाने, सपत्न और सपत्नियों के विरोध का शमन करने, अभिसार आदि की सुविधायें प्राप्त करने तथा दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के उदृेश्य से भी अनेक अभिचार मन्त्रों का समावेश किया गया है। कदाचित ये ही मन्त्र कामसूत्र के उद्गम स्त्रोत है।

रस के सम्पूर्ण विवेचन का आधार है भरत का यह प्रसिद्ध सूत्र :– तत्र विभावनुभावव्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पति : '(नाट्यशास्त्र, काव्यमाला, 42 पृष्ठ 93)[1]यह वस्तुतः लक्षण नही है, यद्यपि स्वयं अभिनवगुप्त ने इसे लक्षण माना है :–

'' एवं क्रमहेतुममिधाय रसविषयं लक्षणसूत्रमाह '' इस प्रकार (उद्देश्य में) क्रम (रखने) के हेतु को बतलाकर रस विषयक लक्षणसूत्र को कहते है। (हिन्दी अभिनवभारती, पृष्ठ 442)[2]

इस सूत्र मे मूलतः रस की निष्पति का आख्यान है, स्वरूप का नहीं। परन्तु रस के स्वरूप का विवेचन भी इसी मे निहित है और आगे चलकर इसी के आधार पर उसका पल्लवन हुआ है। स्वयं भरत ने अपने मन्तव्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है :– यथा हि नानाव्यंजनौषछिद्र व्यसंयोगाद्रनिष्पत्तिर्भवति यथा हि गुडादिर्मिर्द्रव्यैव्यंजनैरोषधिभिश्च षाडवादयो रसा निर्वर्तन्ते, तथा नानाभावोपगता अपि स्थानियो भावा रसत्वमाप्नुवन्तीति।[3] अर्थात् जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनो , औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से (भोज्य) रस की निष्पति होती है, जिस प्रकार गुडादि द्रव्यों, व्यंजनो और औषधियों से षाडवादि रस बनते है, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी नाट्य रस रूप को प्राप्त होते है। यहॉं प्रश्न उठता है रस कौन सा पदार्थ है अथवा रस को रस क्यों कहा जाता है? उत्तर– आस्वद्य होने से, अर्थात जो आस्वाद्य हो वह रस है। जिस प्रकार नानाविध व्यंजनो से संस्कृत अन्न का उपभोग करते हुए प्रसन्नचित पुरूश रसों का आस्वादन करते है और हर्षादि का अनुभव करते हैं इसी प्रकार प्रसन्न प्रेक्षक विविध भावों एवं अभिनयों द्वारा व्यंजित – वाचिक आंगिक तथा साात्विक (मानसिक) अभिनयों से संयुक्त स्थायी भावों का आास्वादन करते है तथा हर्षादि को प्राप्त होते हैं। इसलिए नाट्य के माध्यम से आस्वादित होने के कारण ये नाट्य रस कहलाते है।

विषयगत् परिभाषा :– भरत के अनुसार नानाभावोपगत स्थायी भाव ही रस है, और स्पष्ट शब्दावली में – विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से संयुक्त एवं वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनवों से व्यंजित स्थायी भाव ही रस है। अर्थात रस एक प्रकार की भावमूलक कलात्मक स्थिति है जो कवि निबद्ध विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के प्रसंग से नाट्यसामग्री के द्वारा रंगमंच पर उपस्थित हो जाती है। उदाहरण के लिए रम्य तपोवन के दृश्यों से सज्जित रंगमंच पर दुष्यन्त और शकुन्तला (विभाव) का अभिनय करने वाले नट–नटी जब वाािचक, आंगिक तथा सात्विक अभिनयों के द्वारा अनुभाव, व्यभिचारी आदि की अभिव्यक्ति करते हुए रति स्थायी भाव को सर्वांगरूप मे प्रस्तुत करते हैं तो एक रमणीय,भावमूलक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो सह्दय प्रेक्षक के चित मे हर्ष, कुतूहल आदि जागृत करती है। यह रमणीय भावमूलक स्थिति ही भरत के अनुसार रस है। सह्दय की अनुभूति इसमे भिन्न है – वह तो इसका आस्वाद है जो हर्ष, कुतूहल आदि के रूप मे अनुभूत होता है। यह स्थिति नाट्य–सौन्दर्य मात्र भी नही है– अर्थात् केवल नाट्य अलंकार और वस्तु का सौन्दर्य भी रस नही हो सकता नाट्य सौन्दर्य और काव्य सौन्दर्य के माध्यम से स्थायी भाव की उपस्थिति ही रस है।[4]

रस की यह परिभाषा विषयगत है और भरत के विवेचन पर आधृत होने के कारण मौलिक भी। ध्वनि पूर्व काल मे अलंकारवादियों ने इसे काव्य के क्षेत्र मे भी इसी रूप मे ग्रहण कर लिया और परिभाषा का रूप किंचित परिवर्तित होकर इस प्रकार बन गया– शब्द अर्थ के सौन्दर्य के माध्यम से विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों से संयुक्त स्थायी भाव ही रस का रूप धारण कर लेता है।

विषयिगत परिभाषा :– भरत सूत्र के व्याख्याता आचार्यों के विवेचन के फलस्वरूप रस का स्वरूप क्रमशःविषयिगत होता गया और वह 'आस्वाद्य' से आस्वाद बन गया। इस अर्थ परिवर्तन का सर्वाधिक दायित्व अभिनवगुप्त पर है। अभिनवगुप्त शैवाद्वैतवाद के प्रसिद्ध आचार्य थे। अतः उन्होने अपनी दार्शनिक मेधा के द्वारा रस विवेचन को भी शैवाद्वत सिद्धान्त के रगं मे रंग दिया। उनके अनुसार रस का अर्थ है आनन्द और आनन्द विषयगत न होकर आत्मगत ही होता है : विषय तो आत्म परामर्श या आत्मास्वाद का माध्यम मात्र है जिसके द्वारा प्रमाता संविद् विश्रान्ति लाभ करता है। यह संविद् विश्रान्ति ही आन्नद है। अतः रस नाट्यगत नहीं हो सकता नाट्य तो संविद् विश्रान्ति रूप रस का माध्यम मात्र ही हो सकता है। इस भूमिका में रस के आनन्देतर रूप की कल्पना का स्वतः ही निराकरण हो गया। अभिनवगुप्त से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक रस का यही रूप स्वीकार किया गया; व्याख्या का आधार थोड़ा बहुत बदल गया, किन्तु प्रतिपाद्य वही रहा।[5]

रस का स्वरूप :– उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार :–

1. रस आस्वादन का विषय है– किन्तु निज स्वरूप से अभिन्न रीति से, अर्थात् रस आस्वाद से अभिन्न है। रस आस्वाद–रूप है।
2. उसका आविर्भाव सत्तोगुण के उद्रेक की स्थिति में होता है।
3. वह अखण्ड है।
4. अन्य ज्ञान से रहित है।
5. स्व प्रकाशानन्द है।
6. चिन्मय है।
7. लोकोतर चमत्कारमय है।
8. ब्रह्मास्वाद सहोदर–अर्थात् ब्रह्मास्वाद के अत्यधिक समान है।

रस निश्चय ही भाव पर आश्रित है– अर्थात् भाव की भूमिका के बिना रस की स्थिति सम्भव नहीं है, संस्कृत काव्यशास्त्र इस विषय में सर्वथा निर्भ्रान्त है। भाव के स्पर्श से रहित शब्दार्थ का चमत्कार रस नहीं है – स्वयं अलंकारवादी भी इस प्रसंग में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं करते । वे रस को काव्य की आत्मा तो नहीं मानते–शब्दार्थ के चमत्कार का हीं अंग मानते है परन्तु रस की निष्पत्ति उन्हें भी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के संयोग से हीं मान्य है, अर्थात उनके मत से भी रस भाव पर आश्रित है।[6] अत, रस और भाव का अनिवार्य एवं अविच्छिन्न सम्बन्ध है, नाट्यशास्त्र का यह वाक्य सर्वदा प्रमाण रहा है–

न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः ।[7]

किन्तु रसानुभूति भावानुभूति से भिन्न है । किसी भी स्थिति में दोनों एक नहीं हो सकती । रस के आश्रयभूत स्थायी भाव आस्वाद की दृष्टि से सामान्यतः दो प्रकार के माने जा सकते है – रति, उत्साह, विस्मय, हास्य तथा शम का आस्वाद सुखद है और शोक, क्रोध भय तथा जुगुप्सा का आस्वाद लोक जीवन में दुखद है। यदि हम यह स्वीकार कर लेते है कि रस अनिवार्यतः आनन्द रूप है, तब तो यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि रसानुभूति भावानुभूति से भिन्न है, क्यों कि करूण रस की अनुभूति अंततः आनन्दमयी है और शोक की निश्चय हीं दुखमयी, वीभत्स रस अन्ततः सुखद चेतना है और जुगुप्सा दुःखद । यहाँ शृंगार, वीर, हास्य आदि के विषय में संदेह हो सकता है क्योंकि उनके तो स्थायी भावों की भी अनुभूति सुखद होती है। उदाहरण के लिए लौकिक प्रेम–प्रसंग और काव्यगत प्रेम–प्रसंग और असससे भी अधिक लौकिक हास्य प्रसंग और काव्यगत हास्य–प्रसंग की एकरूपता के विषय में निश्चय ही भ्रान्ति हो सकती है। लौकिक जीवन के प्रेम– परिहास में और साकेत में अंकित लक्ष्मण–उर्मिला के प्रेम–परिहास में क्या कोई भेद है ? सामान्यतः यही प्रतीत होता है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। परन्तु भेद तो है ही । लौकिक जीवन में भी वास्तव में काव्य का ऐसा प्रवेश हो गया है कि प्रायः वह उसमें घुल–मिलकर एक हो जाता है और काव्य सामान्य अनुभव का अंग हीं बन जाता है। प्रेम–प्रसंगों में या हास्य–प्रसंगों में हम प्रायः जिस वाग्वैदग्ध्य का अनायास हीं प्रयोग करते रहते हैं वह वस्तुतः काव्य का हीं अंग होता है। भाव और कल्पना, शब्द और अर्थ का रमणीय सहभाव ही तो काव्य है–उसके लिए लिपिबद्ध होना अनिवार्य नहीं है। इसलिए प्रीति–संदर्भों की रमणीय उक्तियाँ शृंगार रस के अत्यन्त निकट पहुँच जाती है। क्योंकि रमणीय उक्ति ही तो काव्य है। किन्तु यहाँ भी शुद्ध शृंगार रस नहीं है क्योकि इस प्रकार के प्रसंग भी व्यक्ति की सीमाओं से परिबद्ध है, इनके स्थायी, संचारी, आलम्बन और उद्दीपन सभी विशिष्ट एवं अ–साधारणीकृत है।[8]

भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार सभी प्रकार का काव्यानन्द रस नहीं है, क्योंकि अलंकार, चित्र–काव्य आदि के चमत्कार से प्राप्त आनन्द भी काव्यानन्द के अन्तर्गत तो आता है, परन्तु वह रस नहीं है। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार नाटक में प्रदर्शित रागात्मक काव्य–वस्तु का प्रेक्षण कर या श्रव्य–काव्य में वर्णित काव्य – वस्तु का मनसा साक्षात्कार कर, सहृदय का उस प्रसंग से सम्बद्ध स्थायीभाव उद्बुद्ध होकर अत्यन्त उत्कट अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचकर उसका चित्त काव्य–वस्तु तथा वैयक्रिक जीवन के

अनुभवों को भूल कर एक अखंड आनंदमयी चेतना में लीन हो जाता है जिसका नाम रस है, अतः 'रस' एक आनंदमयी चेतना है, जिसका आधार अनिवार्यतः रागात्मक होता है, क्योंकि इधर तो उसकी प्रेरक काव्य वस्तु रागात्मक होती है और उधर वह स्वयं किसी मनोराग की चरम उद्दीप्ति का परिणाम होती है। भारत का रस सिद्धान्त, जैसा कि प्रसाद जी ने स्पष्ट किया है, शैवदर्शन पर आधृत है, अतः उसका स्वरूप भी तदनुकूल आत्मानन्द– प्रधान हीं है। भारतीय काव्यशास्त्र का शैवाचार्य अभिनव– प्रतिपादित प्रायः सर्वमान्य अभिव्यक्तिवाद सिद्धान्त अत्यन्त भावात्मक रस की ही स्थापना करता है। यह रस शोकादि भावों के उन्नयन से भी आगे आत्मानन्द का भोग है – यह शान्ति रूप नहीं है, भोग–रूप है। कलाजन्य चमत्कार, भावों की परिष्कृति आदि उसकी सहायक अथवा आनुषंगिक उपलब्धियां है – वह स्वयं उनसे कहीं उपर है। भारत के अन्य सिद्धान्तों की भाँति, उसका रस– सिद्धान्त भी अध्यात्मवाद पर आधृत है । उसको यथावत ग्रहण करने के लिये आत्मा की स्थिति और उसकी सहज आनन्द–रूपता में विश्वास करना आवश्यक है। आधुनिक आलोचकों में आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, पं0 रामदहिन मिश्र डॉ0 भगवान दास, डॉ0 श्यामसुन्दर दास, डॉ0 गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सभी रस को आनन्द स्वरूप हीं मानते है और इन्होने नवीन ज्ञान–विज्ञान के प्रकाश में, उसकी अलौकिकता एवं आनन्दरूपता का अपने–अपने ढंग से व्याख्यान किया है। इस प्रसंग में केवल आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ही प्रबल अपवाद हैं – आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, जो भारतीय शास्त्र– परंपरा, विशेषतः रसवाद के अत्यंत समर्थ पोषक होते हुए भी, रस की आनन्दरूपता का स्पष्ट विरोध करते हैं । काव्यालोचन में भी कहा गया है कि – ''काव्य से सहृदय का हृदय – सागर उमड़ आता है। इस उमड़ते हृदय–सागर में जब सहृदय तन्मय हो जाता है तब उसकी तदाकार कृति में जो निहित आनन्द है उसे हीं संस्कृत ग्रन्थकारों ने रस कहा है।''उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते है[9] :–

1. रस आनन्दरूप है। आनन्द के दो रूप है : क) उदात्त आत्मविश्रान्ति और (ख) आह्लाद या मनः प्रीति–सहृदय मनः प्रीतये । एक तीसरा रूप भी है मनोरंजन जो आज 'एण्टरटेनमेंट' का पर्याय होकर हीनतर अर्थ का वाचक बन गया है। किन्तु काव्य और कला के साथ उसका सनातन संबंध रहा है। इन तीनों रूपों में प्रीति तत्व सामान्य है। अर्थात् रस चाहे उदात आत्म विश्रान्ति रूप हो, चाहे मन, प्रीति या आह्लाद अथवा अन्तश्चमत्कार रूप हो या और भी निम्नस्तर पर मनोरंजन रूप हो प्रत्येक स्थिति में वह प्रीतिकर या सुखात्मक है।
2. रस सुखात्मक भी है और दुःखात्मक भी–अर्थात् प्रीतिकर स्थायी भावों पर आश्रित शृंगार,वीर, ाान्त आदि का स्वरू॰ सुखात्मक और अप्रीतिकर स्थायी भावों पर आश्रित करुणा भयानक वीभत्स आदि का स्वरूप दुःखात्मक होता है।[10]
3. रस उभयात्मक है अर्थात सुखदुःखमयी मिश्र अनुभूति है, सभी स्थायी भावों में सुख दुख का विभिन्न अनुपातों में मिश्रण रहता है जो उन पर आश्रित रसों में भी प्रतिफलित होता है।
4. रस न सुखात्मक है और न दुखात्मक – रसदशा हृदय की मुक्तावस्था का नाम है जिसमें वैयकिक रागद्वेष और उनके परिणामी सुख–दुःख सर्वथा निश्शेष हो जाते है । रस की अनुभूति चित के वै ाद्य की, एक प्रकार से शान्ति की अनुभूति है।
5. रस (काव्यास्वाद) सरल अनुभूति नहीं है– उसमें अनेक, प्रायः परस्पर विरोधी, अन्तःवृतियों का सूक्ष्म संतुलन रहता है, अतः वह अत्यन्त वैविध्यपूर्ण अनुभव है।[11]

भारतीय काव्यशास्त्र में रससूत्र के प्रमुख व्याख्याताओं में चार आचार्य है जिनके नाम और मत इस प्रकार है ।[12]

रस का नाम	स्थायी भाव
1. भट्ट लोल्लट	उत्पतिवाद
2. आचार्य शंकुक	अनुमितिवाद
3. भट्टनायक	भुक्तिवाद
4. अभिनवगुप्त	अभिव्यक्तिवाद

रस का महत्व :– रस को काव्य की आत्मा या प्राणतत्व माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अत रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नही है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्यत्व से ही रहित हो जाती है। रस ही कविता को प्राणवान बनाता है और वही पाठक या श्रोता को आनंदमग्न करके भाव समाधि में पहुँचा देता है। अतः रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। यह काव्य का अन्तरंग तत्व है बहिरंग तत्व नहीं । अतः अलंकार आदि की भाँति यह काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता, अपितु शोभा उत्पन्न्न करता है। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के ही उपादान है । अंतः निर्विवाद रूप में रस ही काव्य का सर्वप्रमुख तत्व है। रस और उनके स्थायी भाव[13] –

1. श्रृंगार	रति
2. वीर	उत्साह
3. रौद्र	क्रोध
4. वीभत्स	जुगुप्सा (घृणा)
5. अद्भुत	विस्मय
6. शान्त	निर्वेद
7. हास्य	हास
8. भयानक	भय
9. करुण	शोक

इनके अतिरिक्त दो रसों की चर्चा और होती है

10. वात्सल्य	सन्तान विषयक रति
11. भक्ति	भगवद् विषयक रति

स्थायी भावों की संख्या नौ हीं मानी गई है , अतः मूलतः 'नवरस' ही माने गए है।[14] श्रृंगार रस को रसराज माना गया है।

साधारनीकरण का सिद्धान्त :– रस सिद्धान्त में में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नही सकती ।[15] इस सिद्धान्त का आविष्कार करने का श्रेय रससूत्र के व्याख्याता आचार्य भट्ट नायक को है। साधारनीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण (Generalisation) । इस प्रक्रिया में विभावादि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात् शकुन्तला, शकुन्तला न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। रंगमंच पर यशोदान्कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करती है। इस नाटक को देखनेवाले दर्शक भी कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर वात्सल्य का अनुभव करते है। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि काव्य में वर्णित आश्रय (यशोदा) के साथ दर्शक (सामाजिक) की अनुभूति का तादात्म्य हो जाता है। साथ ही कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको अपने पुत्र प्रतीत होते हैं अर्थात सबके वात्सल्य भाव का आलम्बन बन जाते है। इसी प्रक्रिया को साधरनीकरण कहते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. नाटयशास्त्र काव्यमाला 92 पृ093
2. हिन्दी अभिनव भारती पृ0 442
3. नाट्य शास्त्र काव्यमाला पृ0 93
4. रस सिद्धान्त डा0 नागेन्द्र पृ0 91
5. रस सिद्धान्त डा0 नागेन्द्र पृ0 90
6. रस सिद्धान्त डा0 नागेन्द्र पृ0 10

7. रस सिद्धान्त डा0 नागेन्द्र पृ0 101
8. हिन्दी अभिनव भारती पृ0 420
9. रस सिद्धान्त डा0 नागेन्द्र पृ0 219
10. रस सिद्धान्त डा0 नागेन्द्र पृ0 210
11. हिन्दी अभिनव भारती पृ0 148
12. हिन्दी अभिनव भारती पृ0 321
13. काव्यप्रका ा.पृश्ठ 228
14. काव्यप्रका ा.पृश्ठ 230
15. काव्यप्रका ा.पृश्ठ 234

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

कुमारसंभवम् महाकाव्य में पर्यावरण: एक विमर्श

नीतू सिंह

शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग,

स्नातकोार महाविद्यालय, गाजीपुर, उ0प्र0

शोध आलेख सार – कालिदास ने पर्यावरण का आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में वर्णन किया है। कुमारसम्भवम् के प्रथम सर्ग में हिमालय के सौन्दर्य का वर्णन आलम्बन रूप में किया है। हिमालय का वर्णन पाठक के मानस पठल पर हिमलालय की सुन्दरता का स्पश्ट चित्र खींचने में पूर्णतया समर्थ है।

मुख्य शब्द – स्वाभाविक, मनोरम, कुमारसम्भवम्, पर्यावरण, साहित्य।

महाकवि कालिदास का स्वाभाविक और मनोरम चित्रण कु ालतापूर्वक करने में सि़द्धस्त है। कालिदास के प्रकृति चित्रण से ज्ञात होता है कि मानो कालिदास ने स्वयं प्रकृति का सूक्ष्म दृश्टि से अवलोकन कर वर्णन किया, जिससे सजीव चित्रण सम्भव हो सके। कालिदास ने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। मानव की सहचरी प्रकृति उनके दुःख में दुःखी होती है और सुख से सुखी होती है, यह कालिदास की वि ाश्टता है। कुमारसम्भवम् में कालिदास की प्रकृति आध्यात्मिकता से ओत–प्रोत है।

कालिदास ने पर्यावरण का आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में वर्णन किया है। कुमारसम्भवम् के प्रथम सर्ग में हिमालय के सौन्दर्य का वर्णन आलम्बन रूप में किया है। हिमालय का वर्णन पाठक के मानस पठल पर हिमलालय की सुन्दरता का स्पश्ट चित्र खींचने में पूर्णतया समर्थ है।

हिमालय भारत का गर्व मुकुट है। कालिदास ने हिमालय को पूर्व से पि चम समुद्र तक विस्तृत पृथ्वी के मानदण्ड की संज्ञा दी है।

अत्स्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः।
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाहृय, स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः।।[1]

गौरिक सिन्दूर आदि के प्रतिबिम्ब से पर्वत ि ाखर पर मडराने वाले बादलों से संध्या का दृ य उपस्थित होता है। यह वर्णन कालिदास के हिमालय के सूक्ष्म प्रकृति अवलोकर के प चात् वर्णन का प्रमाणा है।

य चाप्सरोवभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं ि ाखरैर्बिभति।
बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्।।[2]

हिमालय के उच्च ि ाखर तथा उस पर निवास करने वाले सिद्ध महात्माओं का भी सुन्दर चित्रण किया है। बादल हिमालय के उँचे ि ाखरों तक नहीं पहुँच पाते।[3] प्रथम सर्ग में हिमालय की बर्फ, हिमालय पर रहने वाले गज और सिंह, किन्नरियों का वर्णन, उनकी मन्थर गति का मनोरम एवं स्वाभाविक वर्णन हुआ है। हिमालय पर्वत पर घूमने

वाले बादलों का भी सजीव वर्णन कवि करते हुए किन्नरियों के गुफा रूपी द्वार पर पर्दे का काम करने वाले प्रदर्ि ति किया है।[4]

प्रकृति के सहज सौन्दर्य, मानवीय राग, कोमल भावनाओं तथा कल्पना के नवनवोन्मेष का जो रूप कुमारसम्भवम् के अष्टम सर्ग में मिलता है, वह भारतीय साहित्य का शिखर कहा जा सकता है। कवि ने सन्ध्या और रात्रि का वर्णन हिमालय के पावन प्रदेश में शिखर के गरिमामय वचनों के द्वारा पार्वती को सम्बोधित करते हुए कराया है, और प्रसंग, देशकाल के अनुरूप प्रकृति का इतना उदात्त और कमनीय वर्णन विश्व साहित्य में दुर्लभ कहा जा सकता है। पश्चिम में डूबते सूर्य की रश्मियाँ सरोवर के जल में लम्बी–लम्बी होकर प्रतिबिम्बित हो रही हैं, तो लगता है कि अपनी सुदीर्घ परछाइयों के द्वारा विवस्वान् भगवान ने जल में सोने के सेतुबन्ध रच डाले हों।[5] वृक्ष के शिखर पर बैठा मयूर ढलते सूर्य के घटते चले जाते सोने के जैसे गौरमण्डलयुक्त आतप को बैठा पी रहा हो।[6] पूर्व में अंधेरा बढ़ रहा है, आकाश के सरोवर से सूर्य ने जैसे आतप रूपी जल को सोख लिया, तो इस सरोवर के एक कोने में जैसे कीचड़ ऊपर आ गया हो।[7]

सूर्य के किरणों का जाल समेट लिया है, तो हिमालय के निर्झरो पर अंकित इन्द्रधनुष धीरे–धीरे मिटते जा रहे हैं।[8] कमल का कोश बन्द हो रहा है, पर भीतर प्रवेश करते भ्रमर को स्थान देने के लिए कमल जैसे मुंदते–मुंदते ठहर गया है।[9] अस्त होते सूर्य की किरणें बादलों पर पड़ रही हैं, उनकी नोंके रक्त, पीत और कपिश हो गयी हैं, जैसे सन्ध्या ने पार्वती को दिखाने के लिये तूलिका उठा कर उन पर रंग–बिरंगी छवियाँ उकेर दी हों। कुमारसम्भवम् में चन्द्रमा की किरणों के लिये जौ के ताजा अंकुर का उपमान देकर उन्होंने मानो स्वर्ग को धरती से मिला दिया है–

शक्यमोषधिपतेर्नवोदयाः कर्णपूरचनाकृते तव।
अप्रगल्भयवसूचिकोमलाश्छेत्तुमग्रनखसम्पुटैः करा।।[10]

कुमारसम्भवम् महाकाव्य के उमासुरतवर्णन नामक अष्टम सर्ग में कवि ने उमा को चन्द्रमा और प्रकृति के साथ तादात्म्य दिखलाते हुए वर्णन किया है–

रक्तभावमपहाय चन्द्रमा जात एष परिशुद्धमण्डलः
विक्रया न खलु कालदोषजा निर्मलप्रकृतिक स्थिरोदया।[11]

आगे भी कवि ने उमा के सौन्दर्य का वर्णन प्रकृति से जोड़कर करते हुए कहा है–

चन्द्रपाजनितप्रवृत्तिभिश्चन्द्रकानतजलबिन्दुभिर्गिरः।
मेखलातरुषु निद्रितानमून्बोधयत्यसमये शिखण्डिनः।।[12]

व

कल्पवृक्षशिखरेषु सम्प्रति प्रस्फुरदिभ्रिव पश्य सुन्दरि।
हारयष्टिरचनामिवांशुभिः कर्त्तुमद्यतकुतूहलः शशी।।[13]

कहीं पर शिव को वृक्षों की टहनियों से बिछल (फिसल) कर छन–छन कर धरती पर गिरती चाँदनी के थक्के वृक्षों से टपक पड़े फूलों से लगते हैं, जिन्हें उठा–उठा कर पार्वती के केशों में सजाने का काम होता है–

शक्यमङ्गुलिभिरूत्थितैरधः शाखिना पतितपुष्पपेशलैः।

पत्रजर्जरशशिप्रभालवैरेभिरूत्कचयितुं तवालकान्।।[14]

प्रकृति में मानवीय राग, करुणा और ह्दय की कोमलता के दर्शन कालिदास अपनी विश्वदृष्टि के द्वारा ही कर सके हैं। अँधेरा रमणी का जुड़ा है, जिसे चन्द्रमा अपने करों से बिखेर देता है और फिर उस रमणी के सरोज लोचन वाले मुख को उठा कर वह चूम लेता है–

अङ्गुलीभिरिव केशसंचयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः।

कुडमलीकृतसरोजलोचन चुम्बतीव रजनीमुखं शशी।।[15]

उत्प्रेक्षा और स्वभावोक्ति उत्कृष्ट संसृष्टि कवि ने इस प्रकार के प्रकृति–चित्रणों में की है। उक्त पद्य में 'कुडमलीकृतसरोजलोचनं' कामिनी का लज्जा से नेत्र मूंदने का चित्र होने से वल्लभदेव के अनुसार स्वभावोक्ति है, जबकि 'जुम्बतीव' में समासोक्ति तथा उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार आ गये हैं।

महाकवि कालिदास ने यद्यपि प्रायः प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण किया है, किन्तु कुमारसम्भवम् के वर्षा चित्रण में भयावहता दर्शनीय है–

घोरान्धकारनिकरप्रतिमो युगांत–

कालानलप्रबलधूमनिभो नभोसन्ते।

गर्जारवैर्विघटयचन्नवनीधराणां

शृङ्गाणि मेघनिवहो घनमुज्जगाम।।[16]

कार्तिकेय के वारुणास्त्र चलाते ही भंयकर अंधेरा करती हूई प्रलय की आग के उठे हुए धुँए के समान ऐसी काली–काली घटायें आकाश में छा गयीं जिनके गर्जन से पहाड़ की जोटियों तक दरारें पड़ गयीं।

पर्यावरण, वातावरण या प्रकृति, ये शब्द अर्थ की दृष्टि से काफी कुछ मिलते–जुलते हैं। भारतीय मनीषा में पंच महाभूत तथाा अष्टप्रकृति के नाम से जिन मुख्य तत्वों को माना गया है, उन्हें हम आज भी–आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य और चन्द्रमा आदि के रूप में देख सकते हैं। पर्यावरण शुद्धि और संतुलन की दृष्टि से यज्ञ का महत्व आज वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है, अतः उपर्युक्त तत्वों में यज्ञकर्ता को भी आठवें क्रम पर स्वीकार किया गया था। ऋषियों ने आध्यात्मिक पर्यावरण को भी भौगोलिक व खगोलिक पर्यावरण के अभिन्न हिस्से के रूप में माना। वैदिक शान्ति पाठ में भी हम इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों की शान्ति और समन्वय की प्रार्थना अथवा कामना अनादिकाल से करते आए हैं। यह स्वाभाविक ही है कि इसी वैदिक पृष्ठभूमि पर भारतीय संस्कृति के अमर गायक के रूप में अवतरित होने के कारण महाकवि कालिदास आदि ने भी बड़े रोचक, प्रभावों तथा व्यावहारिक ढंग से पर्यावरण के प्रति संवेदना तथा सजगता की बातें बताईं।

देवाधिदेव महादेव शंकर, प्रदूषण रूपी कालकूट विष को पीने के कारण ही महामृत्युंजय कहलाए। अब समुद्रमन्थन को पृथक मानने की मान्यता को वैज्ञानिक भी ध्वस्त कर चुके हैं। वे समस्त वन्य पशु आदि के स्वामी होने से पशुपति कहलाते हे। वस्तुतः तो वे प्राणिमात्र के प्राणनाथ अतः भूतनाथ और विश्वनाथ माने गये है। ये नाम बड़े सार्थक है। प्रकृति प्रेमियों को इन पर इस दृष्टि से भी चिन्तन और मननकरना चाहिए। वे कालिदास के आराध्य भी हैं। प्रायः हर ग्रन्थ के शुभांरभ के मंगल श्लोंको में कवि ने उन्हें एक व्यापक पर्यावरणीय देव के रूप में स्मरण

किया। मध्यप्रदेश के भिण्ड क्षेत्र से पाँचवी सदी की एक मूर्ति मिली है, जिसमें सीता अशोक वृक्ष के नीचे शोकाकुल बैठी हुयी है। कुषाण कालीन मूर्तियों में भी वृक्ष दिखलाये गये है। सॉची के स्तूप (150ई0पू) में भी आम्र प्रतिमाएँ चित्रित हुई (150 ई0पू0) में भी आम्र प्रतिमाएँ चित्रित हुई है। मूर्तिकला के भी पर्यावरण चेतन होने के संकेतक है।

महाकवि कालिदास ने यद्यपि अपने उक्त ग्रन्थ में प्राकृतिक सौन्दर्य का ही वर्णन किया है, किन्तु पर्यावरण सम्बन्धी जो मार्मिक चित्रण इन्होनें उपर्युक्त दृष्टि से की है, उससे प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक चेतना की प्रेरणा अवश्य मिलती है, अतः पर्यावरण की दृष्टि से कालिदास का यह ग्रन्थ अत्यन्त ही लाभ प्रद व अनुकरणीय है।

सन्दर्भ सूची

1. कुमारसंभवम् 1/1
2. कुमारसंभवम् 1/4
3. आमेखलं संचरतां धनानां छायामधः सनुगतां निशेव्य।
   उद्वेजिता वृश्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्यातपविन्ति सिद्धाः।।कुमारसंभवम् 1/5
4. पदं तुशारस्रुतिधौतरक्तं यस्मिन्नदृश्ट्वापि हतद्विपानाम्।
   विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ताफलैः केसरिणां किराताः।। कुमारसंभवम् 1/6
   न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुंजरबिन्दु ोणाः।
   व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनंग लेखक्रियययोपयोगम्।। कुमारसंभवम् 1/7
   यः पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् दरीमुखोत्थेन समीरणेन।
   उद्गाास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्।। कुमारसंभवम् 1/8
   कपोलकण्डूः करिभिर्विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रमाणाम्।
   यत्र स्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति।। कुमारसंभवम् 1/9
   वनेचराणां वनितासखानां.............मतैलपूराःसुरतप्रदीपाः।। कुमारसंभवम् 1/10
   उद्वेजयत्यंगुलिपार्श्णिभागान्......भिन्दन्ति मन्दां गतिम वमुख्यः।। कुमारसंभवम् 1/11
   दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु ....ममत्वमुच्चैः ि ारसां सतीव।। कुमारसंभवम् 1/12
   लांगुलविक्षेपविसर्पि ोभैः.....कुर्वन्ति बालव्यसनै चमर्यः।। कुमारसंभवम् 1/13
   यत्रां ुकाक्षेपविलज्जितानां ....स्तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति।। कुमारसंभवम् 1/14
   भागीरथीनिर्झर ीकराणां......रासेव्यते भिन्नि ाखण्डिबर्हः।। कुमारसंभवम् 1/15
5. पश्य पश्चिमदिगन्त लम्बिना निर्मितं मितकथे विवस्ता।
   दीर्घया प्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिव सेतुबन्धनम्।।(कुमारसंभवम् 8.34)
6. एष वृक्षशिखरे कृतास्पदो जातरूपरसगौरमण्डलः।
   हीयमानमहरत्यययातपं पीवरोरू पिबतीव बर्हिणः।। **(कुमारसंभवम् 8.36)**
7. पूर्वभागतिमिर प्रवृत्तिभिर्व्यक्तपंकमिव जातमेकतः।
   खंतातपजलं विवस्वता भाति किंचियदिव शेषवत्सरः।। **(कुमारसंभवम् 8/37)**
8. आविशद्भिरूटजा³णं मृगैर्मूलसेकसरसैचवृक्षकैः........ **(कुमारसंभवम 8/38)**
9. बद्धकोशमपि तिष्ठति क्षणं सावशेषविवंर कुशेशयम...... **(कुमारसंभवम 8/39**

10. कु.सं.8.62
11. कु.सं.8.65
12. कु.सं.8.67
13. कु.सं.8.68
14. कु.सं.8.72
15. कु.सं.8.63
16. कु.सं.17.4
17. कु.सं.1.1

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमारसंभवम्–व्या0 डॉ. रामचन्द्र वर्माशास्त्री
   (नवीन शाहदरा दिल्ली–2000)
2. कुमारसंभवम्– टीकाकार डॉ. रामचन्द्र वर्मा शास्त्री (मनोज पब्लिकेशन नई दिल्ली–1984)
3. कुमारसंभवम्–कपिलदेव भाषा–द्विवेदी
4. कुमारसंभवम्–भाषा भाष्यकार श्री पं0 प्रद्युम्नपाण्डेयः

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल व डा रामविलास शर्मा तुलनात्मक व्यावहारिक समीक्षा आधुनिक कविता व छायावाद

डा राजेश कुमार मिश्र
सहायक आचार्य हिन्दी विभाग,
मर्यादा देवी कन्या पीजी कालेज,
बिरगापुर, हनुमानगंज, प्रयागराज।

शोधसार्रं

समय के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य में परिवर्तन होता रहता है तथा होते रहना भी आवश्यक है, तभी वो साहित्य समसामयिक व प्रगतिशील साहित्य बोला जाता है। रीतिकालीन दरबारी काव्यपरम्परा, मिथ्यासौन्दर्यवाद, नायिकाभेद, लक्ष्छेदारशैली, नख शिख से निकलकर कविता ने आधुनिकता के दौर में प्रवेश किया। अब कविता के रुप में परिवर्तन हुआ तथा उसके क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। जहां वो मात्र आनंन्द की प्रतीक मानी जाती थी, विलास को उकसाने का माध्यम मानी जाती थी अब वो जीवन के आनन्द, कष्ट, समाजिक, राजनैतिक, वैचारिक धार्मिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों को स्पर्श करने लगी। अब उसमें जनता के आंतरिक छटपटाहट, हकों की मांग, शोषण का विरोध, वैचारिक कुंठा का विरोध तथा अन्य कई प्रकार के जनहित से सम्बन्ध होकर यहां तक कि अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए अगोचर सत्ता का भी इस्तेमाल किया जाने लगा।

कोई भी आंदोलन हो, कोई भी राजनीति हो, कोई भी कविता हो, जनसंध के , जनसमर्थन के या जनमिश्रण के बिना वो पूर्ण नहीं हो सकता। यही कसौटी शुक्ल जी व शर्मा जी की थी। यही वजह है कि शुक्ल जी के दृष्टिकोण में छायावाद उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होने छायावाद में कुछ ऐसे तत्व देखे जो निहायत जनसामान्य की वैचारिक पृष्टभूमि से भिन्न थे। इसमें अदृश्यता, अनामसत्ता आदि का वर्णन रहस्वाद के रुप में प्रस्तुत करने का चलन सा हो गया था। अतिलाक्षणिकता, अगोचरता, परोक्षप्रेम, परोक्षचिन्तन, अटपटी दुरुहशैली, निराशावाद, पतनशील साधनों के प्रयोग, इतिवृत्तामकता की वजह से छायावादी काव्य को शुक्ल जी ने आलोचना की दृष्टि से अव्यस्थित रुप में देखा, जनसामान्य से काफी दूर देखा, परन्तु जहां वास्तविकाता के धरातल को देखा, प्रत्यक्षवादिता का समर्थन देखा, प्रकृति के मनोरम स्थलों को देखा, उसकी प्रशंसा भी की। निराला, पंत, तथा कहीं कहीं प्रसाद जैसे छायावादियों की अच्छी रचनाओं के लिए प्रशंसा भी की। शुक्ल जी किसी भी रचना में संकल्प की दृढ़ता पर बल देते थे न कि उसकी ढुलमुलेपन पर । अपनी बात सशक्त ढंग से पूर्णतया सामान्य जन से सम्बन्धित होकर चलने वाली बातो के वे समर्थक है। छायावाद में रहस्यवाद, निराशावाद, कुंठा तथा अतिलाक्षणिकता प्रमुखतया प्रदर्शित होती थी। डाॅ रामविलास शर्म जी भी कहते हैं शुक्ल जी ने छायावाद का विरोध किया क्योंकि उनको मानव जीवन से प्रेम था। वह साहित्य को परोक्ष चिन्तन, रहस्यवाद, अटपटी और दुरुह शैली से बचाना चाहते थे व भाग्यवाद, निराशावाद, पतनशील साधनों के विरोधी थे। आगे शर्मा जी कहते हैं कि जहां छायावादी कवियो ंने भाग्यवाद व रहस्यवाद से आगे बढ़कर के उससे बचकर के यथार्थ जीवन का चित्रण किया है वहां उन्होने उनकी प्रशंसा की है। अर्थात शर्मा जी का मानना है कि शुक्ल जी को जहां छायावाद से विरोध था उसकी ऐसी सत्ता का वर्णन करने का जिसका जगत में प्रत्यक्षतः कोई अस्तित्व नही है। अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में छायावाद के बारे में शुक्ल ही कहते है- '' छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य व वस्तुविन्यास की

विश्रृखंलता चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूरारुढ़ साधना में लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि नहीं रही।’ 1 शुक्ल जी कहते हैं - ’’असीम व अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोदगारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंध गयी। हृत्तन्त्री के झंकार, नीरव संदेश, अभिषाप अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पांव आना, आंख मिचैली, मद में झूमना, विभोर होना इत्याि‍द के साथ-साथ शराब, प्याला, साकी आदि सूफी कवियों के पुराने सामान भी इकट्ठा किये गये। कुछ हेर-फेर के साथ वही बंधी पदावली, वेदना का वहीं प्रकांड प्रदर्शन कुछ विश्रृंखलता के साथ प्रायः सब कविताओं में मिलने लगा।’ ’ 2 इस प्रकार छायावादी काव्य को पुनः रीतिकालीन तो नहीं कह सकते पर छायावाद को कुछ छायावादियों ने आधुनिक रीतिकालीन लोकेत्तर काव्य बना डाला। यदि रीतिकाल नखशिख व विलासिता से ग्रसित था तो छायावाद रहस्यवाद, लाक्षणिकता, अदृश्यसत्ता के वर्णन से ग्रसित है। जब शुक्ल जी ने छायावाद की आलोचना की तब उसने वेदों पुराणों संहिताओं तक अपनी दौड़ लगाना शुरु कर दिया तथा तर्क देना प्रारम्भ कर दिया कि अव्यक्त व अज्ञेय शब्दों में ही प्रेम व्यंजना खोजने का प्रयास किया गया है। कहने लगे कि हमारे यहंा वो बातें भी थीं। वे उपनिषदों मंे आये आत्मा के पूर्ण आनन्द स्वरुप निर्देश बं्रहमान्द की अपरिमेयता को समझाने के लिये स्त्री-पुरुष सम्बन्ध वाले दृष्टांत या उपमाएं योग के सहस्त्रदल कमल आदि की भावना के बीच से बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते है। शुक्ल जी इसका खंडन करते हैं - ’’यह सब करने से पहले उन्हे समझना चाहिए कि जो बात ऊपर कही गयी है उसका तात्पर्य क्या है? यह कौन कहता है मत-मतान्तरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चलें? योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है पर ये सब साधनात्मक है। प्रकृत भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहंी। भारतीय परंपरा पर कोई कवि, अनाहत नाद आदि के चक्रो ंको लेकर तरह-तरह के रंगमहल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ।3 शुक्ल जी कहते हैं कि संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है उपनिषदों मंे ब्रह्म और जगत् आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में कई मत हैं- वे काव्य ग्रंथ नहीं है अर्थात शुक्ल जी धार्मिक वाद विवाद की पुस्तकों को काव्य की श्रेणी में नहीं रखते है। उन्होने कहा ये सारे धार्मिक ग्रंथ ऐतिहासिककर्मकाण्ड, दार्शनिकचिन्तन, संाप्रदायिकगुह्यसाधना, मंत्र, तंत्र, जादू, टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलझे हुए हैं। अर्थात शुक्ल जी छायावादियों के उस रहस्यवादी तर्क - ’’कनक प्रभात, विचारों में बच्चों की सांस, स्वर्ण समय, प्रथम मधुबाला, तारिकाओं की तान स्वप्निक्रांति’ 4 आदि को मिथ्याडम्बर, बिना आधार व तर्क वाले तथ्य कहकर नेस्तानाबूत कर दिया तथा इन सारी प्रवृत्तियों को अतिशय लक्षणिकता कह करके काव्य में स्थान नहीं दिया तथा छायावाद को एक शैली मात्र कहा, काव्य नहीं। डा0 शर्मा इन्हीं कुछ मुद्दों पर आचार्य शुक्ल से असहमति प्रकट करते हैं। अब तो छायावाद की ये स्थिति हो गयी थी कि जीवन के व जगत् के नाना मार्मिक पक्षों की ओर इनके कवियों का ध्यान ही जाना बंद हो गया था - अभिव्यंजना प्रणाली या शैली वैचित्रता ही सब कुछ समझी गयी- ’’प्रिय के कपोलों की ललाई, हाव-भाव, मधु स्राव, अश्रुप्रवाह इत्यादि के रंगीले वर्णन कर के ही अब के कवि तृप्त होने लगे अर्थात केवल इन्ही सीमाओं में बंधे रह गये।’ ’ 5 शुक्ल जी छायावाद के लाक्षणिकता कलावाद व अभिव्यंजना के दुष्प्रभाव को बतलाते हुए कहतें हैं- ’’कलावाद व अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करके तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में प्रवृत्त हुई। प्रकृति के नाना रुप और व्यापार इसी प्रस्तुत योजना के काम में लाये गये।’ ’ 6 इस प्रकार जब ऐसा समय आ जाये जब मनुष्य को साहित्य के उस भाग को पढ़ने का समय न रहे जिसमें मानव जीवन के विविध पक्षों का वर्णन है तो साहित्य मात्र मनोरंजन का साधन बन कर रह जायेगा, सकुचित रह जायेगा। ’’हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया है इससे काव्य की प्राकृतिक स्वरुप के तिरोभाव की आशंका नहीं है। पर छायावाद और कलावाद के सहसा आ धमकने से वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश एक बंधी हुई लीक के भीतर सिमट गया नाना अर्थ भूमियों पर न जाने पाया यह अब अवश्य कहा जायेगा।’ ’ 7 यद्यपि शुक्ल जी छायावाद की सीमाओं का अंकन करते हैं परन्तु उसे पूर्णतया बहिष्कृत नहीं करते हैं। तभी तो लिखते है छायावाद के कुछ कवि अध्यात्मिक प्रतीकवाद से बाहर निकलकर प्रेम प्रसंग के संकीर्ण दायरे से निकलकर जीवन और जगत के अन्य मार्मिक पक्षों की ओर अग्रसर हुए। शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद के बारे में कहते है-’’अधिकतर तो विरह वेदना के नाना सजीले शब्द पथ

निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय को मधुगान करते रहे, पर लहर में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की चित्रमयी शैली को विस्तृत अर्थ भूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होनें किया और जगत् के वृंदावन बन जाने की आशा भी प्रकट की तथा जीवन के प्रभात को जगाया। इसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत नंे गुंजन में सौन्दर्य चयन से आगे बढ़ जीवन के नित्य स्वरुप पर भी दृष्टि डाली है। सुखःदुख दोनों में अपने हृदय का सामन्जस्य किया है और जीवन की गति में भी लय का अनुभव किया है। युगवाणी में उनकी वाणी ही बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों की प्रतिध्वनि के रुप में परिणत होती दिखाई देती है।’ ’ 8 इस प्रकार विविध कथनों से स्पष्ट होता है कि शुक्ल जी को छायावाद से कोई बैर नहीं था डाॅ0 रामविलास शर्मा भी कहते हैं कि- शुक्ल जी को जहां छायावाद में रहस्यवाद, अध्यात्मवाद, अतिलाक्षणिकता, इतिवृत्तामकता, अदृश्यता की वजह से छायावाद की आलोचना करनी पड़ी वहंीं दूसरी तरफ जहां मानव जीवन के बहुत निकट सौन्दर्य की वास्तविक भावभूमि पर उसे देखा तथा स्वाभाविक प्रकृति चित्रण, मानव सुलभ सुपाच्य संवेदनशीलता देखी वहीं उसकी प्रशंसा भी की है। शर्मा जी लिखते है- ’’शुक्ल जी ने छायावाद का विरोध किया, इसके पीछे यथार्थ जीवन से उनका प्रेम था वह साहित्य को परोक्ष चिन्तन, रहस्यवाद, अटपटी और दुरुह शैली से बचाना चाहते थे। भाग्यवाद, निराशावाद, और पश्चिमी कविता के पतनशील रुझानांे से हिन्दी साहित्य की जातीय परम्परा की रक्षा करना चाहते थे।’ ’ 9 शर्मा जी ने मात्र इन कुछ पंक्तियों में शुक्ल जी छायावाद सम्बन्धी मत को बड़े अच्छें ढंग से प्रस्तुत कर दिया तथा शर्मा जी कहते हैं- ’’जहां छायावादी कवि रहस्यवाद व निराशावाद से बचकर यथार्थ जीवन का चित्रण कर सके वहां शुक्ल ही ने बराबर उन्हें सराहा है।’ ’ 10 शुक्ल जी चाहते थे कि रोमांटिक कविता या स्वच्छतावाद का प्रसार हो लेकिन यह धारा स्वाभाविक हो, विषयवस्तु में रहस्यवाद और रुप में अटपटापन लिए हुए न हो, वह सच्ची रोमांटिक कविता के लिए लोकगीतों को आधार बनाना जरुरी समझते थे। इसके लिए उन्होने बन्र्स (स्काटलैण्ड के कवि) को उदाहरण के रुप में रखा जिसने जन जीवन के कितने निकट होते हुए रोमांटिक धारा का वर्णन किस प्रकार किया। इसी प्रकार ’श्रीधर पाठक’ को शुक्ल जी ने स्वच्छन्दतावाद का प्रर्वतक कहा है। शर्मा जी कहते हैं- ’’शुक्ल जी जिस स्वच्छन्दतावाद के पक्ष में थे, वह काफी व्यापक धारा थी। वह अपने में आंसू, उच्छवास, जैसी रचनाओं कोे भी समा लेते थे। शर्मा जी पूछते हैं शुक्ल जी विरोधी किसके थे? स्वयं उत्तर देते हैं रहस्यवाद के, अतिलाक्षणिकता के।’ ’ 11 यद्यपि शर्मा जी शुक्ल जी के छायावाद विरोध के मूल कारण को समझाते तो हैं परन्तु उन्होनें वास्तव में छायावाद को कहीं न कहीं सीमित अर्थों में लिया है, जिसके बारे में शर्मा जी कहते हैं- ’’शुक्ल जी ने छायावाद को सीमति अर्थ में लिया है ऐसा कहना उचित नहीं है, किसी आंदोलन के बारे में उसके नेता या आलोचक क्या कहते है, उसकी विशेषता नहंी परखी जा सकती, छायावाद के नेता कुछ भी कह रहे हों उसकी जो भी व्याख्याएं की जाती रही हो महत्व की बात यह है कि छायावादी कवि लिखते क्या है उनके साहित्य की मूल्य पूंजी क्या है उन्होनें साहित्य को किस रुप में जनता के सामने रखा इत्यादि। शुक्ल जी ने इस तरह छायावाद को ऐतिहासिक विवेचन नहीं किया लेकिन जिन विशेषताओं पर उन्होनें आक्रमण किया है वे विशेषताएं कल्पित नहीं है वास्तवकि थी, मानना होगा और उनका यह आक्रमण सही था यह भी मान लेने से ही कल्याण होगा।’ ’ 12 यहां देखने से स्पष्ट हो जाता है कि शर्मा जी किस तरह से शुक्ल जी की कमियों का वर्णन, उनकी सीमाओं का वर्णन करते हैं पर बड़ी चालाकी से पुनः अपनी बात कहकर उनका समर्थन भी करने लगते हैं। कहीं न कहीं ये तो कहा ही जा सकता है कि विचारधाराओं में कुछ विरोध होने के बावजूद शर्मा जी का शुक्ल जी के प्रति मोह अधिक था। शर्मा जी कहते हैं- ’’शुक्ल जी ने नई कविता के लिए जो सबसे घातक विचारधारा समझी है वह है रहस्यवाद। रहस्यवाद से काव्य की विषयवस्तु संकुचित हुई है।’ ’ 13 शुक्ल जी कह चुके है- असीम व अज्ञात प्रियतमक के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बंध गयी। ’रहस्यवाद’ नामक निबन्ध में स्वयं शुक्ल जी कहते हैं- मैं रहस्यवाद का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन शर्मा जी के अनुसार शुक्ल जी ने ऐसा निबन्ध तीखेपन को कम करने के लिए ही लिखा है। अपने निबन्ध में रहस्यवाद को, रहस्य की भावना को, रमणीय व मधुर कह डालते हैं, पर उसे काव्य का सिद्धान्त नहीं मानते। जहां वाद की बात उठती है वहां उसे वो सम्प्रदायवाद कहने लगते हैं। वह रहस्यवाद से हटकर प्राकृत भाव पर आने की बात करते है।

शर्मा जी रहस्यवाद, अतिलाक्षणिकता, अदृश्य सत्ता आदि जैसे छायावादियों के काव्य के मूल, जिसकी शुक्ल जी ने आलोचना की, से सहमत होते हुए भी पूर्ण सहमत नहीं है। जैसे रहस्यवाद को ही ले लिया जाय इसको शुक्ल जी अभारतीय कहते हैं जो शर्मा जी को स्वीकार नहीं था- ''किसी भी विचारधारा का विरोध करने के लिए उसे अभारतीय कहना यहां के तर्कशास्त्रीयों का खास दांव है। यह दांव शुक्ल जी ने भी लगाया है। जायसी के परोक्ष प्रेम को उन्होने अभारतीय कहा, सूर व मीरा तक को अभारतीय कहा है, नये रहस्यवादियों का विरोध करने के लिए उन्होने अभारतियता की दुहाई दी है।' ' 14 इसी प्रकार शुक्ल जी रहस्यवाद की विषयवस्तु के अलावा निराशावाद, अबुद्धिवाद, भाग्यवाद आदि का खण्डन करते हैं पर शर्मा जी यहां भी उनसे थोड़ा सा इतर विचार रखते है तथा कहते हैं- ''बहुत ज्यादा रोने धोने का सम्बन्ध अगोचर ब्रह्म की अनुभूति से नहीं है उसके ठोस समाजिक कारण है।' ' 15 अर्थात शर्मा जी का मन्तव्य यह है कि छायावाद में जो कोई निराशावाद आदि आये हंै वो व्यर्थ में या निरर्थक नहीं हैं उनके कोई न कोई सामाजिक कारण अवश्य है। मनुष्य केे जीवन में सारा समय सुखमय ही नही होता उसमें दुःख व निराशा के भी क्षण आते है उसी क्षण का अनुभव छायावादी- रहस्यवाद, निराशावाद में आया है। ऐसे ही शुक्ल जी कबीर के साथ न्याय नही कर पाये थे श्ुाक्ल जी छायावाद को जो शैली मात्र मानते है शर्मा जी उससे सहमत नही है उनका मानना है कि ऐसा कहने से छायावाद को सीमित कर देना होगा- '' छायावाद हिन्दी साहित्य की रोमांटिक धारा है वह मूलतः रीतिकालीन परम्परा की विरोधी है......यद्यपि रहस्वाद छायावाद का कमजोर पक्ष है पर छायावादियों पर वाद विशेष से बंध जाने का दोष लागाते हुए वह स्वयं (शुक्ल जी) छायावाद को संकुचित रहस्यवाद के अर्थ में लेते रहे। यही कारण है कि गैर-रहस्यवादी रचनाएं जब भी छायावाद में आयीं तो शुक्ल जी ने उसे छायावाद के बाहर की चीज समझा। ' '16 यहां डाॅ0 शर्मा समन्वयवादी व व्यापकतावादी विचारधारा के पोषक के रूप में सामनें आते है। यद्यपि वो रहस्यवाद को छायावाद का कमजोर पक्ष मानते है परन्तु यह भी मानते है कि छायावाद में मात्र रहस्यवाद ही नही है या सभी प्रकार के रहस्यवाद छायावाद में निरर्थक नही है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद में जो- रहस्यवाद, अतिलाक्षणिकता, अगोचरता, भाववाद, निराशावाद, अबौद्धिकता, भाग्यवाद को लेकर उसे मात्र एक शैली मान बैठे है तथा उसकी जमकर अलोचना करते है डाॅ0 शर्मा के अनुसार ऐसा करके शुक्ला जी कुछ जल्दबाजी कर गये। उसकी गहराई, उसकी तह तक नही पहुंच सकें शुक्ल जी मात्र उनके कहने के ढंग पर चले गये तरीको को देखकर चिढ़ गये। ये वो यह नहीं देंख सके कि भले रहस्यवाद था भले लाक्षणिकता थी, भले निराशा थी, उसके पीछे कारण क्या था जिसके कारण छायावादियों ने ये सब रखा। जैसे शुक्ल जी रहस्यवाद को लेकर चिढ़े तो भारत व विश्व के हर रहस्यवादी पर एक साथ हल्ला बोल दिया। जबकि वहीं शुक्ल जी नये रहस्यवादियों को पछाड़ने के लिए जायसी व कबीर के परोक्ष प्रेम को सराहने लगते हैं भारतियता कि दाद देने लगते है पर डाॅ0 शर्मा कहते कि जब वही रहस्यवाद जिसकी शुक्ल जी ने मध्यकाल में प्रशंसा की आधुनिकालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर आया तो उसका विरोध क्यों किया। यद्यपि कई बातों को लेकर शुक्ल जी ने भले ही छायावाद का विरोध किया परन्तु उसमें कहीं न कहीं जीवन, जगत्, प्रकृति, मनोभाव, संवेदना के दर्शन किये इसीलिए तो निराला, पंत, प्रसाद की कई रचनाओं की प्रशंसा भी करते है। अंत में शर्मा जी कहते हैं- ''शुक्ल जी ने रहस्यवाद का खण्डन किया, कविता से निराशावाद, भाग्यवाद, अतिलाक्षणिकता की शैली को दूर करने का आग्रह किया। यद्यपि छायावाद की व्याख्या ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है फिर भी शुक्ल जी ने छायावादी कवियों की लोकजीवन सम्बंधी कविताओं का समर्थन किया साहित्य में अगोचर के बदले गोचर जगत पर बल दिया छायावादी कविता को लोकगीतों की परम्परा जोड़ते हुए सच्ची रोमांटिक भावभूमि पर आगे बढ़ने का सुझाव दिया उनका यह विवेचन आलोचना के लिए ही नही हिन्दी कविता के प्रगति के लिए बहुत उपयोगी है।17

सन्दर्भ गं्रथ सूची

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास, अशोक प्रकाशन (रामचन्द्र शुक्ल), पृ0 385
2. वही, पृ0-385

3. वही, पृ0-385
4. वही, पृ0-386
5. वही, पृ0-386
6. वही, पृ0-386
7. वही, पृ0-387
8. वही, पृ0-387
9. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना (डा॰ रामविलास शर्मा) पृ0-159
10. वही, पृ0-159
11. वही, पृ0-161
12. वही, पृ0-161
13. वही, पृ0-161-162
14. वही, पृ0-163
15. वही, पृ0-164
16. वही, पृ0-165-166
17. वही, पृ0-20

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

समाजे आश्रमधर्मस्य प्रासङ्गिकता

डा.सुधांशुशेखरमहापात्रः
सहाचार्य:, धर्मशास्त्रविभागस्य,
तिरुपतिस्थराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य।

सारांश :- प्रथमपुरुषार्थरूपस्य धर्मस्य प्रतिपादकत्वेन वेदाङ्गत्वेन च धर्मशास्त्रं भारतवर्षे सुविख्यातधर्मप्रमाणत्वेन गृह्यते। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिरिति [1]मनुवचनात् धर्मशास्त्रस्य स्मृतिरेव अपरा संज्ञा। यद्यपि धर्मे मुख्यं प्रमाणं श्रुति: तथापि तदनुमापकत्वेन स्मृति: धर्मे प्रमाणं भवति। अत: श्रुतिप्रतिपादितो धर्मः श्रौतधर्म: तथा च स्मृतिप्रतिपादित: धर्मः स्मार्त्तधर्म इति जगति प्रसिद्धः। स च स्मार्त्तधर्म: याज्ञवल्क्यस्मृतिटीकाकारेण [2]विज्ञानेश्वरेण षोढा विभक्तः। यथा- वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मश्चेति। तेषां समेषां धर्माणां समाजे उपयोग आसीत्, अस्ति स्थास्यति च। तेषु मया समाजे आश्रमधर्मस्य प्रासङ्गिकताविषये शोधलेखोऽयं प्रस्तुतः।

शतायुर्वै पुरुषः इति श्रुतिवचनानुसारेण पुरुषस्य समग्रमायुश्चतुर्धा विभज्य चत्वार आश्रमाः परिकल्पिता:। ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रम: वानप्रस्थाश्रमः, सन्न्यासाश्रमश्चेति। तेषां चतुर्णामाश्रमिणां ये धर्माः ते आश्रमधर्मा इति कथ्यन्ते। तेषां धर्माणां समाजे प्रासङ्गिकता कीदृशी सा विचारणीया। तत्रादौ ब्रह्मचर्याश्रमविषये विचारः क्रियते।

ब्रह्मचर्याश्रमः-

ब्रह्मणि चरति यः स ब्रह्मचारी। ब्रह्म नाम वेदः। उपनयनान्तरमेव वेदाध्ययनेऽधिकारो भवति। गर्भाष्टमे ब्राह्मणस्य, गर्भकादशे क्षत्रियस्य, गर्भद्वादशे वैश्यस्य च उपनयनं भवतीति धर्मशास्त्रे प्रतिपादितम्। यथोक्तं [3]याज्ञवल्क्येन-

गर्भाष्टमेऽष्टमे वाऽब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्।
राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम्।।इति।

शूद्रस्य स्त्रीणाञ्च उपनयनयाभावात् वेदाध्ययने अधिकारो नास्त्येव। तस्मात् कृतोपनयना द्विजा: गुरुगृहे आचार्यस्य गृहे वा स्थित्वा वेदाध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तदानीं ते वेदाध्ययनात्

ब्रह्मचारिणः कथ्यन्ते स्म। यत्र ते तिष्ठन्ति स्म स च आश्रमः ब्रह्मचर्याश्रमः, यावद्दारग्रहणं च तस्मिन् आश्रमे स्थीयते।

साम्प्रतिकसमाजे गुरुकुले आचार्यकुले वा स्थित्वा वेदाभ्यासं कुर्वाणाः केचनापि दृश्यन्ते। सर्वकारपक्षतः तेषां कृते आवासव्यवस्था भोजनव्यवस्था अध्ययनव्यवस्था च कार्यते। किन्तु तेषां संख्या स्वल्पा एव। सामान्यरूपेण सर्वेषां सर्वासाञ्च शिक्षाग्रहणार्थं साधारणविद्यालयाः सर्वकारपक्षतः प्रतिष्ठापिताः। तत्र प्राथमिकस्तरादारभ्य विश्वविद्यालयस्तरं यावत् शिक्षा प्रदीयते। साम्प्रतिकसमाजस्य अनुकूलाः पाठ्यक्रमाः अपि निर्धारिताः। तत्राध्ययने सर्वेषां वर्णानां जातीनां पुरुषाणां स्त्रीणां अन्त्यजानां हरिजनानां गिरिजनानामपि अधिकारः प्रदत्तः। समाजे ये अनग्रसराः आसन् तेषां शिक्षणे प्रशिक्षणे च अधिकं प्रोत्साहनं दीयते यथा समाजे न कोऽपि अशिक्षितः न तिष्ठेत्। एतच्च अध्ययनं यात्पर्यन्तं प्रचलति तावत्पर्यन्तं ब्रह्मचर्याश्रधमः इति कल्प्यते। अत्र अध्ययनकाले यद्यपि शिक्षकाणां कृते छात्रैः किमपि देयं न भवति तथापि शिक्षकाः स्वयोग्यतानुसारेण सर्वकारपक्षतः वेतनं प्राप्नुवन्ति। प्राचीने काले अध्ययनार्थं उच्चवर्णानां कृते सुविधा प्रदीयते स्म, सम्प्रति तु नीचजातीनाम् इति भेदः। यद्भवतु अध्ययनावस्था अथवा छात्रावस्था एव सम्प्रत्यपि ब्रह्मचर्याश्रमे गच्छति।

गृहस्थाश्रमः-

अविप्लुतब्रह्मचर्यः लक्षण्यां स्त्रियमुद्हेत्।
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्।। इति

[४]याज्ञवल्क्यवचनानुसारेण यादृशं लक्षणं दृष्ट्वा कन्या उदुह्यते स्म, सम्प्रति तेषु कानिचनापि विचार्य्यन्ते। तत्र आन्तर्लक्षणं दृश्यते न वा बहिर्लक्षणंतु दृश्यत एव। असुन्दर्यः स्त्रियः वराभावात् बहुत्र अविवाहिताः तिष्ठन्ति। अनन्यपूर्विकत्वस्य निरूपणं विचारो वा सम्प्रति कर्तुं न शक्यते। सगोत्रत्वसपिण्डत्वादिविचारस्तु भवत्येव। देशाचारदृष्ट्या कुत्रचित् सगोत्र-सपिण्डमध्ये विवाहो दृश्यते न तु सर्वत्र। धर्मशास्त्रे [५]मनुना अष्टविधविवाहाः प्रतिपादिताः। ते यथा-

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः।।इति।।

अष्टविधेषु विवाहेषु सम्प्रति दैवार्षराक्षसविवाहानां प्रचलनं तु नास्ति। ब्राह्म-प्राजापत्ययोः पृथक् लक्षणभूतयोरपि विवाहो नैव दृश्यते परन्तु तयोः सङ्कररूपः कश्चित्प्रकारः प्रचलति। गान्धर्वविवाहस्तु भूयस्त्वेन दृश्यते। क्वचित् गिरिराज्येषु आसुरविवाहः कुत्रचित् च पैशाचविवाहोऽपि दृश्यते। गृहस्थस्य पञ्चमहायज्ञानामनुष्ठानम् अनिवार्यमासीत्। प्रसङ्गेऽस्मिन् [६]याज्ञवल्क्येन प्रतिपादितं यत्-

बलिकर्म स्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसत्क्रिया।
भूतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः।।इति।।

सम्प्रत्यपि ते पञ्चमहायज्ञाः अनुष्ठीयन्ते। विवाहानन्तरमपि कश्चित् स्वशास्त्रस्यापि अध्ययनं करोति। स्वगृहे देवपूजा प्रत्यहमपि प्रचलति। पितृमातृक्षयदिवसे पितृयज्ञोऽपि प्रचलति। केचित् प्रत्यहमपि पितृतर्पणादिकं कुर्वन्ति। अतिथिधर्मेणागतानामपि गृहे सत्कारः क्रियते। भूतवलिस्थाने श्वकाकादीनां कृते पि भक्ष्यभोज्यादिकं जना उत्सृजन्ति। प्राचीने काले सर्वे आश्रमा गृहस्थस्योपरि निभर्ररशीला भवन्ति स्म, गृहस्थाश्रमश्च ज्येष्ठाश्रम इति [७]मन्वादिभिः प्रतिपादितम्। तद्यथा-

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः।
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः।। इति।।

सम्प्रत्यपि गृहस्थाश्रम: ज्येष्ठाश्रमः श्रेष्ठाश्रमश्च कथ्यते। यद्यपि गृहस्थानां जीविका यथा वर्णानुसारेण स्थिरीकृता आसीत् तथा सम्प्रति नास्ति, तथापि स्वविद्याबुन्धिबलानुसारेण स्वकुटुम्बभरणार्थं जना धनमर्जयन्ति धर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति च। तदानीं पित्रोः श्वशुरयोश्च यत् पादवन्दनादिकमासीत् तत् सम्प्रति नास्ति। एतेन गृहस्थाश्रमव्यवस्था सम्प्रत्यपि यथाकथञ्चित् प्रचलति।

वानप्रस्थाश्रम:-

वने प्रकर्षेण स्थीयते यत्र स वानप्रस्थाश्रमः। गृहस्थ: आत्मन: पलितकेशान् गलितनखदन्तांश्च दृष्ट्वा पुत्रस्य मुखदर्शनं च कृत्वा स्त्रिया सह एकाकी वा पञ्चाशद् वर्षे वयसि वनं गच्छेदिति धर्मशास्त्रे प्रतिपादितम्। अस्मिन् प्रसङ्गे महर्षिणा [८]मनुनोक्तं यत्-

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलिपलितमात्मनः।
पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा।।इति।।

सम्प्रति न कोऽपि वनं व्रजति नापि वानप्रस्थो भवति। अत: वानप्रस्थाश्रमस्य साम्प्रतिककाले अद्यतनसमाजे काचित् प्रासङ्गिकता नास्ति।

सन्यासाश्रम:-

पञ्चसप्ततितमे वर्षे वयसि सन्न्यासाश्रमस्य व्यवस्था प्राचीनकाले आसीत्। कश्चिद् वानप्रस्थाश्रमात् कश्चिद् गृहस्थाश्रमाद् वानप्रस्थो न भूत्वापि, कश्चिद् ब्रह्मचर्याश्रमाद् गृहस्थो न भूत्वा वानप्रस्थोऽपि न भूत्वा साक्षात् सन्न्यासी भवितुमर्हति स्म। परन्तु तदानीं ब्राह्मणस्यैव सन्न्यासाश्रमेऽधिकार आसीत्। यतो हि आत्मन्यग्निं समारोप्य'इत्यादि मनुवचनात्, ब्राह्मणाः प्रव्रजन्तीति श्रुतेश्च केवलं ब्राह्मणस्यैवाधिकारः तत्र श्रूयते। तस्मिन् आश्रमे स्थितः सर्वथा अनासक्तो भूत्वा सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अभयं दत्त्वा, भिक्षार्थी भूत्वा, त्रिदण्डी सकमण्डलुः एकाकी प्रव्रजेत्। एवं प्रकारेण इन्द्रियाणि विजित्य सर्वदा तपश्चरणशीलो भूत्वा अहिंसया ध्यान-धारणादिभिः, प्राणायाम-प्रत्याहारादिमिश्च सर्वाणि पापानि अपनोद्य देहस्य शोषणं कृत्वा मृत्योः प्रतीक्षायां तिष्ठेत्। प्रसङ्गेऽस्मिन्नुक्तं [१०]मनुना-

प्राणायामैहे दोषान् धारणाभिश्च किल्विषम्।
प्रत्याहारेण संसर्गात् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्।।इति।।

अतो मरणं यावदयमाश्रमः इति ज्ञायते। सम्प्रति तु गृहस्थाश्रमानन्तरं केचन सन्न्यासिनो भवति। केचन च साक्षाद् ब्रह्मचर्याश्रमादनन्तरं विवाहं न कृत्वा। न ब्राह्मणस्य कृते केवलोयमाश्रमः। अत्र सर्वेषामधिकारो दृश्यते। द्विजाते: का कथा, शूद्रः, अन्त्यजोऽपि वैष्णवदीक्षां गृहीत्वा सन्न्यासी भवति। अनेके मठादिकं निर्माय तत्र आधिपत्यं संस्थाप्यं संपत्च्छालिनो भोगिनोऽपि भवन्ति। केचित्तु तापसव्यञ्जना भगवदाराधनादिकं कृत्वा धर्मप्रवचनादिकञ्च दत्त्वा कालं नयन्ति। एवं प्रकारेण चत्वार आश्रमा प्राक्काले आसन्। सम्प्रति तु वानप्रस्थाभावात् त्रय एव आश्रमा दृश्यन्ते। एवं प्रकारेण समाजे आश्रमधर्मस्य प्रासङ्गिकता मयाऽत्र संक्षेपेण प्रतिपादिता।इति।

पादटिप्पणी

१.म.स्मृ.-२-१०	२.मिता. पृ.-१
३.यास्मृ.-आ.-१४	३.यास्मृ.-आ.-५२
४.म.स्मृ.-३-२१	५.यास्मृ.- आ.-१०२
६.म.स्मृ.-३-७७	७.म.स्मृ.-६-२
९.म.स्मृ.-६-२५	१०.म.स्मृ.-६-७२

सन्दर्भग्रन्थसूची

१.मनुस्मृतिः- चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, २००३

२.मिताक्षरा(याज्ञ.टीका)- नागप्रकाशन, दिल्ली, १९८५

३.याज्ञवल्क्यस्मृतिः- नागप्रकाशन, दिल्ली, १९८५

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

स्वातन्त्र्योत्तरकाले यौतकाधिनियमाः महिलानां स्थितिश्च

लक्ष्मीनारायण जेना
शोधच्छात्रः, शिक्षाशास्त्रम्
राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः, भारतम्

शोधसारः- यौतकपीडया पीडिताः बह्वः महिलाः साम्प्रतिकसमाजे अत्महत्यादि नृसंशकार्यादिकं कुर्वन्ति । यद्यपि साम्प्रतिककाले शिक्षिताः सर्वत्र दरीदृश्यन्ते, तथापि एतादृशयौतकरूपरोगेण पीडिताः अपि दृश्यन्ते इत्यतः स्वातन्त्र्योत्तरकाले नारीणां कृते यौतकगताधिनियमाः तथैव तेषां स्थितिः पत्रेऽस्मिन् विस्तरेण विचार्यते ।

मुख्य शब्दः – स्वातन्त्र्योत्तरकालः, यौतकाधिनियमः, महिला, भारतदेशः, अम्बेद्कर् महाभागः।

१९४७ वर्षे अगस्ट् मासस्य पञ्चदशे दिनाङ्के भारतदेशः स्वतन्त्रो जातः । भारतसंविधानस्य अन्वयः अभवत् १९५० तमे वर्षे जनवरीमासस्य षड्विंशतिः दिनाङ्के । डा बि आर् अम्बेद्कर् महाभागः महिलानां कृते शिक्षणाधिकारम्, तासाम् उन्नत्यर्थं Hindu code bill सज्जीकृतवान् । एतत् तु विशेषेण महिलासम्बन्धि एव वर्तते । किन्तु, साम्प्रदायिकाः, सम्प्रदायवादिनः च संसदि एतत् तिरस्कृतवन्तः । १९५१ तमे वर्षे अम्बेद्कर् महाभागः स्ववृत्तेः त्यागपत्रं दत्तवान् । Hindu code bill मध्ये भारतीयमहिलासम्बन्धि तासाम् उन्नतिदृष्ट्या अनेके नियमाः अधिनियमाः सूचिताः । तत्र हिन्दू, मुस्लिम्, ख्रिष्टियन्, पार्सी महिलासम्बन्धि अधिनियमाः उल्लिखिताः आसन् ।

केन्द्रसर्वकारेण स्वातन्त्र्योत्तरकाले महिलानां रक्षणं मनसिकृत्वा भारतीयसंविधानस्य अन्तर्गततया बहवो अधिनियमाः सूचिताः । ते च एवं विद्यन्ते –

१. The Hindu marriage Act 1955
२. The Hindu adoptions &maintenance Act 1956
३. The Hindu succession Act 1956
४. The Special Marriage Act 1954
५. The Dowry prohibition Act 1961
६. The Medical termination of Pregnancy Act 1971
७. Industrial Disputes Act 1947
८. The Factories Act, 1948 and relevant provisions for women.
९. Relevant provisions of the mines Act 1952 for women.

१०. The Maternity benefit Act 1961

११. The Indecent representation of women(prohibition) Act 1986

१२. The Immoral traffic (prevention) Act 1956.

१३. The Muslim women (protection of right on divorce) Act 1986

१४. The Family courts Act 1984.

१५. The National commission for women Act 1990.

१६. The Commission of sati (prevention) Act 1987.

१७. The Human Rights Act 1993.

१८. The Constitutional law of India 1950.

१९. Indian evidence Act.

२०. Indian penal code.

२१. Criminal Procedure code.

British Acts –

ब्रिटीश् जनानां काले महिलानां हितं मनसिकृत्य केचन अधिनियमाः आगताः । ते च –

- **Summary Jurisdiction (Married women) Act 1985**

अनुच्छेदः ४ प्रविभागस्य अधः उद्देशपूर्वकमेव पत्न्याः पुत्रस्य /पुत्र्याः संरक्षणं पतेः दायित्वं भवति । यदि पतिः पञ्चसु परिस्थितिषु तस्य पत्न्याःपुत्राणां पुत्रीणां वा हानिं जनयति तर्हि पत्नी साक्षात् न्यायं याचयितुं न्यायालयं गन्तुमर्हति । ताः च परिस्थितयः – (क) तर्जनम् (ख) ताडनम् (ग) अन्यं वरयितुं प्रचोदनं (घ) दूरे संस्थापनम् (ङ) मद्यं पीत्वा गृहमागच्छति चेत् । अनन्तरं पत्न्याः उपरि दोषारोपणं करणम् आक्रमणम् इत्यादि क्रियते चेत् पत्युः कारागारशिक्षा भवति मासद्वयं यावत् ।

- **Licensing Act 1902**

अस्मिन् अधिनियमे केचन नियमाः योजिताः । मद्यसेवनस्य दुराभ्यासे, दिनं प्रति मद्यसेवनम् इत्यादि १९२५ तमे वर्षे संयोजिताः । Summary Jurisdiction Act 1925 मध्ये गुह्यरोगेषु विद्यमानेषु संभोगं प्रति आग्रहः, वेश्यावृत्तिं कर्तुम् आग्रहः, नैरन्तर्यं पत्न्याः, पुत्राणां पुत्रीणां कृते क्रूररूपेण हानिकरणम् इत्यादयः योजिताः ।

- **The Maimed women (Maintenance in case of diversion act 1886)**

विधिनियमेऽस्मिन् यदि पतिः उद्देशपूर्वकं पत्न्याः संसारस्य निर्वहणं कर्तुं निराकरोति तर्हि पत्नी न्यायालयं गन्तुमर्हति । यदि सः विवेचनपूर्वकं करोति तर्हि केवलम् ।

- **Poor law amendment act 1868**

अधिनियमेऽस्मिन् अनुच्छेद ३३ प्रविभागान्तर्गततया विधिनियमाधिकारिणः पत्न्याः पक्षतः न्यायं दद्युः । यदा पतिः स्वपत्न्याः निर्वहणं कर्तुं विफलो भवति ।

- **Summary jurisdiction (separation and maintenance Act 1925**

अयं तु विधिनियमः १८९५ Summary jurisdiction विधिनियमस्य अर्हतां निवारयति । यथा पत्नी पतिं विनापि जीवितुम् इच्छति (यदा पतिः तस्याः निर्वहणं कर्तुं नेच्छति), पत्न्याः कृते न्यायप्रदानमित्यादि ।

Post Independent Indian government Act on Dowry

स्वातन्त्र्योत्तरकाले भारतसर्वकारेण यौतकसम्बन्धि यौतुकशोषणा, यौतकात् मरणम् इत्येवं सर्वं मनसि कृत्वा केचन विधिनियमाः आनीताः । येन च समाजे एतद्विषये जागर्या, महिलायाः च रक्षणं भवतीति ।

यद्यपि अधिनियमः १९६१ तमे वर्षे आगतः परं यौतकस्य अभ्यासः तु बहोः कालादेव समाजे अवर्तत । अपराधानां संख्या तु अधिका एव आसीत् । भारतीयसंसत् एतद्विषयं सगम्भीरं विचिन्त्य एका समितिं रचितवान् । तस्याः समितेः प्रमुखः आसीत् कृष्णसागरः । अधिनियमेषु न्यूनताः दृष्ट्वा परिशील्य च परिवर्तनार्थं केचन विषयाः सूचिताः । तदाधारेण संसदि विद्यमानाः सचिवाः अधिनियमान् आनीतवन्तः ।

- **Dowry prohibition Act 1961**

अयम् अधिनियमः यौतकस्य व्याख्यानं करोति । यौतकं नाम सम्पत्तिः अथवा बहुमूल्यं यत्किञ्चित् अथवा प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षेण वा दीयमानं यच्च निर्णीतम् इति । पितृभ्यः अथवा अन्येभ्यः विवाहकाले प्रदीयमानम् अथवा अन्येन केनचित् दीयमानम् इति ।

- अनुच्छेदः ३- वदति यत् यौतकस्य दाने वा स्वीकरणे वा तस्य दण्डः विधीयते ।
- अनुच्छेदः ४- यौतकस्य आग्रहे दण्डं विदधाति ।
- अनुच्छेदः ५ -यौतकस्य प्रदाने स्वीकरणे वा निरर्थकम् इति ।
- अनुच्छेदः ६- यदि यौतकं दीयते तर्हि तत् महिलायाः अथवा तस्याः उत्तराधिकारिणः लाभाय भवेदिति ।
- अनुच्छेदः ७ - यः यौतकदाता भवति तं जागरयति ।
- अनुच्छेदः ८ - निर्दिष्टेषु उद्देशेषु अपराधे कृते तस्य दण्डप्रदानं भवतीति ।
- अनुच्छेदः ८A- वदति यत् यदि कश्चन यौतकं स्वीकरोति तर्हि सः अभियोगार्हः (prosecution) भवति ।
- **Dowry death Section 304 B Indian penal code.**

अनुच्छेद ३०४B IPC प्रविभागः वदति यत् अग्निदाहात्, देहे क्षतादिकम् अथवा विवाहात् अनन्तरं सप्तसु वर्षेषु यदि सा पत्या पीडिता भवति अथवा पत्युः सम्बन्धिभिः यौतकस्य आग्रहः तद्वारा यदि पत्नी मृता भवति तर्हि तत् "यौतकमरणम्" इत्युच्यते । तादृशे सन्दर्भे पतिः तस्याः मरणे कारणम् इति परिगणितं भवति ।

- **Abetment of suicide**

अनुच्छेदः 306 IPC विवृणोति यत् यदि कस्याश्चित् आत्माघातार्थं प्रचोदयति अथवा प्रचोदनरूपी कार्यं करोति , तस्य दण्डः विधीयते । तस्य कारागृहवासः भवति ।

- **Murder –**

(Section 300 & 302 of IPC) अनुच्छेदः ३०० हननस्य विषये विवरणं ददाति । उद्देशपूर्वकं कञ्चित् / काञ्चित् मारयितुम् अथवा केवलं देहे आघातं जनयितुं गतः तेन मरणम् अभवत् इत्यादि विषयेषु विवरणं ददाति ।

(302 IPC Punishment of Murder) यदि कश्चन मारयति तर्हि तस्य मरणम् एव दण्डः अथवा आजीवनं कारागृहे वासः, तेन सा / सः शुल्कमपि दद्यात् ।

(Section 498 A IPC) पतिः अथवा पत्युः सम्बन्धी कश्चन यदि पत्न्याः कृते हानिं जनयति तर्हि सः दण्ड्यः भविष्यति । तेन सह तस्य कारागृहवासः अपि दीयते ।

यौतकप्रथायाः निवारणाय सर्वकरपक्षतः स्वीकृताः पदक्षेपाः

(Steps taken by the central Government to curb the evil of dowry system)

- **Dowry prohibition Act 1961** इति अधिनियमस्य आगमनात् परमपि यौतकप्रथा अधिका एव अभवत् सर्वत्र । इयं च सामाजिकी समस्या । न केवला इयम् अपि तु एतत्समानाः अन्याः सामाजिकव्याधयः याः आसन्, ताः निवारयितुं भारतसर्वकारः कटिबद्धः अभवत् ।
- महिलानां स्थितिविषयकस्य वृत्तान्तानुसारं भारतीयसर्वकारेण सर्वकारीयसेवासु नियमाः संशोधिताः । विशेषेण सर्वकारे कार्यं कुर्वाणेभ्यः प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षेण वा यौतकस्य दाने स्वीकारे वा यौतकसम्बन्धिनियमाः सूचिताः ।
- भारतसर्वकारेण सर्वराज्येभ्यः केन्द्राधिकारप्रदेशेभ्यः च विशेषादेशाः प्रेषिताः । पुनश्च याः विवाहिताः महिलाः अस्याभाविकरीत्या तासां विवाहानन्तरम् आरम्भिकपञ्चसु वर्षेसु मृताः भवन्ति, तद्विषये परीक्षणं करणीयम् इति । विशेषेण देहेल्यां याश्च मृताः महिलाः, ताः सर्वाः अपि यौतकस्य अत्याग्रहात् मृताः इति देहल्याः अपराध-अधिकारिणः तेषाम् इतिवृत्ते अकथयत् ।

Legal drawbacks and prevention of dowry system

यौतकस्य नाशनार्थं यौतकान्तर्गततया याश्च मृताः तन्न्यूनीकरणार्थं च अनेके अधिनियमाः आनीताः सर्वकारेण। १९६१ तमे वर्षे सर्वकारः यौतकं विरुध्य दृढसङ्कल्पमकरोत् । अधिनियमानुसारं ये च यौतकं स्वीकर्तारः यौतकप्रदातारः, ये च तदर्थं साहाय्यं कर्तुम् उद्युक्ताः, ते सर्वेऽपि अपराधिन इति परिगण्यन्ते । पञ्चवर्षाणां कारागृहे वासः , पञ्चदशसहस्रं यावत् शुल्कदानम् इति दण्डनमपि आरब्धम् ।

यदि आरम्भिके सप्तवर्षेषु महिला मृता भवति चेत् तदपि यौतककारणात्, तर्हि पत्युः दण्डनं भवत्येव । केषुचित्कारणैः अयम् अधिनियमः न यावत् शक्तियुतः आसीत् ।

- **शासनन्यूनताः**

यौतकधनं यद् निर्दिष्टमस्ति, तत् बहु न्यूनम् । पुनश्च शासकीयव्यवस्थायाम् अधिकारिणः कार्यं सम्यक् न कृतवन्तः । यौतकं तु धनस्य अपेक्षया भिन्नरूपेण दातुम् आरब्धवन्तः जनाः । यथा उपहारः, सुवर्णम् इत्यादि । पुनश्च पुत्र्याः पितुः बहु आग्रहः भवति स्म । अधिनियमे एतत् सर्वमपि अन्तर्गतं नैव आसीत् । सामाजिकगौरवात् पुत्र्याः पितरः अपि न्यायालयं गन्तुमपि न इष्टवन्तः । न्यायालयेषु प्रक्रिया अतीव दीर्घा भवति । कालः बहु गच्छति । कदाचित् आधारः नोपलभ्यते । न्यायव्यवस्थायां शासने च भ्रष्टता दरीदृश्यते येन दुष्टाः दोषरहिताः इति निर्णीयते ।

- **सामाजिकन्यूनताः**

नवदश-विंशतिः शतमाने समाजे बहूनि परिवर्तनानि सञ्जातानि । आधुनिकतायाः आरम्भः अत्यन्तं त्वरितगत्या अभवन् । तस्मात् विलासीजीवनं कर्तुम् आरब्धवन्तः । प्रापञ्चिकेषु विषयेषु आदरभावं दर्शयितुम् उत्सुकाः अभुवन् जनाः । तस्मात् यौतकस्यापि आग्रहः अधिको जातः । समाजे यौतकस्य अतीव स्वीकारार्हं जातः । विलासीजीवनम्, धनस्य गौरवः,

उच्चस्तरीयजीवनम् इत्यादयः समाजस्य मौल्यस्थानमलङ्कृताः। यौतकस्य दानं स्वीकृतिः च समाजे गौरवस्य विषयः अभवत्। यदि युवकस्य पितरः यौतकं स्वीकर्तुं न इच्छन्ति तर्हि तत् अवमाननमिव, तच्च न्यूनता इति परिगणनं कुर्वन्ति स्म।

युवतेः पितरः स्वपुत्र्याः सुखम् इच्छन्तः यदि योग्यो वरः लभ्यते एवञ्च सः आर्थिकदृष्ट्या उत्तमः चेत् तर्हि यौतकं दत्त्वा स्वपुत्र्याः रक्षणं करोतु इति पृच्छन्ति। तासां शिक्षणापेक्षया यौतकप्रक्रियायामेव आसक्तिः अधिकाभवत्। कन्याः अपि तथैव वर्धितवन्तः, येन ताः विवाहः, पतिः, पुत्राः जीवनम् इत्येव चिन्तनं कर्तुम् आरब्धवत्यः। सापि कन्या विश्वासं कर्तुम् आरब्धवती यत् स्वस्याः पितरः अधिकाधिकं सुखं दापयन्ति इति।

१.७.९ परिहारोपायाः –

सर्वमेतत् मनसि निधाय यौतकस्य मूलभूतकारणानि ज्ञात्वा यौतकात् रक्षणं तस्य निवारणार्थं च उपायाः प्राप्ताः।

- **शासकीयसाहाय्यम्** – अधिनियमेषु यत्र न्यूनताः आसन्, तेषामधिनियमानां त्यागः। अत्यन्तं कठोररूपेण नूतनाधिनियामानां पुनरानयनम्। तेषां च समाजे अनुष्ठानम्। ये च यौतके भागं गृह्णन्ति, तेषां विषये विचारः। एतदतिरिच्य कुटुम्बस्य गौरवः, सामाजिकगौरवः इत्यादीनां विषये अप्रामुख्यत्वम्।
- **सामूहिकान्दोलनानि** – यो कुटुम्बः नूतनविवाहितायाः पीडां ददाति सः च बहिष्कृतः भवेत्। देहली-मुम्बई इत्यादिनगरेषु महिलसंघटनाः यौतकं विरूध्य प्रतिभटनां कुर्युः। जनाः सक्रियाः भूत्वा भागं गृह्णीयुः। जनाः पार्श्वस्थेषु गृहेषु यदि यौतकस्य चर्चा भवति, तर्हि तद्विषये आरक्षकालये वार्तां दद्युः।
- **जनेभ्यो शिक्षणम्** – यौतकस्य विषये जनाः सम्यक् प्रबोधनीयाः। यौतकस्वीकारः इति पापस्य विषयः भवेत्। शालासु छात्राः एतद्विषये बोधनीयाः। नूतनतया विवाहिताः यौतकम् अगृहीत्वा ते सम्मानर्हाः भवन्ति। तेभ्यो सम्माननं करणीयम्।
- **स्वयंनिर्धारः** – प्रत्येकं युवकः युवती च प्रतिज्ञां कुर्यात् यत् यौतकं विना विवाहं करोमि इति।
- **अन्तर्जातीयविवाहः** – अन्तर्जातीयविवाहार्थं प्रोत्साहं दद्युः। समाजे गौरवभावेन अन्तर्जातीयविवाहं जनाः पश्येयुः।
- **महिलाभ्यो शिक्षणम्** – मुख्यतया महिलाभ्यो शिक्षणम् अत्यन्तम् अनिवार्यम्। आर्थिकदृष्ट्या ताः स्वतन्त्राः भवेयुः , अपि च स्वतन्त्राः भवितुं कौशलशिक्षणस्य प्रदानं करणीयम्।
- **मूलभूतपरिवर्तनम्** – मूलभूतपरिवर्तनं प्रवृत्तौ आगच्छेत्। प्रवृत्तिः च यौतकस्य स्वीकारे प्रदाने च। योग्यो वरो नाम आर्थिकदृष्ट्या सबलः इति नार्थः। अपि च युवकाः अपि विलासीजीवनं यापयितुं बहुमूल्यवस्तूनां क्रयणम् इत्यादिं न कुर्युः। अपि तु अवगच्छेयुः ते। यौतकस्य निराकरणपुरस्सरं यदि विवाहिता महिला यौतकात् पीडनम् अनुभवति तर्हि सा विवाहविच्छेदनार्थं प्रेरयेत्।

परिशीलितग्रन्थसूचिः

1.The Indian evidence Act – James fitjems – 1872

2.Introductions to the constitutions of India – durga das basu- 1962

3.Defense against dowry cases – Sumit kumar – 2018

4.Dowry prohibition acts

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

नवादा जिला में मानव संसाधन एवं साक्षरता का विकास : एक भौगोलिक अद्य्ययन

डा० कुश कुमार
एम०एस०सी०, पी०एच०डी०, एम०एड०,
सर जी०डी० पाटलीपुत्र उच्च माध्मिक विधालय,कदम कुआँ, पटना-03

शोध आलेख सार– साक्षरता का सामाजिक आर्थिक महत्व अत्यधिक है विभिन्न देशों में इसे अलग- अलग ढंग से परिभाषित किया गया है| भारत में साक्षरता का अर्थ अपने दैनिक जीवन में साधारण कथन को समझ के साथ उसको लिखने तथा पढ़ने की योग्यता रखने से है | मानव सभी विकास तंत्र के केंद्र में होता है | वह अपनी शिक्षा विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संस्कृति का निर्माण करता है | किसी भाषा में एक साधारण संदेश को समझ कर, पढ़ एवं लिखने सकने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है | साक्षरता को अनेक सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष प्रभावित करते हैं | नवादा जिला की उत्पत्ति पुराने गया जिला से निकालकर 2 अक्टूबर 1972 को हुई | यह जिला पहले पुराने गया जिला का एक अनुमंडल था | इस जिला का क्षेत्रफल 2,494 वर्ग किलोमीटर है | इस जिला के प्रखंडों में साक्षरता दर वितरण की असमानता आर्थिक विकास में विभिन्नता के कारण है | शिक्षा में लैंगिक विभिन्नता के साथ ग्रामीण नगरीय अंतर भी पाया जाता है | जिले में पुरुष स्त्री तथा ग्रामीण नगरों की साक्षरता दर में स्पस्त: असमानता पाई जाती है | केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रयत्न से जिला में साक्षरता दर लगातार बढ़ी है | पिछले वर्षों में साक्षरता दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई है और भविष्य में यह वृद्धि दर तीव्रतर होने की संभावना है |

मुख्य शब्द – मानव संसाधन, साक्षरता, पुरुष स्त्री साक्षरता दर, साक्षरता विकास |

परिचय

साक्षरता की परिभाषा :- भारत में 1951 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति का तात्पर्य चार वर्ष के ऊपर आयु वाले ऐसे व्यक्ति से है, जो कम से कम साधारण पत्र (Iatter) पढ़ लिख सके| वर्तमान समय में भारत में देश की किसी एक भाषा में साधारण संवाद को समझ लेने, पढ़ लेने और लिख लेने को साक्षर माना जाता है | जी० टी० ट्रीवार्था (G.T.Trewartha) के अनुसार अपने देश की भाषा में अपने नाम को

लिख लेने और पढ़ लेने को साक्षर करते हैं | संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार साक्षरता का तात्पर्य अपने दैनिक जीवन में साधारण कथन को समझ लेने के साथ-साथ उसको लिख लेने और पढ़ लेने की योग्यता रखने से है | (U.N.O. defines literacy as the ability of a person to read and write with understanding a short simpie statement of his every day life)

मानव के गुणात्मक पहलू को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है | शिक्षा सामाजिक समस्याओं को समझने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है | यह हमारी योग्यता बढ़ाने एवं विभिन्न समस्याओं के निदान के उपाय का विकास करती है | यह कृषि या उधोग धंधों में लगे व्यक्तियों की कार्य कुशलता में वृद्धि कर अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करती हैं | वस्तुतः आत्म नवीनीकरण की दिशा में भावी आर्थिक जीवन की कल्पनाओ को साकार करने में शिक्षा की उपयोगिता निर्विवाद है, क्योंकि शिक्षा विकास की आत्मा के रूप में आर्थिक और सामाजिक उन्नति का मूलाधार तथा वास्तविक मापदंड है | साक्षरता जनसंख्या का सामाजिक पक्ष होते हुए एक ऐसा गुणात्मक तथ्य है, जो क्षेत्रीय आधार पर परिवर्तनशील सामाजिक- आर्थिक प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है | भारत में किसी भाषा में एक सरल सूचना को पढ़ लिखकर समझ पाने वाले व्यक्तियों को साक्षर के अंतर्गत रखा जाता है | बहुधा एक साक्षर व्यक्ति सीमित परिवेश से बाहर निकल कर सामाजिक और आर्थिक विकास संबंधी प्रवृत्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो | साक्षरता किसी भी क्षेत्र की आर्थिक- सामाजिक तथा राजनैतिक विकास की कुंजी है | (Literacy is considered as a fairly reliable indenx of socio&cultural economic and political advancement)

सामान्यतः यह विविध व्यवसायों एवं श्रमिकों में गत्यात्मकता के लिए वैकल्पिक आधार प्रदान करती है | इसका प्रत्यक्ष संबंध मानव के विचार एवं विवेकपूर्ण निर्णय की क्षमता से है, जिसका प्रभाव सामाजिक- आर्थिक प्रतिरूपों पर पड़ता हैं |

मानव संसाधन (साक्षरता)

मानव सभी विकास तंत्र के केंद्र में होता है | मानव संसाधन सभी संसाधनों में सब से महत्यपूर्ण है | मानव का ज्ञान ही सब से बार संसाधन है | शिक्षा मनाब की चौथी मूलभूत आवश्यकता हैं | मानव अपने ज्ञान के बल पर ही किसी चीज को संसाधन में बदलता है | जिस राष्ट्र य राज्य का मानव संसाधन जितना विकसित होता है वह राष्ट्र या राज्य उतना ही विकसित एवं प्रगतिशील होता है | साक्षरता किसी देश की सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है | इससे किसी समाज की आधुनिकीकरण की मात्रा का पता चलता है | साक्षरता से विवाह, जन्म दर, मृत्यु दर इत्यादि प्रभावित होते हैं | साक्षरता के अनुसार ही जनस्थानांतरण होता है | साक्षरता से विवाह के समय स्त्री की आयु प्रभावित होती है | इसी के आधार पर विकास की योजनाएं और शिक्षा नीति निर्धारित की जाती है | साक्षरता गरीबी दूर करने में सहायक होती है | प्रजातांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए साक्षरता आवश्यक है क्योंकि, इससे स्वतंत्र मानवाधिकार का प्रयोग संभव है |

शिक्षा ही एक सबसे बड़ा तत्व है, जिसके द्वारा आर्थिक विकास कला व विज्ञान संबंधित विकास की प्रगति हो सकती है | बिहार के विभाजन होने के बाद यहां के अधिकांश प्राकृतिक संसाधन खनिज वन इत्यादि नए झारखंड राज्य में चला गया | इस दृष्टिकोण से आज का बिहार बहुत निर्धन हो गया है | परंतु यहां मानव संसाधन की कमी नहीं है | शिक्षा का प्रचार प्रसार कर बंटवारे के बाद के संसाधन की कमी को मानव संसाधन का विकास कर क्षतिपूर्ति किया जा सकता है | वास्तव में मानव संसाधन ही किसी राज्य एवं प्रदेश का सही संसाधन होता है |

नवादा जिला : नवादा जिला की उत्पत्ति पुराने गया से निकालकर 2 , अक्टूबर 1972 को हुई है | नवादा जिला पहले पुराने गया जिला (वर्तमान में मगध प्रमंडल) का एक सब-डिवीजन था | इसके अंतर्गत चार सहर नवादा, वारसलीगंज, हिसुआ,और रजौली, आते हैं |

नवादा जिला का क्षेत्रफल 2,494 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका विस्तार 24 डिग्री 31 मिनट 45 सेकंड से 25 डिग्री 6 ' 45 " उत्तरी अक्षांशों तक तथा 85 डिग्री 17' 20 " से 86 डिग्री 3' 30 " पूर्वी देशांतर के बीच है | इसकी धरातल एक समान नहीं है | उत्तरी भाग लगभग समतल तथा बहुत ही उपजाऊ है | पर दक्षिणी भाग उबड़ –खाबड़ तथा पहाड़ियों और जंगलों की अधिकता के कारण कम क्षेत्र ही कृषि के लिए उपलब्ध है | जिला का दक्षिणी उच्च भूमि दक्षिनी –पश्चिमी भाग में स्थित सिरदला से दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित कौआकोल तक विस्तृत है | इस उच्च प्रदेश के अंतर्गत रजौली का बड़ा भाग तथा कुछ हिस्सा गोविंदपुर तथा अकबरपुर का भी आता है | उत्तरी भाग उपजाऊ काँप मिट्टी द्वारा निर्मित है जिस पर अनेक नदियां जैसे सकरी, धनरजी, ,तिलैया, खूरी , घाघर, प्रवाहित होती है | फसलों के उत्पादन के लिए यहाँ की जलवायु अनुकूल है |

जिले की कुल आबादी -2011 की जनगणना के अनुसार 22,19,146 है ,जिसमें पुरुष जनसंख्या 11,44,668 तथा महिला जनसंख्या 10,7 4,478 है | नवादा जिला दो अनुमंडलो तथा 14 प्रखंडों में विभक्त है | नवादा एवं रजौली 2 अनुमंडल है | जिला मुख्यालय नवादा हैं | जिला में परिवहन के साधनों में विशेषकर सड़क मार्ग का अच्छा विकास हुआ है |

साक्षरता को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व

साक्षरता की वृद्धि और प्रसार क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक आर्थिक अंतर्प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें निम्न मुख्य है :-

1. अर्थव्यवस्था का प्रकार (type of economy)

2. नगरीकरण का स्तर(degree of urbanization)
3. जीवन- स्तर (standard of living)
4. जातीय संरचना(ethnographic set-up)
5. मानव समाज में स्त्रियों की स्थिति(status of woman in the society)

6. मूल्य- प्रणाली(value system)
7. शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता (availability of educational facilities)
8. यातायात और संचार साधनों का विकास(development of the means of communication and transport)
9. तकनीकी विकास का स्तर(level of techonological advancement)
10. सार्वजनिक नीति(public policies).

साक्षरता में विषमता का स्वरूप (Pattern of literacy differentials):

विश्व के विभिन्न देश / राज्य / जिलों में साक्षरता की मात्रा दर में सार्थक अंतर देखने को मिलता है | एक वृहद वर्ग के अंदर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों या समुदायों के शिक्षा तथा साक्षरता में अंतर पाया जाता है |(पंडा 19 88,147) | ये अंतर प्रमुख रूप से चार प्रकार के होते हैं
1 . ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में(In Rural and Arban areas)
2. पुरुष व स्त्री में(In Males and Females)
3 .विभिन्न सामाजिक / धार्मिक समुदायों में(In Different Social/Religious Communities)
4 . विभिन्न व्यावसायिक समूहों में (In different Trade Commenities)
साक्षरता दर(Literacy Rate)
निम्न तालिका में राज्य जिला सीडी ब्लाक के साक्षरता दर को दिखाया गया है

		जनगणना 2001			जनगणना 2011		
क्र०संख्या	राज्य /जिला	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
	बिहार राज्य	47.53	60.32	33.57	63.82	73.39	53.33
	नवादा जिला	47.36	61.22	32.64	59.76	69.98	48.86
1.	नवादा सदर	57.53	69.27	44.25	61.63	71.40	51.09
2.	नारदीगंज	43.91	58.13	28.69	55.13	54.31	35.42
3.	वारसलीगंज	49.50	62.52	35.47	60.87	58.63	41.37
4.	काशीचक	51.33	64.56	36,71	63.61	60.13	44.19
5.	पकरीबरावा	43.56	56.80	29.38	54.12	52.37	35.30
6.	कौआकोल	37.57	51.57	22.52	47.12	46.93	29.19
7.	रोह	42.61	56.16	28.21	59.02	57.32	39.11
8.	गोबिंदपुर	46.78	62.91	30.62	69.91	69.08	54.20
9.	अकबरपुर	46.22	59.78	31.96	60.92	58.25	41.72
10.	हिसुआ	48.58	62.29	34.19	63.18	60.09	43.16
11.	नरहट	53.12	68.55	37.58	62.56	60.78	41.62
12.	मेसकौर	45.44	60.98	29.22	59.28	58.53	38.36

13.	सिरदला	44.34	60.60	27.48	59.70	58.53	38.54
14.	रजौली	45.86	59.79	30.80	58.99	57.40	39.51

स्रोत(source) भारत की जनगणना 2001,भारत की जनगणना 2011

ऊपर के तालिका से स्पष्ट है कि नवादा जिला की कुल साक्षरता दर बिहार राज्य की औसत साक्षरता दर की तुलना में थोड़ा ही कम है | साक्षरता दर आर्थिक स्थिति से बहुत कुछ प्रभावित होती है | यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है | जिला के अंतर्गत प्रखंडों में धरातलीय एवं आर्थिक विषमताओं के कारण साक्षरता दर में अंतर पाया जाता है |

नवादा जिला में साक्षरता वितरण प्रारूप को तीन वर्गों में वांटा जा सकता है

1. कम साक्षरता दर वाले प्रखंड क्षेत्र (50 % से कम):- अध्ययन क्षेत्र में कौआकोल प्रखंड में 50 % से कम साक्षरता दर अंकित है |इस प्रखंड का साक्षरता दर 47.12 % है | इस के अंतर्गत सिर्फ 01 प्रखंड आता है |

2.मध्य साक्षरता दर वाले प्रखंड क्षेत्र (50 से 60% तक) इसके अंतर्गत नारदीगंज ,पकरीबरावा ,रोह ,मेसकौर ,सिरडाला और रजौली प्रखंड आते है | इस प्रकार इसके अंतर्गत 06 प्रखंड आते है |

3. अधिक साक्षरता दर वाले प्रखंड क्षेत्र (60 % से ऊपर) इस अध्यनन क्षेत्र में 60% से अधिक साक्षरता दर वाले प्रखंडों में नवादा सदर, वारसलीगंज, काशीचक, गोविंदपुर, अकबरपुर, हिसुआ ,नरहट प्रखंड शामिल है | इस प्रकार इसके अंतर्गत कुल 07 प्रखंड आते हैं |

पुरुष- स्त्री साक्षरता दर का अंतर

स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में साक्षरता दर कम है , जिसके निम्नलिखित कारण है :-

1.अधिकांश जनसंख्या गरीबी के कारण स्त्री शिक्षा की तुलना में पुरुष शिक्षा को प्राथमिकता देती है |

2. हमारे समाज में स्त्रियों को गृह पक्षी(Home Bird) माना जाता है और उन्हें चाहरदीवारी के भीतर बंद रखा जाता है |

3. हमारे यहां स्त्रियों का दर्जा निम्न है |

4. हमारे राज्य / जिला में बालिका विद्यालयों और अध्यापिकाओ की कमी पाई जाती है |

5. कम उम्र शादी हो जाने के कारण बालिकाओं को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिल पाता है |

6. स्त्रियों की गतिशीलता पर प्रतिबंध होने के कारण गांव में विद्यालय होने पर भी वे पढ़ने के लिए नहीं जा पाती हैं |

7. फिर ऐसे क्षेत्रो में स्त्री अपने पति की संपत्ति मानी जाती है ,जिस कारण माता-पिता उसकी शिक्षा पर खर्च करना नहीं चाहते |

लेकिन वर्तमान समय में सभी वर्गों में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है | प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालय की स्थापना की जा रही है | बालिकाओं की शिक्षा पर सरकार विशेष रूप

से बल दे रही हैं जिसके सुखद परिणाम होने की संभावना है | लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है | शादी के समय शिक्षित लड़की की मांग बढ़ते जाने के कारण उसके माता-पिता द्वारा भी उन्हें शिक्षित किया जा रहा है | (ओझा , 235 -36)

बिहार सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा प्रसार के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं | इसके अंतर्गत साईकिल तथा पोषक योजना शुरू किया गया है | छात्रवृत्तियो में वृद्धि एवं उच्चतम अंक पाने बालों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई है | नौकरी तथा व्यवसाय में स्त्रियों को समान अवसर प्राप्त होने का प्रभाव भी साक्षरता के विकास में सहायक हो रहा है | ग्रामीण लोगों में भी सामाजिक ,आर्थिक व राजनीतिक चेतना जागृत होती जा रही है | सामाजिक परिवर्तन शिक्षा का अधिकार है |

जिला में साक्षरता दर विकास की प्रवृत्ति

नवादा जिला में साक्षरता दर की प्रवृत्ति (1981-2011)

	साक्षारता की दर प्रतिशत में		
वर्ष	कुल	पुरुष	स्त्री
1981	26.50	40.20	12.70
1991	38.96	54.85	21.82
2001	47.38	61.22	32.64
2011	59.76	69.98	48.86

स्रोत (source) भारत की जनगणना 1981 ,1991,2001,2011
भारत की जनगणना 2011

तालिका से स्पष्ट है कि पुरुष तथा स्त्री की साक्षरता दर केंद्रीय , राज्य सरकार के प्रयासों तथा सामाजिक जागरूकता के कारण लगातार बढ़ता गया है |

साक्षरता प्रदेश

साक्षरता दर का जमाव मुख्य रूप से नवादा जिला में नवादा, वारसलीगंज ,हिसुआ ,अकबरपुर और नरहर में हैं |

निष्कर्ष

शिक्षा का महत्व हमेशा से रहा है | बिहार में विभाजन होने के बाद यहां के अधिकांश प्राकृतिक संसाधन ,खनिज ,वन इत्यादि नए झारखंड राज्य में चले गए | इस दृष्टिकोण से आज का बिहार बहुत निर्धन हो गया है, परंतु यहां मानव संसाधन की कमी नहीं है | शिक्षा का प्रचार -प्रसार कर बंटवारे के बाद संसाधन की कमी को मानव संसाधन का विकास कर क्षतिपूर्ति किया जा सकता है | वास्तव में मानव

संसाधन ही किसी राज्य / प्रदेश का सही संसाधन होता है | किसी देश / राज्य की सामाजिक विकास, आर्थिक प्रगति तथा राजनैतिक प्रौढ़ता उनके नागरिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर आधारित होता है | शिक्षा के प्रसार से ग्रामीण तथा नगरीय अर्थव्यवस्था तथा विकास की प्रक्रिया में सुधार की अधिक अपेक्षाएं संचित है |

संदर्भ

1.ओझा , रघुनाथ, जनसंख्या भूगोल (कानपुर, प्रतिमा प्रकाशन) पृष्ठ 235-36
2.पंडा , बी० पी० (1988), जनसंख्या भूगोल (भोपाल,मध्यप्रदेश, हिंदी ग्रंथ अकादमी) पृष्ट 147
3. भारत की जनगणना, 2011, बिहार जनसंख्या के अंतिम आंकड़े पृष्ठ 162
4.चंदना, आर० सी०(2005), ज्याग्राफी ऑफ पोपुलेशन, नई दिल्ली, कल्याणी पब्लिशर्स , पृष्ठ संख्या 331
5.लाल,एस०(1989),जनसंख्या भूगोल, (गोरखपुर,वसुंधरा प्रकाशन) पृष्ठ 190
6.मिश्रा डी०- समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन- एक भौगोलिक अध्ययन (जनपद जॉनपुर उत्तरप्रदेश) पृष्ठ 72 .

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

Caste Politics in India

Rupesh Kumar
M.A. Political Science
Jamia Millia Islamia,
New Delhi, India

ABSTRACT

Caste is an integral part of Indian society. Caste is almost present in every political and social process in India. Caste has played both integrative and disintegrative role in Indian society. Identity politics has lead to emergence of caste in electoral politics. Some scholars see rise of caste in political process as a factor which has strengthened the democracy in India, because a large section of people come out to cast their votes to support their candidates who belongs to their caste. Caste based politics gave voices to those section of people who were underrepresented .While on the other hand many scholars see caste as a disintegrative factor for long term development of Indian society. They are opined of instead of caste, development should be an integrative factor in Indian political system. It is reality of our Indian societies that caste has deeply rooted in almost every aspect of our life. Many political parties have been emerged along the caste lines. Their whole politics is based on their caste group instead of developmental politics. Our many public policies are caste driven ,while at same time we are trying to make caste free Indian societies. In contemporary time in electoral politics caste has entrenched too much. Political parties give ticket to candidates keeping the caste equations . Even the composition of council of ministers are formed along keeping all type of caste calculated cost-benefit. Dr.Ambedkar in a constituent assembly debate had said that caste is not a positive factor for development of Indian societies.

Keywords: Politicisation of Caste, Democratic Values, Instability, Vote Bank Politics.

INTRODUCTION

It is said that Indians do not cast their votes, they vote their caste. Christophe Jaffrelot writes caste form the mosaic of Indian politics. Caste word has been derived from the Portuguese word *casta* which mean pure race. There is no exact translation of word *jaati* in English word. caste is hereditary determined, it comes attached with birth. Caste has become the essence of Indian society. Caste system is based on the purity and pollution concept. Caste system is not only present in Hindu but it also crept into Muslims, Christians, Sikhs. Caste is so deep rooted in Indian society ,caste has become essential features of Indian societies. It has become identity of Indian society.

Indian society are mainly divided in four varnas these are Brahim, Kshatriysa, Vaishya, Shudra. Within a varna there are different castes. There are different perspectives regarding origin of caste system in India Manu Smriti writes all four varnas are born from different body parts of a virat purush (Lord Brahma) . Brahmin originated from mouth of Brahma who performs the functions of priest and teachers. Kashtriya was born from arm of Lord Brahma ,who is a warrior class. Vaishya was born from thigh of Lord Brahma who is a merchant and traders class. Shudras was born from feet, who are peasants and labourers and those who did not come under above mentioned four varnas they were untouchables. If anyone come in contact with untouchables they were considered polluted.

Mahatma Gandhi is of opined that originally varna system was based on functional specialisation and there was mobility among varnas, but at the time of moral degradation of Hinduism caste discrimination like concept of untouchable entered.

Dr.B.R.Ambedkar writes about the origin of caste system is a conspiracy of Brahmin class against rebel Kshatriya class who challenged the hegemony of Brahmin, few among Kashtriya are Gautam Buddha and Jaininism like Mahavir Jain. To separate them Brahminism started upnayan and became vegetarian as a symbol of purity and started discrimination against those who did not perform upnayan and eating meat . this division became very deep in hundreds of years and practise of discrimination against lower caste by upper caste became a part of caste system.

CASTE AS INTEGRATIVE AND DISINTEGRATIVE FORCE IN POLITICS

Different scholars have worked on caste system in India like Louis Dumont. He treats caste and class two different things. Dumont writes class of a person is determined by their economic status, education, power. He says caste is based on birth whereas class is based on worth and merit. Caste is a rigid system,whereas there is mobility in class

M.N.Srinivas challenged Louis Dumont's view that caste and class is two different things. M.N.Srinivas is opined of there is not much difference between caste and class. Class is also rigid and based on birth . he gave the concept of dominant caste . According to him dominant caste are those caste which have numerical majority and ownership of land. Many OBCs are dominant caste .There are different dominant case in different regions for example Yadav in Uttar Pradesh and Bihar, Marathas in Maharashtra, Reddys, Kammas and kapus in Andhra, Lingayat and Vokkaligas in Karnataka, Jats in Haryana.

Caste was also a prime factors in politics even before independence. There were many parties which were represented different castes like congress was considered party of upper caste like Brahmin, and Vaishyas. Republican party of India was representing the Dalits. DMK was party of OBC of South India.

Pandit Nehru held that casteism and communalism are the greatest threat for integrity of India. Nehru tried his best to suppress the casteism and communalism, but he could not get success. One reason of this was in

Indian constitution many articles and provisions were solely based on caste particularly the affirmative action(reservation)mentioned in the constitution. This affirmative actions lead to emergence of consciousness of caste identity. Andre Betille observed that at one side Nehru asks about eradication of caste identity from societies while on the other hand he included caste in his policy of governance.

On the other hand scholars like Rajni Kothari see caste in positive sense, caste as an instrument to bring positive changes in some sections of society particularly among Other Backward Class and scheduled caste . He sees caste as a factor which has strengthened democracy in India. On the basis of caste people are mobilised. India is a prismatic society where caste has been an integrative force .In India where a section is illiterate, they do not understand the essence and purpose of election but they come out to cast their vote for their candidate who belong to their caste.

Prof. Yogendra Yadav also thinks that caste has strengthened the Indian democracy. He considers caste behind the democratic upsurge. As consciousness of caste identity increased among people. It makes them more aware about their caste, they started using their caste as an assertive identity. Many caste groups have formed their political parties on the basis of political equations. Caste became prevalent in later phase more particularly after 1980s.

After implementation of Mandal Commission Report a new section strongly emerged,it was Other Backward Class. It led to division of Hindus castes, in response to this BJP tried to consolidated Hindus on basis of politics of Hindutva. This party started Rath Yatra from Somnath to Gujarat, which ultimately lead to demolition of Babri Mosque.

Many regional parties were solely formed on the basis of caste equations like in Bihar and Uttar Pradesh the combination of Muslim and Yadav (MY Equation) led to the formation of government by Samajwadi Party in Uttar Pradesh and Bihar respectively some other caste equations were made by regional parties in other different state of India to come power.Coalition like AJGAR (Ahir,Jaat,Gurjar,Rajput) by Sir Chottu Ram, later on by Choudhary Charan Singh. This is how politics of caste has integrated different caste, which could not be integrated by social reformers of India .

Many scholars did not see caste as a positive factors for development of Indian societies in long term. C.P.Bhambri is of opined if one political parties tries to mobilise voters on caste lines then other political parties try to mobilise voters on religious line and this ultimately leads to disintegration of societies. Example of this is, after implementation of Mandal Commission,V.P.Singh tried to make vote bank politics of other backward class ,in response to Mandal Commission,BJP started the issue of Ram Temple in Ayodhya.

Other negative factor of caste based politics is that political parties easily manipulate voters by emotional appeal to caste vote in their favours. Political parties know that, they are going to get votes on caste based pattern so they don’t care much for development, they are busy only in making caste equation at the time of election. Voters also strongly associate themselves with the caste of contesting candidates. It reduces the accountability of representative, because they think that they can win by consolidating votes of some caste, so

they do not pay attention on development. Other negative aspect related to caste politics is that it also brings instability in government. Many times due to some caste issues, ministers from that particular caste gives resign to show solidarity with people of his or her caste and vote bank politics, it may bring instability in government particularly in coalition government. Within, political parties ,many important posts of party are given, in keeping caste of post bearer in background.

Election commission is responsible to conduct free and fair election. There are many provisions in The Representation of People Act 1951, and Model code of conduct which prohibit candidate to ask voters to give votes in the name of caste and religion. In reality there are many loopholes in these provisions .It has failed to curb the menace of political parties from manipulation of voters' caste in election. There is urgent need to address the loopholes of The Representation of People Act 1951 along with new laws to prevent use of caste in elections.

CONCLUSION

Caste has deeply rooted in our societies. Too much assertive on caste based identity politics is certainly going to hamper our development, instead of strengthening our democracies . Caste based electoral politics kill the spirit of democratic values. Caste based politics may lead to hatred in our societies among different caste group of societies. Political Parties always tries to get benefit by manipulating the voters. We should not forget what Dr.Ambedkar has written in his book Annihilation of Caste .He writes caste has killed the public spirit. Caste has taken away the sense of charity .caste has made public opinion impossible , virtue has become caste ridden, morality has become caste bound, this is what we feel today in caste ridden societies. This is very sad thing that role of caste is increasing day by day. Caste and politics both influences each other. This will certainly going to be a hurdle for our country's development. There is need to give value education to children so that in future they will not give undue importance to their caste. Increasing literacy rate of people will also help in reducing the values of caste in societies. There is need of awareness among voters to prevent their manipulation during time of election by candidates and political parties. It is also expected from political parties that they should not see election as an opportunity to gain power by winning through any immoral means. Political parties should not forget what Mahatma Gandhi has said that politics should not be separated from ethics. Elected representatives must think that they are representative of people, if they do politics of caste for power game ,then he or she is not doing justice with themselves and people, and ultimately weakening the democracy of India. We must strive to save idea of India.

REFERENCES

[1]. Fadia,B.L, Indian government and Politics, Sahitya Bhawan Publication,2010
[2]. Kothari,Rajni, Caste in Indian Politics , Orient Blackswan Publication ,2010
[3]. Kothari,Rajni, Politics In India , Orient Blackswan Publication,2012
[4]. Kothari,Rajni, Politics and People:In search of a humane india,Apex Prs publisher,1989
[5]. Rudolph,L.I, & Rudolph,S.H, The modernity of Tradation:Political development in india , University of Chicago Press ,1967

[6]. Yadav, Yogendra, Suri,K.C, Shastri,Sandeep ,Electoral Politics in India Loksabha Elections in 2004 and Beyond ,Oxford Piblication ,2009
[7]. Jaffrelot,Christophie, The Caste based mosaic of Indian Politics, Seminar,University Of Toronto Press ,2012
[8]. Ambedkar,Dr.B.R, Annihilation of Caste, Rupa Publication, 2015
[9]. Ambedkar,Dr.B.R,,Who were Shudras, GautamBook Centre,2017
[10]. Frankel,R.Francine, Hasan,Zoya, Arora,Balveer, Bhargava,Rajeev, Transforming India, Oxford Publication ,2000
[11]. Palshikar,Suhas, Suri,K.C, Yadav,Yogendra Party Competition and Indian States , Oxford Press 2014
[12]. Dumont,Louis,Homo Hierarchicus:The Caste System and Its implications, University of Chicago,1981
[13]. Dumobt,Louis, Religion, Politics and History in India,Collected Papers in Indian Sociology,Cambridge University Press,1970

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

भागवतधर्मः पाञ्चरात्रञ्च

डॉ० नवनीता
A-21, बैंकमेन्स कॉलोनी,
चित्रगुप्तनगर, कंकरबाग
पटना, बिहार, भारत

सारांशः - भारतवर्षम् धर्मप्रधानदेशः वर्तते। हिन्दुधर्मे भगवान् विष्णुः पूज्यतमः देवः मन्यते। श्रीकृष्णः विष्णोः अवताररूपेण स्वीकृतः। कालान्तरे यदुकुले वसुदेवपुत्रः वासुदेव श्रीकृष्णः भागवतधर्मे प्रमुखदेवरूपेण प्रसिद्धः जातः। मथुराक्षेत्रे सात्वतजातीयाः वासुदेवधर्मस्यापरनामधेयस्य वैष्णवधर्मस्य प्रचारं-प्रसारं कृतवन्तः। श्रीकृष्णाराधनात् प्ररभ्य एषः सम्प्रदायः कालान्तरे भागवतधर्मे पाञ्चरात्रे च विभक्तः। अस्मन् सम्प्रदाये सर्वेषां मानवानां कृते ईश्वरप्रप्तेः अधिकारः विहितः वर्तते।

प्रमुख शब्दाः - भागवतधर्मः, पाञ्चरात्रः, व्यूहः, श्रीकृष्णः, वैष्णवः, सात्वतजातिः, मथुराक्षेत्रे, परमभागवतः, ईश्वरप्राप्तिः।

भारते वर्षे धार्मिकसम्प्रदायेषु वैष्णवधर्मः प्रधानः व्यापकश्च वर्तते। भगवन्तं विष्णुम् आराध्यं मन्यमानाः जनाः वैष्णव इति कथ्यन्ते। अयं धर्मः देवकीपुत्रेण कृष्णेन विशेषतया पोषितः। भगवान् विष्णुः कृष्णस्य कुलदेवः आसीत्। स्वस्य असाधारणस्य व्यक्तित्वस्य हेतोः कृष्णोऽपि शीघ्रमेव देवरूपः परिकल्पितः कालान्तरेण च विष्णोरवताररूपेण गृहीतो जनैः। भगवतः विष्णोः कृष्णस्य च सामञ्जस्यमिदं कृष्णस्य भगवद्रूपेण कल्पने हेतुभूतं जातम्। अत्रैव आनन्दस्य शाश्वतः उत्सः प्रकल्पितः।

पाणिनेः काले (500 ई. पू.) एव कृष्णस्य भगवत्स्वरूपं निरूपितं बभूव। यतः तस्य सूत्रविशेषे **'वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन'**[1] इत्यत्र **'सोऽस्य भक्तिः'** इत्यधिकारे दर्शिते ज्ञायते यत् वासुदेवशब्दात् अस्य भक्तिः इत्यस्मिन् अर्थे वुन् प्रत्ययो जायते। तस्य प्रत्ययस्य च **'युवोरनाकौ'**[2] इति सूत्रेण अकादेशः। अतः वासुदेवो भक्तिरस्य इति विग्रहे वासुदेव इति शब्दः सम्पद्यते।

पाणिनिकाले एव कृष्णमूलकः अयं भागवतधर्मः प्रवृत्तः आसीत्, तस्यानुयायिनश्च बहुसंख्यकाः आसन् इति अनुमितं भवति। यस्मिन् वंशे कृष्णः जातः तस्य संज्ञा सात्वतः इति आसीत्। एते सात्वताः एव मूलरूपेण वासुदेवकाः आसन्। शतपथब्राह्मणे[3] ऐतरेयब्राह्मणे एतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सात्वतां राजानो भोज्यायैव ते अभिषिच्यन्ते।[4] च सात्वतजातीनाम् उल्लेखो लभ्यते। इमौ ब्राह्मणग्रन्थौ सात्वत-जातीनां स्थितिः, उत्तरक्षिणयोः उभयोः दिशयोः स्वीकुरुतः। अनेन ज्ञायते यत् मथुराक्षेत्रं परितः इतस्ततः भारते यदुवंशिनः व्यप्ताः अभवन् सात्वत्नाम्ना च ज्ञायन्ते स्म। ते एव कृष्णस्य भगवत्-तत्त्वं प्रसारितवन्तः। वासुदेवधर्मः एव भागवतधर्मरूपेण भारतवर्षे प्रचलितः। अत्र एकैकस्य जनस्य ईश्वरप्राप्तेरधिकारः प्रतिश्रुतः इति विशेषः।[5]

भगवन्तं श्रीकृष्णं प्रति यस्य कस्यापि श्रद्धाभावो समादरो वा वर्तते सः भागवतः इति अभिहितः। सोऽयं शब्दः भक्तस्य पर्यायो जातः। भारतस्य केचन राजानस्तु आत्मानं 'परम् भागवतः' इत्यपि घोषितवन्तः अभिलेखेषु इति विदितमेव पुरातत्त्वविदाम्।

150 ई॰पू॰ कालस्य बेसनगराभिलेखे यूनानीक्षत्रपः हेलियोदोरस इति नामा अपि आत्मानं परमभागवतमिति कथयति। अनेन सूच्यते यत् वासुदेवधर्मः (भागवतधर्मः) विदेशिनः अपि प्रभावितवान्। एते वैदेशिकाः राजानः नूनमेव सात्वतेभ्यः भिन्नाः आसन् किन्तु भगवतः भक्तौ गृहीतादराः।

यूनानदेशीयः यात्रिकः मेगास्थनीजोऽपि कथयति यत् शूरसेन (मथुरा) निवासिनः हरिभक्ता आसन्। तस्य काले (चतुर्थशतके ई॰पू॰) वासुदेवधर्मः भारतस्य मध्यभागे लोकप्रियः आसीत्। किञ्च चतुर्थशतके ईसवीये उद्भूताः गुप्तनरेशाः परम्-भागवत् इत्युपाधिना विभूषिताः सन्तः वैष्णवधर्मं भारतस्य राष्ट्रधर्मेन भूषितवन्तः। विभिन्नैः विरोधिभिः मतवादिभिः भूयोभूयः खण्डितोऽपि वैष्णवधर्मः देशे दृढ एव स्थितः।

वैष्णवधर्मस्य (भागवतधर्मस्य) कालान्तरे संप्रदायेषु विभाजनमपि अजायत स्वाभाविकमिदं वर्तते। तमिलवासिनः सन्तः महात्मानः अनेन धर्मेण अत्यन्तं प्रेरिताः। वस्तुतः भागवतधर्मे एतादृशी जीवनीशक्तिः वर्तते यत् मानवमात्रे रूढायाः आध्यात्मिकबुभुक्षायाः शान्तिं कर्तुं प्रभवति।

अथ भागवतधर्मस्य अपरा शाखा-परम्परा दक्षिणभारते पाञ्चरात्रनाम्ना उद्भूता। अस्याः उद्भवः प्रायेण तृतीयशतके ई॰पू॰ काले मन्यते। पाञ्चरात्रधर्मे मन्यते यत् विश्वस्य बीजं प्रलयरूपेण भगवति वासुदेवे समाहितम्। भगवतः षड्गुणाः सन्ति- ज्ञानम्, ऐश्वर्यम्, वीर्यम्, शक्तिः, बलम् तेजश्च। एतेषु त्रीणि युगलानि सन्ति- ज्ञानं, बलं च ऐश्वर्यं च, शक्तिः तेजशचेति। एतानि युगलानि व्यूहनाम्ना ज्ञायन्ते। ऐते त्रयो व्यूहाः क्रमशः संकर्षणः, प्रद्युम्नः, अनिरुद्धः इति सन्ति। एतेषां त्रयाणां व्यूहानाम् उपरि वासुदेवनामको व्यूहः। एवं चत्वारो व्यूहाः पाञ्चरात्रे स्वीकृताः। सर्वे कृष्णस्य परिवाररूपाः। चतुर्व्यूहसिद्धान्तोऽयं पाञ्चरात्रधर्मस्य लक्षणम्।

केचन जनाः भागवतधर्मं पाञ्चरात्रञ्च एकमेव मन्यन्ते। किन्तु एषा स्थितिः नास्ति। भाष्यकारः शंकराचार्यः यदा व्यूहसिद्धान्तस्य खण्डनं करोति तदा नेदं खण्डनं भागवतधर्मस्य, अपितु पाञ्चरात्रस्य एव मन्तव्यम्।

ऋग्वेदस्य पुरुषसूक्ते एव भागवतधर्मस्य पाञ्चारात्रस्य च उद्गमः वर्तते। किञ्च शतपथब्राह्मणे (13.6.1.1) प्रतिपादितं यत् पुरुषसूक्तस्य साक्षात्कर्ता नारायणऋषिः पाञ्चरात्रनामकं यज्ञमनुष्ठितवान्। तेन च सर्वोच्चसत्तां लब्धवान्। एवम् आराध्याराधकयोः एकीभावस्य यः दृष्टान्तः विष्णुकृष्णरूपेण लभ्यते स एव नारायणऋषिः विष्णोश्च उदाहरणे प्राप्यते।

भागवतधर्मः भगवन्तं कृष्णं परमेश्वरं मन्यते किन्तु पाञ्चारात्रमते नारायणो विष्णुः परमेश्वरः इति गृह्यते।

वैष्णवधर्मस्य इमे शाखे इदम्प्रथमतया तैत्तिरीयारण्यके परस्परम् एकीभूते लभ्येते। तत्र कश्चन गायत्रीमन्त्रः निर्दिष्टः यत्र नारायणो वासुदेवश्च उभौ विष्णुरूपौ गृहीतौ-

नारायणाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि।

तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥[6]

अनेन प्रतीयते यत् एतस्य आरण्यकस्य काले भागवत–पाञ्चरात्रधर्मौ किञ्चित्कालं यावत् वैष्णवधर्मस्य सामान्यधारायां परस्परं संघटितौ बभूवतुः। पाञ्चरात्रमतस्य उद्भवविषये मतविशेषः ईश्वरसंहितायां लभ्यते। तदनुसारेण शुक्लयजुर्वेदस्य काण्वशाखायाः पाञ्चरात्रः उद्गतः। तत्र एकः मन्त्रः लभ्यते –

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।।[7]

अत्र मोक्षस्य एकः एव मार्गः परमेश्वरस्य ज्ञानमात्रं वर्तते। ईश्वरसंहिता ज्ञापयति यत् नारायणऋषेः पाञ्चरात्रमतस्य दृढः आधारः वैदिकसाहित्ये एव वर्तते। महाभारते पाञ्चरात्रमतस्य उद्गमः निर्दिष्टः। शान्तिपर्वणि (339.11–12) निरूपितं यत् चतुर्णां वेदानां सांख्ययोगस्य च समावेशेन नारायणीयोपनिषद् एव पाञ्चरात्रं कथ्यते। अपि च नारदपाञ्चरात्रानुसारेण अस्मिन् मते पञ्चविषयाणां रात्रं ज्ञानं समाविष्टमस्ति। एते विषयाः सन्ति – क्रमः, मुक्तिः, भोगः, योगः, संसारश्च। अतएव पञ्चरात्रं पाञ्चरात्रं वा मतमिदं कथ्यते। अपरत्र शतपथब्राह्मणे (13.6.1) प्रतिपादितं यत् पञ्चसु रात्रिषु अस्य धर्मस्य व्याख्या कृता असीत् इति। [(8)]

वस्तुतः पाञ्चरात्रमतं भागवत्धर्मादनन्तरमेव विकसितम्।[(9)] भागवते नारायणीये श्लोकोऽयं लभ्यते–

साख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदारण्यकमेव च।

ज्ञानान्येतानि ब्रह्मर्षे लोकेषु प्रचयन्ति च।।[10]

एतस्य नारायणीयस्य विकासात् पूर्वमेव भागवतधर्मः प्रचलितः। भगवद्गीता महाभारतस्य तादृशः अंशः वर्तते यत्र कृष्णस्य वासुदेवस्य अदेशरूपेण भागवतधर्मस्य प्रथमः प्रकाशो जातः। अपरत्र नारायणीयं तु पाञ्चरात्रमतस्य प्रतिनिधिः।

निष्कर्षतः अद्यत्वे विद्वांसः विचारयन्ति यत् भागवतधर्मे पाञ्चरात्रगते च निम्नांकितेषु विषयेषु मतभेदो वर्तते–

1. छन्दोग्योपनिषदः कृष्णवासुदेवेन संस्थापितः भागवतधर्मः वैदिकपरम्पराम् आश्रयते। अपरत्र पाञ्चरात्रमतं वैदिकपरम्परातः न निर्गतं वर्तते।
2. भागवतधर्मः गीतायां प्रतिपादितः यत्र चातुर्वर्ण्यव्यवस्थायां विश्वासो वर्तते। पाञ्चरात्रमते चातुर्वर्ण्यव्यवस्थायाः उपेक्षा वरिवर्ति।
3. गीतायां प्रतिपादितो भागवतधर्मः धर्मस्य विषये धर्मसूत्राणि आश्रयते यानि च वैदिकानि सन्ति। अपरत्र पाञ्चरात्रधर्मे एतदर्थमेव स्वकीयानां संहिताग्रन्थानां स्वतन्त्रः विकासः कृतः।
4. उभयोः मतयोः मन्त्रौ पृथक्–पृथक् स्तः। भागवतधर्मे मन्त्रोवर्तते – **ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।** अपरत्र पाञ्चरात्रमते मन्त्रो वर्तते **ॐ नमो नारायणाय।**
5. भागवतधर्मे अवतारसिद्धान्तः प्रमुखः। पाञ्चरात्रमते चर्तुव्यूहसिद्धान्तः एव मन्यते। एते व्यूहाः वासुदेवः, संकर्षणः प्रद्युम्नः, अनिरुद्धश्च।
6. भागवतधर्मे शिवस्यापि देवेषु स्थानं वर्तते। किन्तु पाञ्चरात्रमते नारायणविष्णुरेव प्रमुखः।

7. भागवतधर्मः एकतत्त्ववादी वर्तते। किन्तु पाञ्चरात्रं द्वैतवादम् ऊररीकरोति।

सत्स्वपि उक्तेषु मतभेदेषु उभौ धर्मौ परस्परं नानासिद्धान्तान् स्वीकुर्वन्ति। यथा भागवतधर्मः अवतारवादे पाञ्चारात्रस्य व्यूहसिद्धान्तम् आत्मसात् करोति। विष्णुपुराणं पाञ्चरात्रमतेन प्रवर्तमानं लक्ष्मीपूजां विधत्ते। पाञ्चरात्रमते प्रकारान्तरेण अवतारवादः, वासुदेवपूजा, गीतायाः महत्त्वं चेति स्वीकृतम्। नारदेन शण्डिल्येन च स्वं-स्वं भक्तिसूत्रं लिखितम्। तत्र नारदः भागवतधर्मस्य प्रतिनिधिः शाण्डिल्यस्तु पाञ्चरात्रमतस्य। नारदस्य भक्तिसूत्रं भागवत्पुराणेन सुतरां सम्बद्धमस्ति।

इत्थं कथयितुं शक्यते यत् उभयोः वैष्णवधर्मयोः यद्यपि सैद्धान्तिकं वैचारिकं च मतभेदः वर्तते परन्तु द्वयोः आराध्यः देवः समानः वर्तते अतः तयोः परस्परमन्तः प्रभावः परिलक्ष्यते। वस्तुतः कृष्णस्य पूजापद्धतिः उपासना च अनयोः द्वयोः कारणेन संसारे प्रचलिता वर्तते।

सन्दर्भ ग्रन्थः-

1. अष्टाध्यायी - 4.3.98
2. अष्टाध्यायी - 7.1.1
3. शतपथब्रह्मणम् - 13.5.4.21
4. ऐतरेयब्रह्मणम्-8.3.14
5. S. Bhattacharya - The Philosophy of Srimad Bhagavet Vol-2, Intro. P..9
6. तैत्तिरीयम् आरण्यकम् - 10.1.6
7. वाजसनेयीसंहिता - 31.18, श्वेताश्वतरोपनिषद् -3.8
8. हिन्दी साहित्यकोश : खण्ड-1 पृ. 582
9. Bhattacharya Philosophy of Bhagavata, vol-1, Intro P-12
10. शान्तिपर्व- 349.1

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

भारतीय संस्कृति में मानवीय मूल्यपरक शिक्षा की उपयोगिता

डॉ. अश्विनी कुमार
“भूतपूर्व शोधच्छात्र”
संस्कृतविभाग, कलासंकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश – संस्कृत वाङ्मय तो मानव मूल्यों की अक्षय निधि बतलायी गयी है और उसमें भी ‘वेद’ मानवीय मूल्यों की उद्गमस्थली पहले से ही रही है। विश्व वाङ्मय साहित्य का कोई ऐसा साहित्य नहीं, जो मानवीय-मूल्यों का संधारक न हो। विभिन्न भाषाओं का बाह्य कलेवर मानवीय मूल्यों के शाश्वत व चिरंतन सिद्धान्तों का ही चित्रांकन करता है तथा विश्वग्राम के जयघोष से मानवजाति को एक सूत्र में सूत्रित होकर “उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्” भावना को चरितार्थ करता है। जो शिक्षा मानव जाति को मात्र सुविधा व भोग-उपभोग के संसाधन को उपलब्धता कराती हो, वह शिक्षा मूल्यपरक नहीं मानी जा सकती। समस्त शिक्षा का मुख्य प्रयोजन तो मानवीय मूल्यों का समुचित रूप से विकास करना व कराना है।

मुख्य शब्द - देववाणी, मानवीय मूल्य, विश्व-बन्धुत्व, पुरुषार्थ, त्रिवर्ग, निष्काम कर्म, सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय प्रगति, सभ्यता तथा संस्कृति इत्यादि।

विश्व साहित्य वाङ्मय में प्राचीन समय से ही देववाणी संस्कृत मानवीय मूल्य की सम्पोषक, समृद्ध ज्ञानराशि एवं विश्व-बन्धुत्व की उदात्त भावनाओं की पोषिका के कारण भारतीय संस्कृति और समाज का सर्वोत्तम स्थान रहा है। श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों के द्वारा श्रेष्ठ समाज का आविर्भाव होता है और वह श्रेष्ठ समाज श्रेष्ठ मानव का निर्माण करता है। समाज व मानव निर्माण का यह कार्य एक दिन में न होकर अनन्त समय से आपसी समझ-बुझ, अनुभवों के माध्यम से समयान्तराल से होता आ रहा है और अग्रिम युगों तक होता रहेगा। मानवीय मूल्यों को समझने से पहले वास्तविक रूप से पहले मूल्य क्या है? इसे पहले समझना और समझाना आवश्यक है।

GISRRJ192414 | Received : 03 March 2019 | Accepted : 20 March 2019 | March-April-2019 [2 (2) : 50-56]

"मूल्य" शब्द का प्रादुर्भाव संस्कृत के 'मूल' शब्द में 'यत्' प्रत्यय के संयोग से होता है । मूल्य का शाब्दिक अर्थ है- उपयोगिता, वान्छनीयता एवं महत्त्व । सामान्यतः किसी भी समाज में जिन आदर्शों को महत्त्व दिया जाता रहा है और जिनसे उस समाज के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित एवं नियन्त्रित होता है, उन्हें उस समाज के मूल्य कहते हैं । परन्तु भिन्न-भिन्न अनुशासनों में इन्हें भिन्न-भिन्न रूप में निरूपित किया गया है और अभी तक इनके विषय में कोई सर्वमान्य अवधारणा निश्चित नहीं हो सकी है ।

शिक्षा, संस्कृति और मूल्यों का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है । प्रत्येक समाज, अपनी शैक्षिक, सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान-विज्ञान के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु शिक्षा की व्यवस्था करता है । शिक्षा के माध्यम से नयी पीढ़ी को ज्ञान-विज्ञान, नैतिक-मानवीय मूल्यों, परम्पराओं अथवा दूसरे शब्दों में अपनी-अपनी श्रेष्ठ संस्कृतियों का हस्तान्तरण किया जाता है, साथ ही उसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है । किसी भी देश या समाज की अक्षुणता, जीवन्तता तथा विकास उसकी सांस्कृतिक अक्षुणता तथा जीवन्तता पर निर्भर करती है और संस्कृति की अक्षुणता तथा उसकी सतत् जीवन्तता एवं प्रवाह बनाये रखने और उसके माध्यम से सामाजिक व सांस्कृतिक अभ्युन्नति के लिए शिक्षा सर्वाधिक सशक्त साधन सिद्ध हुआ है, जिसका मूल्यपरक होना अनिवार्य है ।

यह उक्ति यद्यपि सर्वथा सत्य नहीं है कि "उदात्त मानवीय जीवन मूल्यों में तत्कथित भारतीय संस्कृति का ही एकाधिकार है ।" क्योंकि दया, ममता, परोपकार, सदाचार आदि सद्गुण प्राय: समस्त जगत् में पुजायमान होते हैं किन्तु धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन पुरुषार्थों के माध्यम से जितनी सहजता से इन मानवीय मूल्यों को भारतीय संस्कृति के परिवेश में ग्रहण किया जाता है उतनी सहजता से अन्य किसी संस्कृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है । मानवीय जीवन के मूल्यों के विषय को ग्रहण करने की जो छमता इस भारतीय संस्कृति में है वह संस्कृति की अपनी एक अलग ही विशेषता है । अत: भारतीय सनातन संस्कृति का यह स्वरूप- इन चार पुरुषार्थों के अन्तर्गत ही आविर्भूत है । भारतीय मानवीय जीवन मूल्यों के रक्षणार्थक ये पुरुषार्थ 'वैदिक संस्कृत' हो या 'लौकिक संस्कृत' समस्त संस्कृत वाङ्मय में अनेक प्रकार से निरूपित की गयी है । इस पुरुषार्थ के विषय में महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व 5/50 में व्यास मुनि ने क्रमश: विस्तार पूर्वक बतलाया है कि इन पुरुषार्थों में प्रथम तीन पुरुषार्थ धर्म, अर्थ व काम चरम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन बतलाये गये हैं-

धर्मेचार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित् ॥[1]

यही प्रथम तीन पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहलाते हैं । इन त्रिवर्गों में भी 'अर्थ' व 'काम' "धर्ममूलक"[2] बतलाये जाते हैं । इसी धर्ममूलकता के कारण इन समस्त पुरुषार्थों में से धर्म नामक पुरुषार्थ का प्रथम स्थान बतलाया गया है । पुरुषार्थों में सर्वत्र उत्कृष्ठ पुरुषार्थ धर्म ही है, जो अर्थ एवं काम की सहायता द्वारा राष्ट्र की यथास्थिति और उत्थान का सम्पादन करता है । यह धर्म ही है जो अर्थ एवं काम जैसे पुरुषार्थ को नियन्त्रित करके मानवीय जीवन के नैतिक कर्तव्यों एवम् उच्चतम आदर्शों के प्रति प्रेरणा प्रदान करता है ।

ईशोपनिषद् के अन्तर्गत भी अनासक्तभाव से कर्तव्य पालन का सदुपदेश बतलाया गया है कि कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए – **"कुर्वन्नेवेहकर्माणि जिजीविषेच्छतं समा:" ।** निष्काम कर्म का सदुपदेश देने वाली यह भारतीय सुसंस्कृति संस्कृत ग्रन्थों पर आश्रित होने कारण ही अन्य राष्ट्रयों की संस्कृतियों से भिन्न है । विदेशी संस्कृतियाँ सकामकर्म को अभिप्रेरित करती हैं, जिसके कारण ये संस्कृतियाँ श्रेयस्कर सिद्ध नहीं हो पाती है । पाश्चात्य संस्कृतियाँ जिस प्रकार भोगों का उपभोग करने का उपदेश देती हैं वैसे समस्त वैदिक व लौकिक संस्कृत पर आधारित भारतीय संस्कृति समस्त सांसारिक भोगों को त्यागने का उपदेश नहीं देती अपितु उन भोगों का उपभोग अनाशक्तिपूर्वक भोगने पर बल देती है । भारतीय संस्कृति भोगों से द्वेष करने की बात नहीं करती अपितु समस्त विचारणीय भोगों का उपभोग विचार पूर्वक करने का उपदेश देती है । जिसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समस्त आश्रमों में महत्त्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गयी है । विषयोपभोग की प्रबल इच्छा मनुष्य के स्वभाव में पहले ही विद्यमान रहती है ।

शिक्षा जहाँ एक तरफ मानवीय मूल्यों के माध्यम द्वारा संस्कृति से अपनी आधारभूत सामग्री ग्रहण करती है, वहीं संस्कृति व मूल्यपरक शिक्षा के माध्यम से अपनी प्राणवत्ता तथा अपनी सत्ता बनाये रखती है । यह भारतीय सुसंस्कृति, मानवीय मूल्य एवं शिक्षा परस्पर एक-दूसरे को अत्यधिक प्रभावित करते हैं तथा साथ ही एक-दूसरे के पूरक की भूमिका भी निभाते हैं । वस्तुतः यह भारतीय सुसंस्कृति मानवीय संगठन का सार भाग सिद्ध होता है । इसका निर्णय अनेक संस्कृत के ग्रन्थसूत्रों से सिद्ध होता है, जिनमें से प्रत्येक की पृथक्-पृथक् महत्ता एवं प्राणवत्ता है, किन्तु इनके सुसंगठित स्वरूप से संस्कृति का निर्माण होता है । तब संस्कृति को निम्निलिखित रूप में परिभाषित करना चाहिए-

"किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन-सहन एवं खान-पान की विधियों, व्यवहार प्रतिमानों, आदर्श-विश्वास, संगीत-नृत्य, रीति-रिवाज, भाषा-साहित्य, कला-कौशल, धर्म-दर्शन, आचार-विचार और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से होता है, जिसमें उसकी आस्था होती है और उसकी अपनी पहचान होती हैं ।"

मूल्य परक शिक्षा से तात्पर्य-

शिक्षा स्वयम् अपने आप में एक मूल्यपरक अवधारणा है । सामान्य तौर पर जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा आशय एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जो व्यक्ति को एक सुशिक्षित, सुसभ्य, सुसंस्कृत नागरिक बनाने का कार्य करती है । यह बालक को अपने वातावरण से स्वस्थ सामंजस्य स्थापित करते हुए व्यक्ति और समाज के सदस्य के रूप में अपने उत्तरदायित्व के बेहतर निर्वहन की क्षमता प्रदान करती है ।

मूल्यपरक शिक्षा की व्यवस्था-

भारतीय मनीषियों ने इस तथ्य को हजारों वर्ष पूर्व भली-भाँति समझ लिया था कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक तथा राष्ट्रीय प्रगति, सभ्यता तथा संस्कृति के उत्थान के लिए शिक्षा अनिवार्य है । परिणाम स्वरूप वैदिक काल से लेकर बौद्ध काल तक हमें नैतिक एवं मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण मिलता है, जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में (क्षीण ही सही) आज भी देखा जा सकता है। 'विद्या विहीनः पशुः'[3] की उक्ति विद्या (शिक्षा) की तत्कालीन महत्ता को रेखाङ्कित करती है । मानवीय मूल्यों का तटस्थ उदाहरण महर्षि वाल्मीकि के रामायण ग्रन्थ में स्पष्ट परिलक्षित होता है । वाल्मीकि द्वारा विरचित महाकाव्य "रामायण" में राम तथा महाकवि कालिदास द्वारा विरचित महाकाव्य रघुवंश में नायक राजा दिलीप की चारित्रिक विशेषताओं में मानवीय मूल्यों का चरमोत्कर्ष स्पष्टत: देखा जा सकता है । भगवान् श्रीराम द्वारा पिता के आज्ञा के पालनार्थ राज सिंहासन को परित्याग कर वनवास को प्रस्थान कर गये तथा राजा दिलीप भी गुरु की आज्ञा के पालनार्थ स्वशरीर को सिंह के समक्ष समर्पित कर प्राचीन भारतीय संस्कृति के साथ ही साथ आदर्श व मानवीय नैतिक मूल्यों की रक्षा की । भारतीय संस्कृति में त्याग की भावना व प्राकृतिक शक्तियों की उपासना आदि भाव सदा कठिन परिश्रम का ज्ञान सिखाती है ।

वैदिक ऋषियों ने नैतिक मानवीय मूल्यों के संरक्षणार्थ तथा मानव जीवन के कल्याणार्थ मनुष्य को यज्ञादी अग्निहोत्र करने के लिए आदेश दिया था । प्राचीन समय में प्राय: ऋषि-मुनियों ने प्रत्येक नवीन कार्यों एवं संस्कारों का आरम्भ यज्ञ कर्म करके ही किया करते थे । जिसके कारण उनका लोक-मङ्गलमय जीवन यज्ञमय ही हो गया था । ऋषि-मुनियों ने ही मानव जीवन के कल्याणार्थ यज्ञ की परिकल्पना की थी । ऋषि-मुनियों ने वेदों में मानवीय सुखद जीवन के विभिन्न पहलुओं की मीमांसा प्रस्तुत की है, जिसके अन्तर्गत मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक पक्षों का ही मूल्याङ्कन नहीं की है, अपितु राष्ट्र भक्ति व देश भक्ति आदि भावों को भी उजागर करती है ।

प्राचीन भारत में शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची अथवा जीविकोपार्जन का साधन मात्र न होकर व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास तथा मोक्ष प्राप्ति में सहायक मानी जाती थी । डॉ. अल्तेकर के अनुसार- ''वैदिक युग से आज तक शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीयों की मुख्य धारणा यह रही है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है।''4

मानवशास्त्रियों ने मानवीय मूल्यों को सांस्कृतिक लक्षणों के रूप में स्वीकारते हैं । उनकी दृष्टि से भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्य अभिन्न होते हैं, कोई भी संस्कृति अपने मानवीय मूल्यों से ही पहचान की जाती है । उदाहरण के लिए हिन्दू संस्कृति को ही लीजिए । भारतवर्ष चार पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) और पाँच महाव्रतों (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य) की संस्कृति स्वीकार करता है, सामान्यतः इन्हीं के आधार पर हिन्दू समाज के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित होता है । अतः ये ही हिन्दू समाज के मूल्य हैं। उनके शब्दों में- 'मानवीय मूल्य मानक रूपी मानदण्ड हैं जिनके आधार पर मनुष्य अपने समक्ष उपस्थित क्रिया विकल्पों में से चयन करने में प्रभावित होते हैं।' अतः इन मूल्यों को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए-

"किसी समाज के वे विश्वास, आदर्श, सिद्धान्त, नैतिक नियम और व्यवहार मानदण्ड जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्त्व देते हैं और जिनसे उनका व्यवहार निर्देशित एवं नियन्त्रित होता है, उस समाज म्वं उसके व्यक्तियों के मूल्य होते हैं ।"

वर्तमान समय में मूल्यपरक शिक्षा:-

समय सदा परिवर्तनशील रहा है । समय के साथ-साथ व्यक्ति, समाज के रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार, व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है । यह परिवर्तन जीवन, जीवन के तौर-तरीकों के प्रति दृष्टिकोण आदि को प्रभावित करता है । जिसके फल स्वरूप शिक्षा भी अप्रभावित नहीं रह सकती । इसीलिए इस परिवर्तनशील समय के साथ-साथ शिक्षा के उद्देश्य भी सदा बदलते रहते हैं । स्वातन्त्र्योत्तर भारत में दुर्भाग्यवश आज तक हम मूल्यों की एक स्पष्ट एवं मान्य परिभाषा भी निश्चित नहीं कर पाये हैं । भारतीय नागरिकों में शिक्षा द्वारा विकसित किये जाने वाले मूल्यों के बारे में हमारे धर्माचार्यों, शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों, शिक्षकों एवम् अभिभावकों में आज तक मतैक्य नहीं हो पाया है । फलतः आज शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद मानवीय जीवन-मूल्य में ह्रास दिखाई दे रहा है । मानवीय मूल्य पर आधारित जीवन शैली की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इन मानवीय मूल्यों के

विकास हेतु विशिष्ट एवं संगठित समाज को मूल्यांकित करने का प्रयत्न किये जायें । समय एवं समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने विविध प्रकार के मूल्यों को निश्चित किया है तथा उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास भी किया है-

रामकृष्ण मिशन संस्थाएँ- समाज-सेवा, सार्वभौमिक भाईचारा, तार्किक नैतिक संहिता तथा मानव व्यक्तित्व के विकास पर बल देती है ।

चिन्मयानन्द मिशन सत्य, सद्आचरण, शान्ति तथा प्रेम के सार्वभौमिक मूल्यों पर बल देता है ।

श्री सत्य साईं बाबा ने मूल्य शिक्षा के अपने कार्यक्रम में पांच प्रमुख मूल्यों पर बल दिया है- सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम तथा अहिंसा। इनके अन्दर समाहित अन्य मूल्य हैं- मानव सेवा, सहयोग, स्वच्छता, प्रार्थना, सादा जीवन व उच्च विचार आदि ।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान के ''नैतिक शिक्षा उपागम'' में पाठ्यक्रमों, पाठ्य पुस्तकें तथा विद्यालय कार्यक्रमों में- अहिंसा, अनुशासन, आत्म विश्वास, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, ईमानदारी, कत्र्तव्यपरायणता, तत्परता, त्याग की भावना, दया, दान, देशभक्ति, दूसरों का आदर, दूसरों के गुणों की प्रशंसा, दृढ़ निश्चय, धैर्य, निर्भीकता, परोपकार, प्रेम, फिजूलखर्ची न करना, मित्रता, विनम्रता, विश्वबंधुत्व, सच्चाई, सहयोग, सहिष्णुता, स्वावलम्बन, सहानुभूति, समाज-सेवा की भावना, साहस, सादगी, श्रम के प्रति निष्ठा और क्षमा इन 32 जीवन मूल्यों को प्रतिबिम्बित होना जरूरी बताया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ने शिक्षा में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर दस्तावेज में कुल 83 मूल्यों का उल्लेख किया है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में उल्लेख है कि हमारा समाज सांस्कृतिक दृष्टि से बहुलवादी है तथा शिक्षा द्वारा ऐसे सार्वभौमिक और शाश्वत् मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए जो हमारे लोगों की एकता व उनके समाकलन की ओर अभिमुख हो ।

सन्दर्भ सूची:-

1. महाभारत, स्वर्गारोहण पर्व 5/50
2. त्रिवर्गो यं धर्ममूलोनरेन्द्र राज्यं चेदं धर्ममूलं वदन्ति ॥ महाभारत, वनपर्व 4/4
3. नीतिशतक, भर्तृहरि, (श्लोक 20), व्याख्याकार- श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, पृष्ठ संख्या 19
4. डॉ.ए.एस. अल्तेकर, एजुकेशन इन एनसियेन्ट इण्डिया: पी.डी. पाठक, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, पृष्ठ संख्या- 6

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

Religion in Chendellas Dynasty

Dr. Anirudh Kumar

Bhadauni, Nawada

Bihar, India

Abstract – Religious Sects is a main role in the human life sience a long times from early Indian history. He also affected a human life of social structure, judicial and administrative system. So, This article is focused on all of them, whatever connected all types of popular religious system found / sight at that time.

Keywords – Religion, Society, Structure, Sects, Worship, Devout, Dedicated.

Modern Bundelkhand and some nearest areas are known as cheandella Dynasty. His other name is Jajabhukti. The chendella kings were generally worshipers of siva. But the records reveal that they were tolerant to workshipers of other faiths. Some of the chendella kings appear to have been staunch vaisavites. The non-brahmanical religions, jainism and Buddhism also received occasional patronage from the chendallas.

To ascertain the condition of religious worship in Jajabhukti under the chendella rule, we may discuss different sectarian religious separately.

Tradition current in Mohaba regard Maniya Deo (Devi), a tribal deity of the aboriginal people of the area, as the tutelary deity of chendellas throughout their history. A shrine dedicated to the goddess exits at Mohaba, were a rude figure is carved on a projecting boulder. There is another small temple of Maniya Devi on the hills of Maniyagardh (Rajgarh) , the site of a large ruined fort on the left bank of the ken river, from the remains of which has been found image of a female with sword in hand. This has been identified as the figure of Maniya Devi, from whom the 'garh' derives its name. According to Beglar, it does not appear improbable that she was a sort of compromise between the brahmanical parvati and the naked female worshipper to this day by some tribes of gonda. Maniya Devi as the goddess of the chendellas to whom they appealed in times of danger. But mostly records are concerned with Brahmanical sects.

The chendellas rulers conceded an important place to the Brahmanical religion and philosophy will also be evident from a number of inseriptions scholarly Brahmins, who were encouraged to settle in the chendella dominon. Mentions of the distinguishing gotras, pravaras, as also of the particularly sakha of carana of the vedic study, to which they belonged, in the land grants of the chendellas, indicate that popularization of the different aspects of vedic studies was one of the subjects of the chendella rulers. 1

Grants of lands were also considered as acts of piety leading to the increase of religious merit of the donor and his deceased parents(matapitorathatmanah). A number of khajuraho records indicate that lands and dwelling as well as valuable gifts in connection with erection of temples were given not to a single priest but to a number of Brahmins. 2 It may be reasonably presumed therefore that here was a regular hierarchy of priests who looked after the diverse affairs of the temple and conducted the daily worship. Some of them were called royal priest, was made an administrator of justice, Dharmadhikara. Besides the priests mention is made of the temple dancers. The kalanjar pillar inscription in the temple of Nilakantha refers to one Mahanacani Padmavati, the chief of the dancing girls attached to the shrine. She was of the type of temple dancers (devadasis), dedicated to the service of the God for like, found in other parts of India. Temple dancers are also seen depicted on the sculptured panels of the khajuraho temples. The same record also mentions one Mahapratihar (chief door-kepper) Samgramasimha, attached to the temple, Evidently he was a temple official, either appointed by the king or by the priest.

Some of the early rulers of the chendella family including Yasoverman, were devout worshipers of Visnu. 3 The earliest definite reference to the worship of visnu occurs in the khajuraho inscription dated v.s. 1011 (953- 54 A.D.) 4 The record begins and ends with invocation to God Vasudeva — 'Om namo Bhagavate Vasudevaya'.

A temple has been identified by Cunningham with the Vaishnava temple, known as the chaturbhuja temple at khajuraho. It is 98 feet in length and 15'3" in breadth. The 'avatras' of Vishnu, it seems were highly popular with the chendellas.

Saivism was already a popular religion in the north and central India long before the advent of the chendellas. Kalanjar,which became one of the major strong holds of the chandellas,was popularly known for many centuries as an abode of Nilakantha siva, chendella rular Dhang, became devout worshippar of Siva, and Saivism since then became practically the royal religion in the chendella dominion. The devotion of the Chendella rulers to Saivism is definitely indicated by the assumption of the title of 'Parma-Mahesvara' in their official documents.

Siva is mentioned in the chendella documents in diverse forms depicting the various aspects of the deity. The khajuraho records give us so many following names as :- Rudra, sambhu, Digambara, Suladhara, Mahesvara, Pasupati, Marakatesvara, Vaidyanath, Chandramauli and etc.

The worship of surya or the sun-god also appears to be quite popular among the chendallas. There is a temple known as the Chitragupta temple or Bharatje at khajuraho, specially dedicated to surya.

Some Buddhist images has been unearthed near the kiratsagar lake at Mohaba, which definitely indicate the tolerance of the chendella rulars to the Buddhist.

Jainism has also some hold on the pople, particularly the trading community (sresthins). The jaina temples of khajuraho definitely show that Jainism flourished side by side with Bramanical cults in the chendella territory.

Some icons of Ganga, Standing on her vehicle makara, are noticed in the chendella temples. An image of Ganga is also curved on the body of the great boar of the varaha temple. At the kendarya mahadeva temple there are representations of both Ganga and Yamuna on kurma.

So, the chendellas rulers time to time king by king varies own religious sects and any no single religious mark has been found of that time.

References

[1]. Indian Architecture – Percy Brown – XXXVII. P.137.
[2]. Indian Architecture – Percy Brown – P.146.V.53
[3]. Epigraphia Indica - James Burgers. - PP.123-125
[4]. Khajuraho Incriptions - V.S.1011
[5]. By – B.L. Dhamma and S.C. Chandra.
[6]. Early history of India – V. Smith.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

दाम्पत्य-जीवनक मैथिली कथाक प्रकार आ वर्गीकरण

श्रवण कुमार
शोधार्थी, मैथिलि विभाग
ति0 मा0 भागलपुर विश्वविद्यालय,
भागलपुर

विनीत कुमार लाल दास
एम.ए. (मैथिली), स्वर्ण पदक प्राप्त, नेट
पटना विश्वविद्यालय, पटना
शोधार्थी, मैथिली विभाग ति. माँ भागलपुर
विश्वविद्यालय, भागलपुर

समाजक सभसँ छोट इकाई मनुक्ख होइत अछि। तेँ समाजक निरंतरताक लेल मनुक्खक रहब आवश्यक अछि, नहि त समाजक आ मनुक्खक अस्तित्व खतरामे पड़ि जायत। एहि खतराकेँ टालबाक लेल एक टा व्यवस्था बनल अछि जकर नाम थिक - बिआह। बिआहक माध्यमसँ मनुक्खक उत्पादन निरंतर होइत अछि जाहिसँ एकर अस्तित्वपर खतरा नहि अबैत अछि। बिआह-व्यवस्थाक आधारपर विपरीत लिंगकेँ एक संग रहबाक स्वीकृति समाज आ परिवार दैत अछि आ ओहि जीवनकेँ दाम्पत्य-जीवन कहल जाइत अछि। प्रत्येक दाम्पत्य-जीवन समाज आ साहित्यकेँ प्रभावित करैत अछि आ समाज ओ साहित्य सेहो मानव-जीवनकेँ प्रभावित करैत अछि अर्थात् दुनूक बीच अन्योनाश्रय संबंध होइत अछि।

कोनो रचनाकार अपन रचनामे ओहि बातकेँ चित्रण करैत छथि जे बात हुनक अन्तर्मनकेँ उद्वेलित, विचलित, विस्मित, प्रभावित करैत अछि। रचना करबासँ पहिने रचनाकारक मस्तिष्क समुद्र जकाँ रहैत अछि जाहिमे अनेको प्रकारक तरंगक संग ज्वार-भाटा अबैत छैक आ एहि ज्वार-भाटाक बेगसँ उत्पन्न पीड़ाकेँ शांत करबाक लेल ओ रचना करैत छथि। जखन रचनाक कार्य पूरा भ जाइत अछि तखन हुनक मानसिक स्थिति बिहारि चलि गेलाक बादक समय सन भ जाइत छनि। दाम्पत्य-जीवन एहन जीवन थीक

जे सभकेँ प्रभावित करैत अछि आ एहिसँ रचनाकार लोकनि सेहो अछूता नहि छथि। तेँ रचनाकार लोकनिक रचनामे दाम्पत्य-जीवनक झलक अवश्य भेटैत अछि। चाहे ओ सुखमय दाम्पत्य-जीवन होय वा दुःखमय दाम्पत्य-जीवन। किनको रचनामे सुखमय दाम्पत्य-जीवनक चित्रण रहैत अछि त किनको रचनामे दुखमय दाम्पत्य-जीवनक चित्रण रहैत अछि। मैथिली कथामे दुनू प्रकारक दाम्पत्य-जीवनक कथा देखबामे अबैत अछि।

''जे भाषा आइ 'मैथिली' नामे जानल जाइत तकर उल्लेख सर्वप्रथम यूरोपीय विद्वान कोलब्रुक द्वारा 1801 ई.मे भेल छल। डा. ग्रियर्सनक अनुसार कोलब्रुक अपन संस्कृत तथा प्राकृत संबंधी अनुसंधानात्मक विनिबंधमे मैथिलीक बंगलाक संग संबंधपर विचार कयने छथि तथा ओही क्रममे ईहो लिखने छथि जे जेँ मैथिली भाषाक प्रयोग साहित्यमे नहि होइत अछि तेँ एहि संबंधमे विशेष लिखब अनावश्यक अछि। एकर पश्चात सिरामपुरक मिशनरी लोकनि अपन सोसाइटीक 1816 ई.क 67म मेमाआयरमे अन्य आर्यभाषा सभक संग तुलना करैत मैथिलीक उल्लेख कयने छथि। मैथिलीक दोसर नाम 'तिरहुतिया' सेहो भेटैत अछि। एकर उल्लेख सन् 1771 ई०क बेलिगतीकृत 'अल्फाबेटुम ब्राह्मनिकम'क अम्दुजक भूमिकामे भेल अछि। एहिमे कतोक भाषाक संग तुरूतियन (Tourutians) अथवा 'तिरहुति'क उल्लेख सेहो भेटैत अछि। एकर अतिरिक्त फैलेन, हार्नले, केलोग तथा ग्रियर्सन सदृश भाषाशास्त्रक विद्वानलोकनिक स्वरचित ग्रंथ सभमे सेहो समय-समयपर एहि नाम सभक उल्लेख भेल अछि किन्तु एकर प्राचीनतम उल्लेख 'आइने अकबरी'मे भेटैत अछि जतय लेखक एकरा एक टा पृथक भाषाक रुपमे स्वीकार कयने छथि। मिथिलामे मैथिली भाषाक हेतु सर्वप्रथम विद्यापति 'देसिल बयना' शब्दक प्रयोग कयलनि-

देसिल बयना सब जन मिट्ठा।
तेँ तइसन जम्पओ अवहट्ठा ।।

हिनक पश्चात् 17 शताब्दी लोचन अपन रागतरंगिनीमे विद्यापति पदावलीक भाषाक हेतु ‘मिथिलापभ्रंश‘ शब्दक प्रयोग कयने छथि-

देश्यामपि स्वदेशीयत्वात् प्रथमं मिथिलापभ्रंशभाषया।

श्रीविद्यापति कवि निबद्धास्ता मैथिलीगीतगतयः प्रदर्श्यन्ते।।’’[1]

मैथिली भाषाक सभसँ प्राचीन उपलबध गद्य ग्रंथ थिक - कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुरक ‘वर्णरत्नाकर‘। एहि ग्रंथमे मैथिली भाषाक प्राचीनतम स्वरूप देखबामे अबैत अछि। मैथिल लोक द्वारा कथा लिखल सर्वप्रथम संस्कृत ग्रंथ ‘पुरुष परीक्षा‘ अछि जकर कथाकार छथि - कविकोकिल महाकवि विद्यापति। आधुनिक कालमे सबसँ पहिने कवीश्वर चंदा झा ‘पुरुष परीक्षा’कँ मैथिलीमे अनुवाद क कथाक स्वरूपसँ परिचय करओलनि। एकर बाद संस्कृत ग्रंथक आख्यायिका सभकँ मैथिलीमे अनुवाद करल जाय लागल। फेर दोसर भाषासँ सेहो मैथिलीमे अनुवाद करल जाय लागल जाहिमे ‘‘अंगरेजीसँ इसोपक नीतिकथा (दुइगोट), शेक्सपियरक ‘टेम्पेस्ट’क ‘कमला’, गोल्ड स्मिथक ‘बेकफिल्ड पादरी’ ओ जानशनक ‘राजकुमार रसेलस’ आदिक अनुवाद कएल रमानन्द ठाकुर, वैद्यनाथ चौधरी, डा. उमेशमिश्र, दीनानाथझा प्रभृति। तहिना बंगलासँ अनुदित भेल शिवनन्दन चौधरी द्वारा ‘कपालकुण्डला’ ओ ‘मृण्मयी’, काशीनाथझा द्वारा ‘मायाशंकर’, ‘युगलांगुरीय’ ओ ‘राजपूतजीवन संध्या’ ओ जीवछमिश्र द्वारा ‘विचित्र रहस्य’, छेदीझा द्वारा ‘महाराष्ट्र जीवन-प्रभात’ ओ ‘सीतावनवास’, सुमनजी द्वारा ‘दर्पचूर्ण’, ‘निष्कृति’ ओ ‘युगलांगुरीय’, भुवनजी द्वारा ‘विषवृक्ष’, श्रीव्यास जी द्वारा ‘बाभनकबेटी’ आदि आदि।’’[2]

‘‘1930 ई.क पूर्वक गल्पसाहित्य अछि मुख्यतः प्राचीन रीतिक- अधिकांश संस्कृतकथाक अनुवाद वा स्वतंत्र रूपेण रचित ताही प्रकारक कथा। जकरा आधुनिक रीतिक कथा कहैत छिऐक, तकरहु तत्व यत्किंचित् 1930 ई.क पूर्वक कथासभमे भेटैत अछि। वस्तुतः उपन्यासक अतिरिक्त आन जे कथासाहित्य मैथिलीमे अछि, से आधुनिक

गल्पक पूर्व-रूप कहल जा सकैत अछि आओर ओहि मध्य आधुनिक गल्पक मुख्य-मुख्य गुण भेटैत अछि यथा- कुतूहलता, विविधता, अद्भूतता, रोमांटिक भावना प्रभृति। आगाँ कथामे उपदेशात्मकताक बीज बेशी स्फूट भेल तथा अधिकांश गल्पक निकटक वस्तु छल हास्याव्यंग्यमूलक लोककथा, मुख्यतः गोनूझाक हास्यकथा, जकरा श्री नगेन्द्रकुमरक पिता

कुशेश्वरकुमर संकलित कएल 'गोनूविनोद'क नामसँ। वीरबलक कथा सेहो एहि शताब्दीक तीन-चारि दशक धरि बेस कहल-सुनल जाइत छल।"[3]

साहित्य आ समाजक जखन सम्यक रूपसँ अध्ययन करैत छी त देखबामे अबैत अछि जे दाम्पत्य-जीवन विभिन्न प्रकारक होइत अछि। अध्ययनक दृष्टिकोणसँ एकरा निम्नलिखित रूपँ वर्गीकृत करल जा सकैत अछि-

1. परिवारक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण
    1. एकल पारिवारिक दाम्पत्य-जीवन आ
    2. संयुक्त पारिवारिक दाम्पत्य-जीवन।
2. सामाजिक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण
    1. समाज द्वारा स्वीकृत दाम्पत्य-जीवन आ
    2. समाज द्वारा अस्वीकृत दाम्पत्य-जीवन।
3. सामाजिक प्रतिष्ठाक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण
    1. प्रतिष्ठा सहित दाम्पत्य-जीवन अर्थात प्रतिष्ठित दाम्पत्य-जीवन,
    2. प्रतिष्ठा रहित दाम्पत्य-जीवन अर्थात अप्रतिष्ठित दाम्पत्य-जीवन,
    3. सामान्य दाम्पत्य-जीवन।

4. संतानक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

1. संतानबाला दाम्पत्य-जीवन

1. वैध संतानबाला

2. अवैध संतानबाला

3. दत्तक संतानबाला।

2. निःसंतान दाम्पत्य-जीवन

1. प्राकृतिक रूपसँ निःसंतान दाम्पत्य-जीवन

2. अप्राकृतिक रूपसँ निःसंतान दाम्पत्य-जीवन।

5. संतान-दुख प्राप्त दाम्पत्य-जीवन।

1. संतानक सुख प्राप्त दाम्पत्य-जीवन।

2. संतानसँ दुख प्राप्त दाम्पत्य-जीवन।

6. वैवाहिक स्थितिक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

1. अखंडित दाम्पत्य-जीवन, 2. खंडित दाम्पत्य-जीवन।

7. भोगक आधारपर अखंडित दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

1. सुखमय अखंडित दाम्पत्य-जीवन आ

2. दुखमय अखंडित दाम्पत्य-जीवन।

8. आर्थिक स्थितिक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

1. आर्थिक सम्पन्न दाम्पत्य-जीवन,

2. मध्यम वित्त दाम्पत्य-जीवन आ

3. आर्थिक विपन्न दाम्पत्य-जीवन।

9. आयक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

1. उच्च आयबाला दाम्पत्य-जीवन,

2. मध्यम आयबाला दाम्पत्य-जीवन,

3. निम्न आयबाला दाम्पत्य-जीवन आ

4. ऋणमे डूबल दाम्पत्य-जीवन।

10. व्ययक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

1. वेगरताक अनुसार खर्च करयबाला दाम्पत्य-जीवन,

2. अथाह खर्च करयबाला दाम्पत्य-जीवन,

3. बेगरतासँ कम खर्च करयबाला दाम्पत्य-जीवन आ

4. ऋण ल क खर्च करयबाला दाम्पत्य-जीवन।

11. भोगक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

1. सुखमय दाम्पत्य-जीवन,

2. दुखमय दाम्पत्य-जीवन आ

3. मिश्रित दाम्पत्य-जीवन।

12. चरित्रक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

1. चरित्रवान दाम्पत्य-जीवन आ 2. चरित्रहीन दाम्पत्य-जीवन।

13. दृश्यक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

1. प्रत्यक्ष दाम्पत्य-जीवन आ 2. अप्रत्यक्ष दाम्पत्य-जीवन।

14. निवास स्थानक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

1. ग्रामीण दाम्पत्य जीवन

1. अस्थायी दाम्पत्य-जीवन आ

2. स्थायी दाम्पत्य-जीवन।

2. नगरीय दाम्पत्य-जीवन

1. अस्थायी दाम्पत्य-जीवन आ 2. स्थायी दाम्पत्य-जीवन।

3. महानगरीय दाम्पत्य-जीवन

1. अस्थायी दाम्पत्य-जीवन आ 2. स्थायी दाम्पत्य-जीवन।

15. आवासक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

  1. स्थायी आवासीय दाम्पत्य-जीवन आ
  2. अस्थायी आवासीय दाम्पत्य-जीवन।

16. प्रवासक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

  1. प्रवासी दाम्पत्य-जीवन
     1. एक बेर प्रवास कयल दाम्पत्य-जीवन आ
     2. अनेक बेर प्रवास कयल दाम्पत्य-जीवन।
  2. अप्रवासी दाम्पत्य-जीवन।

17. काजक आधारपर सेहो दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

  1. जाहिमे केवल पुरूष काज करैत अछि।
  2. जाहिमे केवल स्त्री काज करैत अछि।
  3. जाहिमे दुनू (स्त्री-पुरूष) काज करैत अछि।
  4. जाहिमे दुनू (स्त्री-पुरूष) काज नहि करैत अछि।

18. स्वभावक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक वर्गीकरण

  1. शांत दाम्पत्य-जीवन
     1. आंशिक शांत दाम्पत्य-जीवन,
     2. पूर्णतः शांत दाम्पत्य-जीवन।
  2. झगड़ाह दाम्पत्य-जीवन,
  3. झगड़ा लड़ाओन दाम्पत्य-जीवन,
  4. झगड़ा छोड़ाओन दाम्पत्य-जीवन,
  5. वाचाल दाम्पत्य-जीवन,
  6. मितभाषी दाम्पत्य-जीवन,
  7. परोपकारी दाम्पत्य-जीवन,

8. अहितकारी दाम्पत्य-जीवन,

9. अहंकारी दाम्पत्य-जीवन,

10. अहंकार-रहित दाम्पत्य-जीवन।

19. शिक्षाक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक प्रकार

1. अशिक्षित दाम्पत्य-जीवन,

2. अल्प-शिक्षित दाम्पत्य-जीवन,

3. सामान्य शिक्षित दाम्पत्य-जीवन,

4. शिक्षित दाम्पत्य-जीवन आ

5. सुशिक्षित दाम्पत्य-जीवन।

20. आयक स्रोतक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक प्रकार

1. वैध स्रोतक आधारपर दाम्पत्य-जीवनक कथाक प्रकार

1. कृषिपर आधारित दाम्पत्य-जीवन,

2. व्यवसायपर आधारित दाम्पत्य-जीवन,

3. नोकरीपर आधारित दाम्पत्य-जीवन,

4. दलालीपर आधारित दाम्पत्य-जीवन।

2. अवैध स्रोतक आधारपर दाम्पत्य-जीवन प्रकार

1. चोरि, डकैती, लूटपाट, छिनतइ, बटमारि आदिपर आधारित दाम्पत्य-जीवन,

2. तस्करीपर आधारित दाम्पत्य-जीवन,

3. अवैध व्यापारपर आधारित दाम्पत्य-जीवन आ

4. अवैध दलालीपर आधारित दाम्पत्य-जीवन।

उपरोक्त विश्लेषणसँ दाम्पत्य-जीवनक प्रकार आ ओकर वर्गीकरण स्पष्ट भ जाइत अछि आ जतेक दाम्पत्य-जीवनक प्रकार होइत अछि ओतबे प्रकारक दाम्पत्य-जीवनक कथा होइत अछि।

मैथिलीक प्रसिद्ध कथाकारमे जे दाम्पत्य-जीवनक कथाकार छथि- हरिमोहन झा, किरण जी, मनमोहन झा, योगानंद झा, नगेन्द्र कुमर, व्यास जी, मणिपद्म, सुधांशु शेखर चौधरी, शैलेन्द्र मोहन झा, ललित, मायानंद मिश्र, राजकमल, रामदेव झा, रमानंद रेणु, उमानाथ झा, सोमदेव, हंसराज, अमर जी, राजमोहन झा, प्रभास कुमार चौधरी, गंगेश गुंजन, धूमकेतु, सुभाष चन्द्र यादव, महाप्रकाश, बी. झा, धीरेन्द्र नाथ मिश्र, जीवकान्त, रामलोचन ठाकुर, गोविंद झा, शिवशंकर, साकेतानंद, तारानंद वियोगी, चंद्रेश, प्रदीप बिहारी, विभूति आनंद।

महिला कथाकारमे लिली रे, गौरी मिश्र, शेफालिका वर्मा, उषा किरण खान, शकुन्तला चौधरी, श्यामा झा, नीता झा, ज्योत्सना चंद्रम, बीभा रानी, निरजा रेणु, इंदिरा झा, प्रेमलता मिश्र प्रेम, सुष्मिता पाठक आदिक नाम लेल जाइत अछि।

संदर्भ संकेत

1. झा, डॉ. दिनेश कुमारः 2012; मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास; प्रकाशक- मैथिली अकादमी, पटना; पृष्ठ संख्या - 9, 10
2. श्रीश, डॉ. दुर्गानाथ झाः 1991; मैथिली साहित्यक इतिहास; प्रकाशक - भारती पुस्तक केन्द्र, टावर चौक, दरभंगा; पृष्ठ सं०- 337, 338
3. उपरोक्त, पृष्ठ सं०- 377

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

सल्तनतकालीन भारतीय हिन्दू स्त्रियों की स्थिति

सन्नी देवल दास
शोधार्थी, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सल्तनत काल में स्त्रियों के कार्य और उनकी स्थिति विशेष रूप से अधीनस्थ रही है और कालान्तर में पुरुष की सेवा और जीवन के प्रत्येक चरण में उसपर निर्भर रहना ही क्रमशः उसके कार्य और स्थिति माने जाने लगे। वह पुत्री के रूप में अपने पिता के संरक्षण में, पत्नी के रूप में अपने पति के संरक्षण में और विधवा के रूप में (उस स्थिति में जबकि उसे अपने पति की मृत्यु के पश्चात् जीवित रहने दिया जाता) अपने ज्येष्ठ पुत्र की देखरेख में रहती थी।[1] संक्षेप में उसका जीवन निरन्तर संरक्षण का जीवन था और सामाजिक विधान एवं परम्पराओं में उसे एक प्रकार से मानसिक रूप से अविकसित ठहराया गया है। पैदा होने पर लड़की को अनचाहा मेहमान समझा जाता, क्योंकि हिन्दुओं के धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार हतभागी पुत्री भूली विसरी घड़ी में किये गए अपने पिता के पास-कुंज का शोधन नहीं कर सकती।[2] अतः उसे कुछ कबीलों में तो शिशुकाल में ही मार डाला जाता था। यदि उसे जीवित रहने दिया जाता तो उसे पति के साथ अटूट बंधन में बांध दिया जाता। यदि गर्भावस्था में उसकी मृत्यु हो जाती तो वह कभी-कभी ‘चुड़ैल’ नामक भयानक प्रेतात्मा का रूप धारण करके पड़ोस में अड्डा जमा लेती। मृत्यु या आत्म-बलिदान ही उसे मुक्ति प्रदान करते थे। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक स्त्री की दशा अत्यन्त दुखद रहती थी। उसका धर्म और अन्य सुधारवादी आध्यात्मिक आंदोलन भाग्य पर संतोष करने की बात कहकर उसे सांत्वना प्रदान करते किन्तु उन्होंने भी सावधानी से उसे किसी अधिकारिक स्थिति से और उसे अपनी आंतरिक धर्मसत्ता से भी परे रखा।[3]

हिन्दू विचारधारा के अनुसार स्त्री का प्रमुख कार्य पुत्र पैदा करना था और यदि वह पुत्र को जन्म दे देती तो लोग उसका सम्मान करते, उसकी देखभाल करते। माता-पिता के प्रति सन्तानों में प्रेम यह बिलकुल सत्य था और एक भारतीय माँ के लिये यह महान् सन्तोष की बात थी। अन्य बातों में भारतीय नारी का क्षेत्र कठोर रूप में घर और घरेलू देख-भाल तक ही सीमित था। उसके सारे स्वप्न स्वयं को पतिव्रता सिद्ध करने और पति को प्रसन्न रखने में ही केन्द्रित रहते थे।[4]

स्त्रियों की बौद्धिक संस्कृति में वर्गानुसार भेद था। ग्रामों में, जहाँ स्त्री ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का एक अंग थी, साधारण अर्थ में सांस्कृतिक उत्थान की गुंजाइश नहीं थी। हम पहले इंगित कर चुके हैं कि किस प्रकार स्त्रियों की बुनाई की कुछ क्रियाओं से वंचित रखा गया था, यद्यपि घरेलू कार्यों में ये बन्धन नहीं थे। दूसरी ओर कृषक-स्त्रियों के दरिद्र वर्ग को दुर्भाग्य से घरेलू काम, कृषि-कर्म और बच्चों के साथ इतना अधिक व्यस्त रहना पड़ता था कि उन्हें बौद्धिक कार्य-कलापों या मनोरंजन के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। इस प्रकार उनकी मानसिक संस्कृति बहुत पिछड़ी रहती थी जिससे लोक-कथाओं के विद्यार्थी अच्छी तरह परिचित है।

उच्च वर्ग का जीवन साहसिक कार्यों और संकटों से परिपूर्ण रहता था जिससे कलाओं और विज्ञानों की उन्नति को प्रोत्साहन मिलता था। देवलरानी, रूपमती, पद्मावत और मीरा बाई हिन्दू संस्कृति के अच्छे उदाहरण हैं। हाजी दबीर का कथन है कि मुहम्मद तुगलक द्वारा काराजल की पहाड़ियों (कुमायूँ) पर आक्रमण किये जाने का एक कारण यह भी था कि वह उस भाग की स्त्रियों को पाना चाहता था, जो अपनी सुन्दरता के लिए विख्यात थीं। सुल्तान रजिया दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हो सकी, इससे सिद्ध हो सकता है कि कुलीनवर्ग में एक स्वस्थ परम्परा का समावेश हुआ। हमें गुलबदन बेगम से सूचना मिलती है कि सम्राट हुमायूँ के हरम की महिलाएं अपने पुरुष-मित्रों और अभ्यागतों से स्वतंत्रतापूर्वक मिलती थी। वे

कभी-कभी पुरुषवेश में बाहर जातीं, पोलो खेलती और संगीत का अभ्यास करती थी। वे गोफन चलाने और अन्य व्यावहारिक कलाओं में निपुण रहती थीं।

किसी व्यक्ति के जीवन में आयु-विषयक विभिन्न चरण, जैसे- जन्म, किशोरावस्था, यौनावस्था और मृत्यु तथा इनमे गुंथे विभिन्न रिवाज ही घरेलू जीवन, विशेषकर ग्राम्य-समुदाय के घरेलू जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं। ये सारे रिवाज सावधानी से बड़ी सूक्ष्मता से बनाए गए थे। धार्मिक भावनाएं इनमें श्रेष्ठ रूप में मुखरित हुई। समाज किसी व्यक्ति के सम्मान की परख इस बात से भी करता था कि इन सामाजिक और धार्मिक क्रियाओं के पालन का वह कितना ध्यान रखता है। जैसे परिवार में सन्तानोत्पत्ति की घटना अत्यन्त महत्व की थी। चतुर और प्रबुद्ध लोगों ने चाहे मृत्यु और अगले जीवन के रहस्यों को अधिक महत्व दिया हो किन्तु अधिक स्वस्थ मस्तिष्क वालों के लिए संसार में नए प्राणी का आगमन ही उत्सव मनाने योग्य था।[5] अनेक छोटे-छोटे पालने नन्हीं मेहमान का स्वागत करने के लिए बहुधा पहले से ही तैयार कर लिये जाते थे।[6]

यदि पुत्र उत्पन्न होता तो हिन्दू घर में बड़ी हलचल रहती। पिता ताजे पानी से स्नान करने और पूर्वजों की आत्माओं तथा कुल-देवताओं की प्रार्थना करने दौड़ पड़ता। तत्पश्चात् वह एक अच्छी अंगूठी निकालता, उसे मक्खन और शहद में डुबाता और फिर उसे शिशु के मुख में रखता था।[7] उसी समय ज्ञानी पण्डित जन्मपत्री बनाने के लिए शिशु-जन्म की घड़ी और अन्य सूचनाएं लिखने में व्यस्त हो जाता। यदि वह जन्म की ठीक घड़ी लिखने भूल जाता तो वह जनम का लग्न निकालने हेतु सावधानी से शिशु के शरीर के चिह्नों की जांच करता। इन प्रारम्भिक क्रियाओं के पश्चात् आनन्दोत्सव प्रारम्भ होते जिनमें स्त्रियाँ प्रधानरूप से भाग लेती, शिशु के स्वास्थ्य के लिए निछावर (निसार या उतारा) किया जाता और सम्पन्न तथा दरिद्र, अमीर तथा जनसाधारण सबको अच्छे उपहार बाँटे जाते।

विवाह के लिये कोई निश्चित आयु नहीं थी। हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही लड़के-लड़कियों का विवाह अल्पायु में कर देने के पक्ष में थे।[8] अकबर इस स्थिति पर हस्तक्षेप करने का इच्छुक था। उसने लड़कों के लिये 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की अल्पतम आयु निश्चित की। यह कहना कठिन है कि कहाँ तक उसके नियमों का पालन किया गया।[9] सन्तानों का विवाह निश्चित करना और विवाह से सम्बन्धित रिवाजों और परम्पराओं का निरीक्षण करना माता-पिता, विशेषकर पिता का विशेषाधिकार था। सन्तान के विवाह के समय अनेक नाजुक और उलझनपूर्ण समस्याएं सामने आती थी, जैसे परिवार की स्थिति, पूर्वजों से सम्बन्धित क्रियाएं और दोनों पक्षों का सामाजिक सम्मान। माता-पिता बहुधा चप्पे-चप्पे पर अपना उत्तरदायित्व बड़ी सावधानी से निबाहते थे। विवाह विवाहित युगल के व्यक्तिगत मामले से कहीं अधिक, एक पारिवारिक प्रश्न था।

किसी व्यक्ति की मृत्यु इस जीवन का एक मोड़ थी, जब अस्तित्वहीन न होते हुए वह एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश करता था। उसकी मृत्यु के समय स्फुट संस्कार होते और बाद में भी कुछ क्रियाएं होती। जब कोई हिन्दू मरणोन्मुख होता तो लोग उसकी देह भूमि पर लिटाने में शीघ्रता करते, पुरोहित मंत्रोच्चार प्रारम्भ कर देता और सम्बन्धीगण दरिद्रों और जरूरतमंदों को दान करना प्रारम्भ कर देते जिससे उसकी आत्मा सुगमता से परलोक जा सके। भूमि गाय के गोबर से लीपी जाती और उस पर कुश बिछा दी जाती, फिर इसके ऊपर मृतदेह को लिटा दिया जाता था। सिर उत्तर की ओर तथा पैर दक्षिण की ओर रहते और चेहरा नीचे की ओर। यदि पवित्र गंगाजल उपलब्ध होता तो मृतदेह के ऊपर उसकी कुछ बूंदे छिड़की जाती, ब्राह्मण को गोदान किया जाता, मृत व्यक्ति के सीने पर कुछ तुलसीपत्र रखे जाते और कपाल पर तिलक लगा दिया जाता। इन तैयारियों के पश्चात् देह अरथी में रख दी जाती, इस प्रकार उसे भस्म करने की तैयारी पूरी हो जाती। रूढ़िवादी सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण की देह को पानी में फेंक देना चाहिए, क्षत्रिय की

देह जलाना चाहिए और शूद्र की देह को दफनाना चाहिए।[10] वास्तव में, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अपने घर और सम्बन्धियों से दूर होती तो एक स्मृति-दाहसंस्कार होता जिसमें हिरन की एक हड्डी, एक बाँस, कुछ आटा, कुछ पत्ते और नारियल- जो सम्भवतः मृत व्यक्ति के अवशेषों के प्रतीक माने जाते- अग्नि को भेंट किये जाते। मृत व्यक्ति के पुत्र, भाई, मित्र और शिष्य अपने सिर और दाढ़ी मुंढाते और शव को, जिसे कभी-कभी मृत व्यक्ति की प्रिय वेशभूषा पहना दी जाती थी, श्मशानभूमि ले जाते, जहाँ वह यथोचित क्रियाओं के पश्चात् जला दिया जाता। दाह-क्रिया के पश्चात् अस्थियाँ एक पात्र या मृगछाला में एकत्र कर ली जाती और यदि सम्भव हुआ तो गंगा में प्रवाहित की जाती।

पति की मृत्यु पश्चात् कुछ परिस्थितियों में हिन्दू पत्नी के जलने की क्रिया को सती प्रथा कहा जाता था[11] और जो स्त्री जलती थी उसे 'सती' कहा जाता था। साधारणतः यह प्रथा हिन्दू समाज के उच्च वर्ग तक सीमित थी और राजपूतों की वीर जातियाँ इसका विशेष समर्थन करती थी। निम्न वर्गों की स्त्रियाँ तो अपने पति की अर्थी के साथ श्मशान तक भी न जा सकती थी। आत्म-बलिदान का बन्धन पारस्परिक नहीं था, क्योंकि पत्नी की मृत्यु सामने होने पर पति के लिए यह लागू नहीं होता था।[12] यह क्रिया सम्भवतः भारतीय कबीलों की आदिम प्रथाओं पर आधारित थी और आर्यों तथा अन्य आक्रामकों द्वारा इसे आत्मसात कर लिया गया।[13] कुछ भी हो, यह प्रथा काफी पुरानी है।[14] यदि मृत पति का शव उपलब्ध होता तो पत्नी उसके साथ जला दी जाती। इसे सहमरण कहा जाता।

जौहर की प्रथा प्रायः राजपूतों तक ही सीमित थी, यद्यपि अन्य उदाहरणों की भी कमी नहीं है।[15] जब युद्ध में राजपूत सरदार और उसके योद्धा पराजय के निकट आ जाते तो वे बहुधा अपने स्त्री-बच्चों की हत्या कर डालते या उन्हें तहखाने के किसी कमरे में बन्द करके भवन में आग लगा देते। यह सती प्रथा से भी कहीं अधिक भयानक जौहर प्रथा की भी राजपूत समाज मे प्रचलन था। राजपूत रानियों

युद्ध में पराजित होने की खबर पाने पर अपनी प्रतिष्ठा एवं इज्जत बचाने के लिये सामूहिक रूप से आग में कूद कर जौहर व्रत का पालन करती थी जो उसकी असीम वीरता एवं साहस की कहानी बन जाती।

सन्दर्भ सूचीः

1. हिन्दू विवाह पद्धति में पत्नी के स्थान के लिए, मुल्ला, ‘हिन्दू ला’, 371, सामान्य हिन्दू विधान में तलाहक को स्थान नहीं है, क्योंकि हिन्दू विवाह पति और पत्नी के मध्य न टूटने वाला बन्धन है।
2. राजपूतों में बालिकाओं की हत्या के लिये देखिए, जर्नल जेम्स टॉड द्वितीय, 739-40
3. मीरा बाई की रोचक कथा देखिए, जिसे वृंदावन के गोसाई ने अपने सम्मुख उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी। मेकालिफ, चतुर्थ, 353 के अनुसार।
4. सन्तानोत्पत्ति के स्त्री के कार्य और उसे दिये जाने वाले सम्मान के लिये है म.अ., 192, 117
5. विभिन्न वर्णन तुलनीय। कु. खु. 657-658, तबकात-ए-नासिरी (पाण्डुलिपि), 196.
6. आधुनिक रिवाजों के लिए रास, फीस्ट्स, 98.
7. आइने अकबरी, द्वितीय 188, अबुल फजल के पौत्र के लिए, जिसका नामकरण अकबर द्वारा किया गया था, वहीं, 282.
8. प. (हि.), 124-6 जायसी का वर्णन, आधुनिक सादृश्य के लिए शाह, 120 और ग्रियर्सन, प्रादेशिक विचित्रताओं के लिए तुलनीय बरबोसा, प्रथम 116-17.

9. इब्नबतूता, द्वितीय 47-9, उपहार में स्त्रियां दिये जाने के लिए कु. खु., 370, राजस्थान में दहेज में श्देवधारीश् नामक दासियों के दिये जाने के टॉड, द्वितीय 370-1, जो बहुधा वर सरदार की रखैलें हो जाती। ज. डि. लै., 1927, 2-3.
10. दे. रा. 285, किस प्रकार मृत व्यक्ति की पत्नी ने अपना बुरका उतारकर फेंका और शोकाकुल होकर अपने बाल विखेर लिये, शोक प्रकट करने की अवधि की लम्बाई और उसके प्रदर्शन के स्वरूप के लिये, फ्रेम्प्टन, 130.
11. थाम्पसन 19, किस प्रकार सिकन्दर के सैनिकों ने पंजाब में इसका प्रचलन पाया।
12. फ्रेम्प्टन, 127 किस प्रकार अनेक पत्नियों के साथ जलाते समय प्रिय पत्नी को अपनी गर्दन पति की बांह पर रखने दिया जाता।
13. चित्तौड़ के राजा रतनसेन की दो उप पत्नियों की कथा तुलनीय है जिसमें वे दोनों बलिदान की अन्तिम क्रिया में जीवन-पर्यन्त की अपनी आपसी कटुता और झगड़े भूल गई। दोनों पति के शव के अगल-बगल लकल सद्भावनापूर्वक बैठी और शान्ति से दोनों रानियां ज्वालाओं की भेंट हो गई। पद्मावत (हि.), 295.
14. इब्नबतूता के वर्णन के लिए, कि. रा., द्वितीय 13-14
15. अतिशय क्रूरता और शौर्य तथा सद्भावना की कमी के उदाहरण के लिए चन्देरी के भैया पूरनमल का मामला देखिए, कबीलों के आपसी युद्धों में राजपूतों के जौहर के लिये टॉड, द्वितीय, 744.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

श्रीमद्भगवद्गीता में कर्मवाद की आधुनिक में उपयोगिता

इन्दल
पूर्व शोधच्छात्र
संस्कृत विभाग,
बी0आर0डी0बी0डी0पी0जी0 कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया,
उत्तर प्रदेश,भारत।

शोध सारांश– कर्मयोगी अपनी जीवन यात्रा के समस्त संघर्षों में अपने भीतर से प्रेरणा एवं शक्ति प्राप्त करता है। वह दुष्प्रकृति वाले लोगों की द्वेषपूर्ण आलोचना से विचलित नहीं होता। गीता का कर्म योग यह शिक्षा देता है कि व्यक्ति को जीवन की विषय परिस्थितियों से कभी पलायन नहीं करना चाहिए बल्कि समस्त चुनौतियों को स्वीकार करके डटकर उनका सामना कर जय–पराजय, लाभ–हानि तथा यश–अपयश की चिन्ता परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है।

मुख्य शब्द– श्रीमद्भगवद्गीता, कर्मवाद, जीवन, यश, अपयश, मनुष्य, दर्शन, शक्ति।

श्रीमद्भगवद्गीता मानव कल्याण के लिए श्रेष्ठ ग्रन्थ है। इस जगत् में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समुचित समाधान गीता में न बताया गया हो। जब भ्रान्ति और भटकन मन को जकड़कर दुर्बल और असहाय बना रहे हो, तब अधीर और सन्त्रस्त मन के ब्यामोह को दूर करने के लिए गीता का प्रकाश मित्र और गुरु की भाँति परम सहायक सिद्ध होता है। गीता का सिद्धान्त प्राणि मात्र के कल्याण का उद्घोष है। यह न केवल आध्यात्मिक साधकों का मार्गदर्शन करती है अपितु इस लोक में उत्तम जीवन जीने तथा सुख और शान्ति प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

आज भूमण्डलीकरण, वैश्वीकरण,भौतिकवाद के कारण परिवर्तन और प्रगति की है पर व्यक्ति विश्व के विशाल एवं विस्तृत सन्दर्भ में तथा उत्तम आदर्शों की परिपूर्ति की दिशा में भटक गया है तथा वह समाज का व अपना विध्वंसक शत्रु बन रहा है। अहंकार, स्वार्थ, घृणा, विद्वेष तथा विषाद से भर कर मानव आत्मघाती हो गया है। इस स्थिति में मानव अपने नियन्त्रण से बाहर हो गया परिस्थितियों में अपना शान्त जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है, इसके लिए विचारधारा, सोचने और कर्म करने की विधि की आवश्यकता है।

गीता मात्र तत्वज्ञान नहीं है यह व्यवहारिक दर्शन है। मानव को केन्द्र में रखकर मानव के सर्वतोमुखी कल्याण के उपायों का यह व्यावहारिक रूप प्रस्तुत करती है।

गीता का मुख्य प्रतिपाध कर्मयोग है। जीवन में निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देने वाले एक मात्र गुरु श्री कृष्ण ने अनेक बार कर्मयोग को ही योग कहकर तथा कर्मयोगी को ही योगी कह कर इस तथ्य को स्पष्ट किया है। कर्मयोग में निष्कामभाव होता है तथा उससे समत्वबुद्धि प्राप्त होती है। कर्मयोगी स्वान्तः सुखाय, अपनी अन्तरात्मका की शुद्धि एवं शान्ति के लिए अपनी परम सन्तुष्टि के लिए कर्म करता है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग की स्थापना ज्ञानयोग के प्रकाश में की है। उन्होंने अनेक उक्तियों से निष्काम भाव से स्वधर्म–पालन करने पर बल दिया है। निष्काम भाव से अर्थात् अनासक्त होकर अथवा फल में आसक्ति को छोड़कर कर्म करने से चित्त शुद्धि हो जाती है तथा चित्त शुद्धि होने पर आत्मज्ञान का उदय हो जाता है। कर्मयोगी निष्काम, कर्म के अभ्यास से स्थिति–प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाता है।

मानव जीवन सीधी रेखा के समान सरल या समतल नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख–दुःख, जय–पराजय, लाभ–हानि, उतार–चढ़ाव आते रहते हैं। अविवेकी मनुष्य विषम परिस्थितियों में या संकट आने पर परेशान होकर घुटने टेक देता है तथा परास्त होकर कर्तव्य–कर्म से पलायन कर देता है। समुचित पुरूषार्थ न करने के कारण वह दुर्दशा को प्राप्त हो जाता है। विवेकी पुरूष साहसपूर्वक उठ खड़ा होता है और चुनौती को स्वीकार कर पूर्ण शक्ति से परिस्थितियों का सामना करता है। कर्मवीर के लिए हार भी जीत के समान होती है। मनुष्य के लिए कर्म करना परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है। कर्मयोगी का धर्म है कि वह परिस्थितियों से कदापि पलायन न करें बल्कि डटकर उससे मुकाबला करे।

''फल पर विचार न करके मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के किये गये कर्म मनुष्य को बन्धन में नहीं बांधते।[1] प्रत्येक मनुष्य कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्य करता है तथा सभी के कार्यक्षेत्र और परिस्थितियाँ अलग–अलग होती है। मनुष्य के शक्ति और सामर्थ्य भी सीमित होते हैं। वह केवल कार्य कर सकता है फल के विषय में निश्चित नहीं हो सकता क्योंकि फल मनुष्य की इच्छा के अधीन नहीं होता है। मनुष्य भाग्य के सहारे भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता क्योंकि भाग्य का ज्ञान सम्भव नहीं होता। जो मनुष्य कर्म करने से बचना चाहता है वह निश्चित रूप से अक्षम है। ईशोपनिषद् का मंत्र भी इसी बात की ओर इंगित करता है–

''कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः।''[2]

मनुष्य कर्म से पूर्व लक्ष्य निर्धारित करते हुए योजना बनाता है किन्तु उसे अपनी योजना के अनुसार लक्ष्य पूर्ति के लिए कर्म करते हुए भी फल प्राप्ति को मुख्य उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। फलासक्ति से प्रेरित होकर कर्म करने वाला मनुष्य कामना के अनुकूल फल प्राप्ति कर अति प्रसन्न और प्रतिकूल फल प्राप्ति पर अति व्याकुल हो जाता है। वास्तव में फल की आसक्ति होने पर मनुष्य कर्म की ओर स्वार्थ–दृष्टि से देखता है। फलासक्ति रहित अर्थात् निष्काम कर्म मनुष्य का अपना कल्याण तथा जगत् का हित करता है–

''आत्मनो मोक्षार्थ जगत् हिताय च, स्वान्तः सुखाय परहिताय च।''

कर्मयोग की साधना में मनुष्य के लिए कर्मफल की आसक्ति के त्याग का अभ्यास करना नितान्त आवश्यक है। मनुष्य को भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों को नश्वर समझकर उनके प्रति मोह का त्याग कर देना चाहिए। कर्मफल में आसक्ति का त्याग करने पर मनुष्य आत्म कल्याण एवं समाज हित के लिए कर्म करते हुए सदा एक समान रह सकता है। कर्म को सच्चे भाव से कर लेना अपने में एक गहरा सुख होता है तथा अपने कर्म में निरत रहना अपना धर्म है। महाभारत में कहा गया है–

स्वकर्मत्यजतो ब्रहन्नधर्म इह दृश्यते।

स्वकर्मनिरतोयस्तु सधर्म इति निश्चयः।।[3]

कर्मफल की आसक्ति छोड़ना अथवा निष्काम होना कर्मयोग की साधना का मूलाधार है। मोह का त्याग गीता का प्रमुख आधार है। आसक्ति को छोड़कर कर्म की सफलता या विफलता अथवा पूर्णता और अपूर्णता में समबुद्धि रहकर योग द्वारा परमात्मा को स्थित होकर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। यही समत्व ही योग कहलाता है–

''समत्वं योग उच्यते।''[4]

कर्मयोगी अध्यात्म चेतना से मुक्त होकर एवं परमात्मा में लिप्त होकर एवं परमात्मा में स्थित होकर समस्त सृष्टि के साथ समरस हो जाता है। वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर भी लोक–संग्रह के लिए कर्म करता है तथा अपने उदाहरण से दूसरों को भी कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्मयोगी भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर अपने समस्त कर्म को ईश्वर को अर्पण कर देता है। गीता में श्रीकृष्ण ने प्रत्येक स्थिति में स्वधर्म पालनकरने पर तथा मानवीय चेतना के उर्ध्वगामी, प्रक्रिया द्वारा निरन्तर विकास पर बल दिया है। विषय भोगों में आसक्त होकर इन्द्रिय–तृप्ति के भिन्न स्तर पर जीने वाला मनुष्य कभी जीवन के ऊँचे स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वार्थभाव एवं संकीर्णता से ऊपर उठकर परमार्थ भाव एवं उदारता से निष्काम–कर्म करना यज्ञ है। कर्म करने से कार्य दक्षता आती है एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

मानव–स्वभाव के तीन प्रमुख पक्ष होते हैं। 1– जानना अथवा ज्ञापोपर्जन करना (बुद्धि पक्ष) दूसरा भावों अथवा उद्योगों का अनुभव करना (हृदय पक्ष) और तीसरा क्रियाशील होना (कर्मपक्ष) यद्यपि ये तीनों प्रत्येक मानव के स्वभाव के अन्तर्गत है तथापि सभी के स्वभाव मात्र भेद के कारण भिन्न–भिन्न होते है। इसके अनुरूप गीता में भी परमात्मा की प्राप्ति के तीन मार्ग है– ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग एवं कर्म मार्ग। गीता में कहा गया है कि मनुष्य न तो कर्मों के अनारम्भ से (न करने से) निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्याग देने से सिद्धि को प्राप्त करता है–

न कर्मणामनारम्भान्र्तैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते।

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधि गच्छति।।[5]

कर्मों का आरम्भ न करने पर अर्थात् कर्म न करने पर निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती। कर्मों का आरम्भ करने पर अर्थात् कर्म करने पर ही अन्त में निष्कर्मता प्राप्त होती है। निष्काम कर्म करने से अर्थात् आसक्ति एवं फल की

कामना छोड़कर कर्म करने से कर्मबन्धन से मुक्ति की स्थिति प्राप्त होती है। निष्काम होकर कर्म करने से मनुष्य का चित्त निर्विकार एवं निर्मल हो जाता है तथा शुद्ध चित्त में ज्ञान का प्रादुर्भाव स्वयं हो जाता है। इस प्रकार कर्मयोगी को कर्म निष्ठा के साथ ही ज्ञानी जन की ज्ञान निष्ठा भी प्राप्त हो जाती है।

संघर्ष जीवन का अंग है। पशु–पक्षियों पौधों वनस्पतियों को भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता होता है। मनुष्य को केवल अपने अस्तित्व के लिए ही नहीं बल्कि जीवन मूल्यों के लिए भी संघर्ष करना होता है। मनुष्य अपने भीतर दैवी वृत्तियों से आसुरी वृत्तियों के साथ संघर्ष करके आत्मानुशासन एवं आत्मविकास की प्रक्रिया में तीव्र प्रगति कर सकता है।

कर्मयोगी अपनी जीवन यात्रा के समस्त संघर्षों में अपने भीतर से प्रेरणा एवं शक्ति प्राप्त करता है। वह दुष्प्रकृति वाले लोगों की द्वेषपूर्ण आलोचना से विचलित नहीं होता। गीता का कर्म योग यह शिक्षा देता है कि व्यक्ति को जीवन की विषय परिस्थितियों से कभी पलायन नहीं करना चाहिए बल्कि समस्त चुनौतियों को स्वीकार करके डटकर उनका सामना कर जय–पराजय, लाभ–हानि तथा यश–अपयश की चिन्ता परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है।

आज समाज में चारों तरफ आपा, धापी, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के साथ अनेक सामाजिक विसंगतियाँ फैली है। मनुष्य को केवल अपना स्वार्थ दिखायी दे रहा है। भौतिकतावाद के इस युग में मानव का चारित्रिक क्षरण तेजी से हो रहा है। इस कारण वह कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म का सही निर्णय नहीं ले पा रहा है। गीता के उपदेश व ज्ञान से उसे एक नयी दिशा अवश्य मिल सकती है।

सन्दर्भ–सूची

1. श्रीमद् भगवद्गीता–2 / 47
2. ईशोपनिषद–2
3. महाभारत
4. श्रीमद् भगवद्गीता–2 / 48
5. श्रीमद् भगवद्गीता–3 / 4

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

गरीबी निवारण हेतु नीतियाँ : विश्लेषणात्मक समीक्षा

डॉ.मनमोहन प्रसाद पाण्डेय

भूतपूर्व शोध छात्र,

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,

उत्तर प्रदेश,भारत।

सारांश– भारत एक कल्याणकारी राज्य है जो देश के सभी नागरिकों और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उनके सामाजिक सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उनमें वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूलभूत अधिकार और अनुच्छेद 38–39 और 6, जनकल्याण के प्रति राज्य की वचनबद्धता निरूपित करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने समाज के उपेक्षित और कमजोर तबकों जैसे अनुसूचित जाति/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, वृद्धों, बेघर बच्चों के कल्याण एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय–समय पर विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए नीतियां बनाती रही है।

मुख्यशब्द– कल्याणकारी, राज्य, देश, गरीबी, नागरिक, समाज, कमजोर, अधिकार, सिद्धान्त।

मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को उपलब्ध संसाधनों के समुचित प्रबन्ध द्वारा पूरा किया जाए। इस बात को दृष्टिगत रखकर पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी निवारण हेतु अनेक योजनाएं बनायी गई तथा बलवती रूप से इनका संचालन भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जहाँ विभिन्न देश आन्तरिक स्तर पर अपने यहाँ गरीबी निवारण के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं, वहीं कई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या के निदान हेतु सतत् प्रयत्नशील हैं। किसी भी राष्ट्र को 'समग्र विकास' की श्रेणी में तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि वहाँ की लगभग सम्पूर्ण जनसंख्या सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न न हो जाय। भारत जैसे विकासशील देश जहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, तब तक विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकेंगे, जब तक कि इन परिवारों की गरीबी दूर न हो जाय।

GISRRJ192422 | Received : 03 March 2019 | Accepted : 20 March 2019 | March-April-2019 [2 (2) : 80-96]

इस महत्वपूर्ण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा गरीबी निवारण के लिए समय–समय पर अनेक नीतियों का निर्माण किया गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा समय–समय पर बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा किया जाता रहा है तथा प्राप्त परिणामों की समीक्षा कर बनाई गई नीतियों में समय–समय पर संशोधन भी किए जाते रहे है ताकि देश में हासिए पर रहने वाले लोगों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक जीवन सुखमय हो सके और ये लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

आवास नीति

राष्ट्रीय स्तर पर निराश्रितों को आश्रय प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा आवासीय योजनाओं का संचालन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आवासों की उपलब्धता में कुछ सुधार रेखांकित किया गया किन्तु इस परिणाम को बहुत संतोषजनक नहीं माना जा सकता। भारत में सार्वजनिक आवास का प्रावधान सन् 1950 में सामाजिक आवास योजना के साथ शुरू किया गया। वर्ष–वार सामाजिक आवास योजनाओं का विवरण सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1: भारत में सामाजिक आवास योजनाएं – 1950

आवासीय योजनाएं	आवास योजना का परिचय वर्ष
सहायता प्राप्त योजना	1952
निम्न आय समूह आवासीय योजना	1954
बागान श्रमिक योजना	1956
ग्रामीण आवास परियोजना	1957
मध्य आय आवास योजना	1959

स्रोत : भारत सरकार, योजना आयोग, 1983, टास्क बल, आवास और ग्रामीण गरीबी एवं मलिन बस्ती सुधार।

सन् 1974 में सरकार ने बागान श्रमिकों से सम्बन्धित आवासीय योजनाओं को छोड़कर अन्य सभी आवासीय योजनाओं को राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया था। योजना आयोग के अध्ययन दल ने पाया कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में चलायी गयी आवासीय योजनाओं से अब तक केवल मध्यम व उच्च आय वर्ग के परिवारों को ही लाभ हुआ। ग्रामीण भारत में आवास के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के अच्छे जीवन को सुनिश्चित

करने में केन्द्र व राज्य, दोनों की बहुत कम भूमिका थी। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति 1994 प्रतिपादित किया।[1]

कमजारे वर्गो हेतु राष्ट्रीय एजेण्डा

शासन का राष्ट्रीय एजेण्डा सभी कमजोर वर्गों की जरूरतों पर विशेष जोर देने के साथ–साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गयी। चिन्हित क्षेत्रों के लिए विशेष आवास योजना बनाई गयी। इस विशेष कार्य योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 2 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.3 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निश्चित किया गया।[4]

ग्रामीण आवास के लिए सरकारी योजनाएं

सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा ग्रामीण आवास की समस्या पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एक आवासीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम 1960 तक चला। सन् 1957 में सामुदायिक विकास आन्दोलन के अन्तर्गत ग्रामीण आवास योजना को इसके अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया। ये सभी कार्यक्रम अधूरे मन से प्रारम्भ किये गये। सन् 1972–73 में लोक सभा की अनुमान समिति की 37वीं रिपोर्ट में यह कहा गया कि यद्यपि भारत की आबादी का 83 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और ग्रामीण आबादी का लगभग 73 प्रतिशत जनसंख्या खण्डहर या असन्तोषजनक कच्चे ढांचे के मकानों में रहती है। फिर भी सरकार द्वारा ग्रामीण आवास की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में संचालित ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को फ्लो चार्ट में दिखाया गया है।

1998–99 के बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण उत्तर प्रदेश में सभी ग्रामीण परिवारों की तुलना में 36.94 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवार थे। इन बी0पी0एल0 परिवारों में से अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिशत 43.87 था। इनमें सबसे अधिक 18.2 प्रतिशत गरीब परिवार के रूप में सीमान्त किसान और 15.1 प्रतिशत कृषक मजदूर थे। बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 1998–99 में कम परिवारों को आश्रयहीन पाया गया। 70.47 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के पास कच्चा मकान था।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश

आवासीय कार्यक्रम	क्रियान्वयन क्षेत्र	मुख्य उद्देश्य
इन्दिरा आवास कार्यक्रम	वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा देश के सभी जिलों में वर्ष 1985–86 से संचालित की जा रही है।	1) गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले अनु0 जाति/जनजाति, बन्धुआ मजदूर, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में आवास बनाने के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करना। 2) गैर–अनुसूचित जाति के ग्रामीण आवास विहीन परिवार के लिए योजना का अधिकांश 40 प्रतिशत व्यय किया जाता है। 3) मैदानी क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए 37,000 रूपये तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 40,000 रूपये तथा अवस्थापना सुविधाओं के लिए 15,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
प्रधानमंत्री (ग्रामोदय) ग्रामीण आवास योजना	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000–01 में प्रारम्भ की गयी। वर्तमान में देश के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।	1) गरीबी रेखा की सीमा से थोड़ा उपर जीवन–यापन करने वाले गरीब परिवार, जिनकी वार्षिक आय 32,000 रूपये तक है, योजना का लाभ पाने के पात्र होते हैं। 2) योजना के अनुदान अंश का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सुरक्षित रहता है। 3) गैर–अनुसूचित जाति को योजना राशि का 40 प्रतिशत अंश अनुदान के रूप में दिया जाता है।
ग्रामीण आवास के लिए ऋण सह अनुदान योजना	भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1999 में प्रारम्भ की गयी। वर्तमान में देश के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश में चलायी जा रही है।	1) गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले अनु0 जाति/जनजाति, बन्धुआ मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग तथा गैर–अनु0 जाति के गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके जीवन–स्तर को सुधारना। 2) इस योजना में कम से कम सब्सिडी राशि 10,000 रूपये तथा अधिकतम 50,000 रूपये तक दी जाती है। 3) वर्ष 2002–03 में इस योजना को इन्दिरा आवास योजना में शामिल कर दिया गया।
समग्र आवास योजना	भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में प्रारम्भ की गयी और देश के 24 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के 25 जिलों में चलायी जा रही है।	1) ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी, शौचालय, सड़क, जल निकासी की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। 2) तकनीकी, सूचना, शिक्षा एवं संचार सुविधाओं के लिए प्रत्येक विकास खण्ड को 25 लाख रूपये सम्पूर्ण विकास के लिए दिये जाते हैं, जिसमें से 10 प्रतिशत लोगों द्वारा वह किया जाता है।
मछुआ आवास योजना	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी यह योजना राज्य के कुछ चुने हुए जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।	1) गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले गरीब मछुआरा समुदाय के परिवार, जो किसी भी नदी में मछली पकड़ने की क्रियाओं में लगे हों उन्हें आवास की सुविधा प्रदान करना। 2) इसके सहयोग के लिए 20,000 रूपये की धनराशि, जो वापस नहीं करनी होती, दी जाती है। 3) यह कार्यक्रम मत्स्य विभाग द्वारा अलग से संचालित किया जाता है।
बुनकर आवास योजना	यह कार्यक्रम गैर–सरकारी समिति बुनकर कल्याण समिति, वाराणसी द्वारा प्रारम्भ की गयी। इसके द्वारा वाराणसी जिले के साड़ी और पधारी बुनकरों को आच्छादित किया गया।	1) दस्तकारी एवं हथकरघा उद्योगों में लगे गरीब बुनकर परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान करना। 2) समिति अपने सभी सदस्यों को कुछ धनराशि एकत्रित करके बुनकरों के कल्याण के लिए प्रदान करती है।
महामाया आवास योजना	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वयन की जा रही है।	1) अनुसूचित जाति/जनजाति के बीपीएल आवासविहीन परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के मानक के अनुसार आवास उपलब्ध कराना। 2) आवास की इकाई लागत मैदानी क्षेत्र में रु0 25000 एवं बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों में रु0 27500 है।

सारणी 2 उत्तर प्रदेश में गरीबी, व्यवसाय और आवास की स्थिति

सूचक	परिवारों की श्रेणियाँ	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
गरीबी	कुल ग्रामीण परिवार	19397067	100.00
	कुल बी0पी0एल0 परिवार	7164992	36.94
	कुल बी0पी0एल0 अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार	3143518	43.87
व्यवसाय	लघु कृषक	9508360	4.90
	सीमान्त कृषक	3528597	18.20
	ग्रामीण दस्तकार	580507	3.00
	कृषि श्रमिक	2923576	15.10
आवास	आवासहीन परिवार	86865	1.21
	कच्चे मकानों के स्वामी	5049678	70.94
	अर्द्धपक्के मकानों के स्वामी	1733594	24.19
	राज्य में कुल आवासीय आवश्यकता	6870131	95.88
	आवासीय कार्यक्रमों का घरों में कवरेज	945412	13.76

नोट : उपरोक्त आंकड़े बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 1998–99 पर आधारित हैं।

स्रोत : कार्यालय, आयुक्त, ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

सरकार द्वारा समर्थित आवासीय योजनाओं में इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2001–04 के दौरान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यधिक सफल रही है। पिछले तीन वर्षों में इन्दिरा आवास योजना की उपलब्धि दर 98.3 प्रतिशत थी। इन्दिरा आवास योजना की उपलब्धि दर विभिन्न वर्षों में भिन्न–भिन्न थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की उपलब्धि दर सभी तीन वर्षों (2001–04) में 94.6 प्रतिशत थी। यह उपलब्धि दर वर्ष में विविध थी, लेकिन पिछले तीन वर्षों (2001–04) में यह दर अत्यधिक ऊंची (लक्ष्य के सापेक्ष 137.7 प्रतिशत) थी। वर्ष 2001–04 के दौरान इन्दिरा आवास योजना की वित्तीय उपलब्धि दर (लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में) 103.9 प्रतिशत थी। इसका आशय यह है कि योजना धनराशि का अधिक से अधिक राशि लक्ष्यों पर व्यय की जाती है।

सारणी 3: उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का भौतिक प्रगति

वर्ष	इन्दिरा आवास योजना				प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना			
	उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2001-02	171944	99.7	172423	100.0	32193	77.7	41442	100.0
2002-03	1771190	100.2	166800	100.0	19034	86.0	22124	100.0
2003-04	190950	95.4	200224	100.0	29799	134.7	22124	100.0
2004-05	540084	98.3	549452	100.0	81026	94.6	85690	100.0

स्रोत *:* कार्यालय, आयुक्त, ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित नीति

सभी लोगों को समय पर पर्याप्त मात्रा में भोजन (खाद्यान्न) उपलब्ध कराना है जिससे वे सक्रिय व स्वस्थ जीवन–यापन कर सकें और यह किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। भोजन मानव जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसके बिना मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। सभी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने तीन खाद्य आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अपनाए यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास कार्यक्रम व भोजन कार्यक्रम आदि। इन तीनों कार्यक्रमों को सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का भण्डार रखती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है जिससे उपभोक्ताओं को वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके तथा जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर प्राप्त करने में सहायता दी जा सके। इस प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण

सुनिश्चित कराने के लिए सरकार आवश्यक खाद्य वस्तुओं को व्यापारियों व उत्पादकों से न्यूनतम समर्थित मूल्यों पर खरीदती है और इन आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित दर की दुकानों और राशन की दुकानों के माध्यम से कराती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त इस प्रणाली द्वारा प्रयोग में आने वाले खाद्य तेल, चीनी, कोयला, मिट्टी का तेल तथा कपड़ों का वितरण भी किया जाता है। भारत में इस प्रणाली के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 16 करोड़ परिवारों को 30,000 करोड़ रूपये मूल्य की वस्तुएं वितरित की जाती हैं।[16]

रोज़गार नीति

देश की आजादी मिलने के बाद सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करने के लिये सन् 1950 में योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग के गठन के बाद सरकार का ध्यान बेरोज़गारी की समस्या की ओर गया तथा इस समस्या पर विचार आरम्भ हुआ। इसके लिये सरकार ने प्रत्येक जिले मे रोज़गार कार्यालय खोला और बेरोज़गारों को उनकी योग्यता व कुशलता के अनुरूप रोज़गार देने पर बल दिया। योजना के प्रारम्भिक वर्षो में देश के विभाजन होने तथा संसाधनों की कमी के कारण उस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने बेरोज़गारी जैसी ज्वलन्त समस्या को कम करने और बेरोज़गारों को रोज़गार प्रदान करने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से रोज़गार नीति का निर्माण कर रोज़गार सृजन पर बल दिया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में सरकार का उद्देश्य प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों का निर्माण न कराकर परोक्ष रूप से आर्थिक विकास के माध्यम से रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करना था। इस योजना में सरकार ने ग्रामीण बेरोज़गारी को दूर करने के लिये विभिन्न विकास कार्यक्रम यथा सिचाई योजनाएं, भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं पुनरुद्धार, बेकारी के महीनों में कुछ अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य, लघु तथा कुटीर उद्योगों के साथ बड़े उद्योगों की स्थापना, इत्यादि क्षेत्रों में नये रोज़गार उत्पन्न करने पर बल दिया। इस योजना के प्रथम पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 17.7 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।[19]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) में रोज़गार प्रदान करना आर्थिक विकास का एक विशेष उद्देश्य माना गया। इस योजना में भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य कार्यक्रमों तथा रोज़गार नीति को अपनाया गया। इस योजना में तीव्र औद्योगीकरण तथा विनियोग पर अधिक बल दिया गया था ताकि अधिक रोज़गार का निर्माण किया जा सके। इस योजना में भी रोज़गार को उच्च प्राथमिकता नहीं दी गयी। यह योजना भी उद्योग प्रधान योजना थी इसमें भी पूंजी वृद्धि की तुलना में रोज़गार के अवसरों पर कम ध्यान दिया गया। विनियोग के सम्बन्ध में जितनी आशा थी उतना विनियोग न हो सकने के कारण वांछित संख्या में रोज़गार के अवसर उत्पन्न न हो सके। इस प्रकार बढ़ती विकास दर भी रोज़गार प्रदान करने के अपने लक्ष्यों को पाने में असफल रही तथा

पर्याप्त मात्रा में श्रम आधारित संसाधनों व तकनीक का विकास न होने के कारण बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती गयी।[20]

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–1966) में रोज़गार की समस्या पर अधिक गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया और इसे योजना का एक प्रमुख अंग माना गया। इस योजना में आर्थिक विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्रों की अल्प–रोज़गार श्रम शक्ति के उपयोग पर बल दिया गया। तीसरी योजना अवधि में रोज़गार नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू, अल्प–रोज़गार की व्यवस्था विशेष रूप से खाली मौसम में की गयी। इस योजना में अतिरिक्त रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये उचित आर्थिक तथा अन्य नीतियों को समुचित रूप से कार्यान्वित करने तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों को पर्याप्त क्षमता के साथ पूरा करने पर जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिये इस योजना में 34 ग्रामीण 'पाइलेट' परियोजनाएँ चालू की गयीं, जिसमें लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, जल निकासी, वानिकी, भूमि पुर्नग्रहण एवं सुधार, बाढ़ नियंत्रण आदि शामिल थे। लेकिन इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सका।[21] इस प्रकार से बढ़ती हुयी बेरोज़गारी तथा अल्प–बोरोज़गारी को कम करने में ग्रामीण कार्यक्रमों को बहुत कम सहयोग मिला।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) में राज्यों व जिलों के द्वारा ग्रामीण परियोजनाओं के लिये एक सुनिश्चित नीति अपनाई गयी। इस योजना में यह अनुभव किया गया की ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रमों को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने अनिर्वाह–क्षम छोटे किसानों, भूमि हीनों और ग्रामोद्योगों में लगे हुए अर्द्ध–बेकार कारीगरों के लिये, खास तौर पर असिंचित प्रदेशों और पिछड़े जिलों के लोगों के लिये विशेष कार्यक्रम शुरू किये। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम प्रधान बेरोज़गारों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्रदान करने के लिये बहुत से 'क्रैस' कार्यक्रम चलाये गये जैसे– लघु कृषक विकास अभिकरण (एस0एफ0डी0ए0), सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक (एम0एफ0ए0एल0), सूखा उन्मूलन या उन्मुख कार्यक्रम आदि।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की समस्या का अध्ययन करने के लिये भगवती समिति का गठन किया। समिति ने अपने अन्तिम रिपोर्ट में श्रम प्रधान तकनीकों पर आधारित रोज़गार निर्माण पर बल दिया। समिति ने कृषि विकास, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु सिंचाई, ग्रामोद्योग, उद्योगों का विकेन्द्रीकरण, ग्रामीण आवास के निर्माण पर व्यय करने का सुझाव दिया।[22] पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–1979) में पूर्व में निर्धारित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के जीवन स्तर में सुधार करना था। इस योजना में श्रम प्रधान रोज़गार के अवसरों के प्रसार पर अधिक बल दिया गया। इस योजना में बेरोज़गारी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।[23] छठी पंचवर्षीय योजना (1980–1985) का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था। इस योजना में पहले बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिये कोई स्पष्ट रोज़गार नीति नहीं बनायी गयी। इस योजना से पूर्व काफी समय तक यह माना जा रहा था कि

आर्थिक संवृद्धि तथा आधारभूत संसाधनों के विकास से रोज़गार के अवसरों का स्वतः निर्माण हो जायेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो दशकों तक अप्रत्यक्ष रूप से लघु एवं कुटीर, कृषि उद्योगों तथा आधारभूत संरचना में निवेश कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया जिससे पहले की बेरोज़गारी को दूर किया जा सके तथा नये लोगों को रोज़गार दिया जा सके। इस योजना में रोज़गार नीति के दो उद्देश्य रखे गये अल्प–रोज़गार में बड़े स्तर पर पायी जाने वाली समस्या का समाधान तथा दीर्घ कालीन बेरोज़गारी की समस्या को कम करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये यह माना गया कि रोज़गार–उन्मुख तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता है। इस योजना में रोज़गार वृद्धि के कार्यक्रमों को सामुदायिक रूप में चलाया गया। इस योजना में निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाने की नीति अपनाई गयी। इस नीति में कृषि, लघु व कुटीर उद्योगों तथा सहायक संसाधनों में स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया। इस योजना अवधि में सरकार ने रोज़गार प्रदान करने के लिये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शुरू किया। इसके अन्तर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड 2 डेरी प्रोजेक्ट, किस फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, तथा ग्रामीण युवकों को स्वरोज़गार के लिये प्रशिक्षण योजना आदि।[24] सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990) में पहली पंचवर्षीय योजना में किये गये प्रावधानों को ही स्वीकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के बेरोज़गार युवकों को उत्पादक रोज़गार प्रदान करने के लिये, उत्पादन ढांचे में निवेश तथा अच्छी किस्म की तकनीकों के माध्यम से संगठनात्मक ढांचे को विकसित करने पर बल दिया गया। इस योजना में भी रोज़गार के अवसरों का निर्माण करने के लिये कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया। इस योजना में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये मुख्य रूप से कृषि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण लघु उद्योग, भवन निर्माण एवं अन्य सेवाओं के विस्तार पर बल दिया गया। इस योजना में सरकार ने ग्रामीण बेरोज़गारी को दूर करने के लिये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अपनाए जाने पर जोर दिया। इस योजना अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार–प्रदान करने के अलावा, वृहत पैमाने पर ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मजदूरी तथा स्वरोज़गार कार्यक्रम चालू किये गये। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, खेतिहर मजदूर रोज़गार कार्यक्रम तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि मुख्य थे। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा खेतिहर मजदूरों को 50 से 100 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराने तथा 30 प्रतिशत् रोज़गार के अवसर स्त्रियों के लिये आरक्षित करने के उद्देश्य से सन् 1989–90 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम और खेतिहर मजदूर रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम का विलय कर एक नयी जवाहर रोज़गार योजना का आरम्भ किया गया।[25]

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में ग्रामीण क्षेत्र में पूरक रोज़गार प्रदान करने के लिये विशेष कार्यक्रमों को आधार बनाया गया। इस योजना अवधि में 10 लाख शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को उद्योग, सेवा तथा कारोबार के क्षेत्र में, रोज़गार प्रदान करने के लिये वर्ष 1993 में प्रधान मंत्री रोज़गार योजना व रोज़गार अश्वासन योजना को चालू किया गया। इस योजना में इस बात पर बल दिया गया कि श्रम आधारित रोज़गार कार्यक्रमों को और बढ़ाया

जाए ताकि आगे के वर्षों में रोज़गार की आवश्यकता को कम किया जा सके।[26] नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया। इस योजना में पूर्व में संचालित रोज़गार कार्यक्रमों में संशोधन किया गया इसके तहत रोज़गार अश्वासन योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को आपस में विलय करके वर्ष 2001 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना को चालू किया गया। इस योजना में 100 करोड़ मानव दिवस रोज़गार निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये कोई स्पष्ट नीति नहीं बनायी गयी। इस योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय की जाने वाली धनराशि में कमी के कारण कृषि क्षेत्र में भी रोज़गार के अवसर कम हो गये थे।[27]

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) में बढ़ती हुयी श्रम शक्ति को ध्यान में रखते हुए कृषि, सिंचाई, कृषि वानिकी, छोटे और मझोले उद्यमों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा अन्य सेवाओं जैसे रोज़गार की सम्भावना वाले अन्य क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजनावधि के दौरान 10 करोड़ रोज़गार पैदा करने का उद्‌देश्य रखा गया था। इस योजना में रोज़गार सृजन को ध्यान में रखकर पूर्व में संचालित कार्यक्रमों में संशोधन किया गया। इस योजना अवधि के दौरान 7 सितम्बर 2005 को संसद में एक अधिनियम पारित कर पूर्व में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम, जवाहर रोज़गार योजना, सुनिश्चित रोज़गार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि, सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि रोज़गार परक कार्यक्रमों को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी अधिनियम, 2005 लागू किया गया जिसके अन्तर्गत नरेगा एवं स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना संचालित की गयी। नरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार के लिये आवेदन करने वाले श्रमिकों को 15 दिन के अन्दर 100 दिन का रोज़गार देने तथा रोज़गार न मिलने की दशा में बेरोज़गारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया।[28]

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में पिछले वर्षों की अपेक्षा रोज़गार के अवसरों के सृजन पर अधिक ध्यान देने की बात कही गयी है। इन योजना में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में और मजबूती से लागू करने पर बल दिया गया। इस योजना में 5 करोड़ 80 लाख नये रोज़गार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।[29]

कृषि नीति

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होने के कारण देश की लगभग 65 से 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुयी है। भारत के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय के उत्पादन, रोज़गार, जीवन–यापन के साधन, औद्योगिक विकास, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में, कृषि देश का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास करने की नीति अपनायी।

नयी राष्ट्रीय कृषि नीति 2007

सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिये कार्य–योजना का सुझाव देने के लिये वर्ष 2004 में डा0 एम0एस0 स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया तथा आयोग ने 13 अप्रैल 2006 को केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें किसानों के लिये नयी कृषि नीति बनाने पर बल दिया गया था। नयी कृषि नीति के अन्तर्गत किसानों के सभी कृषिगत उपजों के लिये समर्थन मूल्य घोषित करने, सूखे एवं ओले सम्बन्धी जोखिमों से बचाव के लिये कृषि जोखिम कोष की स्थापना, किसान आयोग के गठन, किसानों के लिये बीमा योजनाओं के विस्तार इत्यादि पर विशेष बल दिया गया।[41]

उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि नीति 2005

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 4 प्रतिशत कृषि विकास दर प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में कृषि नीति की घोषणा की। जिसमें कृषि प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबन्ध, मृदा संरक्षण एवं उर्वरता, बीज प्रबन्धन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि विविधिकरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। इसके साथ ही अतिरिक्त रोज़गार के अवसर का सृजन, घरेलू आय में वृद्धि तथा गरीबी कम करने के लिये कृषि पद्धतियों का विविधिकरण, ग्रामीण अवस्थापन हेतु सुविधाओं का विस्तार, कृषि विकास कार्यक्रमों में भागीदारी करते हुए ग्रामीण निर्धनों के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया गया।[42]

स्वास्थ्य नीति

स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति एवं सफलता का प्रतीक है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उस देश की शारीरिक तथा मानसिक प्रवृत्ति के विकास का परिचायक है। राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के सन्दर्भ में विशेष रूप से सुधारों के उत्तरोत्तर काल में नीचे स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित आधारभूत ढाँचे के विकास की संकल्पना सन् 1946 में गठित स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति (भोरे समिति) की रिपोर्ट पर आधारित है। समिति ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव दिया। जिसके आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विगत 100 वर्षों में सरकार स्वास्थ्य प्रणाली के विभिन्न आयामों में व्यापक परिवर्तन किये गये। सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में महामारी एवं संक्रामक रोगों की वृद्धि को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के सम्बन्ध में अनेक नीतियां बनाती एवं परिवर्तित करती रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य नीति

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक एक लाख जनसंख्या पर 30 शैय्या का एक मुख्य स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की नीति पर बल दिया गया है।

जिसके आधारभूत उपकरणों, वेतन आदि पर लगभग 20 लाख रूपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये 308 मुख्य स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर जोर दिया गया है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से 6 विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान कराने के उद्देश्य से फिजिशियन, सर्जन, गाइनेकोलाजिस्ट, डेन्टल डॉक्टर, पैथोलाजिस्ट की नियुक्ति पर बल दिया गया। दूसरी ओर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 4 शैय्या वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने पर बल दिया गया है। सुरक्षित प्रसव व शिशु एवं महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अस्पताल खोलने पर बल दिया गया है। वर्तमान समय में 5000 गांवों में 20,000 उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर जोर दिया गया। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किये जाने पर जोर दिया गया है। इन कार्यक्रमों में परिवार नियोजन, मलेरिया उन्मूलन, एड्स नियंत्रण, फाइलेरिया उन्मूलन, अन्धता निवारण, घेंघा रोग को उपचार हेतु लागू किया गया।[47]

शिक्षा नीति

शिक्षा राष्ट्र के भौविष्य निर्माण का अनुपम साधन है, शिक्षा ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाकर एक सुन्दर आदर्श समाज का निर्माण करती है, जिससे देश के संविधान की धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शक एवं सहायता होती है। शिक्षा बौद्धिक सम्पन्नता एवं राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। व्यक्ति और समाज के चतुर्मुखी विकास के लिये शिक्षा की भूमिका निर्विवाद है। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा केन्द्र एवं राज्यों की साझा जिम्मेदारी बन गयी है। अब शिक्षा प्रणाली और उसके ढांचे के विषय में नीति निर्माण का कार्य आमतौर पर राज्य ही करते हैं, लेकिन शिक्षा के स्वरूप और गुणवत्ता के निर्धारक का दायित्व स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार का है। नीति निर्धारण के अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग शैक्षिक आयोजन की जिम्मेदारी राज्यों के साथ मिलकर करता है। आजादी के पूर्व एवं इसके बाद की विभिन्न सरकारें शिक्षा के सम्बन्ध में उचित नीतियों का निर्माण एवं उसमें समय–समय पर आवश्यक संशोधन करती रही हैं। भारत में शिक्षा के प्रति रूझान प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। प्राचीन काल में गुरूकुलों, आश्रमों तथा बौद्ध मठों में शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था होती थी। मध्य काल में शिक्षा मदरसों में दी जाती थी।

सन्दर्भ–

1– भारत सरकार, योजना आयोग, 1993, पृष्ठ–25।

2– भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 1997–98, पृष्ठ–148।

3– भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 1998–99, पृष्ठ–153।

4– भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 2000–01, पृष्ठ–203।

5– भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 1999–02, पृष्ठ–178।

6– भारत सरकार, योजना आयोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951–56, पृष्ठ–598–605।

7– भारत सरकार, योजना आयोग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956–61, पृष्ठ–551।

8– भारत सरकार, योजना आयोग, तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1961–66, पृष्ठ–699।

9– भारत सरकार, योजना आयोग, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 1969–74, पृष्ठ–403–404।

10– भारत सरकार, योजना आयोग, पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1974–79, पृष्ठ–281।

11– भारत सरकार, योजना आयोग, छठी पंचवर्षीय योजना, 1980–85, पृष्ठ–391।

12– भारत सरकार, योजना आयोग, सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985–90, पृष्ठ–294–295।

13– भारत सरकार, योजना आयोग, 1993–94, पृष्ठ–155।

14– भारत सरकार, योजना आयोग, नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997–2002, पृष्ठ–282–283।

15– भारत सरकार, योजना आयोग, दसवीं पंचवर्षीय योजना, भाग–2 पृष्ठ–299।

16– भारत सरकार, योजना आयोग, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002–07, भाग–2, पृष्ठ–367।

17– भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय, 2006, पृष्ठ–364।

18– मार्ग निर्देशिका, उत्तर प्रदेश सरकार, खाद्य एवं रसद विभाग, 2007, पृष्ठ–44–45।

19– भारत सरकार, योजना आयोग, पहली पंचवर्षीय योजना, 1951–56, भाग–1, पृष्ठ–52।

20– भारत सरकार, योजना आयोग, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1956–61, भाग–1, पृष्ठ–118–119।

21– भारत सरकार, योजना आयोग, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 1961–66, भाग–1, पृष्ठ–10–11।

22– भारत सरकार, योजना आयोग, चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969–74, पृष्ठ–111–112।

23— भारत सरकार, योजना आयोग, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, 1974—79, पृष्ठ संख्या 2—3।

24— भारत सरकार, योजना आयोग, छठी पंचवर्षीय योजना, 1980—85, भाग—2, पृष्ठ—207।

25— भारत सरकार, योजना आयोग, सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985—90, भाग—2, पृष्ठ—112।

26— भारत सरकार, योजना आयोग, आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992—97, भाग—1, पृष्ठ—120।

27— भारत सरकार, योजना आयोग, नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997—02, भाग—1, पृष्ठ—120।

28— भारत सरकार, योजना आयोग, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002—07, भाग—1, पृष्ठ संख्या 1—3।

29— भारत सरकार, योजना आयोग, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, (2007—45), भाग—1 व 2 पृष्ठ—79—81।

30— भारत सरकार, योजना आयोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951—56, भाग—2, पृष्ठ—242।

31— भारत सरकार, योजना आयोग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956—61, भाग—2, पृष्ठ—118।

32— भारत सरकार, योजना आयोग, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 1961—66, पृष्ठ—260,

33— भारत सरकार, योजना आयोग, चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969—74, भाग—3, पृष्ठ—151।

34— भारत सरकार, योजना आयोग, छठी पंचवर्षीय योजना, 1980—85, भाग—2, पृष्ठ—230।

35— भारत सरकार, योजना आयोग, सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985—90, भाग—1, पृष्ठ—6।

36— भारत सरकार, योजना आयोग, आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992—97, भाग—1, पृष्ठ—45।

37— भारत सरकार, योजना आयोग, नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997—02, भाग—1, पृष्ठ—38।

38— भारत सरकार, योजना आयोग, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002—07, भाग—1, पृष्ठ—36।

39— भारत सरकार, योजना आयोग, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 2007—2012, भाग—1, पृष्ठ—98।

40— भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000, पृष्ठ—169।

41— भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण, 2007—08, पृष्ठ—169।

42– http://agriculture.up.nic.in/pravash.htm

43– भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2007, पृष्ठ–386।

44– भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2007, पृष्ठ–388।

45– भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2007, पृष्ठ–390–91।

46– राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2000 पृष्ठ–46।

47– प्रगति रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 2006, पृष्ठ–62।

48– भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2005–06, पृष्ठ–210–212।

49– भारत सन्दर्भ, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2006, पृष्ठ–220–221।

50– शिक्षा नीति, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2000, पृष्ठ–182।

51– भारत सरकार, योजना आयोग, नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997–02, पृष्ठ–180–181।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

पं. दीनदयाल उपाध्याय की लोकतंत्र में पुरोधा की आर्थिक चिन्तन का प्रभाव

डॉ. जगदीश प्रसाद जाटः
एसोसिएट प्रोफेसर
स्वः लक्ष्मी कुमारी बधाला गर्ल्स पी.जी. कॉलेज गोविन्दगढ़
चौमूँ (जयपुरम्)

लोकतंत्रा के पुरोधा राष्ट्रीय अवधारणाएँ

दीनदयाल उपाध्याय भारतीय संस्कृति के अधिष्ठान पर ही राष्ट्रीय स्वातंत्र्य को गाढना चाहते थे। अतः पाश्चात्य अवधारणाएँ जो सामान्यतः सर्वसम्मत-सी मानी जाती है, दीनदयाल उनके अंधे अनुयायी बनने को तैयार नहीं थे। पाश्चात्य राज्य परिकल्पना, पाश्चात्य सेक्युलरिज्म, पाश्यचात्य लोकतंत्र तथा पाश्चात्यों के विभिन्न वाद, इन सब पर दीनदयाल अपनी भारतीयतावादी टिप्पणी करते हैं तथा वे इन सब परिकल्पनाओं के भारतीयकरण के हिमायती हैं। वे मानते थे कि लोकतंत्र भारत को पश्चिम की देन नहीं है भारत की राज्यावधारणा प्रकृतितः लोकतंत्रवादी है। वे लिखते हैं :

"वैदिक 'सभा' और 'समिति' का गठन जनतंत्रीय आधार पर ही होता था तथा मध्यकालीन अनेक राज्य पूर्णतः जनतंत्रीय थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में भी हमने राजा को मर्यादाओं में जकड़ कर प्रजानुरागी ही नहीं, प्रजा (जन) अनुगामी भी माना है। इन मर्यादाओं का अतिक्रमण करने वाले नृपतियों के उदाहरण अवश्य मिल सकते हैं। किन्तु उनके विरूद्ध जनता का विद्रोह तथा उनको आदर्श शासक न मानकर, हीनता की श्रेणी में गिनने के प्रयत्नों से ही हमारी मौलिक जनतंत्रीय भावना की पुष्टि होती है।"

दीनदयाल कहते हैं ‘‘लोकतंत्र की एक व्याख्या की गई है कि वह वाद-विवाद से चलने वाला राज्य है। 'वादे-वादे जायते तत्व बोधाः' कि यह हमारे यहां की पुरानी उक्ति है। किंतु यदि दूसरे दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न न करते हुए अपने ही दृष्टिकोण का आग्रह करते जाए, तो वादे-वादे जायते कंठशोषाः' यह उक्ति चरितार्थ होगी। वाल्टेयर ने जब कहा कि 'मैं तुम्हारी बात सत्य नहीं मानता; किंतु अपनी बात कहने के तुम्हारे अधिकार के लिए मैं पूरी शक्ति से लड़ूंगा'। तो उसने मनुष्य के केवल 'कंठशोषाः' को ही स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति इससे आगे बढ़कर वाद-विवाद' को 'तत्वबोध के साधन के रूप में देखती है।" पश्चिम में प्रजातंत्र के उदय की प्रक्रिया, उसके पूंजीवाद के रूप में विकृत हो जाने एवं कार्लमार्क्स की तानाशाही परक प्रतिक्रिया आदि का दीनदयाल जी ने विषद् विवेचन किया।

लोकतंत्र का भारतीयकरण

दीनदयाल उपाध्याय लोकतंत्र की तात्विक अवधारणा से सहमत होते हुए भी, पाश्चात्य निरंकुश राजशाही की प्रतिक्रिया से उत्पन्न, पूंजीवाद पोषित व सर्वसत्तावादी राज्यवाद की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले लोकतंत्र को, भारतीयकृत करना चाहते हैं। लोकतंत्र का भारतीयकरण करने का उन्होंने आवाहन किया।

पश्चिम ने लोकतंत्र को निर्वाचन की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया प्रदान की है। । संविधान, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का सृजन किया है; लेकिन

यह केवल लोकतंत्र का औपचारिक स्वरूप है। लोकतंत्र की असली आत्मा उसके 217 स्वरूप में नहीं, वरन जनाकांक्षा को सही रूप से प्रतिबिंबित करने की भावना में

है : "जनतंत्र किसी बाहरी ढांचे पर निर्भर नहीं रहता। बालिग मताधिकार तथा निर्वाचन पद्धति जनतंत्र के बहुत बड़े अंग हैं; किंतु इनसे ही जनतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। रूस में दोनों ही विद्यमान है, किंतु राजनीति विशारद इसे जनतंत्र मानने को तैयार नहीं। मताधिकार तथा निर्वाचन के साथ एक भावना भी जनतंत्र के लिए आवश्यक है।.... केवल बहुमत का शासन ही जनतंत्र नहीं है। .... ऐसे तंत्र में तो जनता का एक वर्ग सदैव ऐसा रहेगा जिसकी आवाज चाहे वह सही ही क्यों न हो दबा दी जायेगी। जनतंत्र का यह स्वरूप 'सर्वजनसुखाय, सर्व जन हिताय, नहीं हो सकता... अतः भारतीय जनतंत्र की कल्पना में निर्वाचन, बहुमत, अल्पमत आदि बाहरी व्यवस्थाओं के स्थान पर सभी मतों के सामंजस्य और समन्वय पर ही बल दिया गया है। विरूद्ध मत रखने वाला एक व्यक्ति ही क्यों न हो, हमें उसके मत का आदर ही नहीं, बल्कि उसका योग्य समावेश अपनी कार्यपद्धति में करना चाहिए। इंगलैंड में, जहां आज की जनतंत्रीय पद्धति ने सर्वाधिक सफलता प्राप्त की है, विरोधी दल के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। खेल के लिए जैसे दो दलों का होना आवश्यक है, वैसे ही संसद में दो दलों का होना आवश्यक समझा जाता है। शासन की नीतियों पर विरोधी दल सतत् प्रकाश डालता रहता है।"

लोकतमत परिष्कार एवं सामान्य इच्छा

उपाध्याय मानते हैं कि लोकमत का तात्कालिक निर्णय चाहे बहुमत से हो, लेकिन लोकमत केवल बहुमत के शासन व अल्पमतों के वैचारिक स्वतंत्रता से अपने को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इससे दलीय कटुता एवं समाज में अखंड कलह का निर्माण होता है, अतः लोकतंत्र न बहुमत का शासन है, न अल्पमत का; वह जनता की 'सामान्य इच्छा' का शासन है। जनता अपनी सामान्य इच्छा को औपचारिक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाती। जब 'सामान्य इच्छा' के बारे में सामाजिक सम्भ्रम हो तो 'लोकतंत्र' भीड़तंत्र में बदल जाता है।

वाचाल लोग उसका दुरूपयोग कर सकते हैं। उपाध्याय सेक्सपियर ने नाटक 'जुलियस सीजर' का उदाहरण देते हुए कहते हैं : "जो जनता ब्रूटस के साथ होकर जुलियस सीजर के वध पर हर्ष मना रही थी, वही थोड़ी देर में ऐंटोनियो के भाषण के उपरांत ब्रूटस का वध करने को उद्दत हो गयी। मोबोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के दोनों पाटों के बीच से डेमोक्रेसी को जीवित रखना एक कठिन समस्या है। अतः लोक चेतना के संतुलित विकास की आवश्यकता रहती है इसी को उपाध्याय प्राचीन भारत की 'लोकमत-परिष्कार' पद्धति कहते हैं

लोकमत-परिष्कार एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। जहां साम्यवादी तानाशाही देशों में सत्ता द्वारा 'ब्रेनवाशिंग' अथवा 'असहमतों के नागरिक अधिकारों से वंचन' की अपनायी गयी प्रक्रिया अमानवीय है; वहीं तथाकथित लोकतंत्र में इस विषय में या तो अराजकता है या सरकारी प्रचारतंत्र को उसका माध्यम बनाया जाता है।

"भारत ने इस समस्या का समाधान राज्य के हाथ से लोकमत निर्माण के साधन छीन कर किया है। लोकमत-परिष्कार का कार्य है वितराग द्वंद्वातीत सन्यासियों का है। लोकमत के अनुरूप चलने का काम है, राज्य का। सन्यासी सदैव धर्म तत्वों के अनुसार जनता के ऐहिक एवं अध्यात्मिक उत्कर्ष की कामना लेकर अपने धर्म की मर्यादाओं का ज्ञान करवाते रहते हैं। उनके समक्ष कोई लोभ और मोह न होने के कारण से सत्य का उच्चारण सहज ही कर सकते हैं। शिक्षा और संस्कार से ही समाज के जीवन मूल्य बनते और सुदृढ़ होते हैं। इन मूल्यों का बांध बनाने के बाद, लोकेच्छा की नदी कभी अपने तटों का अतिक्रमण करके संकट का कारण नहीं बनेगी। उपाध्याय का 'लोकमत-परिष्कार' विचार वैसा ही है जैसा कि लोकतंत्रात्मक जनचेतना के निर्माण के लिए कुछ लोगों ने पश्चिम में 'वी एजुकेट आवर मास्टर्स' का आंदोलन चलाया था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जिन मनोभावों की विवेचना उपाध्याय प्रस्तुत करते हैं उनमें मुख्य है :

1. सहिष्णुता और संयम, 2. अनाशक्त भाव तथा 3. कानून के प्रति आदर की भावना। इन मनोभावों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए, लोकमत परिष्कार के माध्यम से इनका समाज में संचार हो, इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया।

दीनदयाल जी केवल अकादमिक विद्वान या दार्शनिक ही नहीं थे, वरन् प्रत्यक्ष राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भी थे। निर्वाचन प्रक्रिया सत्ता स्पर्धा का हथियार नहीं, वरन् सामाजिक सहभागिता का माध्यम है। उसको इसी माध्यम के नाते इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अच्छा उम्मीदवार, अच्छा दल तथा अच्छा मतदाता कैसा होना चाहिए- इस पर भी निर्वाचन काल में ही अपने विचार प्रकट किए हैं। जो उनकी राजनेता नहीं वरन् राजनीतिज्ञ की छवि प्रस्तुत करते हैं।

उपाध्याय के मतानुसार एक समुचित उम्मीदवार वह है जो विधानमंडलों में अपने दल के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही अपने क्षेत्र के मतदाताओं की नब्ज को पहचानता है। एक व्यक्ति के नाते उसे अपने मतदाताओं के प्रति वफादार होना चाहिए और एक दल का सदस्य होने के नाते, जिस दृष्टिकोण का यह प्रतिनिधित्व करता है, उस दल के अनुशासन का पालन करने के साथ उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन में समर्पण का भाव भी रखना चाहिए।"

दल व जन के प्रति समन्वित निष्ठा अच्छे उम्मीदवार की कसौटी है; लेकिन वर्तमान भारतीय दलों द्वारा चयन की कसौटी पर अपना असंतोष प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि उन्हें अच्छे उम्मीदवार के बजाय जीतने वाले घोड़े की चिंता रहती है।

"दुर्भाग्यवश यह कहना पड़ता है कि भारत में शायद ही कोई राजनैतिक दल इन सब बातों की चिंता करता हो, और इस कारण उनके मस्तिष्क में केवल यही बात चक्कर काटा करती है कि किसी भी रीति से उसका प्रत्याशी विजयी होना चाहिए। वह किसी भी ऐसे उम्मीदवार को अपने टिकट से खड़ा करने का प्रयास करते हैं जिसमें जीत के लक्षण अधिक प्रतीत होते हों।" इसलिए दीनदयाल मतदाताओं को सावधान करते हैं "हमें स्मरण रखना होगा कि एक अयोग्य उम्मीदवार इस आधार पर हमारा मत प्राप्त करने का अधिकार नहीं है क्यों कि उसका संबंध एक अच्छे दल से है।.... यह संभावना है कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति को अपना टिकट प्रदान करते समय उस दल ने संस्था के लाभ से प्रभावित होकर ऐसा निर्णय लिया हो या ऐसी मंशा न होने के बाद भी उससे निर्णय की भूल हुयी हो। अतः उत्तरदायी मतदाता का अब यह कार्य हो जाता है कि वह अपनी जागरूकता का परिचय देकर उक्त गलती को दुरूस्त कर दे।"

लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनैतिक दलों की बहुत निर्णायक भूमिका होती है। कोई समाज कितना लोकतांत्रिक है, यह उसके दलों के चरित्र देखकर जाना जा सकता है। उपाध्याय के अनुसार श्रेष्ठ दल के लक्षण हैं : "जो सत्ता पर अधिकार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का झुंड न होकर एक ... जीवमान संगठन हो, जिसका सत्ता प्राप्त करने के अतिरिक्त अपना अलग वैशिष्टय हो। ऐसे दल की दृष्टि में सत्ता पर अधिकार करना उद्दिष्ट न होकर, अपने सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का एक साधन होगा। इसलिए उस दल के सर्वोच्च पदाधिकारियों से लेकर साधारण-से-साधारण सदस्य तक में अपने इस आदर्शवाद के प्रति एक निष्ठा होगी। हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह निष्ठा ही अनुशासन और आत्मसमर्पण की भावना उत्पन्न करती है।.... यदि अनुशासन ऊपर से थोपा जाता है तो वह किसी भी दल के आंतरिक शक्तिहीनता को ही प्रकट करता है।"

दीनदयाल उपाध्याय दुख पूर्वक प्रतिपादित करते हैं कि भारत के राजनैतिक दल केवल नाम के लिए ही दल है। दलों के आंतरिक शक्तिहीनता उन्हें समाज के अवांछनीय शक्तियों का अवलम्ब ग्रहण करने को मजबूर करती है। उपाध्याय मुख्यत: मजबूरियों का उल्लेख करते हैं। 1. राजा-महाराजा, 2. जातिवाद, तथा 3. उद्योगपति।

"भारत के राजनैतिक दल अभी अपनी गहरी जड़ें जनता में जमा नहीं सके हैं।... राजनैतिक दलों को विभिन्न राजनैतिक कार्यक्रम को एक ओर रखकर चुनाव के लिए सिद्ध होना पड़ता है यही कारण है कि आज भी पुराने राजे-महाराजाओं, नवाबों और जागीरदारों को अपने-अपने दल में घसीटने का प्रयत्न किया जाता है।.... हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस पुराने वर्ग को भी देश के राजनैतिक क्षेत्र में सक्रिय बनाना चाहिये परन्तु उनको टिकट देने का अधार तो राजवंश में उनका जन्म न होकर, उनकी योग्यता ही होनी चाहिए।"

"जाति और सम्प्रदाय का विचार भी प्रत्याशियों के चयन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।.... भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का अंग है। अतः दूसरे लोगों पर जातियता एवं संकीर्णता का आरोप लगाने से अंजाने में ही देश में इस भावना को अप्रत्यक्ष रीति से और अधिक बल मिलता है।.... यदि परिस्थिति यहां तक बिगड़ती है कि डॉ. राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्ति को चुनाव मैंदान से इसलिए हटाना पड़े कि वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले मतदाताओं की बहुसंख्य जाति के नहीं हैं तो यह एक गंभीर बात होगी; परंतु इसके निराकरण का उपाय तो यही है कि दल के संगठन को दृढ़ बनाया जाए न कि जाति के आधार पर मतदाताओं से अपील की जाए।"

प्रत्याशियों का चयन करने में प्रत्याशी की आर्थिक स्थिति और निर्वाचन में धन व्यय करने की क्षमता, दूसरा प्रमुख आधार रहा करता है, जो इसे प्रभावित करता है। बहुत से व्यक्तियों को टिकट प्रदान करने का कारण उनके धन व्यय करने की क्षमता ही रहा करती है।..... वास्तव में वे जनता और राजनैतिक दलों से उनके मत और टिकट प्राप्त करने नहीं आते वरन् उन्हें खरीदने आते हैं।..... संसद की सदस्यता तो उनके लिए अपनी चर्बी बढ़ाने एवं अधिक मोटा होने के कारण व्यापार है। कांग्रेस सहित सभी राजनैतिक दल धनाभाव से इतने परेशान हैं कि वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इनका सहयोग प्राप्त करने को आतुर रहते हैं।

उपाध्याय की यह आस्था है कि मतदाताओं की बुद्धिमता ही इसका इलाज है : "यह सब ऐसे तथ्य हैं कि जो देश की राजनीति को गलत दिशा में ले जा रहे हैं।".... राजनैतिक दलों को, जो देश की राजनीति में प्रमुख दल के रूप में विकसित होना चाहते हैं, इन खतरों से सचेत रहकर अपने सिद्धांत की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसी भांति जनता का यह कर्तव्य है कि वह जागरूक रहकर बुद्धिमत्ता के साथ हंस के समान अपने नीर-क्षीर-विवेक का परिचय दे जिससे देश के राजनैतिक दलों के गलत दृष्टिकोण को सुधारा जा सके।" इस हेतु उपाध्याय मतदाता को निम्न बातें स्मरण रखने का आग्रह करते हैं :

1. "अपने मताधिकार का प्रयोग पार्टी के लिए न कर सिद्धांत के लिए, व्यक्ति के लिए न कर पार्टी के लिए और धन के लिए न कर व्यक्ति के लिए (करना) है।
2. .... प्रचार के शिकार होकर किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर ही अपना मत दे आते हैं कि वह विजयी होने वाला है तो चुनाव परिणाम कुछ भी हो, वह आपकी हार ही कही जायेगी।"
3. "...मतदान का अधिकार आपके सद्विचार और आपके सद्विवेक की कसौटी है अतः उस ओर से उदासीन न हों, उसे बेचें नहीं और न उसे नष्ट होने दें।"
4. "मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक की स्वाधीनता का प्रतीक है और इस कारण एक लोकतंत्रवादी होने से आपको इसका उपयोग किसी के निर्देश पर न कर, स्वयं के सद्विवेक एवं आत्मा की पुकार पर करना चाहिए।"
5. "..... जनता को पुनः पुनः यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वह ही राजनीति दलों की निर्माता है।"

दीनदयाल उपाध्याय एक राजनीतिक दल के महामंत्री थे, लेकिन उनके उपर्युक्त विचार, दलवाद से ऊपर उठकर एक लोकतंत्रवादी के नाते व्यक्त किए गए विचार हैं। भारत का बहुलतावादी चरित्र अपनी राष्ट्रीय एकता को तभी बनाए रख सकता है, जब देश में लोकतंत्र रहे। उनके राष्ट्रवाद ने ही उन्हें प्रखर लोकतंत्रवादी बनाया था।

दीनदयाल उपाध्याय का लोकतंत्र विषयक विचार लोकतंत्र की पाश्चात्य व भारतीय अवधारणा से प्रारंभ होकर उसके भारतीयकरण अर्थात् 'लोकमत-परिष्कार' की विवेचना करते हुए भारतीय लोकतंत्र के विश्लेषण के साथ पूर्ण होता है। उपाध्याय का चिंतन आदर्शवादी है। वे अपने विचारों में समाज शास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक तत्वों से ज्यादा नीतिशास्त्र से प्रभावित है। किसी दल को नीतिशास्त्रीय नेता उपलब्ध होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो आदर्श का आचरण करता है 'नीतिशास्त्र' की महत्ता को भी सिद्ध कर पाता है। समझौतावादी लोग आदर्श व नीति को तात्कालिक परिणामों के भय से त्याग देते हैं। उनके व्यवहार नीति के नाम पर अवसरवाद पनपता है। जिस 'अवसरवाद' के बारे में दीनदयाल उपाध्याय ने

चेताया था, उसका जब भयानक दौर भारत में प्रारंभ हुआ, उसी दौर में उनकी हत्या हो गयी, भारतीय लोकतंत्र की वह बड़ी क्षति थी। '

आर्थिक चिंतन

विद्यार्थी जीवन से ही गणित के संदर्भ में उनकी प्रतिभा को विषय में हम जानते हैं, लेकिन वह उच्च शिक्षा में साहित्य के छात्र थे, जब वे राजनैतिक दल के कार्यकर्ता बने तब उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्र अर्थनीति के बिना कोई स्वतंत्र समाज अपना समुचित विकास नहीं कर सकता। वे कोई बना बनाया आर्थिक राजनैतिक ढ़ांचा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे दल के नायक थे जो मूलतः संस्कृतिवादी था तथा भौतिक जीवन के बिना बने बनाये पाश्चात्य मार्गों पर नहीं चलना चाहता था। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य कल्पना के साथ बिना 'आर्थिक नीति' के कोई राजनैतिक दल चल नहीं सकता। समाजिक, आर्थिक जीवन से निकटता प्राप्त किये बिना सांस्कृतिक, धार्मिक व शास्त्रीय अवधारणाओं के बल पर कोई दल राजनैतिक वर्चस्व नहीं प्राप्त कर सकता। अतः जब दीनदयाल उपाध्याय ने दल का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने अपने दल के सांस्कृतिक आग्रहों के अनुकूल अर्थनीति को विकसित करने का प्रयत्न किया। प्रभूत फुटकर लेखों तथा प्रलेखों के साथ ही इस विषय पर दीनदयाल उपाध्याय द्वारा क्रमबद्ध रूप से लिखी हुई तीन पुस्तकें हमें अध्ययनार्थ उपलब्ध है :

1. द टू प्लान्स : प्रोमिसेस, परफोर्मेस, प्रोस्पेक्टस.. (दो योजनायें : वायदे, अनुपालन, आसार)
2. भारतीय अर्थनीति : विकास की एक दिशा तथा
3. डीवेल्यूऐशन- ए ग्रेट फॉल (अवमूल्यन-एक महान क्षति)

अर्थनीति का भारतीयकरण –

अर्थनीति से संबद्ध वक्तव्यों व लेखों में समय-समय पर लिये गये सरकारी निर्णयों पर वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। सामान्यतः अर्थनीति के क्षेत्र में पाश्चात्य नकल को बुरा मानते थे। हमारी व पाश्चात्य परिस्थितियों में बहुत फर्क है, अतः हमें अपनी 'अर्थनीति का भारतीयकरण' करना होगा। अपने इस मंतव्य को विवेचित करते हुए दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है :

"देश का दारिद्रय दूर होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं किन्तु प्रश्न यह है कि यह गरीबी कैसे दूर हो? हम अमेरिका के मार्ग (पूंजीवाद) पर चले या रूस के मार्ग (समाजवाद) को अपनायें अथवा यूरोपीय देशों का अनुकरण करें? हमें इस बात को समझना होगा कि इन देशों की अर्थव्यवस्था में अन्य कितने भी भेद क्यों न हो इनमें एक मौलिक साम्य है। सभी ने मशीनों को ही आर्थिक प्रगति का साधन माना है। मशीन का सर्वप्रधान गुण है कम मनुष्यों द्वारा अधिकतम उत्पादन करवाना। परिणामतः इन देशों को स्वदेश में बढ़ते हुए उत्पादन को बेचने के लिए विदेशों के बाजार ढूंढने पड़े। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद इसी का स्वाभाविक परिणाम बना। इस राज्य–विस्तार का स्वरूप चाहे भिन्न-भिन्न हो किन्तु क्या रूस को, क्या अमेरिका को तथा क्या इंगलैंड को, सभी को इस मार्ग का अवलम्बन करना पड़ा।.... हमें स्वीकार करना होगा कि भारत के आर्थिक प्रगति का रास्ता मशीन का रास्ता नहीं है। कुटीर उद्योगों को भारतीय अर्थनीति का आधार मानकर विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का विकास करने से ही देश की आर्थिक प्रगति संभव है।"

उपाध्याय बड़े उद्योगों के आधार पर रचित अर्थव्यवस्था को भारतीय परिस्थिति में उचित नहीं समझते थे। कृषि के क्षेत्र में छोटे तथा स्वामित्ववान खेतों के हिमायती थे। 1959 में कांग्रेस अधिवेशन में साम्यवादी चीन की कृषि योजना की नकल पर 'सहकारी खेती' का प्रस्ताव पारित किया गया था। उपाध्याय ने उसे अव्यावहारिक तथा अवांछनीय मानते हुए उसका विरोध किया।

वे देश में घटित होने वाले हर आर्थिक घटना पर अपनी टिप्पणी करते थे। अतः इन टिप्पणियों का प्रभूत फुटकर साहित्य अध्ययनार्थियों के लिए उपलब्ध है। जब सरकार ने खाद्यान्न व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा, दीनदयाल जी ने गंभीर

अर्थशास्त्रीय तर्कों के साथ इसका विरोध किया। 1960 में पीएल 480, 1963 में स्वर्ण नियंत्रण कानून तथा 1966 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन ऐसी घटनायें थीं, जिनके कारण दीनदयाल जी बौद्धिक रूप से आंदोलित हुए। राष्ट्रीय एवं मानवीय संवेदना के अपने दृष्टिपथ को उन्होंने सांगोपांग तर्कों के साथ प्रस्तुत किया। वे प्रतिवर्ष अर्थनीति पर संस्कृति परक एक नया आलेख लिखते थे।

दीनदयाल उपाध्याय हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के नियमित समीक्षक थे। दीनदयाल उपाध्याय ने 1958 में दोनों पंचवर्षीय योजनाओं पर एक शोधपूर्ण अंग्रेजी पुस्तक "दो योजनाएं : वायदे, अनुपालन, आसार का सृजन किया, जो एक अर्थशास्त्री राजनेता द्वारा अनुसंधानपूर्वक की गई विवेचना है। निश्चय ही इस पुस्तक का अर्थशास्त्री एक प्रतिपक्षी राजनेता है। अतः विवेचन व व्याख्या में सत्तापक्ष पर राजनीतिक प्रहारों वाली भाषा का प्रयोग किया गया है।

यह पुस्तक केवल दोनों योजनाओं का ही नहीं, वरन आर्थिक आयोजना की अवधारणा, इतिहास एवं तार्किक निष्पत्तियों का सर्वांगपूर्ण आकलन प्रस्तुत करती है। तथ्यात्मक, तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक आंकड़ों और सारणियों की इस पुस्तक में इतनी भरमार है कि अर्थशास्त्र की शास्त्रीय पृष्ठभूमि के बिना उसको समझ पाना व रूचिपूर्वक पढ़ना, दोनों ही कठिन है।

उपाध्याय द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के बारे में यज्ञदत्त शर्मा कहते हैं : "यह कार्य इतना अंतर्वेधी था कि उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया तथा कहा कि ऐसी गंभीर एवं तथ्यप्रकाशी योजना-समीक्षा मैंने नहीं देखी, जैसी पंडितजी की इस पुस्तक में है।" इस पुस्तक के अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक वे निरंतर अपने आलेखों के माध्यम से इन योजनाओं की समुचित समीक्षा करते रहे। उनकी समीक्षाओं को समग्रता से समझने के लिए विशद सामग्री का अध्ययन आवश्यक है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के निर्माणकाल में ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का देहावसान हो गया। स्वाभाविक रूप से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं पर यदि किसी एक आदमी का सर्वाधिक प्रभाव है तो वह नेहरूजी का ही है। वे इस योजनाक्रम के सर्जक थे। आर्थिक प्रगति की उनकी महत्वाकांक्षी चेतना का बहुत प्रभाव इन योजनाओं में दिखाई देता है। जवाहरलाल नेहरू द्रुतगति से भारत का आर्थिक विकास करके दुनिया की प्रगति की दौड़ में देश को शामिल करना चाहते थे। दीनदयाल उपाध्याय सहज गति के पक्षधर थे। वे क्रमिक विकास को अधिक टिकाऊ और कम समस्याएं पैदा करनेवाला मानते थे। दुनिया की प्रगति की दौड़ में जहां हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व आगे दिखाई देना चाहिए वहीं राष्ट्र का व्यक्ति-व्यक्ति उसमें सहभागी हो, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए उनका यह आग्रह सदा बना रहा कि 'सबको काम' पंचवर्षीय योजनाओं की प्रथम वरीयता होनी चाहिए। अपनी ताकत से ज्यादा गति से दौड़ने के जो परिणाम स्वास्थ्य पर होते हैं वे हुए ही। चौथी योजना भी तदानुकूल भारी थी। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, "सोने का अण्डा देनेवाली मुर्गी की ही हत्या हो जाने की संभावना है।

लालबहादुर शास्त्री ऐसे क्रांतिकारी नेता न थे कि महाआभा सम्पन्न अपने पूर्वप्रधानमंत्री के द्वारा बनाए गए योजना आयोग व योजना-प्रारूपों को आग्रहपूर्वक बदलवा देते। उपाध्याय ने चौथी पंचवर्षीय योजना पर अपनी टिप्पणी व समीक्षा पूर्व तीन योजनाओं की तुलना में अधिक व्यापक व क्रमबद्ध रूप से की है। उन्होंने इस संदर्भ में धारावाहिक रूप से "पांचजन्य' में 'योजना बदलो' शीर्षक से पांच लेख लिखे। उन्हीं के आधार पर हम उनके विचारों का अध्ययन कर सकते हैं।

भारतीय संस्कृति में अर्थ :

दीनदयालजी केवल आर्थिक समीक्षक ही नहीं वरन् आर्थिक चिंतक भी थे। जनसंघ में वे एक क्रियाशील दार्शनिक थे। समग्रतावादी दार्शनिक होने के कारण पं. दीनदयाल उपाध्याय उन लोगों से हर विषय पर असहमत रहते हैं जो जीवन के किसी विशिष्ट आयाम को जीवन की समग्रता का नियामक मान बैठते हैं अथवा एक ही पहलू की ऐसी अतिरेकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जिसमें जीवन के अन्य विविध पहलुओं की उपेक्षा हो जाती है। इस संदर्भ में उपाध्याय लिखते हैं :

"भारतीय जनसंघ के पास स्पष्ट आर्थिक कार्यक्रम है; किन्तु उसका स्थान हमारे सम्पूर्ण कार्यक्रम में उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में अर्थ का। पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवादी होने के कारण अर्थप्रधान है। हम भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों का समन्वय करना चाहते हैं। अतः यह निश्चित है कि जनसंघ उन अर्थशास्त्रियों व दलों से, जो अर्थ के सामने जीवन के प्रत्येक मूल्य की उपेक्षा करके चलना चाहते हैं, इस मामले में सदैव पीछे रहेगा। जनसंघ हृदय, मस्तिष्क और शरीर तीनों का सम्मिलित विचार करता है। इसी कारण कुछ लोग जनसंघ पर यह आरोप लगाते हैं कि जनसंघ आध्यात्मिकता की उपेक्षा करता है, महर्षि अरविंद आदि महापुरूषों की भाषा नहीं बोल पाता। हम दोनों ही प्रकार के आरोपों का स्वागत करते हैं और इतना ही कहना चाहते हैं कि अर्थ, समाज की धारणा के लिए आवश्यक है। जितने मात्र से व्यक्ति अपना भरण-पोषण करके अन्य श्रेष्ठ मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सके उतने को ही हमने अपने कार्यक्रम में स्थान दिया है।"

अपने आर्थिक चिंतन को व्याख्यायित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ने 'भारतीय अर्थनीति. : विकास की एक दिशा' नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक में अर्थनीति की विवेचना करते हुए उन्होंने अपने 'एकात्म मानव' के अर्थायाम की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। "समाज से अर्थ के प्रभाव व अभाव दोनों को मिटाकर उसकी समुचित व्यवस्था करने को 'अर्थायाम' कहा गया है।

धन का मनोविज्ञान

धन का अभाव मनुष्य को चोर बनाता है। अभाव के क्षणों में की गई चोरी को भारतीय शास्त्रकार अपराध नहीं वरन् 'आपद्धर्म' की संज्ञा देते हैं :

"उन्होंने (विश्वामित्र ने) धर्म की अनेक मर्यादाओं को भंग किया। आपद्धर्म की संज्ञा देकर शास्त्रकारों ने उनके इस व्यवहार को उचित ठहराया है। यदि अर्थ के अभाव की आपत्ति बनी रहे तो फिर आपद्धर्म अर्थात चोरी ही धर्म बन जाएगा। यदि यह आपत्ति समष्टिगत हो जाए अथवा समष्टि का बहुतांश इससे व्याप्त हो जाए तो वे एक दूसरे की चोरी करके अपने आपद्धर्म का निर्वाह करेंगे।"

अर्थात् समाज में अर्थ का अभाव अथवा अभावमूलक नियोजन समाज में अधर्म को धर्म बना देता है। वैसे ही "अर्थ का प्रभाव भी धर्म का नाश करता है। ... अर्थ जब अपने में या उसके द्वारा प्राप्त पदार्थों में और उससे प्राप्त भोग-विलास में संग (आसक्ति) उत्पन्न कर देता है तब अर्थ का प्रभाव कहा जाता है। 'सर्वेः गुणाः कंचनमाश्रयन्ति' जब समाज में सभी 'धनपरायण' हो जाए तो प्रत्येक कार्य के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होगी। धन का यह प्रभाव प्रत्येक के जीवन में अर्थ का अभाव उत्पन्न कर देगा।"

स्वामित्व का सवाल

"संपत्ति किसकी' यह सभ्य समाज का आदिकालिक प्रश्न है। संपत्ति को संपूर्ण समाजचक्र का नियामक मान लेने से इस सवाल की अहमियत और बढ़ गई। व्यक्तिवाद व समाजवाद के विचारधारात्मक संघर्ष ने इसे एक नवीन आयाम दे दिया, सम्पत्ति पर व्यक्ति का अधिकार अथवा सम्पत्ति पर समाज का अधिकार? उपाध्याय 'सम्पत्ति के स्वामित्व के लिए व्यक्ति व समाज के द्वंद्व को ही गलत मानते हैं; अत: इस सवाल का सीधा उत्तर नहीं देते।

हर व्यक्ति समाज का प्रतिनिधि है। अतः वह समाज की सम्पत्ति के एक हिस्से का 'न्यासी' या संरक्षक है। उपाध्याय व्यक्ति को श्रीविहीन करने के खिलाफ हैं। व्यक्ति स्वयं 'समाजपुरूष' का अंग है। अतः वह स्वयं ही समाज की धरोहर है। इसलिए सम्पत्ति का अमोध अधिकार तो समाज का ही है; लेकिन वे समाज की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था के नाते 'राज्य को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि निजी संपत्ति का केंद्रीकरण या सामाजिक अधिकार के नाम पर राज्य में संपत्ति के केंद्रीकरण को वे समान रूप से गलत मानते हैं। आम आदमी को पूंजीपतियों अथवा राज्यसंस्था का मजदूर या गुलाम बना देना वे मानवता का

अपमान समझते हैं। उपाध्याय सम्पत्ति पर न तो व्यक्ति का अमर्यादित स्वामित्व स्वीकार करते हैं और न ही अमर्यादित राज्याधिकार। वे स्वामित्व के केंद्रीकरण के खिलाफ हैं। अतः वे विकेंद्रित राज्य व विकेन्द्रीत अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं।
उपाध्याय कहते हैं, ... समाजवादी निजी सम्पत्ति को ही समाप्त करने की बात करते हैं। उनका सिद्धांत व व्यवहार दोनों ही दृष्टि से समर्थन करना कठिन है। यद्यपि सृष्टि के आरम्भ से ही 'अपरिग्रह एवं 'मां गृधः कस्यस्विद्धनम्' का उपदेश मिला है; किंतु यह संसार मेरे और तेरे का ही नाम है। साम्यवादी जो निजी संपत्ति की भावना को जड़मूल से समाप्त कर देना चाहते थे, पहले व्यक्तिगत और फिर कुछ-कुछ अंश में निजी सम्पत्ति को भी स्वीकार करने लगे। निजी सम्पत्ति के कारण बुराइयां उत्पन्न होने पर भी हम उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। हां हमें निजी सम्पत्ति की मर्यादाएं अवश्य स्थापित करनी होगी।"
व्यक्तिगत सम्पत्ति के नियमन एवं अर्थोत्पादकीय आयोजना के लिए उपाध्याय राज्याधिकार को भी स्वीकार करते हैं। जहां कुछ हाथों में पूंजी के केंद्रीकरण का खतरा हो वहां राष्ट्रीकरण को वे वांछनीय मानते हैं :
“जहां तक कुटीर उद्योगों” का सवाल है, यह खतरा बहुत कम है। लेकिन जहां बड़े उद्योगों का क्षेत्र शुरू होता है वहां यह खतरा उत्पन्न होता है। सुरक्षा उद्योगों का तो राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। अब प्रश्न बचता है पूंजी-उद्योगों का। उनका भी अंतिम रूप से राष्ट्रीयकरण कर देना उद्देश्य होना चाहिए। आज पूंजी-उद्योग व्यक्तिगत क्षेत्र में आते हैं। उनसे व्यक्तिगत क्षेत्र का क्रमिक उन्मूलन किया जाना चाहिए। जब तक यह राष्ट्रीयकरण अंतिम रूप से सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक बड़े उद्योगों के गुट बनने देने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। जिन उद्योगों में ये गुट बन गए हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए। कुटीर उद्योगों का विकास करते समय भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके गुट बनाकर पूंजीपति उन पर नियंत्रण स्थापित न कर लें। जापान में वितरण तथा संपत्ति की असमानता का कारण वहां के कुटीर उद्योगों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण ही है।”
स्वामित्व के सवाल को जिस प्रकार पूंजीवादी व समाजवादी लोग प्रस्तुत करते हैं उसे वे उनकी विभक्त दृष्टि का परिचायक मानते हैं। उपाध्याय की नजर में संपत्ति के 'स्वामित्व' की बजाय 'केंद्रीकरण' का सवाल ज्यादा अहम है, साथ ही 'उपभोगवाद' की अवधारणा का सवाल भी महत्वपूर्ण है। अतः वे लिखते है।
"स्वामित्व के साथ अनिर्बंध नियंत्रण एवं मनमाने उपभोग की धारणाओं ने इस विषय को गलत पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है। किसी भी वस्तु पर मेरा स्वामित्व होने के बाद भी मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं कि मैं उसका चाहे जैसा उपभोग करूं। स्वामित्व एवं उपभोग की दोनों भावनाओं को जब तक हम अलग-अलग नहीं करेंगे तब तक हम होने वाली बुराइयों को नहीं रोक सकेंगे। जिस वस्तु का मैं स्वामी हूं उसका उपभोग समाज हित में ही करने का मुझे अधिकार है, यह विचार प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख चाहिए ... राज्य भी जब स्वामित्व ग्रहण कर लेता है तो वह व्यक्तियों द्वारा ही व्यवस्था करता है।... जो व्यक्ति आज अपनी चीज का मनमाना उपयोग करने से नहीं डरता वह समाज की वस्तु का उपयोग भी वैसा ही नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। यदि उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दण्डनीति आवश्यक समझते हैं तो वह उसके पास स्वामित्व का अधिकार रहते हुए भी काम में लाई जा सकती है।"
दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति के निजत्व को कुचलने वाले राज्याधिकार व समाज की उपेक्षा करने वाले वैयक्तिक अधिकारों के खिलाफ हैं। वे इसे मानव की अस्वस्थ अवस्था का परिचायक मानते हैं। सम्पत्ति पर व्यक्ति या राज्य के अनिर्बंध नियंत्रण के अधिकार का सवाल भी इस अस्वस्थ अवस्था की उपज हैं।
उनका मत है, "गंभीरता से देखें तो स्वामित्व का अधिकार वास्तव में निश्चित मर्यादाओं तथा निश्चित उद्देश्यों के लिए किसी वस्तु के उपयोग का अधिकार ही है। समय के साथ इन अधिकारों में परिवर्तन होता रहता है। अतः हम सैद्धांतिक दृष्टि से व्यक्ति और समाज के झगड़े में नहीं पड़ेंगे।.... सम्पत्ति का उपभोग कुटुम्ब (समाज) के हित में होता है, मनमाने ढंग से नहीं। 'ट्रस्टीशिप'का यह भारतीय सिद्धांत गांधी व गुरुजी आदि विचारकों ने समाज के सम्मुख रहा है।"

व्यष्टि एवं समष्टि के साझेपन में ही मानवता का सुख अंतर्निहित है। अतः सम्पत्ति पर यह साझा अधिकार ही उपाध्याय के एकात्म मानववाद को अभिप्रेत है।

आर्थिक लोकतंत्र

दीनदयाल उपाध्याय लोकतंत्र को केवल राजनीतिक जीवन का आयाम नहीं मानते। उनका मत है, 'प्रत्येक को वोट' जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र का निकष है, वैसे ही 'प्रत्येक को काम' यह आर्थिक प्रजातंत्र का मापदण्ड है। 'प्रत्येक को काम' के अधिकार की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं : "काम प्रथम तो जीविकोपार्जनीय हो तथा दूसरे,व्यक्ति को उसे चुनने की स्वतंत्रता हो। यदि काम के बदले में राष्ट्रीय आय का न्यायोचित भाग उसे नहीं मिलता हो तो उसके काम की गिनती 'बेगार' में होगी। इस दृष्टि से न्यूनतम वेतन, न्यायोचित वितरण तथा किसी-न-किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक हो जाती है।" उपाध्याय आगे कहते हैं:

"जैसे बेगार हमारी दृष्टि में काम का नहीं है वैसे ही व्यक्ति के द्वारा काम में लगे रहते हुए भी अपनी शक्तिभर उत्पादन न कर सकना काम नहीं है। 'अण्डर इम्पलॉइमेंट' भी एक प्रकार की बेकारी है।"

उपाध्याय उस अर्थव्यवस्था को अलोकतांत्रिक मानते हैं जो व्यक्ति के उत्पादन-स्वातंत्र्य या सृजनकर्म पर आघात करती है। अपने उत्पादन का स्वयं स्वामी न रहने वाला मजदूर या कर्मचारी अपनी स्वतंत्रता को ही बेचता है। आर्थिक स्वतंत्रता व राजनीतिक स्वतंत्रता परस्पर अन्योन्याश्रित हैं-राजनीतिक प्रजातंत्र बिना आर्थिक प्रजातंत्र के नहीं चल सकता। जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र है वही राजनीतिक दृष्टि से अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकेगा। 'अर्थस्य पुरूषो दासः' (पुरूष अर्थ का दास हो जाता है)।"

मनुष्य के उत्पादन-स्वातंत्र्य पर सबसे बड़ा हमला पूंजीवादी औद्योगीकरण ने किया है। अतः उपाध्याय औद्योगीकरण का इस प्रकार से नियमन चाहते हैं कि जिससे वह स्वतंत्र, लघु एवं कुटीर उद्योगों को समाप्त न कर सके :"आज जब हम सर्वांगीण विकास का विचार करते हैं तो संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार करके चलते हैं। यह संरक्षण देश के उद्योगों को विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से तथा देश के छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से देना होगा।" उपाध्याय यह महसूस करते हैं कि पश्चिमी औद्योगीकरण की नकल ने भारत के पारम्परिक उत्पादन को पीछे धकेला है तथा बिचौलियों को आगे बढ़ाया है।.... हमने पश्चिमी की तकनीकी प्रक्रिया का आंख बंद करके अनुकरण किया है। हमारे उद्योग का स्वाभाविक विकास नहीं हो रहा। वे हमारी अर्थव्यवस्था के अभिन्न व अन्योन्याश्रित अंग नहीं अपितु ऊपर से लादे गए हैं। ... (इनका विकास) विदेशियों के अनुकरणशील सहयोगी अथवा अभिकर्ता कतिपय देशी व्यापारियों द्वारा हुआ है। यही कारण है कि भारत के उद्योगपतियों में, सब के सब व्यापारी आढ़तियों तथा सटोरियों में से आए हैं। उद्योग एवं शिल्प में लगे कारीगरों का विकास नहीं हुआ है।"

स्वयंसेवी क्षेत्र का विकास

देश के आम शिल्पी व कारीगर की उपेक्षा करनेवाला औद्योगीकरण अलोकतांत्रिक है। पूंजीवाद व समाजवाद के निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के विवाद को उपाध्याय गलत मानते हैं। इन दोनों ने ही स्वयंसेवी क्षेत्र का गला घोंटा है। आर्थिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वयंसेवी क्षेत्र का विकास करना। इसके लिए विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था जरूरी है :

राजनीतिक शक्ति का प्रजा में विकेंद्रीकरण करके जिस प्रकार शासन की संस्था का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार आर्थिक शक्ति का भी प्रजा में विकेंद्रीकरण करके अर्थव्यवस्था का निर्माण एवं संचालन होना चाहिए। राजनीतिक प्रजातंत्र में व्यक्ति की अपनी रचनात्मक क्षमता को व्यक्त होने का पूरा अवसर मिलता है। ठीक उसी प्रकार आर्थिक प्रजातंत्र में भी व्यक्ति की क्षमता को कुचलकर रख देने का नहीं; अपितु उसको व्यक्त होने का पूरा अवसर प्रत्येक अवस्था में मिलना चाहिए .... राजनीति में

व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को जिस प्रकार तानाशाही नष्ट करती है, उसी प्रकार अर्थनीति में व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को भारी पैमाने पर किया गया औद्योगीकरण नष्ट करता है। ....इसलिए तानाशाही की भांति ऐसा औद्योगीकरण भी वर्जनीय है।

यंत्रचालित औद्योगीकरण की मर्यादा स्पष्ट करते हुए उपाध्याय एक समीकरण प्रस्तुत करते हैं : प्रत्येक को काम का सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए तो सम-वितरण की दिशा सुनिश्चित हो जाती है और हम विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते हैं। औद्योगीकरण को उद्देश्य मानकर चलना गलत है। इस सिद्धांत को गणित के सूत्र में यों रख सकते हैं :

'ज ग क ग य ग इ'

यहां 'ज' जन का परिचायक है, 'क' कर्म की अवस्था व व्यवस्था का, 'य; यंत्र का तथा 'इ' समाज की प्रभावी इच्छा या इच्छित संकल्प का द्योतक है। 'इ' तथा 'ज' तो सुनिश्चित है। 'इ' और 'ज' के अनुपात में 'क' तथा 'य' को सुनिश्चित करना है। लेकिन औद्योगीकरण लक्ष्य होने पर 'य' सबको नियंत्रित करता है। 'य' के अनुपात में जन की छंटनी होती है। 'य' के अनुपात में 'इ' को भी यंत्रों के अति उत्पादन का अनुसरण करना पड़ता है जो कि सर्वथा अवांछनीय है। 'ज' की छंटनी कर देनेवाली कोई भी अर्थव्यवस्था अलोकतांत्रिक है। 'इ' को नियंत्रित करने वाली अर्थव्यवस्था तानाशाही है। अतः 'ज' तथा 'इ' के नियंत्रण में 'क' का नियोजन होना चाहिए। वही लोकतांत्रिक एवं मानवीय अर्थव्यवस्था कही जा सकती है।

विकेंद्रित अर्थव्यवस्था

विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के लिए विकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था भी जरूरी है। इसके लिए उपाध्याय स्वावलम्बी समर्थ ग्रामपंचायतों व जनपद-व्यवस्था के पक्षधर हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हमारे ग्राम तथा जनपद होने चाहिए। ग्रामों को उजाड़ने वाले आर्थिक नियोजन अंततः भारत को उजाड़ने वाले सिद्ध होंगे। शहर व ग्रामों का विषम विकास हमारी राष्ट्रीय अखंडता के लिए भी घात क होगा। संसाधनों व सत्ता के केंद्रीकरण के कारण हम पूंजीवाद व उसके प्रतिक्रियात्मक दुष्चक्र से बच नहीं सकते। अतः आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था ही भारतीय परिस्थितियों में हमारे लिए उपादेय है। अतः उपाध्याय कहते हैं :

विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहिए। स्वयंसेवी क्षेत्र (मस मउचसवलमक मब. जवत) को खड़ा करना होगा। यह क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना ही मनुष्य आगे बढ़ सकेगा, मनुष्यता का विकास हो सकेगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का विचार कर सकेगा। प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिशः आवश्यकताओं और विशेषताओं का विचार करके उसे काम देने पर उसके गुणों का विकास हो सकता है। यह विकेंद्रित अर्थव्यवस्था भारत ही संसार को दे सकता है।" जो व्यवस्थाएं भारी उद्योगों व केंद्रीकरण के दुष्चक्र में एक बार फंस गई, उन्हें वापस लौटाना कठिन है। अतः तृतीय विश्व के देशों को ग्रामोन्मुखी लघु उद्योगों वाली विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए।

दीनदयाल उपाध्याय इस बात से सहमत नहीं हैं कि छोटे उद्योग आर्थिक दृष्टि से किफायती नहीं होते। उनका मत है कि बड़े उद्योगों की किफायत एक भ्रम हैं। वास्तविक किफायत छोटे उद्योगों में ही होती है।

"सत्य तो यह है कि किफायत बड़े पैमाने पर उत्पादन से नहीं, अधिक उत्पादन के कारण होती है। अगर हम इतिहास को देखें तो ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर कपड़ा तैयार होने पर भी भारत का कपड़ा वहां जाकर सस्ता पड़ता था। जापान की जो वस्तुएं सस्ती बाजार में आकर, बाकी सब माल को निकाल देती हैं, बड़े कारखानों में नहीं घरों में बनती हैं.... यदि उनकी (छोटे उद्योगों की) असुविधाएं दूर कर दी जायें तथा बड़े उद्योगों को जो सुविधाएं अतिरिक्त कारणों से प्राप्त हैं, न मिलें, तो निश्चित ही वे (छोटे उद्योग) बाजी मार ले जाएंगे। हमें मालम है कि 1930-37 के काल में छोटे-छोटे मोटर चलाने वालों ने रेलों को प्रतियोगिता में पछाड़ दिया था। यदि शासन और युद्ध रेलों की मदद को नहीं आते तो उनके लिए जीवित रहना कठिन हो जाता।"

सन्दर्भग्रन्थाः –

1. कुलकर्णी शरद अनन्त (1987) 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार-दर्शन' खण्ड 4 नई दिल्ली, सुरुचि प्रकाशन
2. हृदय नारायण दीक्षित, तत्वदर्शी दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान, लखनऊ, 1996, पृष्ठ 72-85
3. दिलीप अग्निहोत्री, दीनदयाल उपाध्याय के विचार और दर्शन आज भी प्रासंगिक, प्रभा साक्षी, डेलीहंड, 25 सितम्बर, 2018, पृष्ठ 1-2
4. डॉ० कुलदीप चन्द अग्निहोत्री, दीनदयाल उपाध्याय चिन्तन की प्रासंगिकता, प्रवक्ता.कॉम, 01.03.2018, पृष्ठ 3
5. शिवानन्द द्विवेदी, दीनदयाल उपाध्याय सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक विचार है, जागरण सवेरा, 01.03.2018, पृष्ठ 2
6. धनंजय जैसवाल, मई,27,2019, "लघु उद्योग में आने वाले - प्रोडक्ट्स की जानकारी", पृष्ठ सख्या, 1-5
7. दीन दयाल विचार दर्शन खण्ड-7 पृष्ठ संख्या 46
8. पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद, प्रकाशक जागृति प्रकाशन, नोएडा- 201301 अंतरराष्ट्रीय मानक पृष्ठ सख्या 1-42
9. पं. दीनदयाल उपाध्याय, 2007, "विकेन्द्रिकृत अर्थव्यवस्था" लखनऊ पृष्ठ सख्या,-78
10. एकात्मता स्त्रोत्रम्, (लोक हित प्रकाशन, लखनऊ 4)

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

भारत में शिक्षा और भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग : एक विश्लेषण

डॉ सरन पाल सिंह

प्रवक्ता अर्थशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय तिलहर शाहजहांपुर

सारांश– उच्च तकनीकी शोध अनुसंधानों में तो कम्प्यूटर का प्रयोग वैसे भी अनिवार्य बन चुका है। आने वाले समय में उच्च शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग गुणवत्ता का पर्याय बन कर उभरेगा। न केवल यह सीखना अनिवार्य होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग उच्च शिक्षा में किस प्रकार किया जाये बल्कि उच्च शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यचर्या को मल्टीमीडियाँ इन्टरएक्टिव लर्निंग मेटेरियल के रूप में विकसित करना भी आवश्यक होगा। आज हॉलाकि इस बात पर काफी कम बल दिया जा रहा है लेकिन यदि ई. टयूटोरियल लगभग सभी विषयों व सभी कक्षाओं में सस्ती एजुकेशनल टेबलेट्स के रूप में छात्रों को यदि विकसित करके नाममात्र लागत पर उपलब्ध करा दिया जाये तो न केवल छात्रों को ज्ञानार्जन करने में भी काफी मदद मिलेगी बल्कि बल्कि उनमें सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों तथा अनुप्रयोगों के ग्रति जागरूकता भी व्यापक स्तर घर फैल: जायेगी और शिक्षा प्राप्ति के आवश्यक अंग के रूप में कम्प्यूटर भी शीघ्रातिशीघ्र हर घर में पहुँच जायेंगें। जब लोग एक बार कम्प्यूटर की महत्ता को समझ जायेंगें तो कम्प्यूटर को घर–घर में पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है।

मुख्य शब्द- सूचना, प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, शिक्षा, भूमंडलीकरण, भारत।

सूचना प्रौद्योगिकी आज के बदलते हुए युग का सबसे बड़ा सच है और विकास के सोपान क्रम में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के उदय में निर्णायक भूमिका निभाने वाला प्रमुख कारक भी है। सही मायने में देखा जाये तो समाज के विकास में सदेव ही तकनीकी विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और सूचना प्रौद्योगिकों का विकास भी तकनीकी विकास की इसी श्रृंखला में एक बड़ा कदम है। सूचना प्रौद्योगिकी के अस्तित्व में आने के पश्चात अनेक नये–नये क्षेत्रों में विकास के असंख्य अवसर उत्पन्न हो गये हैं। उच्च शिक्षा भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अपनी विशिष्ट भूमिका निभा सकती है।

भारत में शिक्षा व्यवस्था एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उच्च शिक्षा को रोजगारपरक शोधपरक और गुणवत्तापरक बनाने की चुनौती हमारे सामने है । शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां करने के लिए और अपने मानव संसाधन को वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी बनाये रखने के लिए हमें भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तेजी से आत्मसात करना होगा । अगर गहराई–में जाकर अवलोकन किया जाये तो हम पाते है कि भूमंडलीकरण को सही मायने में हकौकत में बदलने वाले कारकों में सूचना प्रौद्योगिकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज सेकेण्डो में ही माउस की एक क्लिक पर इन्टरनेट से दुनिया भर से जुड़ जाते है। विचारों, ज्ञान तथा सूचनाओं का विपुल भंडार लगभग शून्य लागत पर जिस प्रकार से आज उपलब्ध है पहले कभी नहीं था। यह समय विचारों, संस्कृतियों व ज्ञान के विश्वव्यापी प्रवाह का काल है जिस पर सौभाग्य से किसी भी देश, सरकार अथवा व्यक्ति का कोई नियंत्रण नही है अत: यह सभी देशों व संस्कृतियों के लिए लाभकारी हो सकता हैं। विश्व व्यापी वेब के

माध्यम से सूचनाओं का महासागर आपके सामने उपस्थित है। आप जितना अधिक गहरा गोता लगाने की सामर्थ रखेगे उतने ही कीमती रत्न आप के हाथ लगेंगें। यह सागर मंथन का समय है। सूचना की ताकत सूचना समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। भूमंडलीकरण के युग में वही समाज व देश आगे बड़ेगे जो सूचनाओं को आत्मसात करने, उनकी तह तक जाकर उनका विश्लेषण करने व तदनुरूप प्रासंगिक ज्ञान का तथा तकनीक का निर्माण करने में सिद्धहस्त होगें। सही सूचनाओं से सही ज्ञान व सही ज्ञान से सही निर्णय तक पहुँचने की योग्यता ही राष्ट्रों के भविष्य की निर्धारक होगी। गलत सूचनाएँ, गलत विश्लेषण व गलत निर्णय अर्थव्यवस्था को उच्च लागत वाली बनाकर विश्वव्यापी पूँजी निवेश व तकनीक प्रवाह हेतु अप्रांसगिक, अव्यवहारिक तथा अप्रतियोगी बना देगे व देश व समाज विकास कौ दौड़ में पिछड़ जायेगा। इस दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उच्च शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगी क्योंकि इसी से वह तकनीकी बड़त प्राप्त होगी जो देश को विकास के पथ पर औरो से अधिक तेजी से आगे ले जायेगी। सूचनाओं का उत्खनन, उनका प्रयोग, उनका सटीक विश्लेषण तथा उस से आवश्यकतानुसार ज्ञान व तकनीक का निर्माण करने में सक्षम विशेषज्ञों को तैयार करना उच्च शिक्ष्य के सम्मुख उपस्थित सबसे बडी चुनौती होगी। भूमण्डलीयकरण की चुनौतियों का सामना केवल ऐसे ही विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान कर्मी कर पायेंगें अर्थात वे व्यक्ति जिन्हें विषय विशेष में विशेषज्ञता तो हासिल होगी ही साथ ही वे सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से अपने विषय में काम करने के अभ्यस्त भी होंगें। यह ज्ञान कर्मी उच्च आय प्राप्त कर्मी होंगें जो अपनी उच्च तकनीकी क्षमता व विशेषज्ञता के जरिये समाज में अग्रणी भूमिका निभाकर देश के विकास को राह प्रशस्त करेंगें। इस दृष्टि से भी उच्च शिक्षा में सूचना तकनीकी के अनुप्रयोगों के निहितार्थ को समझना आवश्यक है। ज्ञान आधारित सूचना समाज के निर्माण के लिए ऐसे कर्मियों को तैयार करना उच्च शिक्षा के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है।

भुमंडलीकरण के इस युग में शिक्षा एक वस्तु या व्यवसायिक सेवा के रूप में उभर रही है और इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा जैसे क्षेत्र में और भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा में सार्वजनिक निवेश अपेक्षित निवेश का लगभग एक तिहाई है, निजी निवेश बड़ाने की आवश्यकता है और यह कार्य शिक्षा को एक वस्तु या व्यवसायिक सेवा के रूप में स्थापित किये बगैर करना मुश्किल है। खास तौर पर उच्च शिक्षा में निविश सकल घरेलू आय का 6 प्रतिशत होने की बजाय वर्तमान में लगभगृ 3.4 प्रतिशत ही है। उदारीकरण की शुरुआत में यह लगभग 0.5 प्रतिशत था। जाहिर है आर्थिक सुधारों तथा राजकोषीय सुधारों की मार जब सबसे ज्यादा सामाजिक क्षेत्र में निवेश पर दिखायी दे रही है तो उच्च शिक्षा भी भला इससे क्यों कर अछूती रहती। फलस्वरूप उच्च शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक निवेश आर्थिक सुधारों के काल में निरंतर कम हुआ है। ऐसे में "जब राज्य के हाथ निरंतर कमजोर पड़ रहे है, उच्च शिक्षा में निवेश बड़ाने तथा उसे सूचना ग्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों से सुसज्जित करने की संभावना पहली नजर में दूर कौ कौड़ी नजर आती है। टाटा-अंबानी ग्रुप की उच्च शिक्षा की निजीकरण की रिपोर्ट तथा ज्ञान आयोग की उच्च शिक्षा सम्बन्धी नवीनतम रिपोर्ट भी इस सम्बन्ध में कोई विशेष आशा की किरण नहीं जगाती। बल्कि अब तो खतरा यहाँ तक बड़ गया है कि कहा जाने लगा है कि यदि हालात इसी तरह से जारी रहे तो भारत में अगले 20-30 सालों में उदारीकरण तथा वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाले अवसरों को तुलना में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की भारी कमी हो जायेगी तथा चीन, ताईवान, कोरिया, सिंगापुर जैसे देश वर्तमान में अपनी उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण इस मोर्चे पर भारत को पीछे छोड देगें। ऐसी स्थिति में भारत सूचना प्रौद्योगिकी तथा सस्ती, कुशल, प्रशिक्षित मानवशक्ति के बिपुल भंडार के कारण प्राप्त बड़त को गवां देगा।

वास्तव में यह हमारे नीति निर्धारकों के एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा लागू गेट समझौते में भी अन्ततः शिक्षा को एक सार्वजनिक वस्तु ही माना गया है। विकसित देशों के अग्रणी शोध एवंशिक्षा संस्थान भी भारी मात्रा में सार्वजनिक निवेश के आधार पर ही विकसित हुए है और आज भी इन संस्थानों को चलानें के लिए तथा

उनके बिकास हेतु सार्वजनिक निवेश ही प्रमुख भूमिका निभा रहा है। विकसित देशों में आज भी बड़े-बड़े विश्वविद्यालय और नामी गिरामी कालेज, शोध संस्थान आदि सार्वजनिक क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक निवेश के समर्थन के आधार पर ही फल-फूल रहे है और विकसित देशों के तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभातेहुए अन्तत: उन्हें अपनी आर्थिक विकास की उच्च दर बनाये रखने में महत्वपूर्ण मदद प्रदान कर रहे है। आर्थिक विकास में चूकि सबसे ज्यादा योगदान तकनीकी विकास का होता है इस दृष्टि से विकसित देशों में उच्च शिक्षा एवं शोधों पर किया गया भारी निवेश उनके लिए एक जबरदस्त फायदे का सौदा ही साबित हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत में आर्थिक सुधारों क काल में उच्च शिक्षा पर गिरता हुआ सार्वजनिक निवेश सबसे बड़ी समस्या है और इस गिरते हुए निवेश की प्रतिपूर्ति की आशा निजी क्षेत्र से करना तो दिवा स्वप्न देखने के ही समान है।

यह समझ लेना चाहिए कि उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निवेश का कोई विकल्प नहीं है। निजी निवेश इसका पूरक हो सकता है मगर उसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। यदि भारत को तेजी से आर्थिक विकास करना है तो उसे तकनीकी विकास में भी अग्रणी स्थान प्राप्त करना होगा और इसके लिए उच्च शिक्षा खास तौर से विज्ञान और तकनीकी विषयों से सम्बन्धित संस्थानों की स्थापना और तकनीकी विकास में भी भारी व्यय करना होगा। आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता के बिना इस तकनीकी विकास को हासिल करना असंभव है क्योंकि-विज्ञान एवं उच्च तकनीकी विकास के क्षेत्रों में अधिकाँश नये अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से ही किये जा रहे है वैज्ञानिक प्रयोगों के सटीक विश्लेषण के लिए उच्च गणन क्षमता के सुपर कम्प्यूटरों का इस्तेमाल कर रहे है। जेनेटिक इन्जीनरिंग, न्यूक्लीयर साइंस, बायो टेक्नोलॉजी, नेनों टेक्नोलॉजी रोबौ टिक्स, गेम थ्योरी, मेडिकल साइंस आदि के नवीनतम क्षेत्रों में अनुसंधान बिना सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बगैर करना लगभग असंभव ही है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में भी नवीनतम शोध के लिए और आँकड्डों के वृहत विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग हो रहा है इतिहासज्ञ-पुरातत्व विज्ञान 'फोरेनसिक साइंस शेयर बाजार चुनाव विश्लेषण आर्थिक बाजारों के अध्ययन के साथ-साथ जटिल सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में भी कम्प्यूटरों का व्यापक प्रयोग हो रहा है। जाहिर है ऐसे में इन क्षेत्रों में कार्य करने वाली कुशल मानवशक्ति के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित करके उसे आधुनिक बनाना अनिवार्य है और इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी जो कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही किया जा सकता है। आवश्यकता उच्च शिक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा; भारी निवेश से बचने की नहीं अपितु उसकी उचित उत्पादकता सुनिश्चित करने की है इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों का न केवल- पर्याप्त स्वायत्तता देकर उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा बल्कि उनको प्रगति को निर्धारित करने तथा मापने वाले वस्तु परक मानदंडों का निर्माण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य निस्पादन के इन मानदंडों के पालन के आधार पर ही संस्थानों को सरकारी निवेश का आवंटन किया जाए। सरकारी संस्थानों की कार्य संस्कृति में व्यापक परिवर्तन लाना होगा और धन के व्यय को आव्रश्यक रूप से उत्पादकता से जोड़ना होगा। समय पालन, योग्यता का निरंतर ,विकास तथा योग्यता एवं कार्य के आधार पर ही पारिश्रमिक का भुगतान उच्च शिक्षा में कार्यरत कर्मियों के लिए अनिवार्य करना होंगा। सूचना प्रौद्योगिकी इन मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूंमिका निभा सकती है। इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि चीन, ताईवाने, बहरीन आदि देशों ने हाल ही में तकनीकी शोध और विकास के लिये विश्वस्तरीय संस्थानों के विकास पर बल दिया है। वर्तमान में चीन की लगभग 5, ताईवान, कोरिया, बहरीन व सिंगापुर के 3-3 संस्थान विश्व के बेहतरीन संस्थानों में शुमार किये जा रहे है जबकि भारत में कंवल आई. आईं.टी. ही इस लिस्त में आता है। एक अन्य अपवाद के रूप में आई. आई. एम. में भी हार्वर्ड, कैम्ब्रिज आदि विश्वस्तरीय संस्थानों की तुलना में पड़ाई हो रही है। यदि कुछ चुने हुए उच्च शिक्षा संस्थानों को छोड़ दिया जाये तो भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गर्व के क्षेत्र में गर्व करने योग्य संस्थानों का लगभग अकाल

सा दिखने लगता है। भूमंडलीकरण की चुनौतियों के लिये अपने आप को तैयार करने के बजाय हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान मात्र सस्ती राजनीति, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, शिक्षा के गिरते स्तर, अध्यापकों तथा छात्रों के बड़ते असंतोष, अनुपयुक्त सरकारी नीतियों, अपर्याप्त निवेश आदि समस्याओं के अखाड़े के रूप में ज्यादा नजर आते है। वास्तव में यूनीवर्सिटीयों तथा कॉलेजों में कार्य संस्कृति का इस कदर पतन हुआ है कि कहीं से भी अधिकतर संस्थान अकादमिक प्रतिभा तथा उद्देश्यों को पोषण करते दिखाई नहीं देते। इन समस्याओं को हल करने के लिये मात्र सूचना प्रोद्योगिकी ही नहीं बल्कि दूरदर्शिता तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति भी चाहिए। फिर भी भूमंडलीकरण के कदमों कौ आहट से यह स्पष्ट है कि यह सब बहुत दिन तक चलेगा नहीं। वे सारे कारक अकुशलता को बड़ावा देने वाले है भूमंडलीय प्रतियोगिता के दौर से बाहर हो जायेंगें। भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशलता के वैश्वीकृत मानकों तथा वैश्विक कार्य संस्कृति को अपनाना ही होगा अन्यथा आपका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। अगर आप स्वयं पर शासन न कर सके, स्वयं अपने मालिक बनने में असमर्थ रहे तो निश्चित ही आप दूसरों के नौकर बन जाने पर मजबूर हो जायेंगें। अत: अपनी कार्य संस्कृति बदलनी ही पड़ेगी। सौभाग्य से सूचना प्रोद्योगिकी की असीमित ताकत तथा भारत में यदि विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने कैम्पस स्थापित काने की इजाजत दी जाती है, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कुशलता वाली भूमण्डलीय कार्य संस्कृति का अन्तप्रवाह अन्तत: लाभकारी सिद्ध होगा। सूचना प्रोद्योगिकी इस कार्य संस्कृति को आत्मसात करने में सहायक होगी।

भारत में उच्च शिक्षा का ढाँचा विसंगतियों से भरा हुआ है। न तो पर्याप्त संख्या में यूनीवर्सिसे और कॉलेज है और न ही उपलब्ध कालेजों में तथा विश्वविद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत तथा अवस्थापना सुविधायें है। अनेकानेक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्टाफ की समस्या–है–अच्छी योग्यता वाले छात्र शिक्षण और अध्यापन के व्यवसाय में आना ही नहीं चाहते। जो लोग शिक्षणऔर अध्यापन में पहले से कार्यरत है वे भी व्यवस्था की असंवेदनशीलता, भ्रष्टाचार और आकादमिक का थी संस्कृति के अभाव के चलते कूंठित हों रहे है। सूचना प्रोद्योगिकी के जरिये शिक्षकों के प्रशिक्षण के तथा छात्रों को विभिन्न विषयों की पढ़ाई कराने वाले साफ्टवेयर पैकैज बनाये जा सकते है। इससे पूरे देश में शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के मानकौकरण तथा ग्रेडिंग आदि में मदद मिलेगी। और शिक्षकों के प्रशिक्षण की लागत भी घटाई जा सकेगी। इसी प्रकार विषय आधारित शिक्षण पाठ्यक्रम के विकास से भी पढ़ाई को स्तरीय बनाने में मदद मिल सकती है।अन्तक्रियात्मक अधिगम सामग्री का विकास कर छात्रों को विषय सामग्री का बेहतर ज्ञान कराया जा सकता है। सूचना प्रोद्योगिको के प्रयोग से छात्रों के शैक्षिक विकास पर बेहतर तरीके से नजर रखी जा सकती है। ई–शिक्षा के प्रयोग से शिक्षण को छात्रों तथा शिक्षक दोनों के लिए ही अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है। शिक्षक अपना अधिकाँश समय मल्टीमीडिया आधारित शिक्षण सामग्री जिसमें शब्द, चित्र व ध्वनियों की प्रमुखता हो को विकसित करने में लगा सकते है तथा छात्र उस विषय को अपनी सुविधा व आवश्यकता केअनुसार जब चाहे जहाँ चाहे पढ़ सकते है। भविष्य की शिक्षा को प्रारूप इसी प्रकार का हो जायेगा जिसमें शिक्षकों की मुख्य भूमिका शिक्षण सामग्री के विकासकर्ता की होगी। छात्र अपने एसाइनमेन्ट आनलाईन जमा कर सकेंगें तथा शिक्षक उनका आनलाईन मूल्यांकन करके तुरंत उनको अपेक्षित सुधारों के विषयों में बता सकेगे। परीक्षायें भी आनलाईन ली जा सकेंगी तथा उनके रिजल्ट व डिग्री भी आनलाईन वितरित की जा सकेगी। वर्तमान में ,अनेकानेक विश्वविद्यालयों ने इस प्रकार के कई आनलाईन कोर्स उपलब्ध भी करा रखें है। अमेरिका के कुछ बड़े विश्वविद्यालय तथा ब्रिटेन के क़ुछ कालेज भी इस प्रकार के कुछ कोर्स चला रहे है। छात्रों को आनलाईन अध्ययन करने के लिए विषय सामग्री मनचाही मात्रा में डाउनलोड करने को सुविधा है। इस प्रकार की ई एजुकेशन से छात्रों में एक देश से दूसरे देशों में प्रवासन की आवश्यकता नहीं पड़तो। भारत जैसे देश के छात्रों के लिये यह वरदान से कम नहीं है। अभी तक विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री हासिल करने के

लिए अध्ययन हेतु विदेश जाना पड़ता था और इसमें भारी खर्च होता था जो एक गरीब या मध्यम वर्ग के छात्र के लिए असम्भव बात होती थी। अब आनलाईन कोर्स से वह भी अत्यन्त कम खर्च में उच्च स्तरीय शिक्षा तथा विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री हासिल कर सकता है।

वर्तमान में तो ई एजुकेशन का यह चलन मात्र कुछ यूनीवर्सिटी व कालेजों तक तथा कुछ छोटे-छोटे समर कोर्स या सर्टिफिकट कोर्सो तक ही सीमीत है परन्तु भविष्य में शिक्षा को व्सवसायिक रूप देने के कारण तथा शैक्षिक संस्थानों द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए प्रतियोगिता के कारण अधिकाधिक इस प्रकार के तथा अनेकानेक नये प्रकार के पाठ्यक्रम चलाये जाने क्री संभावना है। जाहिर है ई एजुकेशन के विस्तार की अनंत सम्भाबनायें है क्योंकि अच्छी शिक्षा की तथा अच्छी मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री की माँग वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर में तेजी से बड़ रहीं है। भारत के शिक्षा संस्थानों को भी दौड़ में बने रहने के लिये ई एजुकेशन की व्यापक स्तर पर शुरुआत करनी हीहोगी। इससे वे आर्थिक लाभ भी कमा सकते है और अपनी वित्तीय स्थिति भी मजबूत कर सकते है जो कि भूमण्डलीकरण के इस दौर में अस्तित्व बचाये रखने की महत्वपूर्ण कसौटी होगी। इस दौर में जबकि राजकौय निवेश उच्च शिक्षा में बहने की बजाय घट रहा है, उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वयं को आर्थिक रूप से सक्षम बनानेके लिये हर प्रयास करना होगा। ई एजुकेशन व आनलाईन पाठ्यक्रम ऐसा ही प्रयास है जिसमें सूचना प्रोद्योगिकी उनकी भरपूर मदद कर सकती है।

ज्ञान आयोग की सिफारिशें है कि विश्वविद्यालय जाने वाले आयुवर्ग की जनसंख्या के कम से कम को२ङ_ तक अवश्य ही उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और इसके लिए विश्वविद्यालयों की वर्तमान संख्या को 350 से बढ़ा कर२छु_ करना होगा और कॉलेजों की संख्या तो दसियों गुना बड़ानी पड़ेगी। सरकारी अनुदान के भरोसे तो इसको कल्पना भी मुश्किल है। जाहिर है आनलाईन शिक्षा प्रदान करने वाले स्तरीय शिक्षा संस्थान जो सामान्य विश्वविद्यालयों की तुलना में अत्यन्त कम खर्च में ही स्थापित किये जा सकतें और चलाये जा सकते है तथा खुले विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देते है तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा उनके देशी कैम्पस व तेजी से ख़ुलते निजी विश्वविद्यालय तथा कालेज आदि मिलकर ही इस चुनौती का सामना कर सकते है । यह बात अलग है कि निजी कालेज व विदेशी विश्वविद्यालय की शिक्षा शुरु में महँगी हो सकती है परन्तु फिर भी शिक्षा के विक्रन्द्रीयकरण और मानकीकरण की प्रक्रिया को यदि सही से अपनाया गया तो आने वाले समय में एक आनलाइन यूनीवर्सिटी खोलना मात्र उतना ही महँगा रह जायेगा जितना आज की तारीख में एक अच्छा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना। कम से कम कला संकाय तथा वे विषय जिनमें उच्च स्तर की प्रयोगशाला आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके लिए यह बात अक्षरक्ष: सत्य सिद्ध होगी। शिक्षा की अत्यधिक माँग तथा बड़ती प्रतियोगिता व सूचना तकनीकी के लगातार ऊँचे होते स्तर के कारण शिक्षा व ज्ञान का प्रसार आने वाले समय में कम लागत व अच्छे मुनाफे का अच्छा सौदा हो जायेगा। यूनीवर्सिटी तथा कॉलेजों में व्यक्तिगत कोर्सो तथा व्यक्तिगत कैम्पस की अवधारणा भी बल पकडेगी। परम्परागत कोर्सो से अलग हट कर आवश्यकता आधारित पाठयक्रमों पर बल देना शुरु हो ही चुका है, भविष्य में इसमें औरअधिक तेजी आयेगी। पाठ्यक्रमों की संख्या, उनके प्रकार व रूप रेखा में भविष्य में भारी विविधता देखने में आयेगी। ऐसे में सूचना प्रोद्योगिकी की आव्जेक्ट ओरियेन्टेड प्रोग्रामिंग के जरिये माड्युलेरिटी तथा आइसोमार्फिजम की अवधारणा भी विकसित होगी तथा शैक्षिक संस्थाओं के विविध आयार्मो के सार्वभौम स्तरीकरण की प्रक्रिया भी बल पकडेगी। लेकिन फिर भी संक्रमण की यह प्रक्रिया कोई आसान प्रक्रिया नहीं होगी। सूचना प्रोद्योगिकी के तमाम अनुप्रयोगों तथा उच्च तकनीकों व घटती लागतों के बावजूद जैसे-जैसे ई एजुकेशन व आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों की संख्या बड़ेगी तथा पादूय सामग्री तथा परीक्षा प्रणाली का स्तरीयकरण होगा, पड़ाई मुश्किल होती जायेगी। डिग्री हासिल करने के लिये अधिक योग्यता वे अधिक मेहनत की जरुरत होगी। रेगुलर पाठ्यक्रमों की बजाय आनलाईन

पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अधिक मुश्किल होगा क्योंकि यह शिक्षा व्यक्तिगत संपर्क व प्रभावों पर आधारित नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय की तुलना में इन्टरनेट चलाने का खर्च अभी भी काफी खर्चीला है। हर छात्र के लिये लैपटाप की व्यवस्था करना तथा आनलाईन शिक्षण के माध्यमों से छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना भी, खासकर तब-जबंकि छात्र करोड़ों में हो, आसान नहीं होगा। भारत जैसे देश में जहाँ अभी भी अधिकाँश लोग कम्प्यूटर को अजूबा समझते है खासतौर से दूरदराज के क्षेत्रों व ग्रामीण भारत में सूचनो प्रोद्योगिकी का विस्तार होने में समय लगेगा और उसे उच्च शिक्षा देने के काबिल बनाने में तो कुछ ज्यादा ही समय लगेगा । उच्च शिक्षा को सूचना प्रोद्योगिकी के माध्यम से ग्रहण करने में अत्याधिक दक्षता की जरुरत पड़ेगी जो आज को तिथि मे शायद पूरी तरह शहरी भारत के पास भी नहीं है। ऐसे में गरीब छात्र व ऐसे छात्र जिनका सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र से कुछ खास लेना देना नहीं है दोड़ में बाहर हो जायेगे। दूसरे शब्दों में सूचना प्रोद्योगिकी आधारित उच्च शिक्षा के विकास में शैक्षिक असमानता का खतरा मुँह बाये खड़ा है। उच्च शिक्षा प्राप्त ज्ञान कर्मी समाज के उच्च आय प्राप्त करने वाले एक अभिजात्य श्रेणी के रूप में उभरेंगे तथा अन्य सामान्य छात्र दौड़ में पिछड़ कर सामान्य बनकर रह जायेगे। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में सूचनाएं एवं ज्ञान ही आर्थिक शक्ति का मुख्य-स्रोत बनकर उभरेंगे और जो इनके इस्तेमाल में माहिर होंगे वहीं समाज में अग्रणी स्थान बनायेंगे। अल्प संसाधनों वार्लो छात्रों के लिए ही परम्परागत विषय रह जायेगे और धीरे-धीरे यह विषय भी आर्थिक और शैक्षिक परिदृश्य से ओझल होते जायेंगे। यह प्रक्रिया शुरु हो चुंकी है जिन छात्रों के पास संसाधन है वह एम. बी. ए., एम. सी. ए., एम. बी. बी- एस. इंजीनीरिंग व मैनेजमैन्ट कोर्स में जो मुख्यत: आवश्यकता आधारित कोर्स है कर रहे है तथा बी. ए., बी. एस. सी. व. बी. काम. जैसे परम्परागत कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्र उच्च आय प्रदान करने वाले व्यवसायों से लगातार दूर होते ही जा रहे है। परम्परागत विषयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के शैक्षिक कैरियर व रोजगार में कोई अन्त: सम्बन्ध ही नहीं रह मया है। दूसरे शब्दों में परम्परागत विषय रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम सिद्ध नहीं हो रहे है। सूचना प्रोद्योगिकी के माध्यम से रोजगारपरक कार्यक्रमों में अधिकाधिक विशेषज्ञता व ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए ही उच्च आय अर्जित करने वाले रोजगार हासिल करना व उसमें टिके रहना संभव होगा। जो अपने ज्ञान को नवीनतम नहीं रख सकेंगे वे रोजगार हासिल करने के पश्चात भी उसमें लम्बे समय तक टिके रहने में सक्षम नहीं हो सकेगे। यहीं बात शिक्षकों के लिए भी सत्य सिद्ध होगी। शिक्षकों के लिए भी अपनी नौकरी तथा मूल्य को लगातार बनाये रखने केलिए सूचना प्रोद्योगिकी के माध्यम से अपने ज्ञान तथा योग्यता को लगातार बड़ाना अपेक्षित होगा।

शैक्षिक प्रशासन तथा छात्रों, शिक्षको, शैक्षिक घटनाओं-परिघटनाओं के आवश्यक रिकार्ड रखनेमें भी सूचना प्रोद्योगिकी मुख्य भूमिका निभायेगी। उच्च क्षमता के कम्प्यूटर क्लर्कों का अधिकाँश कार्य करेंगे। ऑफिस में हर विभाग में कम्प्यूटर व अधिकाधिक आटोमेशन होगे। केवल नीतिगत निर्णयों का संचालन वैयक्तिक स्तर पर होगा। अधिकाधिक जानकारी आनलाईन उपलब्ध रहेगी। छात्र न केवल अपना रिजल्ट आनलाईन जान सकेंगें बल्कि डिजिटल हस्ताक्षरों से युक्त मार्कशीट व डिग्रियाँ तथा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकेंगें। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना के अधिकार के माध्यम से उच्च शिक्षा में बहुत हद तक अपारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार की समस्याओं का निराकरण हो सकेगा! भविष्य में चूँकि योग्यता ही रोजगार प्राप्त करने का आधार बनेगी, अयोग्य व्यक्तियों के लिए हायर एण्ड-फायर की पद्धति मुश्किलें खड़ी करेगी, ऐसी स्थिति में लोग येन केन प्रकारेण कोई भी डिग्री हासिल करने के बजाय अपनी वास्तविक योग्यता को बड़ाने वाली वास्तविक व्यवसायिक कार्य क्षेत्रों से संबंधित उपयोगी डिंग्रियों को मेहनत से ही हासिल करने पर बल देंगें ताकि उनकी वास्तविक योग्यता बड़ सके तथा वे अपने अध्ययन के दौरान प्राप्त की गयी जानकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में भी प्रयोग कर सकें। इससे डिग्रियों के फर्जीवाड़े को रोकने में भी मदद मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार भी इस तरह के अप्रांसगिक

पाठ्यक्रमों तथा डिग्रियों को दूसरों से अलग करने व उन्हें समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

भविष्य में निजी क्षेत्र में कूदने से शैक्षिक संस्थानों के कम्पनियों में बदलने की प्रक्रिया भी शुरु हो सकती है। कारपोरेट कालेज अपने शेयर जारी कर सकते है और इस प्रक्रिया के अर्न्तगत शैक्षिक संस्थानों को लाभ के पारदर्शी मानदंडों पर चलाने तथा उसमें अवांछित राजनीति को दूर करने पर भविष्य में जोर दिया जा सकता है। जाहिर है कि योग्यता के आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति होगीं और कोर्स के-लिए. फीस भरने के -लिए छात्रों कौ उत्सुकता के आधार पर पाठ्यक्रमों का चयन तथा प्रारूपण होगा। एक उत्पाद के रूप में शिक्षा की गुणवत्ता- बड़ाने, शैक्षिक स्तर को बड़ाने व अपनी साख व अपने शेयरों की कीमतें बड़ाने के लिए निश्चित ही अन्य उपायों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शैक्षिक प्रक्रिया का सहारा लिया जायेगा। चूँकि कोर्सो का चयन छात्रों द्वाम उनकी अपनी आर्थिक क्षमता तथा कोर्सो की वास्तविक उपयोगिता के आधार पर होगा अत: शिक्षा के एक आर्थिक वस्तु के रूप में या एक व्यवसायिक सेवा के रूप में स्थापित होने से शिक्षा की माँग तथा पूर्ति दोनों के ही विवेकीकरण में आसानी होगी तथा सार्वजनिकवस्तु से हट कर शिक्षा कौ अवधारणा जैसे-जैसे निजी वस्तु की बनती जायेगी, शिक्षा का मूल्य सार्वजनिक कल्याण कीभावना से निर्धारित होने की बजाय माँग व पूर्ति के ठोस आर्थिक आधारों पर होगा। यदि शिक्षा में सार्वजनिक निवेश नहों बड़ाया गया तो निश्चित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उच्च शिक्षा जो उच्च तकनीकी विशेषज्ञ तैयार करने के उद्देश्य से डिजाईन की जायेगी, महँगी हो जायेगी व अधिकाँश लोगों की पहुँच से बाहर हो जायेगी। इस असमानता को अनुचित रूप से बड़ने न देने के लिए आवश्यक हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उच्च शिक्षा पैकेज के निर्माण में सरकार द्वारा भी निवेश किया जाये तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों तथा साफ्टवेयर तथा शैक्षिक सामग्री से प्रत्येक कालेज व विश्वविद्यालय को लैस किया जाय ताकि इसका लाभ गरीब छात्र भी उठा सके। सूचना प्रौद्योगिकी को ही मदद से सरकारी फण्ड के उचित उपयोग तथा मानीटरिंग में भी मदद मिल सकती है। लेकिन इन सब प्रयत्नों के बाद भी इस असमानता से मुक्ति मिलनी संभव नहीं है। कारण यह है कि असमानता भूमण्डलीकरण की मूल प्रकृति हैं। कुशलता का पोषण और अकुशलता का शोषण यहां भूमण्डलीकरण का मुख्य सिद्धान्त हैं। दौड़ चाहे कैसी भी क्यों न हो, कुछ लोग ही आगे निकल पाते है और शेष पीछे छूट जाते है।

भूमण्डलीकरण की इस दौड़ में भी बहुत कुछ दाँव पर है। इसमें बहुत सारे नये-नये अवसर उत्पन्न होंगें परन्तु उसका लाभ वहीं लोग उठा पायेंगें जो दूसरों से अधिक कुशल होगें। उच्च शिक्ष-करे क्षेत्र में भूमण्डलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के सम्मेलन से अनेकानेक नवीन व उच्च आय उत्पन्न करने वाले अवसर उत्पन्न होंगें परन्तु इसका लाभ केवल वहीं लोग उठा पायेंगें जिनमें अवसर को सही समय पर पहचानने तथा तदनुरूप कार्य करने की क्षमता है। अत: सही शिक्षा इस कार्य में मदद अवश्य कर सकती है परन्तु वह असमानता की इस मूल प्रवृति को खत्म नहीं कर सकती। सूचना प्रौद्योगिकी आपको अवसरों को पहचानने तथा कार्य करने में सहायता अवश्य कर सकती है किन्तु अन्तत: यह सब करना व्यक्ति को ही होगा। परन्तु इसके लिए भी यह आवश्यक है कि आप सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही शिक्षित हो तथा अपने कार्य विशेष में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में उच्च स्तर की महारत रखते हो। चूँकि आने वाले समय में सूचना ही ताकत होगी और इण्टरनेट के माध्यम से सूचनाएं अल्प लागत पर सर्व सुलभ भी होंगी अत: यदि स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी को पाठ्यक्रम का तथा आधारभूत संरचना सुविधाओं का आवश्यक अंग बना दिया जाता है तो सामान्य छात्र भी इन सूचनाओं का उपयोग अपने ज्ञान को बड़ाने और समयानुसार परिष्कृत करने में कर सकेंगें। उन्हें नवीनतम परिवर्तनों तथा प्रवृत्तियों की जानकारी सहज ही हो जायेगी तथा कठिन विषय भी कम्प्यूटर प्रोग्रामों के जरिये सरलतम रूप में समझाये जा सकेगें। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण अपनाने की लागत की अपेक्षा इसके लाभ अत्याधिक होंगें अत: तमाम अवरोधों के बाद भी इस प्रकार का शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पैठ लगातार बनाता जायेगा और पारम्परिक शिक्षा प्रणाली का स्थान सूचना

प्रौद्योगिकी आधारित उच्च शिक्षा लेती जायेगी और –जैसे–जैसे सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर लागतें गिरेगी इस प्रकार की शिक्षा को अपनाना और भी आसान होता जायेगा। भारी भरकम किताबों तथा नोटबुक के बोझ से भी काफी हद तक मुक्ति मिल जायेगी। बड़ी–बड़ी लाइब्रेरियाँ सिमट कर चन्द कमरों की सी. डी.–डी.वो. डी. गैलरी में सीमित हो जायेगी। प्रयोगात्मक विषयों में भी वास्तविक लेबोरेट्री पर खर्च कम हो जायेगा क्योंकि कम्प्यूटर आधारित सिंम्युलेशन से ही काफी हद तक प्रयोगात्मक तथा कठिन विष्य भी काफी आसानी से छात्रों को समझाये जा सकेंगें। वास्तविक प्रयोगों की बजाय छात्र कम्प्यूटर पर ही सिमुलेशन किया करेंगें। गहन खोजी और उत्सुक छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षक की बजाय इन्टरनेट व कम्प्यूटर आधारित शिक्षण गेम, प्रोग्राम, अधिगम सामग्री, मल्टीमीडिया आधारित शिक्षण सामग्री आदि ज्यादा महत्वपूर्ण होंगें। इससे उच्च शिक्षा में एक क्रान्ति आ जायेगी। स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने के अवसर सर्वसुलभ होंगें। जो सोयेगा वो खोयेगा, जो जागेगा वो पायेगा कि तर्ज पर होनहार छात्रों की प्रतिभा को सूचना प्रौद्योगिकी निखार देगी और जो मेहनत नहीं करेंगें या अकुशल होंगें वो सूचनाओं के बोझ तले दब के रह जायेंगें। आने वाले समय में सूचना का प्रबंधन तथा पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सूचनाओं का प्रवाह इस हद तक बड़ जायेगा कि प्रासंगिक सूचनाओं को अलग–अलग वर्गकृत करना और उसे अपने उपयोग में लाना भी एक समस्या हो जायेगी। ऐसे में सूचना प्रबंधन की कला मददमार होगी। वर्तमान में चल रहे कई पाठ्यक्रम नये युग की चुनौतियों के अनुरूप न होने के कारण या तो बंद हो जायेंगें अथवा उनमें व्यापक बदलाव किये जायेंगें ताकि वह छात्रों के लिए व्यवसायिक व व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो सके। अधिकाँश विज्ञान तकनीक एवं प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेना पसंद करेंगें।

उच्च शिक्षा का कार्य अत्याधिक उच्च तकनीक बाले कक्षेत्रों जैसे बायोटेक्नालाजी, जीनोम इन्जोनरिंग, उच्च भौतिकी बायोकंमिस्ट्री, रोबोटिक्स जैसे शोध गहन क्षेत्रों के लिए अत्यन्त उच्च स्तर के विशेषज्ञ तैयार करना हो जायेगा या फिर उनका सम्बन्ध डाक्टरी, इन्जीनरिंग या प्रबंधन जैसे उच्च आय क्षमता वाले रोजगारों के लिए कुशल व मानवीकृत मानव संसाधन तैयार करना रह जायेगी। शेष छात्रों के लिए जिनकी मानसिक और आर्थिक क्षमता बहुत अधिक नहीं होगी उनके लिए छोटे–छोटे डिग्री, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट वोकेशनल कोर्स जैसे वर्तमान में आइ. टी. आई. या जी. टी.आइ. या इग्नू आदि संचालित करते है, रह जायेगें। ये छात्र इन्हीं सामान्य जन जीवन कं कार्य में आने वाले कार्यो में जैसे कारपेन्टरी, फोटोग्राफी, राजगिरी, मिस्त्रीगिरी, पेन्टिंग आदि कार्यों में ही उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करेंगें और छोटे मोटे काम करने के बाबजूद अच्छा जीवन–यापन करेंगे ।

सूचना प्रौद्यागिकी छात्रों को वे जो कुछ भी करना चाहते है तथा जो कुछ भी कर सकते है, उसमें उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करनें का अवसर कम लागत पर उपलब्ध करायेंगी। सूचनाओं का खुला और उन्मुक्त वितरण आर्थिक न्याय प्राप्त करने के अवसरों का भी काफी हद तक खुला और उन्मुक्त संसार उत्पन्न करेगा और व्यक्ति को आर्थिक सामाजिक न्याय प्राप्त करने का आज की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा अवसर प्रदान करेगा और इस प्रकार से अवसर जनित असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। यहीं वो सपना है जिसे समाज के मूर्धन्य समाक्त– विज्ञानी और सूचना प्रौद्योगिकी के महारथी मिलकर देख रहे है। एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज, जिसमें ज्ञान ही आर्थिक शक्ति का भंडार होगा तथा ज्ञान का महासागर माउस की एक क्लिक पर उपलब्ध होगा और कोई भी इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से कर सकेगा और अपनी ज्ञान बुद्धि और आर्थिक क्षमता में इजाफा कर सकेगा। ज्ञान का महत्व पहले भी था और सूचनाओं की ताकत पहले भी संसार को शासित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी मगर तब यह सूचनाएँ केवल समाज में विशिष्ट लोगों की सम्पत्ति हुआ करती थी। मगर आज पहली बार सूचनाओं का महासागर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनसाधारण के लिए उपलब्ध हुआ है इसलिए यह समाज,व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के बीच अर्न्तनिहित असमानता को

निश्चित रूप से कम करने में और अल्पविकसित देशों के लिए विकास के नये-नये अवसर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगें। और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा इन देशों की इस सफलता की आधारस्तम्भ होगी। यहीं वजह है कि आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहा है। आज भारत के युवा सिलिकान वैली तथा अन्य नामचीन स्थानों पर देश का नाम रोशन कर रहे है। हमने कम लागत पर प्रतियोगी बी. पी.ओ./ काल सेंटर सबिस तथा आउटसोर्सिग के बाजार में अच्छी सुविधायें व कुशल श्रम उपलब्ध कराया है। हैदराबाद तथा बैंगलोर जैसे केन्द्र विश्व स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के केन्द्रों के रूप में उभर रहे है। अपनी उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी को अच्छा स्थान देने के कारण ही हम ऐसा करने में संक्षम हुए है। सूचना प्रौद्योगिकी की बदौलत ही यह संभव हुआ है कि काम ढूँढने के लिए हमें विदेशों में भटकने की जरुरत नहीं, बल्कि कुशल लोगों के लिए घर बैंठे-बेठे ही आउटसोर्सिग के माध्यमसे काम करना संभव हुआ है। विभिन्न कार्यो में कुशलता का वह स्तर प्राप्त करना भी संभव हुआ है जो अब तक केवल विकसित राष्ट्रों की बपौती था। इसी वजह से आज महानगरों में उस युवा वर्ग का तेजी से उदय हुआ है जो अपने काम में कुशल है और उसकी आय रूपयों में न होकर डालरों में है और यह वर्ग खर्चीला, तड़क-भड़क प्रिय तथा पश्चिमी युवाओं की भाँति जीवन के प्रति खुले मानक रखने वाला है। जो कुशल है वह अपनी कुशलता से कही से भी आय प्राप्त कर सकता है। ब्रिटेन में जो शिक्षक पन्द्रह से बीस पाउन्ड प्रति घंटा ई-टबूटोरियल के लेता है वहीं कार्य हमारे यहाँ के शिक्षक आठ से दस पाउन्ड भारत में बैठे-बैठे कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं कमाऐगें यदि वे उतनी हीं कुशल हो जितने ब्रिटेन के शिक्षक। यदि आप ज्यादा कुशल होंगें तो आप तीस पाउन्ड प्रति घंटा भी पा सकते है। इस प्रकार की आउटसोर्सिग के अवसर सूचना प्रौद्योगिकी के उदय से पहले सोचना भी नामुमकिन था। सूचना प्रौद्योगिकी कौ ताकत ने अल्पविकसित देशों को अपना तकनीकी पिछड़ापन दूर करने का अपूर्व अवसर उपलब्ध कराया है।

भूमण्डलीकरण के इस दौर ने तकनीक और पूँजी का मुक्त प्रवाह तो संभव बनाया है परन्तु श्रम के मुक्त आवागमन पर अवरोध है।, श्रम के आवागमन पर इन अवरोधों के हटने से अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार का पलड़ा अल्पविकसित देशों के पक्ष में कुछ और अधिक झुक जायेगा। परन्तु यह एक राजनीति मुद्दा है जिसमें तय करने में अर्न्तराष्ट्रीय दबाब व विकसित देश' ही मुख्य रूप सें मुख्य भूमिका निभायेंगें। अत: इस मुद्दे का शीघ्र निस्तातरण व वह भो अल्पविकसित देशों के पक्ष में होना मुश्किल है। मगर सूचना प्रौद्योगिकी ने अल्पबिकसित देशों को अपनी कुशलतां बड़ाने व इसे भूमण्डलीय मानकों के अनुरूप बनाने का जो अवसर उपलब्ध कराया है उसका लाभ उठाकर ये देश विकास की दौड़ में अपने आपको आगे ला सकते है और चूँकि इसमें उनके उच्च शिक्षित युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी अत: इन युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षित करना अति आवश्यक है। चूँकि तकनीकी विकास की तथा सूचनाओं के विकास को प्रकृति एक्सपोनेंशियल विकास की होती है तथा यह आर्थिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान करती है, इसलिए अल्पविकसित देशों को भविष्य में तेजी से तकनीकी और आर्थिक विकास करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित गहन शोध व अनुसंघान उन्मुखी उच्च शिक्षा को अपनी रीड की हड्डी बनाना ही पड़ेगा। ये रीड जितनी मजबूत होगी, उतनी ही तेजी से यह देश विकास के पथ की विभिन्न मंजिलों को पार कर सकेंगें। भारत को भी इस नीति का न केवल अनुसरण करना होगा बल्कि दूसरों से आगे रहने के लिए उसे इस क्षेत्र में अन्य देशों का नेतृत्व करना होगा।

अत: आज जरुरत इस बात है कि भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उभर रही भूमण्डलीय चुनातियों को समझे। इन चुनौतियों को समझ कर अपनी उच्च शिक्षा का ढाँचा तथा -प्रकृति को बदले। आज भारत में संसाधनों के उपयोग को विवेकोकृत करने को जरुरत है। परम्परागत प्रणाली में तथा परम्परागत विषयों में संसाधनों का निवेश करने की बजाय अच्छा है कि हम अपने कीमती संसाधनों का निवेश भारी संख्या में नये आई. आई. एम., आई. आई- टी. और अच्छे अच्छे मेडिकल

कॉलेज, इन्जीनरिंग कॉलेज और पालीटेक्निक खोलने पर विशेष ध्यान दे। कम से कम बीस विश्व स्तर के विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थान स्थापित करें। कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर अविलम्ब सुधारने की आवश्यकता है। इसे सुधारने में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। संसाधनों के व्यय व अपव्यय पर सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से कारगर निगरानी रखी जा सकती है। छात्रों तथा शिक्षकों की योग्यता को बड़ाने तथा उनकी सतत निगरानी में भी कम्प्यूटर मदद कर सकते है। छात्रों की हाजिरी तथा उनके टैस्ट आदि में प्राप्त नम्बरों पर निगाह रखने वाला साफ्टवेयर बन सकता है जो शिक्षक को छात्र की शैक्षिक प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दे सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अच्छा शिक्षण करने के लिए बहुत ही योग्य व कुशल शिक्षकों की जरुरत पड़ेगी जिन्हें तैयार करने में भारी निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उचित प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी। आधारभूत संरचना में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित उपकरणों में निवेश के लिए भारी धनराशी की आवश्यकता पड़ेगी। एक साथ हजारों कालेजों व सैकड़ों विश्वविद्यालयों का शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में भारी निविश आज की तिथि में राज्य के बस की बात नहीं है। दूसरी ओर शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों में उच्च शिक्षा को लेकर जो नीतिगत सुस्ती, लापरवाही और उहापोह की स्थिति हैं उससे भी इस प्रकार का एकाएक भारी निवेश संभव न हीं रह जाता है। परन्तु फिर भी यदि एक साथ संभव न हो तो थोड़ा-थोड़ा करके ही प्रति वर्ष कुछ न कुछ महत्वपूर्ण निवेश किया जाना चाहिए। यह भी देखा गया है कि शैक्षिक संस्थाओं में यदि कम्प्यूटर आदि आ भी जाते है तो वे ऐसे ही पड़े रहते है क्योंकि शिक्षक समुदाय उन्हें उपयोग करना ही नहीं जानता। शिक्षकों में कम्प्यूटर साक्षरता को बड़ावा देना चाहिए और ऐसे शिक्षकों को जो एम. सी. ए. या पी. जी. डी. सी. ए. जैसे कोर्स करना चाहते हो उन्हें विशेष प्रोत्साहन देकर , यदि वे सरकारी नौकरी में हो तो अतिरिक्त इन्कीमेंट प्रोमेशन आदि देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में सूचना प्रौद्योगिकी में निपुणता को पुरुस्कृत करके ही शिक्षक समुदाय-को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरों ओर किसी भी व्यवसाय में प्रवेश के लिये कम्प्यूटर में कम से कम "ओ' लेवल की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर देना चाहिए। शिक्षक बनने के लिए भी इसे अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे भविष्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश की जाने बाली धनराशि की बचत संभव होगी। संसाधनों को समझदारी से और कुशलता से व्यय किया जाना चाहिए क्योंकि भारत में अल्प संसाधनों की समस्या तो है ही, ज्यादा बड़ी समस्या तो संसाधनों के दुरुपयोग की है। उच्च शिक्षा में इस दुरुपयोग को कम से कम करने के लिए शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मियों की भर्ती में कम्प्यूटर सम्बन्धी योग्यता का एक निश्चित लेवल अनिवार्य छर देना चाहिए। और पुराने शिक्षकों के लिए इसे उनकी तनख्वाह वृदि के साथ अनिवार्यरूप से जोड़ दिया जाना चाहिए। ओर इसे उन्हें उनकी ही लागत पर इग्नू से करने कोकहा जाना चाहिए क्योंकि इग्नू जैसे संस्थानों के कोर्स की लागत काफी कम तथा पढ़ाई का स्तर काफी अच्छा है। राज्य को अपनी तरफ से कार्य शालायें आदि आयोजित कर शिक्षकों को टी. ए.-डी. ए. बाँटने से बचना चाहिए। क्र्योंकि इसमें कोई वास्तविक मतलब हल होने की बजाय खानापूरी ही अधिक, होती है। शिक्षकों कों अब इस बात का लगातार एहसास होना चाहिए कि बिना कुछ अतिरिक्त प्रयास किये या अपने ज्ञान में और शिक्षण कला में सुधार लाये बगैर वे अब इस व्यवसाय में पहले की तरह जड़ बने नहीं रह सकंते। हायर-एण्ड-फायर सिस्टम के विकास के साथ-साथ यह बात स्वयँ सिद्ध होती चलो जायेगी कि बिना अपने में अपेक्षित सुधार लाये इस व्यवसाय में टिकना मुश्किल होगा। इसमें उच्च कुशलता वाले शिक्षकों का विकास होगा तथा उनकी कुशलता बड़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी उनकी सबसे अच्छी मित्र साबित होंगी।

उच्च शिक्षा में अब "गुणवत्ता बनाम संख्या' के मुद्दे पर'भी ध्यान देने का वक्त आ गया है। यदि उच्च शिक्षा को आधुनिक बनाना है और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को उसका आवश्यक अंग बनाना है तो केवल दो ही रास्ते हमारे

सामने बचते है पहला है कि छात्रों की वर्तमान संख्या को देखतें हुए भारी निवेश किया जाये। यह रास्ता भारत जैसे अल्प संसाधनों वाले देश के लिए वर्तमान में अपनाना मुश्किल होगा लेकिन इसे काफी हद तक अपनाना ही पडेगा। देखा जा रहा है कि वर्तमान में छात्र जो शिक्षा प्राप्त कर रहे है वह अत्यन्त ही स्तरहीन तथा छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसे और अधिक पिन पाइंट करने तथा गुण्वत्ता के आधार पर परिष्कृत करने की जरुरत हैं। दूसरा रास्ता इसी से जुड़ा है कि उपलब्ध संसाधनों का ही अधिकतम व कुशलतम उपयोग किया जाये,शिक्षा को व्यवसायिक रूप से संचालित करने की कोशिश करते हुए संसाधनों को बड़ाया जाये, फीस का विवेकीकरण किया जाये और शिक्षा का बाजारीकरण करते हुए उसके बाजार मूल्य के आधार पर छात्रों से फीस वसूल की जाये और इस प्रकार से जो संसाधन एकत्र हो उनसे उच्च शिक्षा का आधुनकीकरण किया जाये। धीरे–धीरे यह एक चक्रीय प्रक्रम का रूप धारण कर लेगा। बाजार संकेतों के हिसाब से चलने से शिक्षा की माँग और आपूर्ति का भी विवेकीकरण हो जायेगा। निश्चत रूप से काफी लोग यह सवाल उठायेंगें कि ऐसे में गरीब छात्रों का क्या होगा। निश्चित रूप से उन्हें छात्रवृत्तियाँ देकर राज्य प्रोत्साहित कर सकता है परन्तु यह प्रोत्साहन उनकी मेघा शक्ति के आधार पर होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाएँ ली जा सकती है और परीक्षाओं में प्रदर्शा के आधार पर उनकी ग्रेडिंग की जा सकती है और विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ दी जा सकते हैं। इस कार्य में आनलाइन परीक्षायें ली जा सकती है। और आनलाइन ग्रेडिंग के आधार पर छत्रवृत्तियाँ वितरित की जा सकती है। गुणवत्ता बनाये रखने के लिए इस प्रकार की परीक्षा्ये आवश्यक हैं। सूचना प्रौद्योगिकी इस कार्य में भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।जरुरी नहीं है कि हर बच्चा उच्च शिक्षा हासिल करें। जरुरी यह है कि हर बच्चे के लिए उसकी योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर हो। इस योग्यता को आधार को मापने, उसकी ग्रेडिंग करने तथा उसे परिष्कृत करने में सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस प्रकार से छँटकर आये छात्र अधिक योग्य निकलेंगें और वे उच्च शिक्षा के फलस्वरूफ उत्पन्न होने वाले अवसरों का उचित दोहन कर सकेगें। यदि छात्रों की संख्या विवेकोकृत हो जाती है तो छात्र–शिक्षक अनुपात सुधरने के साथ–साथ प्रति छात्र व प्रति शिक्षक अधिक निवेश किया जा सकेगा तथा अध्ययन–अध्यापन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। छात्रों पर ज्यादा ध्यान देना संभव होगा तथा शिक्षक के गिरते हुए स्तर पर भी काफी हद तक लगाम लग सकेगी। भूमण्डलीयकरण के इस दौर की चुनौतियों का सामना केवल उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों की संख्या बड़ाकर ही नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना परम––आवश्यक है। गुणवत्ता ही वह हथियार है जो हमें भूमण्डलीकृत प्रतियोगिता के इस दौर में दूसरों से आगे ले जायेगा। और इसी गुणवत्ता को बड़ाने के लिए उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग आवश्यक है। इस प्रकार से उच्च शिक्षा के सभी आयामों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग आवश्यक है। यह जरुर है आज उच्च शिक्षा से जुड़े अनेकानेक क्षेत्रों में इसे अभी तक वृहद रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है और आज भी सामान्य छात्र, शिक्षक व: जनसमुदाय की मनोवृत्ति इसे आवश्यक के स्थान पर वैकल्पिक मानने की है परन्तु इसका वास्तविक कारण सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अनुप्रयोगों के लाभों के प्रति जनसामान्य में सामान्य जागरूकता का अभाव तथा इन अनुप्रयोगों का प्रति व्यक्ति आय की तुलना में आज भी महँगा होना है । जैसे–जैसे प्रति व्यक्ति आय बड़ेगी और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पादों के दाम गिरेंगें बैसे–वैसे ही इन उत्पादों की स्वीकार्यता और उपयोग भारतीय समाज में बड़ुता चला जायेगा और भविष्य में कोई भी क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों से अछूता नहीं रहेगा। अनेक स्थानों पर आज जहाँ इसका प्रयोग वैकल्पिक व विलासिता माना जाता है आने वाले समय में यह अनिवार्यता में बदल जायेगा।

उच्च शिक्षा भी इसका कोई अपवाद नहीं है। उच्च तकनीकी शोध अनुसंधानों में तो कम्प्यूटर का प्रयोग वैसे भी अनिवार्य बन चुका है। आने वाले समय में उच्च शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग गुणवत्ता का पर्याय

बन कर उभरेगा। न कंवल यह सीखना अनिवार्य होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग उच्च शिक्षा में किस प्रकार किया जाये बल्कि उच्च शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यचर्या को मल्टीमीडियाँ इन्टरएक्टिव लर्निंग मेटेरियल के रूप में ही आवश्यक होगा। आज हॉलाकि इस बात पर काफी कम बल दिया जा रहा है लेकिन यदि ई. टयूटोरियल लगभग सभी विषयों व सभी कक्षाओं में सस्ती एजुकेशनल टेबलेट्स के रूप में छात्रों को यदि विकसित करके नाममात्र लागत पर उपलब्ध करा दिया जाये तो न केवल छात्रों को ज्ञानार्जन करने में भी काफी मदद मिलेगी बल्कि बल्कि उनमें सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों तथा अनुप्रयोगों के ग्रति जागरूकता भी व्यापक स्तर घर फैल: जायेगी और शिक्षा प्राप्ति के आवश्यक अंग के रूप में कम्प्यूटर भी शीघ्रातिशीघ्र हर घर में पहुँच जायेंगें। जब लोग एक बार कम्प्यूटर की महत्ता को समझ जायेंगें तो कम्प्यूटर को घर-घर में पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार से भारतीय अभिभावक अपना पेट काट कर भी बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजने का सपना देखता है उसी तरह से यदि बच्चों को कम्प्यूटर के माध्यम से कोई वास्तविक मदद मिलेगी तो यह भी भारतीय जनमानस के सपने का अंग हो जायेगा। और तब यह इतना लोकप्रिय हो जायेगा कि यह शिक्षा का भी आवश्यक अंग बन जायेगा।

कम्प्यूटर पर चलने वाले ज्यादा से ज्यादा शैक्षिक प्रोग्राम, उनके पाठ्यक्रम को विषय सामग्री, प्रश्नोत्तर फारमूले, विज्ञान सामग्री की सी.डी., डिक्शनरियाँ आदि बहुत ही कम कीमत पर छत्रो, स्कूलों,कालेजों व विश्वविद्यालयों में विकसित करके पहुँचायी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से छात्रों के पास जिस तरह के लम्बे चौड़े पाठ्यक्रम है उसकी तुलना में कम्प्यूटर पर चलने योग्य सामग्री अत्यन्त ही थोड़ी है, और जो है वह केवल महानगरों व राजधानियों में उपलब्ध है, और जो उपलब्ध है वह अत्यन्त ही निम्न गुणवत्ता तथा उच्च दाम वाली है। इस प्रकार से स्थानीय भाषाओँ में स्तरीय लरनिंग मेटेरियल का ये जो अभाव है वह सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के विस्तार को बाधित कर रहा है। इस पर सरकार व निजी क्षेत्र दोनों को बैठकर सोचना होगा और सस्ते व अच्छे लरनिंग मेटेरियल के विकास के लिये आपसी भागीदारी से किसी बड़ी परियोजना का अविलम्ब आरम्भ करना होगा ताकि कम्प्यूटर का और सूचना प्रौद्योगिकी का विभिन्न वय वर्ग के छात्र अधिकाधिक प्रयोग करें तथा सूचना प्रौद्योगिकी आने वाले समय उच्च शिक्षा कौ रीड बन सके। इससे पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यक्रमों के ग्रेडिंग व मानकीकरण में भी विशद सहायता मिलेगी। इस प्रकार से भूमण्डलीयकरण के इस युग में सूचना प्रौद्योगिकी का उच्च शिक्षा में प्रभावी प्रयोग एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। यदि हम इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी उच्च शिक्षा को आधुनिक बना लेते है तो हम अपने उच्च शिक्षा के ढाँचे में लम्बे समय से पनपती विसंगतियों से छुटकारा पा लेंगें और विश्व भर में हमारी साख बनेगी। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो हम सूचना प्रौद्योगिकी तथा आउटसोर्सिंग के व्यवसाय में चीन, ताईबान, सिंगापुर जैसे देशों से भी पिछड़ जायेंगें और अपनी सिरमौर स्थिति खो देंगें। हमारे पास प्रचुर व मेघावी मानव संसाधन है इसका सही प्रयोग करने के लिये तथा विकास की दौड़ के दूसरों से आगे निकलने के लिए हमें इसे ठीक से शिक्षित और प्रशिक्षित करना ही होगा। हम ऐसा करेगें क्योंकि हमारे पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। और उच्च-शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से हम भली भाँति ऐसा कर सकते है यह हम अपनी आज के विश्व में सस्ती, कुशल व प्रतियोगीमानव शक्ति उपलब्ध करा के और सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी स्थान हासिल करके एक बार पहले भी साबित कर चुके है।

REFERENCES-

1. HIGHER EDUCATION IN INDIA: SEIZING THE OPPORTUNITY Sanat Kaul MAY 2006 (ICRIER)
2. Ellington H.& Percivel F., (1984) "A Handbook of Educational Technology", Kogan Page.
3. Mukhopadhyay M., (1990) "Educational Technology: Challenging Issues" Sterling Publishers
4. Ray, Tirna (17 September 2010)."India doesn't figure in world top-100 universities".The Times of India. Retrieved18 March2021.
5. "University Business". Frontline. 17 April 2009. Retrieved28 August2011.
6. "Shouldering the Quality Responsibility". EDU Magazine. January 2011. Retrieved28 August2011.
7. Prime Minister Manmohan Singh."PM's address at the 150th Anniversary Function of University of Mumbai". Archived fromthe originalon 12 January 2012.
8. "Education faces lawmakers' test". livemint. 4 August 2011. Retrieved28 August2011.
9. "Foreign universities - a reality check". UniversityWorldNews.com. 21 March 2011. Retrieved28 August2011.
10. "Call for a national policy on internationalisation". EDU Magazine. August 2011. Retrieved28 August2011
11. Nandakumar, Indu (24 November 2011)."Number of tech graduates swells; salaries at IT firms stay stagnant".The Economic Times. Retrieved19 March2012.
12. "Knowledge Professionals".Indian IT-BPO: Trends & Insights.NASSCOM. Retrieved19 March2012.
13. Anand, Geeta (5 April 2011)."India Graduates Millions, but Too Few Are Fit to Hire". The Wall Street Journal. Retrieved19 March2012.
14. Information TechnologyAICTE (2012)Archived7 July 2014 at theWayback Machine
15. Malhotra S.P., (999) "Feasibility and Efficacy of Instructional Technology", Paper Presented at
16. National Seminar on Educational Technology, P.U. Chandigarh.
17. BROWN, DAVIDG. 2000. "The Jury Is In!" InTeaching with Technology,ed. David G. Brown. Bolton, MA: Anker.
18. CONNICK, GEORGEP. 1997. "Issues and Trends to Take Us into the Twenty-First Century." InTeaching and Learning at a Distance,ed. Thomas E. Cyrs. San Francisco:

Jossey-Bass
19. Dharampal, . (2000). The beautiful tree: IndigenousIndian educationin the eighteenth century. Biblia Impex Private Limited, New Delhi 1983; reprinted by Keerthi Publishing House Pvt Ltd., Coimbatore 1995.
20. Suri, R.K. and Kalapana Rajaram, eds. "Infrastructure: S&T Education",Science and Technology in India(2008), New Delhi: Spectrum,ISBN81-7930-294-6.
21. India 2009: A Reference Annual (53rd edition), New Delhi: Additional Director General (ADG), Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India,ISBN978-81-230-1557-6.
22. Passow, A. Harry et al.The National Case Study: An Empirical Comparative Study of Twenty-One Educational Systems.(1976)online
23. Prabhu, Joseph (2006), "Educational Institutions and Philosophies, Traditional and Modern",Encyclopedia of India (vol. 2)edited by Stanley Wolpert, 23-28, Thomson Gale:ISBN0-684-31351-0.
24. Datt, Sundharam (2010).Indian Economy. S. Chand.
25. Raman, S.A. (2006). "Women's Education",Encyclopedia of India (vol. 4), edited by Stanley Wolpert, 235-239, Thomson Gale:ISBN0-684-31353-7.
26. Rosser, Yvette Claire (2003).Curriculum as Destiny: Forging National Identity in India, Pakistan, and Bangladesh(PDF)(Dissertation). University of Texas at Austin. Archived fromthe original(PDF)on 11 September 2008. Retrieved11 September2008.
27. Setty, E.D. and Ross, E.L. (1987), "A Case Study in Applied Education in Rural India",Community Development Journal, 22 (2): 120-129, Oxford University Press.
28. Sripati, V. and Thiruvengadam, A.K. (2004), "India: Constitutional Amendment Making The Right to Education a Fundamental Right",International Journal of Constitutional Law, 2#1: 148-158.
29. Tilak, Jandhyala B.G. (2015) "How inclusive is higher education in India?."Social Change45.2 (2015): 185-223online.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

सिरपुर की मृद्भाण्ड परम्परा

सौरभ सिंह
शोध छात्र, डक्कन कालेज, पुणे, महाराष्ट्र, भारत।
चन्द्रशेखर सिंह
शोध छात्र, डक्कन कालेज, पुणे, महाराष्ट्र, भारत।

शोधसारांश – सिरपुर उत्खनन से प्राप्त पात्रों के निर्माण में आस–पास में उपलब्ध मिट्टी का ही प्रयोग किया गया है जिसमें बालू मिश्रण भी हुआ है। प्राप्त पात्र खण्डों में अधिकांशतः विभिन्न आकार–प्रकार के संग्रह पात्र, घड़े, बेसिन, हांडी, कटोरे आदि प्रमुख है। इनके अध्ययन से यह आभासित होता है कि संग्रह के लिए पात्रों का प्रयोग ज्यादा होता था। जिसमें संभवतः तरल एवं ठोस पदार्थों का संग्रह किया जाता रहा होगा। बहुत स्पष्ट जानकारी इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन पात्र खण्डों का वैज्ञानिक अध्ययन अभी भी शेश है।

मुख्य शब्द– सिरपुर, मृद्भाण्ड, उत्खनन, पात्र, मिट्टी, वैज्ञानिक।

सिरपुर अथवा श्रीपुर (21° 20′ 49.71′′ उत्तरी अक्षांश 82° 10′ 58′′ पूर्वी देशान्तर) रायपुर से लगभग 85 कि.मी. उत्तर–पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 (रायपुर–सम्बलपुर) पर महासमुन्द जिले के अन्तर्गत महानदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिरपुर अर्थात वैभव की नगरी, आज भी सिरपुर में अवस्थित स्मारकों एवं लगभग 10 वर्ग कि.मी. परिक्षेत्र में फैले पुरातात्विक अवशेषों को देखकर सहज ही इसके वैभवशाली अतीत का अनुमान लगाया जा सकता है। सिरपुर नामक नगर से शरभपुरीय शासक प्रवरराज तथा महासुदेवराज ने दानपत्र जारी किये थे किन्तु सर्वप्रथम इस स्थान को पाण्डुवंशीय (सोमवंशीय) शासकों ने अपनी सत्ता का केन्द्र बनाया और महाराज महाशिवगुप्त बालार्जुन (595–655ई.) के शासन काल से तो यह सम्पूर्ण दक्षिण कोसल क्षेत्र की राजधानी के रुप में विख्यात हो गया। सिरपुर की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराने का श्रेय पाश्चात्य विद्वान जे.डी. बेगलर (1873–74ई.) को दिया जाता है। उसके पश्चात्य सर अलेक्जेण्डर कनिघंम (1881–82 ई.) तथा ए. लौंगहर्स्ट (1909–10 ई.) भी सिरपुर के प्राथमिक अध्येताओं में परिगणित किए जाते हैं जिन्होंने सिरपुर की कला एवं पुरावशेषों की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। सिरपुर की ओर, उत्खनन की दृष्टि से सर्वप्रथम प्रयास सागर विश्वविद्यालय के आचार्य स्व. मोरेश्वर गंगाधर राव दीक्षित के द्वारा किया गया। उन्होंने प्रथम बार सन् 1953–54 ई. में सागर विश्वविद्यालय की ओर से सिरपुर में उत्खनन कार्य का संचालन किया। तत्पश्चात् मध्य प्रदेश शासन पुरातत्त्व विभाग के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के रुप में उन्हीं के निर्देशन में सिरपुर का पुनः दो सत्रों 1954–55 तथा 1955–56 में उत्खनन सम्पादित हुआ। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के सेवानिवृत्त महानिदेशक श्री जगतपति जोशी एवं अधीक्षण पुरातत्त्वविद् श्री अरुण कुमार शर्मा महोदय ने सिरपुर में पुनः पुरातात्त्विक उत्खनन का कार्य प्रारम्भ किये, जो 1999 से 2011 के आस पास तक अनवरत चला।

सिरपुर का सांस्कृतिक अनुक्रम विद्वानों द्वारा निम्न क्रम में स्थापित किया गया है। **01. शरभपुरियाः** इस राजवंश के दो राजाओं (सुदेवराज एवं महाप्रवरराज) के दो अभिलेखों *एक कौआताल एवं दूसरा ठाकुरदिया* का उल्लेख प्राप्त होता है जो सिरपुर से जारी किए गये थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिरपुर उनके आधिपत्य में

था और इनकी तिथि लगभग छठी शताब्दी ईस्वी मानी जाती है। **02. पाण्डुवंशीय अथवा सोमवंशीयः** शरभपुरियों के पश्चात् सिरपुर में सोमवंशियों का उल्लेख प्राप्त होता है। सर्वप्रथम इस स्थान को पाण्डुवंशीय (सोमवंशीय) शासकों ने अपनी सत्ता का केन्द्र बनाया और महाराज महाशिवगुप्त बालार्जुन (595–655ई.) के शासन काल से तो यह सम्पूर्ण दक्षिण कोसल क्षेत्र की राजधानी के रुप में विख्यात हो गया। इनकी तिथि लगभग सातवीं के प्रारम्भ से आठवीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्द्ध तक मानी जाती है। **03. कलचुरीः** पाण्डुवंशीय राजवंश के पराभव के बाद यह भू–भाग रतनपुर के कलचुरियों के अधीन आता है जिनकी संभावित तिथि लगभग दशवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से चौदहवीं शताब्दी तक माना जाता है।

सामान्य तौर पर सिरपुर की जो तिथि निर्धारित की गई है, उस कालखण्ड में विशेश रुप से मध्य भारत में लाल पात्र परम्परा का ही आधिपत्य दिखाई देता है। उत्तर गुप्त काल से लेकर प्रारम्भिक मध्य काल तक (काचित् पात्र परम्परा के आने तक) लगभग एक ही तरह की पात्र परम्परा चलती रहती है जिनका वर्गीकरण करना बहुत आसान नहीं है। वैसी ही स्थिति सिरपुर से प्राप्त पात्र परम्परा में भी दिखाई देती है। यहां से प्रमुख रुप से लाल रंग की पात्र परम्परा के साथ मध्यकालीन काले रंग के भी पात्र खण्ड भी प्राप्त होते है जिनका विवरण निम्नवत् हैं।

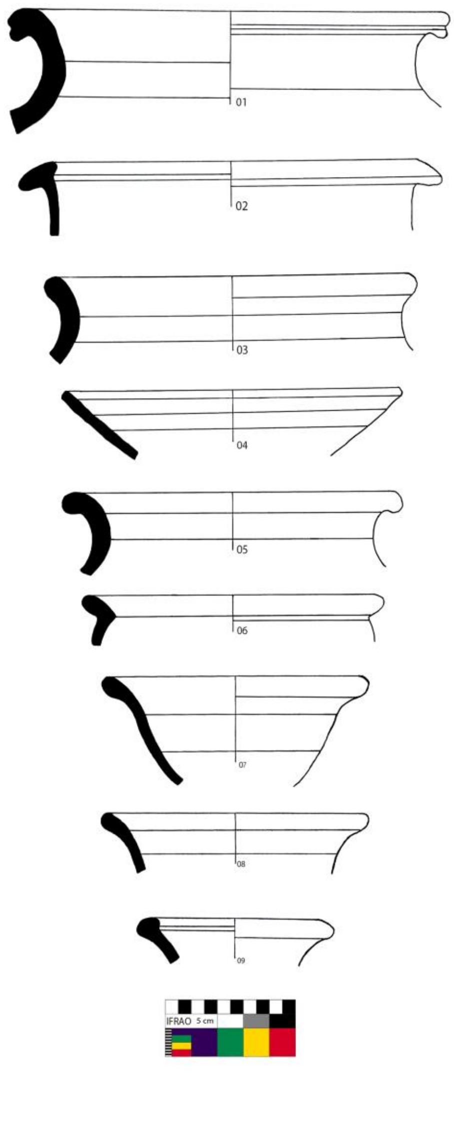

1. संग्रह पात्र का खण्डित भाग है जो लाल रंग की पात्र परम्परा का है, बालू मिश्रित मध्यम प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से, मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। इसकी रिम बाहर की तरफ फैली है एवं रिम के बाहरी भाग में एक खॉच निर्मित है जिसके ठीक नीचे पूरे रिम में कट का निशान बना हुआ है। गर्दन के आन्तरिक भाग में समानान्तर दो क्षैतिज रेखाएं निर्मित है। यह मोटी गढ़न का पात्र है जो अच्छी तरह से पका है और जिसका अनुभाग लाल रंग का है।
2. हल्के काले रंग का संग्रह पात्र का खण्डित ऊपरी भाग है जो सामान्य प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से निर्मित है। इसकी रिम बाहर की तरफ फैली हुई है, गर्दन के आन्तरिक ऊपरी भाग में एक हल्का उथला गड्ढा बना हुआ है। इसके मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है और यह मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग हल्के काले रंग का है।
3. संग्रह पात्र खण्ड का ऊपरी भाग है जो हल्के लाल रंग का है। बालू मिश्रित मध्यम प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से, मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। इसकी रिम बाहर की तरफ फैली है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग हल्के लाल रंग का है।
4. लाल रंग की पात्र परम्परा का कटोरे का खण्डित ऊपरी भाग है। सामान्य प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। रिम का ऊपरी भाग सपाट है। इसके निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग हल्के लाल रंग का है।
5. संग्रह पात्र खण्ड का ऊपरी भाग है जो लाल रंग का है। बालू मिश्रित मध्यम प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से, मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। इसकी रिम बाहर की तरफ फैली है। इसके निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग लाल रंग का है।
6. लाल रंग की पात्र परम्परा का बेसिन का ऊपरी खडिण्त भाग है। बालू मिश्रित मध्यम प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से, मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। इसकी रिम बाहर की तरफ फैली है। बाहरी तरफ रिम एवं स्कन्ध के सन्धि–स्थल पर एक हल्का सा खॉच बना हुआ है जबकि उसी जगह आन्तरिक भाग में एक उभार बना हुआ है। इसके निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग लाल रंग का है।
7. लाल रंग की पात्र परम्परा का गहरे कटोरे का खण्डित ऊपरी भाग है। सामान्य प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। रिम भाग थोड़ा बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है एवं आन्तरिक मध्य भाग में हल्का सा खॉच है। इसके निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग हल्के लाल रंग का है।
8. लाल रंग की पात्र परम्परा का घड़े का खण्डित ऊपरी भाग है जो सामान्य प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से निर्मित है। इसकी रिम बाहर की तरफ फैली हुई है, एवं गर्दन का झुकाव भी हल्का बाहर की तरफ है। इसके मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है और यह मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग लाल रंग का है।
9. लाल रंग की पात्र परम्परा का घड़े का खण्डित ऊपरी भाग है जो सामान्य प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से निर्मित है। इसकी रिम लगभग सीधी है एवं रिम के अन्तः भाग में एक गहरा खॅच बना हुआ है। इसके मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है और यह मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग लाल रंग का है। पात्र के बाहरी सतह पर कहीं–कहीं पर लाल स्लिप के प्रमाण प्राप्त हो रहे है।

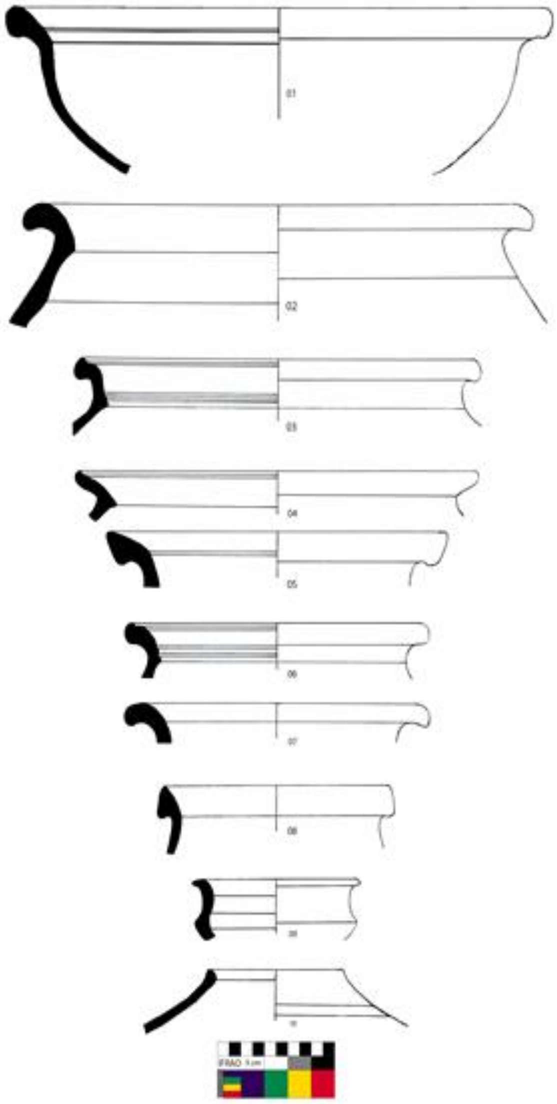

रेखाचित्र–02:

01. काले रंग की पात्र परम्परा का बेसिन का ऊपरी खडिण्त भाग है। बालू मिश्रित मध्यम प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से, मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। रिम का बाहरी भाग अवतल एवं बाहर की तरफ फैला है। बाहरी तरफ रिम एवं स्कन्ध के सन्धि–स्थल पर एक हल्का सा खॉच बना हुआ है जबकि उसी जगह आन्तरिक भाग में एक तीक्ष्ण उभार बना हुआ है। उभार के ऊपर दो समानान्तर क्षैतिज रेखाए निर्मित है। इसके निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी में बालू के कण दिखते है। पात्र के आन्तरिक भाग में हल्के काले रंग के लेप का प्रयोग हुआ है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग हल्के काले रंग का है।
02. संग्रह पात्र का खण्डित ऊपरी भाग है जो लाल रंग की पात्र परम्परा का है, बालू मिश्रित मध्यम प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से, मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। इसकी रिम बाहर की तरफ फैली है एवं रिम के बाहरी भाग में एक खॉच निर्मित है । गर्दन के आन्तरिक भाग में समानान्तर दो क्षैतिज उभार निर्मित है, एवं इनके मध्य में एक हल्का उथला गड्ढा बना हुआ है। यह मोटी गढ़न का पात्र है जो अच्छी तरह से पका है और जिसका अनुभाग लाल रंग का है।

03. लाल रंग की पात्र परम्परा से सम्बन्धित संग्रह का खण्डित ऊपरी भाग है जो अच्छी प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से निर्मित है। इसकी रिम बाहर की तरफ फैली हुई है एवं रिम के अन्तः भाग में एक तीक्ष्ण खॉच बना हुआ है, उसके बाद पुनः उभार है। उभार के नीचे दो समानान्तर क्षैतिज खॉच के बाद एक तीक्ष्ण उभार निर्मित है। इसके मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है और यह तेज गति के चाक पर निर्मित है। अच्छी तरह से पका हुआ, मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग लाल रंग का है। पात्र के बाहरी सतह पर चॉकलेट रंग की स्लिप के प्रमाण प्राप्त होते है।

04. लाल रंग की पात्र परम्परा का घड़े का खण्डित ऊपरी भाग है जो सामान्य प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से निर्मित है। इसकी रिम का ऊपरी भाग हल्का सा बाहर की तरफ फैलकर अन्दर की ओर मुड़ा हुआ है। रिम के आन्तरिक ऊपरी भाग में एक हल्का सा खॅाच बना हुआ है। इसके मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है और यह मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग हल्का लाल रंग का है।

05. संग्रह पात्र का खण्डित ऊपरी भाग है जो लाल रंग की पात्र परम्परा का है, बालू मिश्रित मध्यम प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से, मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। इसकी रिम बाहर की तरफ फैली है एवं बाहरी तरफ रिम एवं स्कन्ध के सन्धि–स्थल पर एक हल्का सा खॉच बना हुआ है । अच्छी तरह से पका हुआ यह मोटी गढ़न का पात्र है। इसका अनुभाग लाल रंग का है।

06. लाल रंग की पात्र परम्परा का घड़े का खण्डित ऊपरी भाग है जो सामान्य प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से निर्मित है। इसकी रिम थोड़ा बाहर की तरफ फैली है। रिम के अन्तः भाग में ऊपर एक तीक्ष्ण खॉच बना हुआ है, उसके बाद पुनः उभार है। उभार के नीचे दो समानान्तर क्षैतिज खॉच के बाद एक तीक्ष्ण उभार निर्मित है। इसके मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है और यह मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग लाल रंग का है। पात्र के बाहरी सतह पर कहीं–कहीं पर लाल स्लिप के प्रमाण प्राप्त हो रहे है।

07. खण्डित घड़े का ऊपरी भाग है जो लाल रंग की पात्र परम्परा का है। सामान्य प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से निर्मित है। इसकी रिम बाहर की तरफ फैली हुई है। इसके मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है और यह मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग मध्य में हल्के काले रंग का है।

08. लाल रंग की पात्र परम्परा का घड़े का खण्डित ऊपरी भाग है। सामान्य प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से निर्मित है। इसकी रिम हल्का सा बाहर की तरफ फैली हुई है। इसके मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है और यह मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। सामान्य प्रकार से पकी, मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग लाल रंग का है।

09. लाल रंग की पात्र परम्परा का, लघु कोखदार हांडी का खण्डित ऊपरी भाग है। सामान्य प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से निर्मित है। इसकी रिम हल्का सा बाहर की तरफ फैली हुई है। स्कन्ध एवं बाडी के मध्य में एक तीक्ष्ण उभार है। यह तेज गति के चाक पर निर्मित है। अच्छी प्रकार से पकी, पतली गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग लाल रंग का है।

10. खण्डित रिम विहीन हांडी का ऊपरी भाग है जो लाल रंग की पात्र परम्परा का है। सामान्य प्रकार से तैयार की गई मिट्टी से निर्मित है। इसके मिट्टी में कुछ महीन बालू के कण दिखते है और यह मध्यम गति के चाक पर निर्मित है। मध्यम गढ़न का पात्र खण्ड है एवं इसका अनुभाग लाल रंग का है।

सिरपुर उत्खनन से प्राप्त पात्रों के निर्माण में आस–पास में उपलब्ध मिट्‌टी का ही प्रयोग किया गया है जिसमें बालू मिश्रण भी हुआ है। प्राप्त पात्र खण्डों में अधिकांशतः विभिन्न आकार–प्रकार के संग्रह पात्र, घड़े, बेसिन, हांडी, कटोरे आदि प्रमुख है। इनके अध्ययन से यह आभासित होता है कि संग्रह के लिए पात्रों का प्रयोग ज्यादा होता था। जिसमें संभवतः तरल एवं ठोस पदार्थों का संग्रह किया जाता रहा होगा। बहुत स्पश्ट जानकारी इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन पात्र खण्डों का वैज्ञानिक अध्ययन अभी भी शेश है।

फलकः 01

फलकः 02

सन्दर्भ

1. महाशिवगुप्त बालार्जुन का मल्हार से प्राप्त ताम्रपत्र लेख, एवं जैन, बालचन्द्र द्वारा सम्पादित उत्कीर्ण लेख, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन–2006, पृष्ठ संख्या–44–45
2. बाजपेयी, शिवाकान्त, सिरपुर–पुरातत्त्व एवं पर्यटन, शताक्षी प्रकाशन रायपुर–2005, पृष्ठ संख्या–12–13 एवं जोशी, जगतपति एवं शर्मा, ए.के., एक्सकेवेशन एट सिरपुर, डिस्ट्रिक्ट महासमुन्द, पुरातत्त्व अंक 30, नई दिल्ली,1999–2000, पृष्ठ संख्या–110–116.
3. सिरपुर –महेशचन्द्र श्रीवास्तव, भोपाल 1984
4. एक्सकेवेशन एट सिरपुर, छत्तीसगढ़ स्पेशल रिपोर्ट नं. 1, 2007–ए.के. शर्मा

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

Individual, Family and Society : A Study of Arthur Miller's The Last Yankee and Broken Glass

Dr. Manju Srivastava
Associate Professor, Department of English, D.A-V College, Kanpur, Uttar Pradesh, India

Abstract- Beginning in the 17th century, in the American colonies, American drama developed slowly. Written by Americans in the English language, the plays were intended for performance and were modelled on foreign subjects. Coming to the 20th century, beginning with the 1920s and especially the end of the second World War, it took over to social, political, cultural and economic issues deriving from the native experiences. Writing in the realist tradition of Henrik Ibsen, borrowing symbolist and expressionist techniques from Bertolt Brecht and others, Miller's writing shows his concern with the moral problems in our society, especially American society, leading him to probe into the psychological causes of behaviour. Based on the study of The Yankee and Broken Glass, the paper is an attempt to understand the complex social issues, pressures, conditions affecting the individual and the family.

Keywords: American Drama, Depression, Family, Society, Relationship.

A major voice in 20th century American theatre, Arthur Miller(1915-1925) is a writer of social plays. Seeing the collapse of values in America in 80's, he chooses characters from American society, presents them as individuals, looks with concern into their hearts and transfers their suffering and hope to the theatre. It is that he cannot conceive of the individual outside of a social context or of a society that does not reflect the values of those who constitute it: "you live in the world even though you only vote once in a while."(Mathew C.Roudane. edi.Conversations with Arthur Miller p.100 -101)

Belonging to the wealthy family of Polish Jewish descent, Miller did a number of menial jobs to help keep his family when the family had lost fortune following the 1929 Wall Street crash. This experience along with Marxist influence on him helped shape his writing. He explores macrocosmic social problems within the microcosm of a troubled family.

The Great Depression of 1929 and the holocaust proved definitional for Miller in shaping his view of life. "what is the play's relevance to the survival of the race? Not the American race or the German race but the human race"(Miller, the Shadow of Gods p. 189). Most of his plays are influenced by war and the depression era and often, are commentary on modern society

"That society was losing contact with a residential set of production -oriented values as it committed itself whole heartedly to mass consumerism and the resultant ideological conflict led to anxiety and disorientation among individuals living through that social change Miller indicts the commercial ethos for success for its lack of any nourishing values"(Spindler Michael Consumer Man in Crisis: Arthur Miller, p. 206).

Family is the basic unit of society the importance, therefore, of the family, the importance of relationship within the family and insistence on cultivating good in the individual are the dominant themes with most of Millers plays and it is all talked about in The Last Yankee and Broken Glass.

The Last Yankee has five characters -John Frick and his wife, Karen, Leroy Hamilton and his wife Patricia and a patient who does not move throughout the play. The husbands meet in the waiting room of the state mental hospital and gradually reveal the differences and similarities of their wives' illness, "driven to the same end a severe mental state of depression". Their suffering and confinement to hospital is closely tied to their married life, their husband's indifference to their priorities, needs and passions. John Frickk with dealerships in oil lumber and automobiles is a successful businessman with his sense of practicality for profit in his public life but is a failure in his family with infantile love for his wife as "to air condition the whole house". Though his wife Karen has everything 'she could possibly want', she is not happy. The other pair Leroy Hamilton and Patricia is also not a happy one.Yankee of the title descends from Alexander Hamilton- one of the America's founding fathers but is content to be a carpenter. Actually, "Yankee was the immigrant, Swede's designation for the hated majority who looked down on them as a strong in back but weak in the brain.But in their own circles, the Swedes considered themselves superior" (Griffin Alice, Understanding Arthur Miller p.178). Patrica's father had already told Leroy that Yankee will ever be good enough for a Swedish girl". Patricia has a wrong notion of her position in respect to family and society.Beautiful as she is, she wants to be 'treasured'. Yankees have been terrible to Swedes, she finds and grouses to Karen that Leroy lacks all those aggressive qualities which are required to survive in this competitive world. Her husband's riding around in the 9 year old Chevrolet second hand car and donating a valuable saw and chisel collection to the museum and spending money on banjo lessons is all irritating her. But Leroy clings to the founding father's beliefs in independence, tolerance and hard work. Answering, Frick, he says, "Am I supposed to be ashamed I am a carpenter? Why do you talk like this to a man? One minute my alter is terrific and the next minute I am some kind of shit bucket"(Griffin Alice, Understanding Arthur Miller, p.179)

There is a conflict between the essential self and society.The wives are driven to a state of depression- Patricia by her husband's insistent rejection of the American dream and Karen is too vulnerable to live with a man dedicated to this pursuit. However, the stories take a turn Karen is allowed to dance in her costume in tune with "Swanee river" which her husband agrees to sing and, her face lights up.For a moment, it is a picture of live in as that has long been suppressed "with the inner spirt that remains yet untarnished", Also Patricia, whose confinement to the hospital is taken as a retreat and equivalent of her brother's suicide is seen saying, " I have put him through a hell and I know it …I have to stop blaming him"(Understanding Arthur Miller, p. 33) There is hope that Patricia would understand the reality and falsity of our upbringing and would try to come to terms with her husband.Writing about Willy you Loman (Death of a Salesman) and Patricia, Bigsby says "it is a failure to acknowledge and to offer love, a failure to see that lives are justified and identity affirmed not by material success, by competitive ruthlessness aur personal charm but by exhibiting a commitment to others and to the self built out of something more substantial than mere apparence. Yet what

is true of Willy Loman and Here of Patricia is also true of Frick who is successful in always except those which really matter." (Miller in the Nineties. Cambridge Companion to Arthur Miller. p. 194)

Broken Glass is a play with public concern and private neurosis. It is a story of a married couple which struggles against the backdrop of 'Kristallancht'- the Night of Broken Glass. On the night of November 9, 1938, the Nazis launched the massive, coordinated attack on Jews. Violence broke out.In two days, more than I000 Synagogues were burnt, businesses were trashed, dozens of Jewish people were killed and their cemeteries, hospitals, schools and homes were looted while police and fire brigades stood by. It was all with understood support of authorities. The shattered glass from the store windows littered the streets. After the night of Broken Glass, life became even more difficult for Germans, Austrians Jewish children and teenagers.The Jewish were totally segregated in Germany. Many of them committed suicide and many tried desperately to leave. The world watched and did nothing.

Sylvia, Gellberg's wife is down with sudden hysterical paralysis from the waist down later in a long devoted marriage to a go -getting book-getting Jewish businessman who is the head of the mortgage department of Brooklyn Guarantee and Trust and is this play' Willy Loman. He is an eastern European Jew who has tried his utmost to assimilate into American culture. He is a self- hating Jew who at times sounds anti-semitic His neighbourhood doctor Hyman is consulted for Sylvia's "inability to work, stand up or move her legs". Other specialists find no cause for her physical numbness. Gellberg is unfeeling with no concern for the events some 3000 miles away where as his wife remains fine till she comes to hear the absorbing news of the killing of Jews or about the atrocities committed by Nazis. To him, it is a microcosm of the world's attitude.

Sylvia may have been a victim like the Jews in Germany with whom she is identified but she is also a revolutionary Gellberg dismissal of the significance of such events marks the turning point in her relationship with Gellburg. Gellburga feels he became impotent because of his wife's resentment over being asked to give up work and her refusal to have more children.Twenty year silence is maintained between them. The doctor tries to study her case asking Gellburg about their. relations. Later on we come to realise that Gulliver is ambiguous about his Jewish identity and deeply insecure about his sexuality. Again, the doctor is a likeable person and his past life is full of adulterous affairs. Doctor'wife Margaret keeps an eye on him.Gellburh does not want his wife to continue with her past career. Their son's choice of army as a profession is also disturbing Sylvia. A study of doctor's affairs with many pretty women unnerves Gellburg.decide to give this case to some other doctor. Hyman refuses because he is too intrigued by the case to let it go. Also, Sylvia insists saying, " I want him… And I don't want to discuss it again."Their married life is not a happy one divorce also not the solution. Ss we go on with the play, we find that Sylvia's paralysis is external and her husband's internal.Like Willy Loman, Gellburg work has brought the American dream with his proud position in Brooklyn Guarantee and Trust. His chairman is clearly antie-semetic Mr Case suspects that Gelllburg allowed company rival to acquire a wanted property because they are both Jewish and always stick together. Gelburg is so enraged at Mr Case's impugnng his loyalty that he insults his boss, is fired and suffers a heart attack . His private life is agonizing. He has severed his connections with others Jews in society due to his recognition and fear of American anti -semitism yet his own jewishness is unavoidable; he has a Jewish wife, he speaks Yiddish and is prone Jewish folk beliefs, and his achievements mean more because he is

Jewish. Later, it seems his heart attack has given him a moment of vision and he wants to tell Sylvia that "he is going to change" but, it is too late for him to change to the revaluate his life, to fix his relationship with Sylvia and his community. Hyman resembles younger version of Charley in Death or Solomon in The Price, one who stands outside the conflict, offering and objective point of view telling Gellburg that people do not get sick alone. Persecution is not singular."...everybody is persecuted, The poor by the rich, the rich by the poor, the black by the white, the white by the black, the men by the women, the women by the men, the Catholics by the Protestants, the Protestants by the Catholics and all by the Jews"(Broken Glass p. 150).
Gellburg collapses. Horrified at her husband's plight, Sylvia finds herself unable to stand. As we move on with the play, there is an exploration of marriage and the relationship of an individual with his family and society. As a dramatist, Miller succeeds in giving characters from real life whose illusions both sustain and destroy them. Moreover, he finds that the denial of responsibility towards family and society is self destructive.
Though Gelberg loves his wife his paternalistic control and periodic violent outbursts come in way of his realising the marital bliss. He is asked to be less self-hating as this"Jew, Jew, Jew"coming out of his mouth might have paralyzed her. Sylvia in contrast to her husband has been in touch with the community all along so much that she loses her sense of individuality, refuses to have another child and restricts herself when her husband does not let her work. Personal and public events drive her to a point where she stars suffering from paralysis. In trying to alleviate Mrs Gellburg's condition, the doctor himself becomes attracted to Sylvia leading to further psychological complications. A good deal more than glass is broken in the play with all the major characters.Miller describes the play as"A tragedy… tragedy of waste of life… a barren relationship". Mrs Gellburg comes out with words:"what I did with my life! out of ignorance… gave it away like a couple of pennies…"
It is important that identity and space be realized but it is all the more important that the individual cares for his family and relations with an equal concern for the society he lives in. Familial power structure cannot be denied for any American dream, identity or space.
"Americans enjoy the highest standard of living, and it costs more to live in America then in any country in the world:the cost is not in dollars and cents, " novelist Miller says, "but in sweat and blood, in frustration, ennui, broken homes, smashed ideals, illness, insanity… Does a standard of living mean only more comfort, more earning and more spending? Has it anything to do with man's inner happiness, his sense of fulfillment, his satisfaction in living a fruitful life?...Has it given the individual a fuller appreciation of life, a more meaningful enjoyment of his material possessions? Does the purposeless chase of material comfort itself constitute a worthwhile goal in life?" (Bloom Harold, ed.Willy Loman p. 69).

References -

1. Miller Arthur. The Last Yankee. Yankee With a new essay about Theatre Language, New York :Penguin Books. 1994
2. Miller Arthur.Broken Glass, New York : Penguin Books 1994.
3. Griffin Alice. Understanding Arthur Miller. Columbia University of South Carolina press 1996.

4. Bigsby Christopher. Cambridge Companion Arthur Miller. United Kingdom: Cambridge University Press, 1997.
5. Bloom Harold.ed. Arthur Millers Death of a Salesman. New York
6. :Chelsea House, 1988.
7. Well and Dennis Miller: The playwright, New York: Methuen.1985.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

स्मृति कालीन समाज एंव वर्तमान समाज की समीक्षा

प्रभा चतुर्वेदी

शोध छात्रा, संस्कृत विभाग, राजकीय महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान।

सारांश- आधुनिक भारत में वर्णव्यवस्था का नहीं जातिवाद का प्राबल्य है। कतिपय सन्दर्भो में यह पहले की अपेक्षा अधिक संगठित तथा आक्रामक हो चुकी है। आज यह अपने जिस उग्र रूप में है उसे सहजतापूर्वक समाप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लोग इसे हितकर तो कुछ अहितकर मानते हैं, परन्तु इसके दोषों को दूर करने का प्रयास अवश्य करते रहना चाहिये। डॉ. मजूमदार का मत है कि “अस्पृश्यता एक जाति का दूसरी जाति द्वारा शोषण है और ऐसी ही अन्य इस प्रथा की हानिकारक सहयोगी प्रथाओं को समाप्त कर देना चाहिये, न कि सम्पूर्ण व्यवस्था को। क्षतग्रस्त विषाक्त अंगुली को काटना चाहिये न कि पूरे हाथ को। यदि हम जनतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो जातिगत रूढ़ियों को शिथिल करना होगा और योग्यता एवं समानता को महत्त्व देना होगा।

मुख्य शब्द - वर्ण, व्यवस्था, सदस्य, कर्तव्य, स्मृति, समाज, जातिप्रथा, भारतीय, हिन्दू, धर्म।

आधुनिक समय में वर्ण– व्यवस्था का स्थान 'जातिप्रथा' ने ले लिया है। आज भारतीय हिन्दू समाज चार वर्गों में नहीं वरन् कई हजार जातियों तथा उपजातियों में विभाजित है। यह व्यवस्था भारतवर्ष में ही पाई जाती है अन्य देशों में नहीं। यहाँ पर ध्यातव्य है कि यह व्यवस्था भारतवर्ष में ही क्यों पाई जाती हैं? तो इसका कोई एक कारण नहीं है अपितु अनेक कारण बतलाए जाते हैं जो सदियों से इसे पोषित करते आ रहे हैं, यथा–कालान्तर में परम्परागत चिन्तन के फलस्वरूप इसका विकास हुआ, ब्राह्मणों ने स्वार्थवश इसे बनाया, विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण, अनुलोम–प्रतिलोम विवाह, कार्यक्षेत्र को अपनाने तथा भौगोलिक क्षेत्रों में बसने के कारण आदि।[1]हट्टन ने भारत में जातिप्रथा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताते हुए कहा है कि "भारतीय जातिप्रथा अनेक भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारकों के पारस्परिक सम्बन्धी कार्यों का प्राकृतिक फल है। ये कारण इस प्रकार सम्बन्धित अन्य कहीं नहीं पाये जाते हैं।"[2]

इस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति जिस किसी जाति विशेष में जन्म लेता है वही उसकी जाति मान ली जाती है। यदि एक व्यक्ति ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ है तो जीवनभर ब्राह्मण ही रहेगा। इसी प्रकार शूद्र आजीवन शूद्र ही रहेगा और समाज में वह निम्न स्तर ही प्राप्त करेगा, चाहे उसके कार्य कितने ही अच्छे क्यों न हो, परन्तु वह संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है।[3] इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी जाति से अलग जाति में विवाह करना धार्मिक अपराध माना जाता था और ऐसे दम्पती के बच्चों की गणना 'वर्णसंकर' सन्तान के रूप में की जाती थी।[4] आज वर्णसंकर जातियों की संख्या अनगिनत है, क्योंकि समाज में अन्तर्जातीय विवाह प्रारम्भ से ही होते रहे हैं चाहे

समाज ने उनका विरोध ही किया हो। इसलिये जाति को सीमित मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता। जहाँ पुरातन विचारधारा प्रचलन में है वहीं पर रक्त की शुद्धता देखी जा सकती है, लेकिन शहरी वातावरण में यह लुप्तप्राय: है।

आज अध्यापक, वकील, क्लर्क, डॉक्टर, इन्जीनियर आदि जो भी व्यवसाय करते हों, लेकिन ये अपने कार्यक्षेत्र से नहीं अपितु जाति से पहचाने जाते हैं। इससे पूर्व वर्ण के आधार पर जाना जाता था। आज परिवेश के परिवर्तित होने पर जातिप्रथा बदली नहीं अपितु परिस्थितियों के अनुसार उसने नवीन रूप धारण कर लिया है।

वर्तमानकाल में जाति व्यवस्था को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है-(1) उच्च जातियाँ (2) मध्यम जातियाँ (3) निम्न जातियाँ और (4) अति निम्न जातियाँ । उच्च जातियों को सामान्य वर्ग, मध्यम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग, निम्न जातियों को अनुसूचित जाति तथा अति निम्न जातियों को जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से जनजातियाँ वे अविकसित जातियाँ हैं जो जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों, तराई क्षेत्रों आदि में निवास करने वाली हैं। इन्हें आदिवासी, वन्य जाति, वनवासी, आदिम जाति भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत इन जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।[5] इस प्रकार समग्र भारत में हजारों जातियों-उपजातियों[6] का निवास है जिनकी तालिका निम्न है - (देखें तालिका अग्रिम पृ)

तालिका में उद्धरणस्वरूप दी गई उच्च जातियाँ सामान्यतौर पर प्राप्त ब्राह्मण उप जातियाँ हैं। मध्यम जातियों और निम्न जातियों में दिल्ली राज्य की पूर्ण केन्द्रीय सूची तथा अति निम्न जातियों में मध्य प्रदेश राज्य की जातियाँ दी गई हैं। अन्य राज्यों की जातियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।'

उपर्युक्त जातियों और जनजातियों के साथ-साथ भारत में कई धर्म और सम्प्रदाय भी हैं, यथा-मुसलमान, सिक्ख, ईसाई आदि। इनमें जाति एवं वर्ण को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये सामूहिक समानता पर बल देते हैं। फिर भी इनमें किसी-न-किसी रूप में जातीय-विभेद पाया जाता है। जो इस प्रकार है -

उच्च जातियाँ (सामान्य वर्ग) आज ब्राह्मण जाति (वर्ण में नहीं)[7] में प्राप्त उपजातियाँ	मध्यम जातियाँ (अन्य पिछड़ा वर्ग) दिल्ली राज्य[8]	निम्न जातियाँ (अनुसूचित जाति) दिल्ली राज्य[9], अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ सूची (उपान्तरण) आदेश, 1956	अति निम्न जातियाँ (अनुसूचित जनजाति) मध्य प्रदेश राज्य[10], अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976
1. वसिष्ठ 2. हुसेनी 3. चितपावन 4. शक/गौड़ 5. भार्गव 6. पुष्करणी	1. अब्वासी, भिश्ती, सक्का 2. अगरी, खरवाल 3. अहीर, यादव, ग्वाल 4. अरैन, रायी, कुजड़ा 5. बढ़ई, बरई, खाती,	1. आदि-धर्मी 2. अगरिया 3. अहेरिया 4. बलाई 5. बंजारा 6. बावरिया	1. अगरिया 2. आन्ध 3. बैगा 4. भैना 5. भारिआ भूमिआ, भुईंहार भूमिया, भूमिआ, भारिया, पालिहा, पांडो

7. कन्नौजिया	तर्खन, जागड़ा-ब्राह्मिन	7. बाजीगर	6. भत्तरा
8. निरोला	विश्वकर्मा, रामगढ़िया	8. भंगी	7. भील, भिलाला, बरेला, पटलिया
9. मैथिल	पाँचाल, धीमान्	9. भील	8. भील मीना
10. मालवीय	6. बड़ी	10. चमार, चंवर चमार,	9. भुंजिया
11. सारस्वत	7. बैरागी	जटिया या जाटव चमार,	10. बीआर, बीयार
12. द्विवेदी	8. बैरवा, बेरवा	मोची, रामदासिया, रवि	11. बिंझवार
13. त्रिवेदी	9. बरई, बरी, तम्बोली	दासी, रैदासी, रेहगर या	12. बिरहुल, बिरहोर
14. चतुर्वेदी	10. बौरिया/बावरिया	रैगर	13. दमोर, दामरिया
15. झा	11. बाजीगर, नट, कलंदर	11. चोहड़ा (स्वीपर)	14. धनवार
16. ओझा	12. भरभूजा, कनु	12. चुहड़ा (बाल्मीकि)	15. गडाबा, गडबा
17. पाठक	13. भाट	13. धनक या धनुक	16. गोंड, अरख, अर्रख, अगरिया, असुर,
18. उपाध्याय	14. भाटिआरा	14. धोबी	बड़ी मारिया,बड़ा मारिया, भटोला, भीमा,
19. अवस्थी	15. चाक	15. डोम	भुता,कोइलाभुता, कोलियाभुती भार,
20. देशस्थ	16. चिप्पी, टोंक, दर्जी,	16. घर्रामी	बिसोनहार्न मारिया, छोटा मारिया,दंडामी
21. विसेन	इद्रिशी	17. जुलाहा (वीवर)	मारिया, धुरु, धुरवा,धोबा, धुलिया, डोरला,
22. शुक्ला	17. डकौत, प्रादे	18. कबीर पंथी	गयकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोवारी, हिल
23. वाजपेयी	18. धीनवर, झीनवर,	19. कछन्धा	मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर
24. मिश्र	निषाद, केवट/मल्लाह,	20. कंजर या गियरह	कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया,
25. कोकणस्थ	कहर, कश्यप	21. खटीक	कुचाकी, मारिया, माडिया, मारिया, माना,
26. पाराशर	19. धोबी, कस्सर	22. कोली	मन्नेवार, मोघ्या, मोगिया, मोघ्या, मुडिया,
27. व्यास	20. धुनिया, पिंजारा,	23. लालबेगी	मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज
28. गोसायी	कंदेरा-करन, धुन्नेवाला	24. मदारी	गोंड, सोन्झारी झरेकाथाटिया, थोट्या, वड़े
29. गिरि पर्वत	नद्बपफ, मन्सूरी	25. मल्लाह	मारिया, डरोई
30. पारसीका	21. फकीर	26. मजहबी	17. हलबा, हलबी
31. शर्मन	22. गडरिया, गडेरी,	27. मेघवाल	18. कमार
32. शाक द्वीपी	गड्डी,गर्री	28. नारीबत	19. कारकू
33. अंग	23. घसिआरा	29. नट (राणा)	20 कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राथिया
34. तिवारी	24. गुजर / गुज्जर, गुर्जर	30. पासी	तँवर, छत्री
35. चौबे	25. जोगी, गोस्वामी	31. पेरना	21. कीर
36. दूबे	26. जुलाहा, अंसारी	32. सांसी या भेदकूट	22. खैरवार, कोंडर
37. पाण्डेय	27. कच्छी, कोइरी, मुरै,	33. सपेरा	23. खरिया
38. तैलंग	मुराओ	34. सिकलीगर	24. कोंध, खोंड, कांध
39. नागर	28. कसाई, कस्सब,	35. सिंगीवाला या	25. कोल
40. मिश्रा	कुरैशी	कालबेलिया	26. कोलम

	29. कसेरा, तमेरा, ठठिआर 30. खटगुने 31. खटिक 32. कुम्हार, प्रजापति 33. कुर्मी 34. लेखेड़ा, मनिहार 35. लोदी, लोदा, लोद, महा-लोद 36. लुहार, भुभलिया, सैफी 37. माची, मच्छेरा 38. माली, सैनी, साउथिया, सगरवंशी माली, नायक 39. मेमार, राज 40. मिणा / मीणा 41. मेरसी, मिरासी 42. मोची 43. नाई, हज्जम, नाई (सबिता), सलमानी 44. नलबंद 45. नक्कल 46. पाखीवाड़ा 47. पटवा 48. पथार-चेरा, संगतरश 49. रंगरेज़ 50. सुनार 51. तेली, तेली-मलिक 52. कल्वर 53. अरक, अरकवंशीय 54. रै-सिख (महतम)	36. सिरकीबन्द	27. कोरकु, बोपची, मोवासी निहाल, नाहुल, बोंधी, बोंडेया 28. कोरवा, कोडाकू 29. माझी 30. मझवार 31. मवासी 32. मीना 33. मुंडा 34. नगेसिया, नगासिया 35. उरांव, धनका, धांगड 36. पनिका 37. पाओ 38. परधान, पथारी, सरोती 39. पारधी 40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टकनकर, टाकिया 41. परजा 42. सहारिया, सहारिआ, सेहारिआ, सेहरिआ, सोसिआ सोर 43. साओंता, सौंता 44. सौर 45. सावर, सावरा 46. सोर

- मुस्लिम जातियाँ–भारतीय मुसलमानों में चौधरी, सैयद, शैख, अंसारी, काजी, घोसी, हलवाई, बढ़ई, दर्जी, लुहार, धूना, खटिक, नाई, तेली, कलाल, माहगीर, कसाई[11], मुगल, पठान, मोमिन, मंसूरी, इब्राहिम, जुलाहा, दफाली इत्यादि।[12]
- सिक्ख जातियाँ–कामी सिक्ख, राम गढ़िया सिक्ख, रेहटिया सिक्ख, मजहबी सिक्ख, राय सिक्ख आदि।
- ईसाई जातियाँ–विदेशी ईसाईयों में बड़ी–बड़ी जातियाँ–अमेरिकन जाति, रसियन जाति, जर्मन जाति, चीनी जाति, जापानी, अंग्रेजी जाति, गौरी एवं काली जाति देखने को मिलती हैं। वहाँ पर इन जातियों का उद्भव वारक्षण के प्रतिबन्ध न होने के कारण ही हुआ। जबकि भारतीय ईसाईयों में सीरिअन ईसाई, नाडार ईसाई, वेल्लालास ईसाई, मादिगस ईसाई, सीरिअन रोमन, लैटिन रोमन, जैकोबाइट, लैटिन केथोलिक, मारथोमाइट, सीरियन केथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट आदि। ये स्वयं को एक–दूसरे से पृथक् मानते हैं।

इन सभी सूचीबद्ध समूहों की जातियों को एक समान नहीं माना जाता। इनमें ऊँच–नीच का भेद व्याप्त है। उच्च और मध्यम जातियों की अपेक्षा निम्न और अति निम्न जातियों की स्थिति अति शोचनीय है। परम्परागत रूप से यह सबसे वंचित वर्ग रहा है और है भी। उच्च वर्ग के लोग इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अपनी निम्न जाति के कारण इनको ऐसे व्यवसाय करने पड़ते हैं। जो सबसे कम वांछित माने जाते हैं, यथा–चमारों के द्वारा परम्परागत रूप से जानवरों की खाल उतारना एवं जूते तथा चमड़े के अन्य सामान बनाना। भंगी के द्वारा सफाई इत्यादि का कार्य करना। आरम्भ से ही नीची जातियों को ऊँची जातियों के कुएं, तालाब से पानी भरना, सार्वजनिक स्थल, मंदिरों में प्रवेश करना, विद्यालयों में पढ़ना, छात्रावास में रहना, होटल में ठहरना, अच्छे मकान, कपड़े एवं आभूषणों को पहनना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन व उपदेशों का श्रवण करना, उच्च व्यवसाय इत्यादि का प्रतिबन्ध था।[13] इन सब से वंचित रहने के कारण ये स्वयं को ऊँची जातियों के समक्ष कमजोर और पतित समझने लगे। जिससे इनका जीवन नरकमय हो गया था। इस जातीय संकीर्णता के कारण भारतीय समाज की स्थिति चिन्तनीय बनी रही। सदियों से उच्चकुल में उत्पन्न लोगों ने अपने जातीय अधिकारों का दुरुपयोग किया। दूसरी ओर शूद्र जाति में उत्पन्न व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के समुचित विकास का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और उनका सदियों तक शोषण होता रहा। इसलिये वर्तमानयुग में यह आवश्यक समझा गया कि दलित वर्ग को संरक्षण प्रदान किया जाए। आज संवैधानिक कानून व्यवस्था में किसी के भी साथ इस प्रकार के व्यवहार को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है जिससे पुराने नियम शिथिल पड़ते जा रहे हैं और निम्न जाति के लोग सामान्य जीवन जीने के लिए अग्रसर हो रहे हैं।

वर्तमान में शिक्षा और ज्ञान बढ़ता जा रहा है, आवागमन एवं संदेशवाहन के साधनों की वृद्धि के कारण भौगोलिक पृथक्ता समाप्त होती जा रही है, उद्योग–धन्धों के बढ़ने के कारण लोगों का आपसी सम्पर्क बढ़ रहा है, लोगों का रुझान विज्ञान की ओर बढ़ रहा है, नवीन विचारधारा एवं धार्मिक सुधारों का प्रभाव तथा धन का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। फिर भी कुछ लोगों की आन्तरिक भावना अभी भी परिवर्तित नहीं हुई है। वे अभी भी जातीय भेदभाव में विश्वास रखते हैं, किन्तु जाति व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन हो गए हैं, यथा–अब किसी भी जाति–धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, खान–पान कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जहाँ अधिकांश जातियों की निश्चित वृत्तियाँ थी और वंशपरम्परागत हस्तान्तरित होती रहती थी वहीं आज प्रत्येक जाति के व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार किसी भी प्रकार की वृत्तियों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। चमार,

धोबी, धानुक, मेहतर, दर्जी इत्यादि के कार्य, जिन्हें निम्न कार्य माना जाता था, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कुर्मी, काद्दी, किसान जैसी ऊँची जातियों के लोग करने लगे हैं। इसके साथ ही उच्च वर्गों के समान निम्न जातियाँ भी प्रशासनिक क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं, यथा-उत्तर प्रदेश में मायावती तथा बिहार में लालू प्रसाद यादव का अपने-अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना। इनके द्वारा सत्ता की बागडोर सम्भालने पर अस्पृश्य एवं पिछड़े वर्ग का तेजी से विकास प्रारम्भ हो गया है और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।

यद्यपि पहले अन्तर्जातीय विवाह होते थे, किन्तु आज ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ऐसे विवाहों को अनादर की दृष्टि से देखते हैं। वे अपनी ही जाति में विवाह करना उचित मानते हैं। यदि कोई जाति से बाहर विवाह करता है तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। लेकिन नगरों में शिक्षित वर्ग की मनोवृत्ति इस ओर उदार होती जा रही है। ऐसा लगता है कि जातिप्रथा के जो बन्धन कठोर हो गये थे, उनमें शिथिलता आ रही है, परन्तु वास्तविकता तो यह है कि आन्तरिक जातीय भावना अत्यधिक दृढ़ होती जा रही है और गम्भीर रूप धारण कर रही है। एक जाति का दूसरी जाति से सामाजिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है। बाह्यरूप से तो लोग जातिप्रथा के विरूद्ध चर्चा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, परन्तु आन्तरिक दृष्टि से वे जातिप्रथा के अत्यधिक पोषक हैं। लोग एक-दूसरे को उन्नति करते हुए देख नहीं सकते, वैमनस्य का भाव रखते हैं, जिससे भीषण जातिवाद का स्वरूप अन्दर-ही-अन्दर पनपता जा रहा है। इस भावना के कारण एक जाति के व्यक्ति देश या समाज के सामान्य हितों को दृष्टि में न रखते हुए, केवल अपनी जाति सदस्यों के उत्थान, एकता एवं सामाजिक स्थिति की वृद्धि चाहते हैं। यह प्रयास प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। यही कारण है कि यह अनिष्टकारक होने पर भी भारतवासियों के चिन्तन में रमी हुई है, और लोग इसे छोडना नहीं चाहते। हट्टन ने जातिप्रथा के गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि-'जाति का महत्त्वपूर्ण कार्य भारतीय समाज को अखण्ड बनाना और विभिन्न प्रतिद्वंदी समूहों को एक समुदाय में जोड़ना है।[14]

एक ओर जाति अपने सदस्यों को मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सुरक्षा प्रदान करती है। विभिन्न समुदायों को एकता के सूत्र में बांधती है। समूहों में सहयोग की भावना का संचार करती है[15] तो दूसरी ओर यह प्रथा ही राष्ट्रीय एकता में बाधक है, क्योंकि इसके कारण जातियों एवं उपजातियों में जो ऊँच-नीच का भाव आ गया है उसने ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण नहीं होने दिया। इसने ही साम्प्रदायिकता, अलगाववाद, अस्पृश्यता, अप्रवेश्यता और अदर्शनीयता को जन्म दिया, जिसमें व्यक्ति- व्यक्ति के बीच इतना भेद किया जाने लगा कि निम्न जाति के स्पर्शमात्र, प्रवेशमात्र और दर्शनमात्र से ही उच्च जातियों के व्यक्ति अपवित्र माने जाने लगे।[16]जातिगत आरक्षण को प्रोत्साहन भी इसी की देन है, किन्तु व्यक्ति की योग्यता की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

आज जातिप्रथा ने व्यक्ति-व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा को इतना बढ़ा दिया है कि वह धर्म एवं राष्ट्रहित के स्थान पर व्यक्तिगत लाभ एवं निजी स्वार्थ को अत्यधिक महत्त्व देता है तथा अधिक-से-अधिक लाभ, धनार्जित करने के लिए उचित एवं अनुचित रीतियों का उपयोग करता है। वस्तुत: जातीय भावना राष्ट्रीय भावना को पनपने नहीं देती, अपितु उसे विघटन की ओर ले जाती है जबकि राष्ट्रीय भावना संगठन की ओर। अतएव हमें जातिगत विसंगतियों को दूर करना होगा।

समानता और स्वतंत्रता के विचारों पर आधारित आधुनिक विचारधारा में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। समय-समय पर अनेक समाज सुधारकों तथा विचारकों ने इसके विरूद्ध आवाज उठाई है। स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, राजाराममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, गुरू नानक, कबीर, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आदि सभी ने जातीय उत्पीड़न के विरूद्ध दलितों के उत्थान तथा जातिवाद एवं अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह समाप्त नहीं हुई अपितु अपना स्वरूप परिवर्तित करती रही। बाद में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जातीय भेदभाव तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए एक समान व्यवस्था का प्रावधान किया गया। कुछ नियम-कानून इस प्रकार हैं -

- अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 15(2) राज्य और व्यक्तियों दोनों को धर्म, मूलवंश आदि इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक दुकानों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों, कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थान के उपयोग में विभेद करने का निषेध करता है।[17]
- अनुच्छेद 16(1) के अन्तर्गत राज्य के अधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 16(2) के तहत केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्य के अधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जाएगा।[18]
- अनुच्छेद 17 अस्पश्यता को गैर-काननी घोषित करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण करने का निषेध करता है। इस व्यवस्था के अतिरिक्त अस्पृश्यता के विरूद्ध "अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955" पारित किया गया। इसके अन्तर्गत अस्पृश्यता का आचरण करने वाले तथा उसे प्रोत्साहित करने वाले को छ: मास तक की कारावास तथा पाँच सौ रुपये जुर्माने की सजा दी जा सकती है।[19]
- अनुच्छेद 29(2) के अधीन राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति इत्यादि किसी भी आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा।[20]
- अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य, जनता के दुर्बलतर विभागों (वर्गों) विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों को विशेष सावधानीपूर्वक उन्नत करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।[21]

यहाँ सरकारी सेवाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी के लिए आरक्षण स्थापित करने का उद्देश्य भारतीय समाज के वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करके एक न्यायसंगत समाज का निर्माण करना है। साथ ही उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक आदि सभी प्रकार की गतिशीलता के लिए अवसर उपलब्ध कराना भी है।

समाज के दुर्बल वर्गों के पक्ष में इन संवैधानिक संरक्षण के अतिरिक्त कुछ संरक्षात्मक एवं शोषण विरोधी अधिनियम की भी व्यवस्था की गई। 1989 में संसद ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति “अत्याचार निवारण अधिनियम 1989" में पारित कर, इन वर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन धीरे-धीरे प्रशासन और

पुलिस की मानसिकता के कारण इसे निष्प्रभावी बनाने का प्रयास जारी रहा। इसलिये 11 अगस्त, 2012 में दिल्ली में इस अधिनियम को निष्प्रभावी बनाये जाने के विरोध में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया के महासचिव एडवोकेट अरूण मांझी ने और जाति विरोधी संगठन, दिल्ली के कामरेड जयप्रकाश ने क्रमशः एस.सी. या एस.टी. एक्ट 1989 पर तथा दलितों पर उत्पीड़न के सम्बन्ध में पर्चा पेश किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस एक्ट के तहत दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं के सभी मामलों को दर्ज किया जाना चाहिए। जिससे वे शोषण से बच सकें और इस अधिनियम का लाभ पा सकें।[22]

वर्णित कानून व्यवस्था के अतिरिक्त समय-समय पर अखिल भारतीय सामाजिक संस्थाओं, यथा-अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ दिल्ली, ईश्वरशरण आश्रम इलाहाबाद, हिन्दू-मिशन कलकत्ता, दी सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डियन सोसायटी पूना, भारतीय दलित वर्ग संघ नई दिल्ली, भारत दलित सेवक संघ पूना, केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड नई दिल्ली इत्यादि ने अस्पृश्यता के विरूद्ध कार्य किया तथा अब भी कार्यरत हैं। इन्होंने सार्वजनिक सभाओं, सम्मेलनों, सिनेमा, पोस्टरों आदि के माध्यम से प्रचार किया। सामाजिक कल्याण केन्द्र खोले। हरिजनों के लिए अनेक छात्रावास, मन्दिर,जलपानगृह, धर्मशालायें, कूएं, नाई की दुकानें खुलवाईं। मन्दिरों एवं कुओं पर प्रवेश करवाया आदि।[23]

सरकार (केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें) अनुसूचित जाति तथा जनजाति के शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक स्थितियों इत्यादि के उत्थान के लिए प्रतिवर्ष गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान दे रही है। वे संस्थायें हैं-अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ दिल्ली, भारतीय दलित वर्ग संघ नई दिल्ली, ईश्वरशरण आश्रम इलाहाबाद, भारत दलित सेवक संघ पूना, केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड नई दिल्ली आदि। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को धनराशि देती है, जिससे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, फीस में रियायत, छात्रावास की दृष्टि से छात्रवृत्तियाँ, विदेशों में अध्ययनार्थ छात्रवृत्तियाँ, पब्लिक स्कूलों में योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, प्रौद्योगिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित की सुविधा, आर्थिक क्षेत्र में भूमि अधिकार की सुरक्षा, कुटीर उद्योग के प्रशिक्षण, अन्न भण्डारों को खोलने, कर्ज की ब्याज की दर कम करने, जन स्वास्थ्य के लिए औषधालय की व्यवस्था, गृह निर्माण आदि की सुविधा दी जाती है।[24] इस प्रकार पहले दलित वर्गों को अनेक सुविधाओं से वंचित रखा गया था और आज अनेक सुविधाओं के साथ-साथ विभिन्न अधिकार प्रदान किये गये हैं, किन्तु शिक्षा-संस्थानों तथा सरकारी सेवाओं आदि में विभिन्न राज्यों में हुए आरक्षण के कारण सामान्य श्रेणी और निम्न श्रेणी के लोगों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि आरक्षण विरोधियों का यह मानना है कि उनकी योग्यता की उपेक्षा की जा रही है।

यद्यपि आज न्यायव्यवस्था सभी के लिए समान है और विभिन्न संस्थायें जाति- वाद के खिलाफ कार्य कर रही हैं। फिर भी वर्गगत भेद अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है। दलितों के पीड़ित होने की अनेक घटनाएँ देखने को मिलती हैं तथा अपराधी व्यक्ति विभिन्न उपायों से प्रायः दण्डमुक्त रह जाते हैं। राजनीतिज्ञ अपने प्रभाव से, पूँजीपति धन के बल से, शिक्षित अपने बौद्धिक चातुर्य से दण्डित नहीं हो पाते। आज आवश्यकता इस बात की है कि न्यायव्यवस्था किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रहते हुए निष्पक्ष भाव से अपना कार्य करती रहे।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत में वर्णव्यवस्था का नहीं जातिवाद का प्राबल्य है। कतिपय सन्दर्भो में यह पहले की अपेक्षा अधिक संगठित तथा आक्रामक हो चुकी है। आज यह अपने जिस उग्र रूप में है उसे सहजतापूर्वक समाप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लोग इसे हितकर तो कुछ अहितकर मानते हैं, परन्तु इसके दोषों को दूर करने का प्रयास अवश्य करते रहना चाहिये। डॉ. मजूमदार का मत है कि "अस्पृश्यता एक जाति का दूसरी जाति द्वारा शोषण है और ऐसी ही अन्य इस प्रथा की हानिकारक सहयोगी प्रथाओं को समाप्त कर देना चाहिये, न कि सम्पूर्ण व्यवस्था को। क्षतग्रस्त विषाक्त अंगुली को काटना चाहिये न कि पूरे हाथ को।[25] यदि हम जनतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो जातिगत रूढ़ियों को शिथिल करना होगा और योग्यता एवं समानता को महत्त्व देना होगा।

सन्दर्भग्रन्था:

1. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएं, प्र.सं.1959, पृ.159-165
2. "It is urged emphatically that the Indian Caste System is the natural result of the interaction of a number of geographical, social, political, religious and economic factors not elsewhere found in conjunction. Hutton, J.H. Caste in India, P.188.
3. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण, भारत का संविधान, संस्करण पैंतालिसवां, 2012, संविधान का अनुच्छेद 25, पृ.314-315
4. शाह, एस.एल., भारत में जाति एवं वर्ण व्यवस्था कब और कैसे? प्र.सं.2005, पृ.91
5. (क) सम्पा., रमणिका गुप्ता, आदिवासी कौन, प्र.सं.2008, पृ.26-27
   (ख) जैन, श्रीचंद्र, आदिवासियों के बीच, प्र.सं.2007, पृ.11-12
6. उपजातियाँ, यथा-अकेले कुर्मी जाति में लगभग चार हजार से अधिक उपजातियाँ मिलती हैं। निर्मोही, डॉ. एस.एल. सिंह देव, भारत की जातियाँ उद्भव एवं विकास, खण्ड-2, प्र.सं. 2011, पृ.895-945
7. निर्मोही, डॉ. एस. एल. सिंह देव, भारत की जातियां उद्भव एवं विकास, प्रथम खण्ड, प्र.सं.2011, पृ.56-59, 78-80 तथा द्वितीय खण्ड, पृ. 628
8. www.ncbc.nic.in/centrallistifobc.html (as on 04.03.2013)
9. dtf.in/lists-of-scheduled-castes-scheduled (as on 03.03.2013)
10. वही
11. संपा.-अहमद, इम्तियाज, अनु.-नदीम नरेश, भारत के मुसलमानों में जातिव्यवस्था और सामाजिक स्तरीकरण, पं.सं.2003, पृ.204
12. निर्मोही, डॉ. एस.एल. सिंह देव, भारत की जातियाँ उद्भव एवं विकास, प्रथम खण्ड, प्र.स. 2011, पृ.34
13. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, सं.1960, पृ.196-197

14. It will be understood then that one important function of caste, perhaps the most important of all its functions' and the one which above all others makes caste in India an unequal institution, is or has been, to integrate Indian Society, to weld in to one community the various competing, if not incompatible groups composing if. Hutton, J.H., Caste in India, p.119.
15. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, प्र.सं.1959, पृ.176-177
16. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, प्र.सं.1959, पृ.180
17. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण, भारत का संविधान, पैंतालिसवाँ सं.2012, संविधान का अनुच्छेद 15(1), 15(2), पृ.127-128
18. वही, अनुच्छेद 16(1), 16(2), पृ.141
19. वही, अनुच्छेद 17, पृ.172-173
20. वही, अनुच्छेद 29(2), पृ.331
21. वही, अनुच्छेद 46, पृ.401
22. सम्पा.-नरेला, जे.पी., पत्रिका-जाति उन्मूलन, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज निर्माण के लिए, अंक 1, मार्च-मई 2013, हिन्दी, पृ.28
23. तोमर, प्रो. राम बिहारी, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पं.सं.1959, पृ.205-209
24. तोमर, प्रो. राम बिहारी, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पं.सं.1959, पृ.216-226
25. "Untouchability, exploitation or one caste by another and such other harmful concomitants of the system should be done away with, and not the whole system, the broken, poisoned finger should be amputated not the whole hand." Mazumdar, D.N. and Madan, T.N. 'Social Anthropology', p.238.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

अनुसूचितजाति जनजाति छात्राणां शैक्षिकविकासे पाठ्यक्रमसहगामिक्रियाणां महत्वम्

Pramod Kumar Das
Research Scholar, Department of Education, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, India

शोधसारांशः - विद्यालये पाठ्यसहगामिक्रियानां द्वारा अनुसूचितजाति जनजाति छात्राणामध्यापनं रूचिपूर्णं तथा आकर्षकं भवति। कक्ष्यायां चरित्रव्रतानां महापुरुषाणां विषयज्ञापनेन छात्राः चरित्रमन्तो भवितुम् अर्हति। गान्धीमहोदयः श्रीरामचन्द्रः, सत्यहरिश्चन्द्रः इत्यादिमहापुरुषाणां चरित्र्यं नाटकसाहाय्येन ज्ञापयितुं शक्यते। एतासां क्रियाणां द्वारा छात्राः स्वार्थचिन्तनं त्यक्त्वा सन्मार्गे गच्छन्ति। उचितपाठ्यपुस्तकानां पठनेन छात्राणां वौद्धिकविकासः भवति। क्रीडा, व्यायामः इत्यादीनां कार्यक्रमाणाम् आयोजनेन शारीरिकविकासः भवति। विद्यालये दैवकीर्तनं, दैवप्रार्थना भगवद्गीता इत्यादीनां ग्रन्थपठने छात्राणां आध्यात्मिकिकासः भवति, पत्रलेखनम्, कथालेखनम् इत्यातिकार्यक्रमाणां निर्वहणेन छात्राणां रचनात्मकविकासः भवति। विद्यालये चित्रलेखनं काव्यादि कार्यक्रमाणां सास्कृतिककार्यक्रमाणाम् इत्यादिपाठ्यसहगामिक्रियाणां द्वारा छात्राणां सर्जनात्मकः सास्कृतिकः मानसिकः तथा सर्वाङ्गीणविकासः भवति। तर्हि विद्यालये पाठ्यक्रमसहगामिक्रियाणाम् आयोजनस्य महत्त्वम् अस्ति।

विशेषशब्दाः- सामाजिकोद्देश्यपूर्ति, किशोराणां समयस्य सदुपयोगः,पाठ्यविषये सहायभूताः, चारित्रिकविकासः, नागरिकतायाः विकासः, अवकाशस्य सदुपयोगः, बौद्धिकविकासः, शरीरकविकासः, आध्यात्मिकविकासः, सर्जनात्मकविकासः, रचनात्मकविकासः, सांस्कृतिकविकासः, मानसिकविकासः इत्यादयः।

प्राचीनकाले केवलं पुस्तकपठनं पूस्तकीयज्ञानार्जनमेव शिक्षा इति शिक्षायाः आशयः आसीत्। क्रीडा इत्यादि क्रियाणां प्रोत्साहनं नासीत्। तासां क्रियाणां समयः व्यर्थः इति आलोचनासीत्। परन्तु शनैः शनैः शिक्षाशास्त्रज्ञाः पाठ्यक्रमातिरिक्त विषयाणां तथा क्रियाणां महत्त्वं स्वीकृतवन्तः। तादृशविषयाः ताः क्रियाः एव पठ्यक्रमसहगामिक्रियाः अभवन्। वादविवादः, साहित्यिककार्यक्रमः विद्यालयपत्रिका, सङ्गीत तथा नृत्यम्, परिभ्रमणं, NCE,NSS,Scout and Guide इत्येताः वालकानां सर्वाङ्गीण विकासाय उपकुर्वन्ति। तद्यथा –

1. **सामाजिकोद्देश्यपूर्ति** (Social ObectiveFulfillment)– समाजसेवया सामाजिकोद्देश्यस्य सम्पूर्तिः जायते। समाजकल्याणाय च समाजसेवा अत्यन्तम् आवश्यिकी वर्तते। समाजसेवया छात्राणां व्यावहारिकज्ञानं भवति। समाजसेवया मानवानां स्वास्थ्यसंरक्षणं कर्तुं शक्यते। किञ्च जनाः योग्यशालिनः भवितुमर्हन्ति। समाजसेवया छात्राः स्वयं विनयसम्पन्नाः भवन्ति। एवं परस्परसम्मेलनेन सुसम्पर्कः भवति। तथा मिथः अवगाहनेन स्वजीवनं सफलं कर्तुं शक्नुवन्ति ।
2. **किशोराणां समयस्य सदुपयोगः**(Mahing good use of children's time)- किशोरावस्थायां छात्राणाम् उचितप्रकारमार्गप्रदर्शनेन तान् सन्मार्गे स्थापयितुं शक्नुमः। उचितमार्गप्रदर्शनाभावे तेषां समयस्यदुरुपयोगः भवति। एवं तेषां जीवनं निष्फलञ्च भवति।
3. **पाठ्यविषये सहायभूताः** (Helpful in the Subject of the text)- पाठ्यसहगामिक्रियाणां द्वारा अध्यापनं रुचिपूर्णं तथा आकर्षकं भवति। यथा क्रीडया विषयज्ञापनं भवति तथा निबन्धवादविवादैः विषयज्ञापनं भवति। अभिनयपूर्वकम्

अध्यापनं भवति। कक्ष्यायां कदाचित् अभिनयेन पाठ्यविषयं ज्ञापयितुं शक्यते। एवम् अध्ययनअध्यापने पाठ्यसहगामिक्रिया: सहायभूता: भवन्ति ।

4. **चारित्रिकविकास:** (character development)- पाठ्यसहगामिक्रियाणां द्वारा चारित्रिकविकास: अपि भवति। कक्ष्यायां चरित्रव्रतानां महापुरुषाणां विषयज्ञापनेन छात्रा: चरित्रमन्तो भवितुमर्हन्ति। गान्धीमहोदय:, श्रीरामचन्द्र:, सत्यहरिश्चन्द्र: इत्यादिमहापुरुषाणां चारित्र्यं नाटकप्ताहाय्येन ज्ञापयितुं शक्यते। एतासां क्रियाणां द्वारा छात्रा: स्वार्थचिन्तनं त्यक्त्वा सामूहिकलाभाय चिन्तयन्ति। एवं ते न्यायप्रिया: भवन्ति। आत्मानुशासिन: भवन्ति सन्मार्गे गच्छन्ति ।

5. **नागरिकताया: विकास:**(The development of Citizenship)- पाठ्यक्रमसहगामिक्रियाणां द्वारा छात्राणां नागरिकताया: विकाश: भवति। एवं स्वशासनबद्धा: भवन्ति। सामाजिकव्यवहारसम्पन्ना: भवन्ति। सम्भाषणे कुशला: भवन्ति। सर्वेषां नागरिकाणाम् आनन्दवर्धका: अपि भवन्ति ।

6. **अवकाशस्य सदुपयोग:**(Good use of leisure time)- पाठ्यसहगामिक्रियाणां द्वारा अवकाशस्य सदुपयोग: कर्तुं शक्यते। यदि अवकाशस्य सदुपयोग: न भवति तेषां गमनं अपमार्गे चलति। जीवनमपि व्यर्थं भवति। अवकाशस्य सदुपयोगेन समाजे अनुशासनसंरक्षणं भवति। एवं मूलप्रवृत्तीनां संशोधनमपि भवति ।

7. **नेतृत्वस्य विकास:**- पाठ्यसहगामिक्रियाणां द्वारा नेतृत्त्वभावनाया: विकाश: भवति। यथा तेषां विद्यालये उचितविषयाणां ज्ञापनेन उचितमार्गप्रदर्शनेन सच्चरित्रव्रतानां चरितस्य अध्यापनेन तेषां नैतिकताया: विकास: भवति ।

8. **बौद्धिकविकास:**- उचितपाठयपुस्तकानां पठनेन छात्राणां बौद्धिकविकास: भवति।

9. **शरीरकविकास:**- पाठ्यसहगामिक्रियाणां द्वारा छात्राणां शारीरकविकास: भवति। क्रीडा, व्यायाम: इत्यादीनां कार्यक्रमाणाम् अयोजनेन शारीरकविकास: भवति।

10. **आध्यात्मिकविकास:**- विद्यालये दैवचिन्तनं, दैवकीर्तनं, दैवप्रार्थना, आध्यात्मिकग्रन्थपठनम् (भगवद्गीता इत्यादीनां) इत्यादीनाम् आध्यात्मिकविकास: भवति ।

11. **रचनात्मकविकास:**- विद्यालयेव्यासरचना, पत्रलेखनं, कथालेखनम् इत्यादिकार्यक्रमाणां निर्वहणेन छात्राणां रचनात्मकविकास: भवति ।

12. **सर्जनात्मकविकास:**- विद्यालये चित्रलेखनम् काव्यादिकार्यक्रमाणां निर्वहणेन सर्जनात्मकताया: विकास: भवति।

13. **सांस्कृतिकविकास:** - सांस्कृतिककार्यक्रमाणाम् आयोजनेन सांस्कृतिक विकास: भवति।

14. **मानसिकविकास:**- पाठ्यक्रमसहगामिक्रियाणां द्वारा छात्राणां मानसिकविकास: भवति। उपर्युक्तप्रकारेणपाठ्यक्रमसहगामिक्रियाणां द्वारा बालकानां सर्वाङ्गीणविकास: भवति।

पाठ्यक्रम-सहगामिक्रियाणां प्रकारा:

1. साहित्यिकक्रिया: ।
2. वादविवाद:।
3. विद्यालयपत्रिका ।
4. सङ्गीतं तथा नृत्यम् ।
5. क्रीडा – शारीरकिव्यायाम: ।

6. छात्रसमितिः ।
7. परिभ्रमणं तथा सरस्वतीयात्रा।
8. बालचरसंघः ।
9. बालिका-गाइड्
10. प्रियव्यापारः ।
11. रेडक्रास तथा प्राथमिकसहायता ।

1.साहित्यिकक्रिया:- साहित्यिक क्रियाणाम् आयोजनेन छात्राः अन्तर्निहितभावान् बहिः प्रकाशयितुं शक्नुवन्ति। एतादृशक्रियाणां द्वारा मानसिकविकासः एवं साहित्यविकासः भवति।

2. वाद-विवादः तथा भाषणकला:- वादविवादेन छात्राः मौखिकरूपेण तेषाम् आत्मप्रदर्शनं कर्तुं शक्नुवन्ति। पर्याप्तरूपेण विषयप्रकटनाय अवसरः मिलति। वादविवादसमये ज्ञानार्जने ते उत्सुकाः भवन्ति। वादविवादः अन्येषामपि मनोरञ्जको भवति। वादविवादेन छात्राः भाषणे निपुणाः भवन्ति ।

3. विद्यालयपत्रिका:- पत्रिकादीनां द्वारा तेषां भावनाः प्रकटीकर्तुं शक्नुवन्ति। पत्रिकादीनां पठने न तेषां मानसिक-बौद्धिक - चारित्रिक-सामाजिकेति सर्वाङ्गीणविकासः भवति। रचनात्मक सर्जनात्मकशक्तेः विकासः भवति। लेखनकौशलं वर्धेत।

4. सङ्गीतं तथा नृत्यम्- संगीतनृत्यकार्यक्रमाणां द्वारा छात्राः मनोरञ्जकाः भवन्ति। तेषां मानसिकविकासः भवति। संगीतकलायाः विकासः भवता। नृत्य-अभिनयकौशलयोः विकासः भवति। सङ्गीतश्रवणेन छात्राणां स्वास्थ्यं सम्यक् भवति। एवं नाटकादीनां प्रदर्शनेन उचितज्ञानसम्पन्नाः भवन्ति। तथा सामाजिकज्ञानं भवति। चारित्रिकविकाशः भवति।

5. क्रीडा तथा शारीरकव्यायाम:- क्रीडया छात्राणां विषयज्ञापनं भवति। क्रीडया गणितशास्त्रं ज्ञापयितुं शक्यते। सामाजिकविकासः भवति। शारीरकविकाशः भवति। शारीरकव्यायामेन स्वास्थ्यं समीचीनंभवति। स्वस्थेशरीरे स्वस्थं मनः इत्युक्तरीत्या यस्य स्वास्थ्यं समीचीनं भवति, तस्य मनः अपि स्वस्थं भवति। एवं यदि स्वास्थ्यं समीचीनं भवति तर्हि तेषां जीवनम् आनन्दमयं एवं शोभायमानं भवति।

6. छात्रसमिति:- छात्रसमितीनां द्वारा विविधस्तरेषु पाठ्यक्रमसहगामि क्रियाणाम् आयोजनेन ज्ञानार्जनं भवति। यथा वाद-विवादः, अन्त्याक्षरी इत्यादिकार्यक्रमाणाम् आयोजनेन।

7. परिभ्रमणं तथा सरस्वतीयात्रा:- सरस्वतीयात्रया ज्ञानार्जनं भवति। समाजिकविकासः भवति। व्यवहारकौशलम् आयाति। ये विषयाः अध्यापनेन नाधिगम्यन्ते ते विषयाः परिभ्रमणेन ज्ञापयितुं शक्यन्ते। छात्राः। वास्तविकज्ञानसम्पन्नाः भवन्ति। प्रत्यक्षतया वास्तविकरूपं द्रष्ट शक्नुवन्ति। आनन्दं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। परिभ्रमणेन चरित्रिक भौगोलिकविषयाणाम् अवगाहन तथा विकाशः भवति। एवं परिभ्रमणेन सरस्वतीयात्रया च अनेके विषयाः ज्ञापयितुं शक्यन्ते।

8. बालचरसंध:- बालचरसंधस्य आयोजनेन समाजसेवायाः अवकाशो भवति। समाजसेवया सद्गुणसम्पन्नाः भवन्ति। सत्संगस्य विकासः भवति। समये समये सन्दर्भानुसारं वनभ्रमणेन प्राकृतिकसौन्दर्यम अनुभवन्ति। पर्वतारोहणेन आनन्दम् अनुभवन्ति। बाह्यवातावरणज्ञानमपि भवति। सत्यवाक्यपरिपालकाः, देशभक्तिपूर्णाः ईश्वरभक्तिपूर्णाश्च भवन्ति ।

9.बालिका-गाइड - तासां नृत्य-संगीत-गृहविज्ञानादिविषयाणां ज्ञापनं भवति। तासु स्वास्थ्यविज्ञानं, समाजसेवाइत्यादिविषयाणां विकासो जायेत ।

10. प्रियव्यापाराः - समयस्य सदुपयोगाय प्रियव्यापाराणाम् आयोजनम् आवश्यकं भवति। भाषणं, लेखनं, गानं, क्रीडा, परिभ्रमणं, नृत्यं, संगीतं, पठनम् इत्यादिप्रियव्यापाराः भवन्ति।

11. रेडक्रास तथा प्राथमिकसहायता- रेडक्रास-संस्थानाम् अत्यधिकं महत्त्वम् अस्ति। प्राथमिकचिकित्सायाः ज्ञानं मिलति। विद्यालये तथा छात्रावासे एतादृशकार्याणाम् आयोजनम् आवश्यकं वर्तते। एवं प्रकारेण विद्यालये पाठ्यक्रमसहगामिक्रियाणाम् आयोजनस्य महत्त्वम् अस्ति। प्रधानाध्यापकस्य कर्तव्यम् उत्तरदायित्वं च अस्ति यत् पाठ्यक्रमसहगामिक्रियाणां पाठ्यक्रमे समुचितस्थानं, तदर्थं समुचितव्यवस्थायाः च परिकल्पनं इति।

परिशीलितग्रन्थसूची

1. शिक्षायाः व्यवस्थापना प्रयुक्तिविद्याञ्च, ड. कर तुहिनकुमारः, ड. मण्डल भीमचन्द्रः, रीता पाब्लिकेशन्, कोलकाता, 2010
2. शिक्षातत्व शिक्षादर्शनञ्च, सुशीलराय, सोमा बुक एजेन्सी, कोलकाता, 2010
3. तट्टा, टि. के(1998) संस्कृतच्छात्राध्यापकानां पुनर्बलनकौशलविकासे सूक्ष्मशिक्षणप्रभावः (शिक्षाचार्योपाध्यर्थः लघुशोधप्रबन्धः) Unpublished M.edDissertation, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati.
4. भट्टः, वि. (2003) संस्कृतच्छात्राध्यापकानां प्रश्नकरणकौशलविकासे सूक्ष्मशिक्षणस्य प्रभावः (शिक्षाचार्योपाध्यर्थः लघुशोधप्रबन्धः)Unpublished M.ed Dissertation, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati
5. मिश्र, जि (1999) विभिन्नसंस्कृतभाषाध्यापकप्रशिक्षणकार्यक्रमाणां मूल्याङ्कनात्मकमध्ययनम्। Unpublished Doctoral Dissertation, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati
6. रा. देवनाथः, . भुवनेश उपाध्यायः - व्याकरणयशिक्षणविधयः
7. शर्मा वि. मुरलीधर - संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षणे सूक्ष्मशिक्षणम्
8. Agarwal : Micro Teaching: An Appraisal, Indian Education, AIFEA.
9. ALLEN. D.W (1966) Microteaching - A Description. Stanford University. California,
10. Blowers E.A. (1979): Problems in Practice Teaching, Indian Education AIFEA.
11. The Scheduled Tribes, Ghurey, G.S, Popular Book Depo, Bombay, 1959

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

ध्वन्यालोककार: आनन्दवर्धनाचार्य: ध्वन्यालोकस्य गुणसङ्घटनयो: परामर्श:

डॉ. सीता राम शर्मा
प्रोफेसर (साहित्य) राजकीय धुलेश्वर आचार्य,
(पी.जी. संस्कृत महाविद्यालय, मनोहरपुर, जयपुर)

शोधसारांश:- आनन्दवर्धनेन प्रतिपादिता इयं सङ्घटना विभिन्नानां आलङ्कारिकाणां मतानुगुणं विभिन्नै: नामभि: अवलोक्यते । मुख्यतया मार्ग:, रीति: वृत्ति:, सङ्घटना इति नामभि: पदविन्यासस्य निरूपणं कृतम् अवलोक्यते । काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिकार: आचार्य: वामन: इमां सङ्घटनां रीतिरिति प्रोवाच । तच्चोक्तं यथा विशिष्टापदरचनारीति: इति । तन्मतानुसारं वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चालीतिरीति: त्रिविधा । तदुक्तं –सा त्रेधा, वैदर्भी गौडिया पाञ्चाली, चेति' इति । अपि च रचनायाम् इयं विशेषता गुणानामवस्थित्या भवति। गुणानामुपरि रीतेरवलम्बनात् क्वचिदिदं रीतिमतं गुणसम्प्रदाय: इति नाम्नापि व्यवह्रियते ।

मुख्यशब्दा:- मार्ग:, रीति: वृत्ति:, सङ्घटना, वैदर्भी, पाञ्चाली, आचार्य: दण्डी, मम्मट: ।

ध्वन्यालोककार: आनन्दवर्धनाचार्य: ध्वन्यालोकस्य तृतीये उद्योते अलक्ष्य– क्रमव्यङ्ग्यनिरूपणावसरे सङ्घटनां निरूपयति । तत्र च तेन उक्तमस्ति यथा–

यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिर्वर्णपदादिषु ।

वाक्ये सङ्घटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ' ॥

आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके सङ्घटनासामान्यलक्षणं न प्रोक्तम्। किन्तु एतेन सङ्घटना इतीदं पदं वामनादिभि: प्रयुक्ताया: रीते: पर्यायरूपेण प्रयुक्तम् अवलोक्यते । अपि च सङ्घटना इतीदं पदं ध्वनिकारं विहाय प्राय: नान्येन आलङ्कारिकेण पूर्वं प्रयुक्तम् । सङ्घटना इत्येतस्य पदस्य उल्लेख: वाक्यपदीये अपि अवलोक्यते । तत्र च उक्तमस्ति यथा – "जातिरनशिधीयमानापि सम्बन्धव्युत्पत्त्यर्थमवश्यमुपलक्षणत्वेना– पेक्षणीयेति तन्नि बन्धना सरूपाणां सङ्घटना 2" इति । तत्र च असमासा, मध्यमसमासा, दीर्घसमासा इति त्रिविधांसङ्घटनां निरूपयति आनन्दवर्धन: । तच्चोक्तम् यथा–

असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता ।

तथा दीर्घसमासेति त्रिधा सङ्घटनोदिता ॥

आनन्दवर्धनेन प्रतिपादिता इयं सङ्घटना विभिन्नानां आलङ्कारिकाणां मतानुगुणं विभिन्नै: नामभि: अवलोक्यते । मुख्यतया मार्ग:, रीति: वृत्ति:, सङ्घटना इति नामभि: पदविन्यासस्य निरूपणं कृतम् अवलोक्यते । काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिकार: आचार्य: वामन: इमां सङ्घटनां रीतिरिति प्रोवाच । तच्चोक्तं यथा विशिष्टापदरचनारीति: इति । तन्मतानुसारं वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चालीतिरीति: त्रिविधा । तदुक्तं –सा त्रेधा, वैदर्भी गौडिया पाञ्चाली, चेति' इति । अपि च रचनायाम् इयं विशेषता गुणानामवस्थित्या भवति। गुणानामुपरि रीतेरवलम्बनात् क्वचिदिदं रीतिमतं गुणसम्प्रदाय: इति नाम्नापि व्यवह्रियते । आचार्य:

वामनः दश शब्दगुणान् दश अर्थगुणान् च निरूप्य रीतित्रयस्यापि लक्षण निरूपितवान् । तत्र च समग्रगुणा वैदर्भी, ओजः कान्तिमती गौडीया, माधुर्यसौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली" इति च तिसृणां रीतीनां स्वरूपं ब्रूते । वक्रोक्तिजीवितकारः कुन्तकः इमां सङ्घटनां मार्गनाम्ना व्यवहृतवान् । तन्मतानुसारंसु कुमारमार्गः, विचित्रमार्गः, मध्यममार्गश्चेतित्रयः काव्यमार्गाः । तच्चोक्तं यथा–

सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः ।

सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः ॥

काव्यादर्शकारः आचार्यः दण्डी अपि इमां सङ्घटनां मार्गमाह । तन्मतानुसारं वैदर्भी गौडीया इति च द्वौ मार्गौं । तेन च उक्तं यथा–

अस्त्यनेको गिरां मार्गः सूक्ष्मभेदः परस्परम्।

तत्र वैदर्भगौडीयौ वर्ण्यते प्रस्फुटान्तरम् । इति ।

साहित्यदर्पणकारः कविराज : विश्वनाथः वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चाली, लाटी चेति रीतीनां चातुर्विध्यमाह । तेनोक्तम् । यथा –

पदसङ्घटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत् ।

उपकर्त्री रसादीनां सा पुनः स्याच्चतुर्विधा ।।

वैदर्भी चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा ।

माधुर्यव्यञ्जकैर्वणै रचना ललितात्मिका ॥

अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ।

ओजः प्रकाशकैर्वणैर्बन्ध आडम्बरः पुनः ॥

समासबहुला गौडी वर्णैः शेषैः पुनर्द्वयोः ।

समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता ॥

लाटी तु रीतिवैदर्भीपाञ्चाल्योरन्तरे स्थिता ।। ' इति ।

सरस्वतीकण्ठाभरणकारेण उक्तम् यथा–

वैदर्भादिकृतः पन्थाः काव्ये मार्ग इति स्मृतः ।

रीङ्गताविति धातोः सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते ।। इति ।

तेन च वैदर्भी, पाञ्चाली, गौडिया, आवन्तिका, लाटीया, मागधी चेति रीतीनां षोढात्वं निरूपितम् । उक्तम् च यथा– 1

वैदर्भी साथ पाञ्चाली गैडीयावन्तिका तथा ।

लाटीया मागधी चेति षोढा रीतिर्निगद्यते ' ॥ इति ।

काव्यप्रकाशकारः मम्मटः वृत्यनुप्रासनिरूपणप्रसङ्गे रीतिं वृत्तिं च समानरूपेण प्रोक्तवान् । तेन च तत्र उक्तमस्ति यथा

" एतास्तिस्त्रो वृत्तयः वामनादीनां वैदर्भीगौडीपाञ्चाल्याख्यो मताः' इति । तेन च उपनागरिका, परुषा, च तिस्रः वृत्तयः प्रोक्ताः । तेनोक्तम् यथा–

माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णैरुपनागरिकोच्यते ।

ओजः प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा कोमला परैः ॥ इति । कोमला इति

काव्यमीमांसाकारः राजशेखरः "तत्र वेषविन्यासक्रमः प्रवृत्ति, विलासविन्यासक्रमो वृत्तिः, वचनविन्यासक्रमो रीतिः "" इत्याह । पुनश्च सः वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चालीति रीतित्रितयं प्रोवाच' । ध्वन्यालोककारः आनन्दवर्धनस्तावत् अत्यन्तं विशदतया गुणसङ्घटनयोः पार्थक्यं, आधाराधेयभावसम्बन्धं च परामृशति । तत्र ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योते सर्वप्रथमं कानामसङ्घटना इति जिज्ञासायां ब्रूते यथा –गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीमाधुर्यादीन्व्यनक्तिसा ।। इति । एवञ्च सङ्घटनागुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती रसादीन्व्यनक्तीति तात्पर्यम्। प्रकरणेऽस्मिन्वामन भट्टोद्भटप्रभृतीनां मतानि खण्डयति ध्वनिकारः । सन्दर्भेऽस्मिन्सर्वादौ विक्पपद्वयम् उपन्यस्यति ध्वन्यालोककारः । गुण–

सङ्घटनयोः अभेदः इति आदमिः, गुणसङ्घटनयोः भेदः इति द्वितीयः । भेदे पुनः गुणाश्रिता सङ्घटना, सङ्घटनाश्रिताः गुणाः इति विकल्प द्वयम् । तत्र गुणसङ्घटनयोः अभेदपक्षेगुणान् आत्मभूतान्कृत्वातिष्ठति सङ्घटना । सङ्घटनाश्रित गुणपक्षे च आधेयभूताः गुणाः, आधारश्चसङ्घटना । अत्र च गुणसङ्घटनयोः ऐक्यमितीदं वामनमतम् । तच्च उच्यते–रीतिरात्माकाव्यस्य इति । एतन्मतानुसारं काव्यस्य आत्मारीतिः । अत्र च वा – मनेन प्रधानः इत्यस्मिन् अर्थे आत्मपदं प्रयुक्तम् । तर्हि केयं रीतिः इति चेत् उच्यते – विशिष्टापदरचनारीतिः इति । एवञ्च विशेष युक्ता पदानांरचनारीतिः इति तन्मतम् । कोऽसौ विशेषः इति ब्रूते – विशेषो गुणात्मा इति । गुणाश्च श्लेषप्रसादादयः । एवञ्च अनेन गुणसङ्घटनयोः ऐक्यपक्षः प्रतिपादितः अवलोक्यते वामनेन । तत्र गुणसङ्घटनयोः भेदपक्षः द्वितीयः । पक्षेऽस्मिन्सङ्घटनाश्रिताः गुणाः इति भट्टोद्भटमतम्। किन्तु आनन्दवर्धनः एतत्मतद्वयमपि खण्डयित्वा स्वकीयं तृतीयं मतं सिद्धान्तरूपेण उपस्थापयति । अत्र च एतदनुसारं यदिगुणसङ्घटनयोः अभेदपक्षः सङ्घटनाश्रिताः गुणाः इति पक्षः वा स्वीक्रियते तर्हि गुणानामनियतत्त्वम् आपतति । वस्तुतः गुणास्तावनियताः । माधुर्यप्रसादयोः गुणयोः प्रकर्षः करुणरसस्य विप्रलम्भ शृङ्गारस्य विषयः, ओजोगुणः च रौद्राद्भुतादिविषयः । एवं गुणनियमस्तावत्व्यस्थितः । किन्तु सङ्घटनायास्तावत् अयं नियमः विघटते । यतो हि शृङ्गाररसे दीर्घसमासा सङ्घटना रौद्रादिषु च असमासा सङ्घटना अवलोक्यते । तद्यथा–

अनवरतनयनजललवनिपतनपरिमुषितपत्रलेखंते ।

करतलनिषण्णमबलेवदनमिदंकंनतापयति ॥ इति

प्रणयकुपितनायिका प्रसादनाय कस्य उक्तिरियम् । एवञ्चात्र शृङ्गाररसः । किन्त्वत्र दीर्घसमासासङ्घटना अवलोक्यते । अपिच–

योयः शस्त्रं बिभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां

योयः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतोवा ।

यो यस्तत्कर्मसाक्षी चरिति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः

क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिहजगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥

इतीयम्, द्रोणवधं ज्ञात्वाकुपितस्य अश्वत्थाम्नः उक्तिः । किन्त्वत्ररौद्ररसस्य पद्ये असमासा सङ्घटनाऽवलोक्यते । तस्मात्गुणाः न सङ्घटनास्वरूपाः न वा सङ्घटनाश्रयाः इति आनन्दवर्धनमतम्। तर्हि किं स्वरूपाः इमे गुणाः इति जिज्ञासायाम् आह-

तमर्थमवलम्बते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत् ' ॥ इति ॥

गुणास्तावत् अङ्गिनं प्रधानं रसम् आश्रयन्ते, अतः रसधर्माः गुणाः, अलङ्ककारास्तु कटककुण्डलादिवत्शरीराश्रयाः इति फलितोऽर्थः ।

एवं ध्वनिकारः ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योते असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यनिरूपणावसरे गुणसङ्घटनयोः पार्थक्यं प्रतिपाद्य आधाराधेयभावं विशदतया परामृशति ।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. ध्वन्यालोकः- चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी
2. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः - Sri Vani Vilas press, Srirangam, 1990
3. वक्रोक्तिजीवितम् - Firma KI Mukhopadhyay, Calcutta, 1961
4. काव्यादर्श :- Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune, 1938
5. साहित्यदर्पणः- चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
6. सरस्वतीकण्ठाभरणम् - Nirnay Sagar Press, Bombay, 1934
7. काव्यप्रकाश :- Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune, 1933
8. काव्यमीमांसा - Oriental Institute, Baroda, 1934
9. वाक्यपदीयम्- सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी

ज्ञानशौर्यम्

Publisher

Technoscience Academy

(The International open Access Publisher)

Website : www.technoscienceacademy.com

Email : editor@gisrrj.com   Website : http://gisrrj.com